राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

शनिवार :

दिनांक 13 नवम्बर, 1971

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, जन-स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, जनसम्पर्क, वन, उप-निवेशन, खनिज, विद्युत, राजस्थान नहर परियोजना, समाज कल्याण, राजकीय उपक्रम विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

बान्ध की डूब में आई भूमि के एवज में भूमि

61. **श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट-सु०):** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा के माही बान्ध बजाज सागर की डूब में आने वाले कितने गांव हैं और कितने एकड़ भूमि डूब में आई है?

(2) इस बान्ध से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होने का अनुमान है?

(3) क्या यह सही है कि जिन किसानों की भूमि डूब में आई है उन किसानों को दूसरी जगह बसाने की व जमीन देने की सरकार ने कोई कार्यवाही अब तक नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

सिंचाई मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) माही बजाज सागर बांध के डूब में आने वाले गांवों व क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण अभी प्रगति में है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार 72 गांवों का कृषि योग्य क्षेत्र 17,319 एकड़ तथा अकृषि योग्य क्षेत्र 16,761 एकड़ डूब में आयेगा।

(2) इस बांध से राजस्थान में 1,09,100 एकड़ भूमि में सिंचाई होने का अनुमान है।

(3) विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् भूमि अवाप्ति व पुनर्वास की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी, अभी तक कोई भूमि डूब में नहीं आई है। अतः दूसरी जगह बसाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विट्ठल भाई : यह स्कीम कितने वर्षों से चल रही है और जिनकी जमीन

(श्री विट्ठल भाई)

डूब में आवेगी उन किसानों को दूसरी जमीन देने और बसाने का कब तक प्रावधान करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसा मैंने निवेदन किया है फाइनल सर्वे होकर डिमार्केशन नहीं हो जावेगा तब तक यह प्रश्न पैदा नहीं होगा। फाइनल सर्वे होने के बाद ही यह किया जावेगा।

श्री विट्ठल भाई : जो सर्वे हो रहा है उससे लग रहा है कि किसानों की जमीन डूब में आवेगी और किसी का सारा खेत जा रहा है किसी का आधा जा रहा है। तो आधा जिसका जा रहा है उसको किस हिसाब से मुआवजा दिया जावेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिये देश भर में जो पेटर्न है जैसे चम्बल क्षेत्र में है और जगह है, वही इसमें लागू होगा और फिर जो नार्म्स होंगे वे समय पर डिक्लेअर कर दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन 64।

श्री विट्ठल भाई : इस बांध से राजस्थान को लाभ मिलेगा या गुजरात को ?

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर मिलना जरूरी है, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, इसको लेकर जिले में काफी ऐजीटेशन है।

श्री अध्यक्ष : आजाइये विस्तार में।

श्री हरिदेव जोशी : दोनों स्टेटों को लाभ होगा। दोनों को-शेयरर्स हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कडाना बान्ध और बजाज सागर बान्ध इन दोनों के बीच में सामंजस्य या तालमेल रखने की सरकार की जो नीति है उस सम्बन्ध में क्या मन्त्री महोदय कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान सरकार ने भारत सरकार और गुजरात सरकार से यह कहा है, सजेशन दिया है कि इन दोनों ही बान्धों के लिये एक जोइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड बनाया जाये जो दोनों के लिये एक समान नीति निर्धारित कर सके और उन का प्रबन्ध ठीक तरह से कर सके।

गुजरात सरकार इस से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि कडाना बान्ध का लाभ केवल गुजरात को होगा इसलिये हम इस में राजस्थान का दखल पसन्द नहीं करते।

जबकि हमारा कहना यह है कि क्योंकि राजस्थान की भी भूमि इसमें काफी मात्रा में डूब में आती है इसलिये राजस्थान इफक्टेड होता है इसलिये हम भी एक इन्ट्रस्टेड पार्टी हैं, इसलिये इस पर भी कन्ट्रोल बोर्ड में हमारा हाथ होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) **:** इससे लगता है अभी सारा मसला अपरिपक्क स्थिति में है। गुजरात सरकार अपनी मनमानी करने पर तुली हुई है। वह किसी तरह का सहयोग देना नहीं चाहती।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर दूं कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने गुजरात सरकार के गवर्नर को एक पत्र लिखा था और चाहा था कि इस पर साथ में बैठ कर कोई निर्णय पर पहुंचा जाय। किन्तु गुजरात के गवर्नर ने लिखा कि जब तक डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बन जाती है मैं कमिटमेन्ट करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री रामकिशन : पहले से निर्माण कार्य चलता आ रहा है, तो उसका क्या होगा ? निर्माण कार्य में अधिक प्रगति हुई तो राजस्थान सरकार अफक्टेड हो सकती है। राजस्थान के हित अफेक्टेड हो सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो केवल कन्ट्रोल बोर्ड की बात है। यह तो केवल सुपरवीजन के लिये है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान और गुजरात सरकारों के अधिकारियों के बीच कडाना बांध की ऊंचाई के बारे में कोई समझौता हुआ था और गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में अन्तिम समझौते पर हस्ताक्षर अभी नहीं हुए ?

श्री हरिदेव जोशी : क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, यह औलटुगेदर डिफरेन्ट विषय है इसलिये प्रमाणिक रूप से तो फाईल देखकर ही बता सकूंगा। पर चूंकि माननीय सदस्य का आग्रह ऐसा ही है तो केवल याददाश्त के आधार पर मैं निवेदन कर देता हूं, इसमें अगर त्रुटि रह जावे तो क्षमा चाहूंगा। गुजरात और राजस्थान के बीच में पहले जो समझौता हुआ था उसके अनुसार इस बांध की ऊंचाई 419 फीट होनी चाहिये थी, पर राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र को बचाने के लिय राजस्थान सरकार ने बाद में यह सुझाव दिया है कि बजाज सागर और बांसवाड़ा में जो माही डेम बनने को है उसका पावर कम्पोनेन्ट हम फोरगो करते हैं। इसके ऐवज में गुजरात सरकार कडाना बान्ध की ऊंचाई को कम करना मान ले। इस पर हमने गुजरात सरकार के काउन्टरपार्ट से बात भी की थी और एक स्टेज पर भारत सरकार, गुजरात सरकार और हमारे चीफ इन्जीनियर मिले भी और उन लोगों ने हमारे प्रस्ताव को व्यवहारिक स्वीकार किया। 410 तक ऊंचाई रखने की बात स्वीकार की। पर सरकारी लेवल पर गुजरात सरकार ने इसको कनफर्म नहीं किया। यह कह दिया कि यह तो सरकारी अधिकारी लेवल पर डिस्कशन मात्र था। फाइनल डिसीजन सरकार का नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कडाना डेम के सम्बन्ध में जो राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच में समझौता हुआ था ? पहले 419 के बारे में सरकारी स्तर पर कोई समझौता नहीं हुआ। 419 वाला जो हुआ एक मन्त्री महोदय ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के समझौते पर दस्तखत कर दिये थे जिसके कारण सारे परेशान हो रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री कोई निर्णय करे वह सरकार का निर्णय किस हद तक नहीं माना जावे, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान की कैबिनेट ने यह निर्णय नहीं लिया था कि 419 के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये जायं और

Page No 4

(श्री भैरोंसिंह)

उस एक मिनिस्टर के हस्ताक्षर किये गये समझौते को अभी तक राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल ने एप्रूव नहीं किया है।

श्री हरिदेव जोशी : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कडाना बान्ध के और बजाज सागर और माही के कागज अलग अलग हैं। कडाना के कागज अभी मेरे पास नहीं हैं, इसलिए डिटेल में तो मैं क्या जवाब दे सकता हूं अभी ऑफ हैंड।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करूं कि सरकार के इस प्रकार के रवैये ने इस मामले को गम्भीर बना दिया है। अभी तक लोगों का यह इम्प्रेशन था, हमारा भी यही इम्प्रेशन था जैसा कि पिछली साल लड्ढा साहब ने कहा था कि दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच में समझौता हो गया है और इसी के अनुसार बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिलों में जनता में भी यही भावना चल रही है कि इस कडाना बांध की ऊंचाई 419 फीट से घटकर 410 रह गई है और इसमें दोनों सरकारें सहमत हो गई हैं। अब आपका कहना इससे बिलकुल उल्टा है। आपका कहना यह है कि गुजरात सरकार 419 से 410 करने के अपने वायदे से बैक-आउट कर गई है।

इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि सभी सम्बन्धित लोगों को इसकी वास्तविकता का पता लग जावे। जनता धोखे में न रहे।

श्री हरिदेव जोशी : डिटेल जैसा मैंने निवेदन किया, इस समय मेरे पास नहीं है। और ऑफ हैंड कुछ भी कहना ठीक नहीं है। वास्तविकता मैं बता रहा हूं कि जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है दोनों के अधिकारियों के लेवल पर निर्णय लिया गया है। मिनिस्टर लेवल पर नहीं लिया गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): निर्णय करवाओ न।

बीकानेर जिले में भूतल जल का सर्वे

64. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बिकानेर जिले के बीकानेर, नोखा एवं लूणकरणसर क्षेत्रों में भूतल जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की सम्भावनायें हैं जिससे कृषि को भी प्रोत्साहन मिल सकता है ? अगर हां, तो विभाग ने इन क्षेत्रों में उपलब्ध भूतल जल का सर्वे कराकर क्या कोई योजनायें तैयार की हैं ताकि कृषि पुनः वित्त संस्थान द्वारा उक्त योजनाओं की क्रियान्विति हेतु वित्तीय साधनों की व्यवस्था की जा सके ?

(2) क्या कृषि विभाग ने लूणकरणसर क्षेत्र के डूडीवाली से लेकर भोजरासर तक के क्षेत्रों में उपलब्ध भूतल जल के उपयोग हेतु भी कोई योजना तैयार की है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (राव नारायणसिंह): (1) बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र का प्रारम्भिक भूतल जल सर्वेक्षण हुआ है। इस वर्ष पंचायत समिति नोखा व कोलायत के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। बीकानेर के कुछ अन्य इलाकों का सर्वेक्षण केन्द्रीय सरकार की एक योजना

Page No 5

के अन्तर्गत किया जाना निश्चित हुआ है। अभीतक भूतल जल सम्बन्धी सूचना किसी भी बीकानेर क्षेत्र के लिये उपलब्ध नहीं है कि कृषि पुन: वित्त संस्थान की स्वीकृति योग्य योजना बनाई जा सके।

(2) लूणकरणसर क्षेत्र के कुछ मार्गो में प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार सफल नलकूप लगाये जाने की सम्भावना है। सरकार के पास एक समूह नलकूप योजना विचाराधीन है जिसमें इस क्षेत्र की सम्भावना भी प्रस्तावित है।

श्री भीमसेन : लूणकरणसर क्षेत्र के जिन इलाकों का सर्वे कराया गया है, इस सम्बन्ध में क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को इन इलाकों में ट्यूब वेल्स खोदने के लिये काश्तकारों को सब्सिडी देने के बारे में सिफारिश की है?

राव श्री नारायणसिंह : जहां सर्वे कराया गया है उनके अन्दर क्लस्टर स्कीम इम्प्लीमेन्ट करने के लिये विचार किया जा रहा है और इसके बारे में निर्णय हो जायगा तो स्कीम लागू की जायगी ताकि किफायत से कुएं खुद सकें और उनके खर्चे में सब्सिडी दे सकें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : कितने गांवों का सर्वे कराया गया है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने गांवों का सर्वेक्षण करवाया गया है और कौन से गांवों में पानी मिला है?

राव श्री नारायणसिंह : पटवारी, जसवन्तगढ़ वगैरह में।

श्री रामचन्द्र आर्य: क्या यह सही है कि इन गांवों के अलावा गांवों में भी पानी मिल सकता है?

राव श्री नारायणसिंह: नोखा और कोलायत के एरियाज में भी सर्वेक्षण करने का है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि सूरत शहर तहसील और नोहर तहसील के भी कई गांव हैं जहां पानी मिल सकता है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : लूणकरणसर के सभी गांवों का पानी खारा है इन गांवों का सर्वेक्षण कराना चाहिये। आज 24 साल की आजादी के बाद भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो इन गांवों का सर्वेक्षण कराया जाये ताकि पता चल सके।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : सर्वे कराते 22 साल हो गये, लेकिन सरकार पानी नहीं लाती।

श्री रामचन्द्र आर्य : 22 साल हो गये, लेकिन उसकी रिपोर्ट तो आनी चाहिये कि कौन कौन से गांवों में पानी मिल सकता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसकी रिपोर्ट आनी चाहिये, आपको पानी का इन्तजाम करना चाहिये। यदि आप रोटी का इन्तजाम नहीं कर सकते तो भी कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप पीने का पानी नहीं दे सकते तो आप किस लिये बैठे हैं?

Page No 6

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : आप समाजवाद की दुहाई देते हैं और पीने का पानी नहीं दे सकते, फिर किस लिये आप बैठे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री हरजीराम बुरड़क।

जे० बी० हायर सेकेण्डरी स्कूल लाडनूं के हिसाब की जांच

65. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जे० बी० हायर सेकेण्डरी स्कूल, लाडनूं के संचालक मण्डल द्वारा डबल हिसाब रखने का मामला सरकार के ध्यान में कब आया और उप-संचालक, शिक्षा विभाग, जोधपुर से इसकी जांच करवाने के आदेश कब दिये ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और उसमें क्या क्या आरोप सही पाये गये ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) सरकार ने अब तक जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

(4) इसके अलावा उक्त स्कूल के खिलाफ क्या क्या शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) इस स्कूल के सम्बन्ध में महालेखाकार, राजस्थान की ऑडिट पार्टी ने जो ऑडिट रिपोर्ट दी थी उसपर क्या कार्यवाही की गई तथा मुख्य मुख्य क्या क्या आरोप थे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (1) यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में दिनांक 24-5-71 को शिक्षा उप-मंत्रीजी के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर देते समय लाया गया । दिनांक 2 जून, 1971 को आदेश दिये गये । आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) 10-11-71 को रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जांच रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

(4) अन्य कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

(5) महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 19-9-70 को संस्था के ऑडिट रिपोर्ट प्रेषित की, जिसमें 11 पैरे थे उनमें से 2 पैरा महालेखाकार द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं । दो अन्य पैरा का अनुपालना प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजा जा चुका है एवं शेष पैरा की अनपालना हेतु सूचना एकत्रित की जा रही है । जांच प्रतिवेदन में अनियमितताओं सम्बन्धी आपत्तियां होती हैं, आरोप नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क : उप-संचालक, जोधपुर ने यह जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को कब भेजी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 10-11-71 को ।

श्री हरजीराम बुरड़क : जांच रिपोर्ट में जो तारीख दी हुई है वह तो 10-8-71 है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे ख्याल से डाइरेक्टर, प्राइमरी एण्ड सेकेन्डरी एजूकेशन, के माध्यम से यह रिपोर्ट आई है, इसलिए यहां पर तो 10-11-71 को ही प्राप्त हुई है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जब राज्य सरकार ने सीधे डिप्टी डाइरेक्टर से रिपोर्ट मांगी थी, तो फिर डाइरेक्टर के माध्यम से भेजने का क्या मतलब था ? और उन्होंने इतनी डिले की उसका क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने तो जांच रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करदी। हमारे यहां तो 10-11-71 को ही प्राप्त हुई है।

श्री हरजीराम बुरड़क : डाइरेक्टर ने दो महीने तक अपने पास रखी उसके लिये क्या एक्शन लिया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक्शन तो आप अब फरमाते हैं। डिले हुई है यह मैं मानता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : अब राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें जो आरोप लगाए गये थे उनमें से काफी आरोप सही मालूम पड़ते हैं, यह प्रिलिमिनरी जांच थी और यह अधिकारी पूरी जांच नहीं कर सकता था क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, अब इस पर विचार किया जा रहा है कि आगे इस पर क्या कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री हरजीराम बुरड़क : पिछली बार जब यह मामला उठाया गया था तो यह कहा गया था कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद एक्शन लेंगे, और अब आप कहते हैं कि दुबारा जांच करेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है तो इसके बाद कार्यवाही करने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे वे उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

सामान की खरीद

66. **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1966-67 से अब तक प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के लिए अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितने पत्थर, ट्रकें, तगारिया फावड़े, हथोड़ी, घन, गेंतियां गुली वगैरह किन किन अधिकारियों द्वारा किन किन व्यक्तियों से किस किस प्रकार किस कीमत पर कब कब खरीदी गई ? सूची सदन की मेज पर रखनें का कष्ट करें।

(2) उक्त सामान में कितना कितना स्टॉक कहां कहां पर किस हालत में जमा है। और उसकी इस समय क्या कीमत है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उक्त स्टॉक में से किन किन अधिकारियों द्वारा कितना कितना सामान

Page No 8

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

आब्सल्यूट करा दिया जा कर नीलाम करा दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिव चरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी सभी जिलों से अभी प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी स्थगित किया गया था और इसका जवाब इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि इसमें एग्जीक्युटिव इन्जिनियर, सुपरिन्टेंडिंग इन्जिनियर और चीफ इन्जिनियर सभी इनवाल्व्ड हैं, इसमें बड़ा घोटाला है और वे लोग आपको इन्फार्मेशन देंगे नहीं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

प्रश्न संख्या 67

श्री पृथ्वीराज पटेल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

जालोर में जनसम्पर्क अधिकारी का कार्यालय

68. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सिरोही के मुकाबले जिला जालोर बड़ा है व उसकी जन संख्या ज्यादा है? अगर हां, तो कितनी?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिला जालोर का पी० आर० ओ० सिरोही रहता है ? अगर हां तो क्यों? क्या यह भी सत्य है कि पहले पी० आर० ओ० दफ्तर जालोर में था, जो बाद में उठाकर सिरोही ले जाया गया? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार शीघ्र ही जालोर में जनहित की दृष्टि से पी० आर० ओ० दफ्तर जालोर में वापस करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

जन सम्पर्क मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) जी हां यह सत्य है जालोर जिले की जनसंख्या सिरोही जिले से 2,44, 375 अधिक है ।

(2) जी हां । जन सम्पर्क कार्य की दृष्टि से जालोर व सिरोही एक ही इकाई हैं अत: दोनों जिलों का मुख्यालय सिरोही रखा गया है ।

(3) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह इकाई तो एक है, परन्तु जालोर जिले में जन सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय रखना आप उचित समझते हैं या नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि सरकार के विचाराधीन है । और हम उचित समझते हैं तभी तो मूव किया है आगे ।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : आज की स्थिति में, जालोर, जो कि एक बार्डर का जिला है, में जन सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय रखा जाये, क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कृष्णकुमार गोयल ।

कांटेदार तार की खरीद

69. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग के मुख्य वन संरक्षक, जयपुर ने वर्ष 1970-71 में वार्ब्ड वायर (कांटेदार तार) व एंगल आइरन के टेंडर्स आमंत्रित किये थे? अगर हां, तो कब व कितनी कितनी मात्रा के लिये ? कृपया टेन्डर्स की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त सम्बन्ध में किन-किन पार्टीज ने कब कब टेन्डर्स कितनी कितनी सिक्योरिटी मनी के साथ किस किस रेट पर प्रस्तुत किये ? कृपया तुलनात्मक सूची प्रस्तुत करें।

(3) उपरोक्त टेन्डर्स में से किस पार्टी का टेन्डर कब व किस रेट पर स्वीकार किया गया ?

(4) विभाग ने कुल कितना कितना बार्ब्ड वायर व एंगल आइरन किस किस से, कब कब व कितने कितने मूल्य पर खरीदा ?

(5) क्या यह सही है कि इसी वर्ष में मुख्य वन संरक्षक, प्रोजेक्ट ने भी अपने विभाग के लिये वार्ब्ड वायर एंगल आइरन खरीद किया है ? अगर हां, तो किस भाव से व कितना ?

वन मंत्री (श्री भीखा भाई) : (1) जी हां, दिनांक 2-9-70 को 50 टन कांटेदार तार तथा 75 टन एंगल आइरन के लिये टेन्डर आमंत्रित किये थे। टेन्डर नोटिस की प्रति संलग्न है।

(2) सूची सदन के मेज पर रख दी गई है।

(3) दिनांक 28-11-70 को मैसर्स पुष्पा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, जोधपुर को। टेन्डर की रेट निम्नानुसार स्वीकृत हुई:—

(क) वार्ब्ड वायर : 2648.20 रु० प्रति मै० टन बिक्री कर सहित, बाड़मेर में।

(ख) एंगल आइरन

साइज	दर
1.25×25×3 मि. मी. या 32×32×3 मि. मी.	1990 रुपये प्रति मै० टन बिक्री कर सहित।
2.35×35×5 मि. मी. या 38×38×5 मि. मी.	1920 रुपये प्रति मै० टन बिक्री कर सहित।
3.50×50×6 मि. मी. या 65×65×6 मि. मी. या 55×55×6 मि. मी.	1995.20 प्रति मै० टन बिक्री कर सहित।

(4) सूचियां सदन के मेज पर रखी गई हैं।

(5) निर्देशक, परियोजनाएं, वन, कोटा ने परियोजना के लिये निम्नानुसार

Page No 10

(वन मंत्री)

बार्ब्ड वायर व एंगल आइरन मेसर्स राधा वल्लभ एण्ड सन्स कोटा से खरीदें:—

	प्रति मे० टन		क्रय की मात्रा
(क) कांटेदार तार बार्ब्ड वायर 12 × 14 गेज की	2480	बिक्रीकर सहित कोटा में	27.355 मे० टन
(ख) एंगल आइरन 45 × 45 मि. मी.	1580 रु०	बिक्री कर सहित कोटा में।	48.190 मे० टन

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या फारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर पर्चेजिंग एजेन्सी है वह सी० सी० एफ० आफिस में प्रजेन्ट आफिस में एक है या अलग अलग ?

श्री भीखा भाई : दोनों अलग अलग हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सी० सी० एफ० आफिस में पर्चेजिंग एजेन्सी और इसमें आफिसर स्वयं पर्चेजिंग करते हैं या कमेटी करती है ?

श्री भीखा भाई : मुझे कमेटी की जानकारी तो नहीं है परन्तु टेन्डर इन्वाइट करके अलग अलग जगह से मांग आती है उसको संग्रह करके टेन्डर निकाले जाते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मंत्री महोदय ने स्वयं ने उत्तर दिया है जो कांटेदार तार की पर्चेजिंग सी० सी० एफ० ने की है वह 2,648.20 प्रति मेट्रिक टन है जब कि उसी साल के अन्दर प्रोजेक्ट आफिस ने जो कांटेदार तार खरीदे वह 2,480 रु० प्रति मेट्रिक टन था। इस प्रकार प्रति टन कम से कम 200) रु० का अन्तर है और इसी प्रकार जो एंगल आइरन खरीदे गये हैं इसमें सी० सी० एफ० आफिस में 1,990 से 1,995 जब कि प्रोजेक्ट के अन्दर 1,580 रु० प्रति मेट्रिक टन खरीदे हैं। क्या मंत्री महोदय इन दोनों को कम्पेयर करने के बाद विचार करते हैं कि सी०सी० एफ० आफिस में जो पर्चेजिंग हुई है उसमें भयंकर अनियमितता की गई है ? 200) रु० का अन्तर एक ही साल में है।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक देखा है और केलक्यूलेशन किया है। माननीय सदस्य का कोई स्पेसिफिक चार्ज होगा तो उसकी एन्क्वायरी की जायगी लेकिन आपको कनविन्स करने की कोशिश की है और उसके अनुसार मेरा यह निवेदन है कि डायरेक्टर ने जो खरीदा है वह उन्होंने एफ० ओ० आर० खरीदा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एफ० ओ० आर० कोटा कहां से एफ० ओ० आर० का सम्बन्ध हमेशा डिसटेन्स से होता है। कोटा में बाड़मेर में·········

श्री भीखा भाई : नहीं कोटा के अन्दर-अन्दर ही एफ०ओ०आर० कोटा। यह वह है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर आदि लेकिन फिर भी अगर संदिग्धता है तो मैं इसके लिये तैयार हूं। जो आप चाहें किसी भी प्रकार की एन्क्वायरी करा सकते हैं। आप चाहें तो विजिलेन्स कमिशन से एन्क्वायरी करा सकते हैं और यदि आप चाहें तो

Page No 11

(श्रीभीखा भाई)

एन्टीकरप्शन से एन्क्वायरी करा सकते हैं। आप जिससे भी चाहें मैं तैयार हूं। परन्तु मैं निवेदन यह करूं यह जो फैक्ट्स मिले हैं उसमें जो प्रोजेक्ट वालों ने खरीदा है वह बिक्री कर सेल्स टैक्स को इन्क्लूड करके खरीदा है और सी०सी०एफ० में जो खरीद हुई है वह विदाउट सेल्स टैक्स की बात है। इसलिये मैंने जो हिसाब लगाया उसमें मेरे हिसाब से कुल मिलाकर जो डिफरेन्स है वह ज्यादा नजर नहीं आता है। फिर भी आप कहें कोई गड़बड़ी हुई है तो हम ओपन हैं इसलिये अभी भी कोई हाईपोथेटिक क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो एन्क्वायरी करा दी जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने स्वयं ने जब फैक्ट्स को स्वीकार किया है। दोनों के अन्दर जो रेट्स है विदाउट सेल्स टैक्स है। जहां तक एफ० ओ० आर० का सवाल है प्रोजेक्ट ने पर्चेजेज कहां से की है। 200) रु० प्रति मीट्रिक टन है वह एफ० ओ० आर० बाड़मेर है वे तो इसमें बाउन्ड है और इसी कारण कोटेशन एक्सेप्ट किये गये हैं। इसकी जांचआप विजिलेन्स से करवा दीजिये।

श्री भीखा भाई : मैं इसे स्वीकार करता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो डिफरेन्स आता है वह 18 का आता है। डिफरेन्स जो आपने बताया है वह......

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सारा केलकूलेशन जो आपको बताया गया है वह गलत बताया गया है। बिलकुल 200) रु० प्रति मीट्रिक टन का है। आप जांच करवायें।

श्री अध्यक्ष : आप जांच कर ही रहे हैं। प्रश्न समाप्त होता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : जांच करा रहे हैं कि नहीं, मंत्री महोदय ?

श्री भीखा भाई : मैंने हां कह दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि इस पुष्पा ट्रेडिंग कम्पनी......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न समाप्त हो गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अश्रव्य) : इनसे चैक लिया गया। और क्या यह सही है कि श्री के० एल० बराया जो इस विभाग के सेक्रेटरी हैं इन्होंने फाइल को जब्त किया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। नेक्स्ट। श्री गाड़िया।

कृषि उपज मंडी की भूमि

70. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां, अन्ता, सुलतानपुर, रामगंज मण्डी एवं इन्दरगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति घोषित यार्ड भूमि अभी तक चम्बल मण्डी कमेटी के अधीन रहने के कारण विकसित नहीं हुई है ?

(2) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि चम्बल मण्डी कमेटी को समाप्त करदी जाकर विभिन्न क्षत्र की भूमि को

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

संबंधित नगरपालिका एवं पंचायत समिति के सुपुर्द करदी जावे ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पांच स्थानों की भूमि को संबंधित नगरपालिका व ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के सुपुर्द करदी है ?

(3) क्या यह सही है कि चम्बल मण्डी कमेटी ने अपने बजट की रकम को नियमानुसार उक्त कृषि उपज मण्डी कमेटीज को विकास के लिये उनके हिस्से की रकम नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) चम्बल मण्डी कमेटी द्वारा गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष उक्त कृषि उपज मण्डी कमेटीज को विकास कार्य हेतु कितना कितना रुपया दिया जाना चाहिये था और कितना कितना रुपया दिया और कितना रुपया चम्बल मण्डी कमेटी के पास इस समय पड़ा है सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(5) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय कृषि उपज मण्डी कमेटी के पास निजी भूमि व फण्ड नहीं होने के कारण विकास कार्य नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो 70 है उसमें मालुम हुआ है यह उपनिवेशन विभाग से सम्बन्धित है और कल उपनिवेशन का मामला आने वाला है । इसलिये इस प्रश्न को कल ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के बिना कहे हुए ही आप कह देते हैं । मंत्री महोदय से बात हो गई है ?

कृषि मंत्री (राव श्री नारायण सिंह) : यह बात हो गई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें कहां समझौता हुआ उसमें मैं कहां पड़ना चाहता हूं ।

श्री सारण ।

चन्दे व दान दाताओं द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल

71. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में दान दाताओं द्वारा अथवा सार्वजनिक चन्दे से कितनी कॉलेज, हाई या हायर सेकेण्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल और छात्रावासों के भवन बनाकर राज्य सरकार को दिये गये हैं और उनमें से कितने शिक्षा विभाग ने कब कब स्वीकार कर लिये और कितने बिना स्वीकार किये ही कब कब से संस्थाओं के काम में लिये जा रहे हैं ?

(2) जो भवन संस्थाओं के उपयोग में आ रहे हैं उनमें से कितने भवन अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी मान्यता में स्वीकार नहीं किये हैं तथा क्यों और कब से ?

(3) ऐसे भवनों की मरम्मत की क्या व्यवस्था है ?

(4) कुल कितनी लागत के भवन व भूमि विभाग को इस प्रकार प्राप्त है ? भवनों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई): (1) वांछित सूचना संलग्न सूची में निहित है ।

(2) सूची में अंकित है ।

(3) आवश्यकतानुसार व बजट प्रावधान की उपलब्धि के अनुसार राज्य सरकार विशेष अनुदान स्वीकृत कर ऐसे भवनों की मरम्मत करवाती है ।

(4) वांछित सूचना प्रश्न के खण्ड 1 के उत्तर में वर्णित सूची में अंकित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : ये भवन बहुत अर्से से जनता द्वारा निर्मित करवा कर सौंपे गये हैं । अब तक विभागीय सूची में या सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूची में नहीं लेने के क्या कारण हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कईयों को सूची में ले लिया है और कईयों में अभी तक यह मामला विचाराधीन है क्योंकि काफी बड़ी संख्या में भवन बन जाते हैं । पहले राज्य सरकार का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट था—भवन एक तरीके का चाहिये और गांव वालों ने दूसरे तरीके का बना दिया है । लेकिन अब एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कलेक्टर, सम्बन्धित सचिव आदि हैं वे उसको देख कर सूची पर ले सकते हैं लेकिन इसमें विलम्ब हुआ है, यह मैं मानता हूं ।

श्री दौलतराम सारण : कई वर्षों से उन भवनों में हायर सेकेण्डरी स्कूल, हाई स्कूल आदि चल रहे हैं और अब तक भी वे विभाग की सूची में नहीं हैं । अगर भवन उपयुक्त नहीं है तो वहां सरकार ने स्कूल चलाने की अनुमति कैसे प्रदान की और अब अगर स्कूल चल रहे हैं तो उस स्थिति में विभागीय सूची में लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : व्यवहारिक दृष्टि से चलाये जा रहे हैं, जो भवन जनता ने बनाकर दे दिये हैं वहां शिक्षण संस्थायें चल रही हैं केवल एक दो जगह को छोड़कर जहां केवल झोंपड़े ही बने हुए हैं या बिल्कुल कच्चे हैं बाकी सब विभाग की सूची में ले लिये जायेंगे । कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें दान-पत्र नहीं होते हैं उसके कारण भी रह जाते हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : यह मानकर चलें कि अब तक स्कूल अव्यवहारिक रूप से चलाये जा रहे थे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सरकार के नियम हैं कि हायर सेकेण्डरी स्कूल कैसा होनी चाहिये, हाई स्कूल कैसा होना चाहिये, कॉलेज कैसा होना चाहिये । लेकिन गांव वालों ने अपनी मर्जी से बना दिये हैं । कभी एक कमरा बना दिया, कभी दो कमरे बना दिये । शुरू में ज्यादा साईन्टिफिक था जब बाद में बना दिया तो उसकी अवहेलना कर नहीं सकते हैं ।

प्रश्न संख्या 72

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ पटेल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री फूलचन्द बाफणा ।

बिजली के बिल जमा कराने की सुविधा

73. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—(1) (अ) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल केन्द्र फालना (जिला पाली) के अन्तर्गत विद्युत् बिलों में विद्युत् बिल की रकम भरने की ड्यू तारीख सम्बन्धित स्थान (ग्राम या कस्बा) से निकटतम स्थान के कार्यालय पर भरने को दी गई थी जनवरी, फरवरी व मार्च, 71 के प्रत्येक माह में? यदि निकटतम स्थान पर रकम भरने की सुविधा नहीं दी गई तो क्यों ?

(ब) रानी खुर्द (जिला पाली) के विद्युत् बिलों की जो रकमें तारीख 28 फरवरी, 71 को भरने हेतु विद्युत् बिलों में लिखा गया था वे रकमें तारीख 28 फरवरी, 71 को क्या इसलिए नहीं ली गई क्योंकि उस दिन रविवार था ? यदि हां, तो रविवार का दिन देने का दोष उपभोक्ताओं का था अथवा सम्बन्धित अधिकारियों का ? यदि अधिकारियों का था तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया ?

(2) रानी खुर्द (जिला पाली) के विद्युत् बिलों की जिन रकमों को भरने की तारीख 28 फरवरी, 71 दी गई थी उस दिन रविवार था और उसके दूसरे दिन 1 मार्च, 71 को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई थी तो नियमानुसार ता० 2 मार्च, 71 को उन्हीं बिलों की रकमें रानी खुर्द के कार्यालय में ही लेने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया व छोटी छोटी रकमों को भरने हेतु रानी खुर्द से नौ मिल दूर फालना कार्यालय में भरने का आदेश निकाल कर उपभोक्ताओं को क्यों तंग किया गया ?

(3) क्या उक्त धनराशि वापिस लौटाई जायेगी ?

विद्युत-मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) (अ) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल केन्द्र फालना सब-डिवीजन के अन्तर्गत विद्युत बिलों की रकम जमा कराने की ड्यू तारीख जो कि बिलों पर दी जाती है यह मुख्य केन्द्र फालना में रकम जमा कराने के लिए होती है। परन्तु विद्युत् उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु ड्यू तारीख या उससे पहले निश्चित प्रोग्राम के अनुसार निकटतम स्थान पर खजांची भी भेज जाते हैं।

(ब) जी नहीं, रानी गांव में 25-2-71 से 28-2-71 तक उप-खजांची भेजा गया वहां उसने बिलों की रकम ली थी। ड्यू डेट के दिन रविवार आ जाय इसमें किसी का दोष नहीं है। चूंकि मीटर रीडिंग तथा बिलिंग प्रोग्राम तय कर लिया जाता है इसलिये बिलों पर ड्यू तारीख निश्चित प्रोग्राम के अन्तर्गत ही दी जाती है। यदि ड्यू तारीख पर अवकाश हो तो बिल के पीछे छप निर्देश (के०) के अन्तर्गत अवकाश के बाद आने वाला पहला कार्य दिवस भी (वर्किंग डे) उस बिल के लिये ड्यू तारीख मान लिया जाता है।

(2) दिनांक 1 मार्च को जिलाधीश, पाली द्वारा चुनाव के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने के कारण 2 मार्च 71 को उन सभी बिलों के लिये ड्यू तारीख मानी गई जिन पर ड्यू

(श्री शिवचरण माथुर)

तारीख 28-2-71 थी और 2-3-71 को फालना में जमा होने वाले बिलों की रकम पर पेनल्टी नहीं ली गई है। चूंकि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिलों का भुगतान रविवार होने के बावजूद भी 28-2-71 तक रानी में लिया गया था इसलिये 2-3-71 को पुनः रानी के लिये उप खजांची भेजने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) जिन उपभोक्ताओं ने समय पर रकम का भुगतान नहीं किया उनको रिबेट का पैसा वापिस लौटाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय, बिल के पीछे लिखा हुआ है इसलिए बहुत से लोग तो देने ही नहीं गये कि छुट्टी के बाद लेंगे और जब बिल की निश्चित तारीख थी उसके बाद गये तो उनको खजांची नहीं मिला, वह अधिकारी नहीं मिला जो पैसे लेने वाला था। तो इस प्रकार जो रिबेट मिलती थी वह नहीं मिली क्योंकि वह अधिकारी 2 तारीख तक नहीं था और केवल छुट्टी के दिन ही था। ऐसी हालत में जो रिबेट काटी जाने वाली थी वह नहीं काटी गयी तो क्या वह बिल की रकम जो कि ज्यादा ले ली गयी रिबेट की रकम वह वापिस लौटाई जायेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कहा कि फालना केन्द्र पर 1 तारीख वर्किंग डे था इसलिए 2 तारीख को ऐसे बिलों का भुगतान किया गया था लेकिन इससे पहले रानी खजांची भेजा गया था वहां 25 से 28 तारीख तक बिल लिये थे इसलिये खजांची को फिर से भेजने का सवाल नहीं उठता।

श्री फूलचन्द बाफणा : बिलों के पीछे लिखा है कि छुट्टी के बाद वर्किंग डे होगा उस दिन बिल की रकम लेंगे इसलिए उपभोक्ता गये ही नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कहा कि, 2 तारीख को फालना के केन्द्र पर भुगतान किया गया। आपका कहना है कि रानी दुबारा क्यों नहीं भेजा उसके लिए निवेदन है कि रानी में 25 तारीख से 28 तारीख तक खजांची गया और 28 तारीख तक पेमेन्ट लिया है। अगर किसी को जमा कराना था तो फालना पर 2 तारीख को जमा करा सकते थे।

श्री फूलचन्द बाफणा : फालना रानी से काफी दूर है तो क्या वहां पर लोग दो तीन बसें भरकर ले जाते और क्या यह सम्भव है कि दो तीन रुपये के बिल के लिए बस में इससे ज्यादा पैसा लगाकर जाते इसलिए वह तो वहीं आना चाहिए जहां कि कलेक्शन का केन्द्र है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ रानी और फालना का ही सवाल नहीं है। जैसे अजमेर में टेकओवर किया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने वहां की अमलगमेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को तो वहां बिलों के पेमेन्ट के लिए 4 से ज्यादा सेन्टर्स नहीं हैं और इससे पब्लिक को बहुत परेशानी है। तो क्या आप उनके लिए सुविधा प्रदान करेंगे? वहां पर वे कहते हैं कि दो बिलों से ज्यादा नहीं लेंगे तो क्या आप कोई प्राईवेट एजेन्सी के द्वारा कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री फूलचन्द बाफणा : जो पहले से ही निश्चित स्थान हैं उन स्थानो पर तो कम से कम उस तारीख के बाद जो वर्किंग डे था उस दिन लिया जाना चाहिए था । नये स्थानों की बात तो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, नये स्थान तो खोलना जरूरी ही है लेकिन जो निश्चित स्थान हैं वहां बिलों का लिया जाना जरूरी था क्योंकि यह प्रेक्टिकल नहीं था कि बिलों के भुगतान के लिए दूसरे स्थान पर लोग जाते ।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि 25 से 28 तारीख तक रानी के केन्द्र पर खजांची गया और वहां बिलों को भुगतान के लिए लिया । अब 1 तारीख को पार्लियामेन्ट के इलेक्शन के कारण छुट्टी हो जाने के बाद फालना के केन्द्र पर भुगतान हुआ था । अब 25 से 28 तारीख तक जमा कराना चाहिए था ।

श्री फूलचन्द बाफणा : बिलों के पीछे लिखा हुआ है अगर छुट्टी पड़ेगी तो दूसरे दिन लिया जायेगा । जो ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं वह तो उसी के माफिक गये और उनसे बिल नहीं लिया गया । जनता का इसमें कसूर नहीं था । बिल के पीछे जो नियम छपे हुये हैं उनमें यह स्पष्ट है कि अगर छुट्टी पड़ेगी तो जो अगला वर्किंग डे होगा उस दिन बिल लिया जायेगा । तो आप कह रहे हैं कि 25 से 28 तारीख तक आदमी था वह तो था मैं भी उससे इन्कार नहीं कर रहा हूं लेकिन जो लोग छुट्टी होने के कारण बिल का भुगतान नहीं करा सके और जो नेक्स्ट वर्किंग डे था उस पर गये तो जो रिबेट उनको कटनी चाहिए थी वह नहीं कटी ।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कहा कि 2 तारीख को भी लिये गये थे लेकिन फालना में लिए गए । 25 से 28 तारीख तक रानी केन्द्र पर लिए गए और एक तारीख को छुट्टी थी पार्लियामेन्ट के इलेक्शन की वजह से उसके बाद में फालना में खजांची आ गया और 2 तारीख को भी बिलों का भुगतान किया गया ।

श्री फूलचन्द बाफणा : ठीक है कोई आदमी वहां पहुंच गया लेकिन ऐसी सूचना मिलनी चाहिए थी कि रानी पर नहीं लिये जायेंगे और फालना पर लिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : ऐसी सूचना दी गयी थी कि फालना पर लिये जायेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को भी बिलों का पेमेन्ट लिया है...

श्री फूलचन्द बाफणा : वह तो रानी पर लिया है ।

श्री शिवचरण माथुर : 28 को नहीं लिया हो ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : फालना के प्रश्न पर ?

श्री शिवचरण माथुर : उस सेन्टर के लिये प्रोग्राम बना हुआ था बिलिंग के पेमेन्ट का बना हुआ था तो रानी का 25 से 28 तारीख का प्रोग्राम था और वहां पर पेमेन्ट लिया है और उसके बाद 1 तारीख को छुट्टी हो गयी ।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद फालना का कार्यक्रम आ गया.....

श्री फूलचन्द बाफणा : वह हो नहीं सकता । जो स्थान हैं वहां पर लिया जाना चाहिए.........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री हंसराज आर्य।

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय, इसका निपटारा कुछ नहीं हुआ। उसका क्या होगा ? लोगों का कसूर नहीं है। यह तो सरकारी इन्तजाम में खामी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में क्या मंत्री महोदय कोई उचित व्यवस्था नहीं कर सकते। माननीय प्रश्नकर्ता ने जो बार बार आपका ध्यान आकर्षित किया है, बिलों के पीछे जो भी लिखा हुआ है उसकी ओर तो क्या आपको पता है कि क्या लिखा है ?

श्री शिवचरण माथुर : माननीय नेता महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट निवेदन किया कि 11 उप-सेन्टर्स कायम किये गये हैं और खजांची जाता है और प्रोग्राम के बाद कोई वहां पर जाये तो वह नहीं रहेगा।

श्री फूलचन्द बाफणा : बिल के पीछे यह नहीं लिखा हुआ है कि छुट्टी के बाद वर्किंग डे पर फालना जाना होगा और रानी में नहीं लिया जायेगा।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, गलती जनता की नहीं है। जो पेनल्टी लगी है वह मंत्री महोदय वापिस कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष:-माननीय नेता महोदय ने कहा है इसी बात को।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, गलतफहमी के कारण हुआ है, मिस-अण्डरस्टेंडिंग है। मैं मानता हूं कि आप पेनल्टी लगा सकते हैं लेकिन आपको इस संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर: मुझे पूरी सहानुभूति है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि 25 से 28 तारीख तक खजांची नहीं रुकता तब तो सवाल है लेकिन वह 25 से 28 तारीख तक था.........

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आपके कहने में अभाव रह गया हो तो आपसे मिलकर समझा दें और उसको देख लीजिए।

नेक्स्ट श्री आर्य ?

राजस्थान केनाल से सिचाई

74. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान केनाल हरि के पतन से लेकर अब तक कितना माइल लम्बी मुकम्मिल बनकर पानी देने लायक हो गई है ?

(2) जितनी नहर अब तक तैयार हुई है उससे रबी और खरीफ दोनों फसलों में कितनी कितनी भूमि सिंचित होने लगी है ?

(3) यह नहर वर्ष में कितने समय तक कौन कौन से महिने में कुल कितना क्यूसिक पानी देती है और अब तक इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(4) इस नहर को कितने समय में पूर्ण रूप से तैयार करने का कार्यक्रम है ?

(5) क्या यह सही है कि इस नहर को कांडला बन्दरगाह तक ले जाया जायगा ?

Page No 18

(श्री हंसराज आर्य)

(6) क्या यह भी सही है कि इस नहर में हरिके से कांडला तक जहाज भी चला करेंगे ?

(7) यदि हां तो इस नहर पर मुकम्मिल रूप से जो पुल बन चुके हैं क्या उन्हें तुड़वाया जायेगा ?

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) राजस्थान फीडर 134 मील लम्बाई में तथा राजस्थान नहर 82 मील लम्बाई में तैयार हो गई है। इसमें से सिचाई के लिए बिरधवाल (48 मील) तक नहर में पानी चल रहा है।

(2) वर्ष 1970-71 में निम्नानुसार सिंचाई हुई है :—

रबी — 2,50,000 एकड़
खरीफ — 1,63,000 एकड़
——————
4,13,000 एकड़

(3) (अ) वर्ष 1970-71 में राजस्थान फीडर में हरिके पर निम्नानुसार औसतन पानी छोड़ा गया :—

अप्रैल,	1970	1,860	क्यूसेक
मई,	1970	2,910	"
जून,	1970	3,490	"
जुलाई,	1970	5,730	"
अगस्त,	1970	9,100	"
सितम्बर,	1970	6,500	"
अक्टूबर,	1970	5,810	"
नवम्बर,	1970	2,900	"
दिसम्बर,	1970	1,550	"
जनवरी,	1971	1,330	"
फरवरी,	1971	1,440	"
मार्च,	1971	2,001	"

(ब) सितम्बर, 1971 तक योजना पर 75.69 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

(4) नहर का पूर्णरूप से तैयार होना समुचित धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर है। कार्य के पूर्ण होने का समय निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हंसराज आर्य : मैंने प्रश्न के भाग 4, 5, 6 और 7 में पूछा है और उसके लिए आपने कह दिया कि 'जी नहीं', 'प्रश्न नहीं उठता। इसके बारे में भारत सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री श्री राजबहादुरजी ने पब्लिक म भाषण देते हुए कहा कि इस नहर को कांडला बन्दरगाह तक ले जायेंगे और उसमें जहाज चलावेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : किसी एक स्टेज पर यह बात थी लेकिन जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इस कंसेप्शन को छोड़ दिया गया।

श्री हंसराज आर्य : यह तो दो तीन महीने पहले की बात थी जब उन्होंने इस बात को कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : यह तो अखबारों में निकला है।

(व्यवधान)

Page No 19

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक नैवीगेशन का सवाल है जब प्रोजेक्ट कंसीव किया गया उस समय कल्पना नेवीगेशन के बारे में थी कि इसको नेवीगेशन के लिए प्रयुक्त किया जाय लेकिन जब काम शुरू हुआ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इसकी कोई जानकारी नहीं मिली।

श्री हंसराज आर्य : भारत सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह की बात कहें कि राजस्थान नहर को कांडला बन्दरगाह तक ले जावेंगे और उसमें नेवीगेशन होगा और आप कहते हैं कि यह बात नहीं है, तो फिर एक जिम्मेदार मंत्री को इस तरह से पब्लिक में गलत बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कैसे यह गलत बात कह दी ?

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : यह तो जिम्मेदार व्यक्तियों से ही पूछा जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह भाषण तो लोक सभा का चुनाव जिताने के लिए दे दिया होगा।

श्री हंसराज आर्य : यह तो लोक सभा के चुनाव के बाद की बात है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह तो आप लोगों को 72 म तिराने के लिए कह दी होगी।

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जो क्षमता इस समय पानी की है उसके अनुपात में जितनी भूमि खेती के लिए उपलब्ध है और सिंचाई के लिए जितना पानी इस नहर से उपलब्ध कराया जा सकता है, उस तुलना के अनुसार क्या सिंचाई हो रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : अलग से कैसे है, अध्यक्ष महोदय, पानी बेकार जा रहा है.........

श्री हरिदेव जोशी : जमीन के अलॉटमेंट में कुछ देरी हुई है, यह सही है।

श्री दौलतराम सारण : क्रियेटेड पोटेंशियलिटी जितनी राजस्थान कैनाल की इस समय है और जितना नहर में पानी उपलब्ध है उसके मुकाबले में जितनी भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी वह नहीं होने से पूरे पानी का उपयोग नहीं हो रहा है और उससे लाखों रुपयों की हानि रेवेन्यू की हो रही है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल सो रही है।

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट इस मामले में अलाइव है और देख रही है।

श्री दौलतराम सारण : क्या देख रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल सो रही है। तीन तीन ऑडिट रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने भी इस पर ऐतराज किया है और गवर्नमेंट बिल्कुल नींद ले रही है। आज तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री हरिदेव जोशी : लैंड अलॉटमेंट और पानी के यूटिलाईजेशन में कुछ फर्क

(**श्री हरिदेव जोशी**)

जरूर है। गवर्नमेंट इस मामले पर विचार कर रही है और मैंने भी एक मीटिंग बुलाई है इस सिलसिले में।

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनियां के इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि जहां पर प्रतिवर्ष नहरी जमीन को नीलाम किया जाता हो। राजस्थान सरकार नहरी जमीन को हर वर्ष नीलामी पर दे रही है। इस प्रकार की मिसाल दुनियां के इतिहास में नहीं मिलेगी। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि नहरी जमीन को प्रतिवर्ष नीलामी पर लेकर उसका लेवल करेगा, उसको ठीक तरीके से बनाएगा और उसपर पैसा लगाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, एक साल के लिए ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ऐतराज उठाया है, जो प्रश्न उठाया है वह सही है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। इसका सम्बन्ध कोलोनाईजेशन से है। मेरी जिम्मेदारी आपको इर्रीगेशन साइड से अवगत कराने की थी जो मैंने करा दी।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह तो अजीब बात है कि इर्रीगेशन वाले कोलोनाईजेशन पर जिम्मेदारी डाल दें और कोलोनाईजेशन वाले इर्रीगेशन वालों पर जिम्मेदारी डाल दें और ईर्रीगेशन वाले कह दें कि कोलोनाईजेशन ने समय पर जो काम करना चाहिए या वह नहीं किया।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह नहीं कहा है। दोनों में समन्वय होना चाहिए और वह करने की कोशिश की जा रही है।

श्री दौलतराम सारण : कोलोनाईजेशन वाले तो यह कहते हैं कि यह तो इर्रीगेशन का काम है, हमने तो सारा काम पूरा कर दिया।

श्री अध्यक्ष : दोनों में समन्वय हो जाय तो क्या आपत्ति है ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। यह मुख्य मंत्रीजी का काम है। समन्वय होना चाहिए।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि टेल पर पानी नहीं पहुंचता है ?...

श्री रामचन्द्र आर्य : एक प्रश्न, हुं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका प्रश्न ले लेता हूं। अभी माननीय सदस्य भीमसेन का प्रश्न आ रहा है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि अनूपगढ़ शाखा का पानी टेल पर नहीं पहुंचता है ?

श्री हरिदेव जोशी : एसी शिकायतें आई है।

श्री भीमसेन : उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है जिससे जल्दी से जल्दी पानी उपलब्ध हो सके ?

श्री हरिदेव जोशी : प्रयत्न करके पानी पहुंचाया जाएगा।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका उत्तर भी आ जाएगा। श्री बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : आपने जो पानी की मात्रा बताई है उसके अनुसार राजस्थान को जितना पानी का हिस्सा मिलना चाहिए उतना नहीं मिला-इसका क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न कहां है कि पानी नहीं मिला ।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले आपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि राजस्थान केनाल को जितना हिस्सा मिलना चाहिए वह पूरा नहीं मिला, जिस हिसाब से मिलना चाहिए ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहां कहा कि पूरा पानी नहीं मिला । आप कहें तो फिर उत्तर पढ़ दूं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने भाग 3 में पानी की मात्रा बताई है, उसके अनुसार राजस्थान के हिस्से में जितना पानी आना चाहिए उतना पानी नहीं आया है ।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे ख्याल से आया है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपका मतलब है कि पानी सही आया है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने तो फिगर पढ़ा है कि इतना पानी आया ।

श्री हरजीराम बुरड़क : राजस्थान के हिसाब में जितना पानी आना चाहिए उतना पानी आया या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास कोई फिगर नहीं है ।

श्री ब्रजप्रकाश गोयल (हनुमानगढ़) : पाकिस्तान से जो संधि पानी के बारे में हुई थी और उसके अनुसार हमारे हिस्से के पानी के उपयोग की व्यवस्था की जानी थी । वह व्यवस्था हुई या नहीं तथा कितना पानी बेकार जा रहा है ? इसकी जानकारी सदन को मिलनी चाहिए ।

श्री हरिदेव जोशी : प्रश्न में तीन मुख्य मुद्दे थे । एक तो एक्सपेंडीचर कितना हुआ, दूसरा नेविगेशन का तथा तीसरा कब तक काम पूर्ण हो जावेगा । मैंने एक्सपेंडीचर और नेवीगेशन के बारे में बता दिया और कब तक पूर्ण हो सकेगी इसके बारे में भी बता दिया । अब दूसरी बातों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो दूसरे समय इसको पूछ लीजिए मैं बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हरलाल मीणा ।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि केनाल के लो लेवल के कारण हजारों क्यूसेक पानी बेकार जा रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमें इसकी जानकारी है और उसी जानकारी को रख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई चीज नहीं है ।

श्री हंसराज आर्य : यह सही बात है कि हजारों क्यूसेक पानी बेकार जा रहा है ?

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : आप हंस रहे हैं, आपको हंसी आ रही है और उधर पानी बेकार जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार ।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : जो इण्डो-पाकिस्तान ट्रीटी हुई थी उसके अनुसार पानी का पूरा उपयोग करने के बाद राजस्थान केनाल के अन्दर किस तरह से पानी बढ़ाया जा सकता है इस बारे में कोई कार्यवाही की गई ?

श्री हरिदेव जोशी : जब इसका सेकिन्ड फेज शुरू होता है तब पानी का कितना क्या होगा इस बारे में कुछ कहा जा सकता है । आज तो जो ट्रीटी के बाद में पानी मिलना चाहिए उतना ही मिल जाय और उसके उपयोग की व्यवस्था हो जाय इसी की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि इसी सदन में भूतपूर्व सिचाई मंत्रीजी ने यह कहा था कि जो पानी हमें अतिरिक्त मिला है उसका उपयोग करने के लिए राजस्थान केनाल की कुछ शाखाओं को बढ़ा रहे हैं और उस पानी के उपयोग करने की योजना बना ली है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व मंत्रीजी ने क्या कहा था यह तो मुझे मालूम नहीं है । मैंने उस रूप में इसको नहीं देखा था । पानी का प्रोपर यूटिलाईजेशन हो इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी । उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है और उसके अनुसार एफर्ट कर रहे हैं कि जिससे जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो सके ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी अजीब बात है कि इस सदन में कोई मंत्री कुछ भी कह दे और मंत्री बदल जावे तो दूसरे मंत्री यह कह दें कि मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री मदनसिंह : ये तो कुर्सी पर आ गए इसकी जानकारी है।

श्री दौलतराम सारण : सदन में इस मामले पर डिस्कशन किया गया था और सदन में इस मामले में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई थी और भूतपूर्व सिचाई मंत्रीजी ने कहा था कि राजस्थान केनाल के अन्दर व्यवस्था की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : यह सब स्थिति जानकारी में नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : यह बड़े खेद की बात है कि मंत्रीजी यह कहें कि मुझे मालूम नही है······

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । अभी दूसरे माननीय सदस्यों के भी कई प्रश्न अवशेष हैं ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था उसका कोई उत्तर नहीं आया । मैंने पूछा कि जो इरिगेशन की पोटेंशियेलिटी उसका उपयोग

Page No 23

(श्री दौलतराम सारण)

नहीं किया जा रहा है । इसमें इरिगेशन वाले कहते हैं कि कोलोनाईजेशन का दोष है और कोलोनाईजेशन वाले कहते हैं कि इरिगेशन वाले दोषी हैं । इस मामले में मैं यह जानकारी चाहता हूं कि इसमें क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय एक और प्रश्न ले लीजिये ।

श्री मुल्कराज चिद (रायसिंहनगर) : माननीय श्री हंसराजजी ने जो प्रश्न उठाया था कि राजस्थान केनाल में पानी बरबाद जा रहा है और मंत्री महोदय ने इसका जो जवाब दिया है उससे मुझे दुख होता है । मुझे खेद है कि मैंने इसी प्रश्न को लेकर भूख हड़ताल की थी 15 दिन का जो नोटिस दिया था उसमें भी यही लिखा था कि राजस्थान केनाल का पानी बरबाद जा रहा है और पानी न होने से फसलें तबाह हो रही हैं । गवर्नमेन्ट कहती है कि नहीं हो रही है तो यह जानकर मुझे खेद होता है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि जितनी इरिगेशन पोटेन्शियलिटी क्रियेट की गई थी क्या उतना इरिगेशन हो रहा है । उसके उत्तर में मैंने यह निवेदन किया है कि जमीन का अलॉटमेन्ट किया जा चुका है और उसको रिक्लेम करना है, इसके अलावा इससे अलाइड कई इस्यूज हैं जिनको कि एक दूसरे से कोआर्डिनेट करना है, उसकी जरूरत है । अभी मैं गंगानगर गया था और वहां पर इस प्रश्न पर विचार किया था । एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनायी गयी है जो कि दोनों डिपार्टमेन्ट के इस काम को करेगी ? इसी प्रकार से एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की चेयरमेनशिप में एक कमेटी बनायी गयी थी, पानी को ज्यादा से ज्यादा प्रोपर वे में यूटिलाइज करने के लिये उसने रिपोर्ट दे दी है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं ।

श्री मदनसिंह : इनके तो पोर्टफोलियो रोज चेन्ज होते रहते हैं । इनको क्या मालूम होगा ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । जन स्वास्थ्य मंत्रीजी ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा एक निवेदन है सिंचाई मंत्रीजी जिस रोज गंगानगर गये, थे, मैंने भी एक ज्ञापन दिया था कि पानी की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है । उस ज्ञापन की प्रतिलिपि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास में आपके पास से आज तक नहीं पहुंची है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने सारे कागजों को उसी समय दे दिया ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने सारे कागजों को छान लिया है । आपने उसको रद्दी की टोकरी मे डाल दिया है । चीफ इन्जीनियर से मैं मिला हूं, चैयरमेन से मिला हूं और सेक्रेट्री से भी मिला हूं परन्तु वह कागज नहीं मिला है । तब फिर कहा गया वह कागज बतालाइये ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे साथ चयरमेन और दूसरे ऑफिसर भी थे और इन सारे प्रश्नों के पर, एक एक एप्लीकेशन के ऊपर

(श्री हरिदेव जोशी)
रात को डिस्कसन हुए और सब पर निर्णय लिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा ज्ञापन ऑफिस में नहीं है। यहां पर असत्य बोल रहे हैं।

प्रश्न संख्या 75

श्री अध्यक्ष: श्री हर लाल मीणा
(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)
श्री मनोहर सिंह मेहता।

वनस्पति शास्त्र के लेक्चरर्स की नियुक्ति

76. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि (बोटनी) वनस्पति शास्त्र में इस वर्ष डाईरेक्टर कालेज एजुकेशन द्वारा लेक्चरर के पद पर अस्थाई नियुक्तियां की गई हैं ?

(2) यदि हां, तो कुल कितने लेक्चरर नियुक्त किये गये ?

(3) उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है किस विश्वविद्यालय से अन्तिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की और कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किये ? पूरी फहरिस्त सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई):
(1) जी हां।

(2) कुल 26 (23 बोटनी 3 जीव विज्ञान)।

(3) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यहां पर चार विश्वविद्यालय हैं। वैसे तीन ही हैं। पिलानी का वही दर्जा है। होता यह है कि जो तीन विश्वविद्यालय हैं उन में दो नम्बर किस प्रकार से देते हैं, यह सभी जानते हैं और उनमें राजस्थान विश्वविद्यालय का स्तर ऊंचा है लेकिन चूंकि अस्थाई नियुक्तियां इस हिसाब से होती हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सौ से ऊपर कॉलेज हैं और वे यूं ही रह जाते हैं। क्या यह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह ठीक नहीं है। इतने लोगों को अपाइन्टमेंट दिया गया है उसमें करीब 80 प्रतिशत राजस्थान विश्वविद्यालय के हैं। आप सूची देख लीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप देख लें। यह तो ठीक है। फिर आपने प्री-मेडिकल टैस्ट क्यों शुरू किया है? इसलिये न कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों के साथ न्याय हो सके।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जोधपुर के तीन हैं, उदयपुर के दो हैं। बाकी सब राजस्थान विश्वविद्यालय के हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता: 26 नम्बर पर केवल 54 प्रतिशत होते हुए भी नियुक्ति कर दी गयी है क्योंकि वह अनुसूचित जाति

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि क्या अगर इसी तरह से होता रहा तो शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा ? कम से कम एजूकेशन और मेडिकल में आप इसको रोकें नहीं तो स्तर गिरता जायेगा।

श्री अध्यक्ष: यह नहीं कहना चाहिये शिड्यूल्ड कास्ट्स का मामला है।

श्री मनोहरसिंह मेहता: मैंने जन्म भर उनके बीच में काम किया है। इस तरह से होगा तो स्तर गिर जायगा।

श्री अध्यक्ष: आप ऐसा महसूस नहीं करें तो अच्छा है।

श्री राम प्रसाद बोहरा।

तहसील झालरापाटन के कृषि फार्म

77. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील झालरापाटन, जिला झालवाड़ में कितने कृषि फार्म, राज्य सरकार के कहां कहां कितनी भूमि में है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन कृषि फार्मों में कितना स्टाफ कहां कहां लगा हुआ है व उन पर कुल खर्चा कितना कितना है ? कृपया दो साल 1969-70, 1970-71 के खर्चे की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इन्हीं दो सालों म उक्त फार्मों से कितनी कितनी आय राज्य सरकार को हुई है और खर्चा कुल कितना हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

कृषि मन्त्री (राव श्री नारायण सिंह):

(1) झालरापाटन तहसील में राज्य सरकार का कोई कृषि फार्म नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम प्रसाद बोहरा: अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं मिली है। जयनिवास और झालावाड़ में इन दो जगह पर फार्म हैं। मन्त्री महोदय असत्य कह रहे हैं।

राव श्री नारायण सिंह: असत्य नहीं कह रहा हूं। ये दो बगीचे हैं।

श्री अध्यक्ष: नाम में गड़बड़ हो गई है।

श्री भगवान दास शास्त्री।

विस्थापितों के पेन्शन फार्म

78. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर-पश्चिम): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1947 में भारत आये विस्थापितों के वृद्ध पेन्शन के फार्म को समाज कल्याण तथा जिला अधिकारी रद्द करते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त शरणार्थियों के माइग्रेशन (रजिस्ट्री) का सबूत मांगा जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सर्टिफिकेट क्लेम (मुआवजा) देते समय राज्य सरकार ने वापस (ओरिजनल) ले लिये

(श्री भगवानदास शास्त्री)

थे ? यदि हां, तो उपरोक्त शरणार्थियों से रजिस्ट्रेशन मांगना किस नियम के अधीन है ?

(4) उपरोक्त सर्टिफिकेट मांगने के कारण अजमेर कलेक्टरी में कितने फार्म बेकार पड़े हैं और क्यों ? बेकार अथवा रद्द किये फार्मों की सूची सदन में रखने की कृपा करें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखा भाई): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर स्थगित किये जाने के लिये प्रार्थना की गई है। इस विषय को जिलाधीश डील करते हैं और उनसे पूरा जवाब नहीं मिला है। माननीय सदस्य से मैंने बात कर ली है। विस्थापित लोगों के लिये यह कहा गया है जो नियम हैं उनमें संशोधन होना चाहिये। तो मैं इस प्रकार की बात को देख लूंगा।

श्री विजयसिंह (मकराना): कब तक के लिये स्थगित कर रहे हैं। जिलाधीशों की जगह मन्त्रियों को लगाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: मैं देख लूंगा। श्री गंगासहाय।

तिजारा सड़क

79. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की किशनगढ़ तिजारा तहसीलों को जोड़ने के लिये खानपुर जिरोली होकर तिजारा को एक सड़क निकाली गई है ?

(2) यह सड़क कितनी लम्बी है तथा इसके निर्माण पर आज तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(3) इस नई सड़क का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है ? क्या इस सड़क पर बसें चलेंगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि खानपुर से किशनगढ़ होकर तिजारा को सड़क पहले से ही बनी हुई है ? क्या यह भी सही है कि अलवर तिजारा सड़क से खानपुर केवल एक मील से अधिक दूर नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) यह सही नहीं है। सड़क केवल खानपुर से तिजारा वाया विलासपुर, खलीलपुर, तीतरका होकर बनाई जा रही है।

(2) खानपुर तिजारा रोड़ 21 किलोमीटर लम्बी है। अक्टूबर 1971 तक 1,21,178 रुपया व्यय किया गया।

(3) कृषि उत्पादक ग्रामों को सड़क द्वारा तहसील क्षेत्रों से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इस सड़क निर्माण से अलवर से तिजारा की लम्बाई 5 मील कम हो जायेगी। सड़क निर्माण होने पर बसें भी चल सकेंगी।

(4) जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

गंगानगर शुगर मिल

80. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि गंगानगर शुगर मिल्स में एक शक्कर बनाने का

(श्री दिग्विजयसिंह)

कारखाना स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो कितनी लागत का है ?

(2) यह शक्कर क्या चुकन्दर से बनाई जावेगी ? इसका कुल उत्पादन कितना होगा ? इसमें लागत कितनी होगी ?

(3) क्या चुकन्दर की खेती गंगानगर या उसके आस पास क्षेत्र में काफी होती है ? यदि हां, तो कितना क्षेत्रफल है ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस चुकन्दर का बीज हिन्दुस्तान में नहीं होता है और इसे जर्मनी देश से मंगाया जाता है ? यदि हां, तो कितनी लागत का बीज चाहिये और क्या बीज मंगाया जा चुका है ?

(5) क्या यह सत्य है कि नेशनल सीड विभाग, भारत सरकार ने इस सीड को डवलप करने में असमर्थता प्रकट की है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(6) क्या राज्य सरकार इस उद्योग को ऐसी परिस्थितियों में चलाना उचित व लाभदायक समझती है ?

(7) क्या इस योजना की किसी टैक्नीकल व्यक्ति से राय ली थी, यदि हां, तो किनसे और क्या राय थी ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

मन्त्री, राजकीय उपक्रम (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां । गंगानगर शुगर मिल्स चुकन्दर से चीनी का जो कारखाना स्थापित कर रही है, उसकी लागत करीब एक करोड़ रुपया है ।

(2) जी हां । नये प्लान्ट के पूरी क्षमता से चालू होने के उपरान्त वर्ष 1973 से 33 हजार क्विन्टल चीनी प्रति वर्ष अतिरिक्त उत्पादन होने की सम्भावना है जिसकी लागत 49 लाख रुपये होगी और बिक्री एवं अतिरिक्त गन्ने की रिकवरी से 52.5 लाख रुपये की आमद होने की सम्भावना है ।

(3) चुकन्दर की खेती के लिये गंगानगर और उसके आस पास की जमीन उपयोगी पाई गई है । वहां की जमीन, जलवायु और नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर ने भी चुकन्दर की खेती के लिये उपयुक्त बताया है । वर्ष 1968-69 व 1969 में जो प्रयोगात्मक चुकन्दर की खेती की गई उसके आंकड़े निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष 1967–68 83 बीघा कृषि क्षेत्र
वर्ष 1968–69 172.5 बीघा कृषि क्षेत्र

1969–70 में पाइलेट प्लान्ट वापिस नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर को लौटा दिया गया जिससे चुकन्दर से चीनी का उत्पादन नहीं हो पाया है। वर्ष 1970-71 में 250 एकड़ जमीन में चुकन्दर की खेती की गई । वर्ष 1971-72 में 2,000 एकड़ में चुकन्दर होने की योजना है ।

(4) चुकन्दर का बीज हिन्दुस्तान में कालपा (शिमला) में भी तैयार किया जाता है । गत वर्ष करीब 1.5 टन बीज जिसका उत्पादन भारत में हुआ था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से मंगवाया गया था जिसके लिये उन्हें 32,648.66 रुपये दिये गये । इस वर्ष 4.175 टन बीज जो डेनमार्क से आया है उसकी कीमत 20,000 रु० प्रति टन के हिसाब से नेशनल सीड कॉरपोरेशन को दी गई है । इसी प्रकार 1.25 टन

(श्री दिग्विजयसिंह)

स्वदेशी बीज भी 25,000 रु० प्रति टन की दर से खरीद लिया गया है। इस खरीद पर भारत सरकार 50% सबसिडी कम्पनी को देगी, ऐसी सम्भावना है।

(5) जी नहीं। बीज के उत्पादन के लिये भारत सरकार समुचित कार्यवाही कर रही है।

(6) जी हां। आशा की जाती है कि अगले 3 वर्ष में चुकन्दर की खेती का विकास हो जाने पर 30 हजार टन चुकन्दर प्राप्त होगा और प्लान्ट पूरी क्षमता पर चलने के उपरान्त 33 हजार टन चीनी प्राप्ति होगी जिससे 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष मुनाफा प्राप्त होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके होते हुए नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : (7) नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर ने चुकन्दर की खेती के लिये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश को भौगोलिक परिस्थितियों में खेती के लिये उपयुक्त बताया है। इसी आधार पर गंगानगर में परीक्षण किया गया और सन्तोषजनक परिणाम के उपरान्त प्लान्ट लगाने का फैसला किया गया। नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर के अधिकारियों की राय समय समय पर ली गई। नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर द्वारा दी गई रिपोर्ट संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि गत वर्ष जो कुछ भी चुकन्दर की वसूली की गई वह सब की सब गंगानगर शुगर मिल्स ने पर्चेज कर ली थी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री दिग्विजयसिंह : सब की सब पर्चेज कर ली ?

श्री हरिदेव जोशी : कुछ खराब हो गई थी ?

श्री दिग्विजयसिंह : कितनी मात्रा में ?

श्री हरिदेव जोशी : थोड़ी भी खराब हुई थी।

श्री दिग्विजयसिंह : मात्रा तो होगी ?

श्री हरिदेव जोशी : कुछ खराब हुई थी वह नहीं ली गई मगर उसको हमने सब्सिडाइज कर दिया।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि वहां के काश्तकारों ने शिकायत की थी कि पानी कम मिलता है इसलिए वे चुकन्दर की खेती करने से इन्कार करते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : पिछले साल वह बात थी, मगर वह मसला नहीं है। अब ज्यादातर भारत सरकार के फार्म पर और इस प्रकार से नजदीक के लोगों से खती करवाई है और वहां पर पानी की व्यवस्था की गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री जुझार-सिंह।

चम्बल लैण्ड डवलपमेन्ट प्रोग्राम

81. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चम्बल लैण्ड डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी भूमि समतल किये जाने की योजना कब से विचाराधीन है और इस पर विभिन्न बैंकों से कितनी 2 रकम दिये जाने का प्रावधान है ? कृपया यह भी बतावें कि इस योजना के तहत अब तक कितना रुपया एड्वान्स किया गया है, और कितनी भूमि समतल की जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि खातेदारों के नामों में दुरुस्ती नहीं की हुई होने के कारण ऋण उपलब्ध कराने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो नामों की दुरुस्ती असें से नहीं हो सकने का सरकार क्या कारण समझती है, और उसके समाधान की दिशा में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (राव श्री नारायणसिंह) : (1) चम्बल डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 57,500 एकड़ भूमि समतल किये जाने की योजना है। इसमें 12,623 एकड़ भूमि कृषि पुनर्वित्त निगम के तहत तथा 45,350 एकड़ भूमि कृषि वित्त निगम के तहत समतल की जावेगी। कृषी पुनर्वित्त निगम के द्वारा चलाई जाने वाली योजना 1968 से चल रही है तथा कृषि वित्त निगम के तहत चलने वाली योजना 69-70 से विचाराधीन है।

कृषि पुनर्वित निगम द्वारा चलाई जाने वाली योजना पर 118-92 लाख रुपये ऋण का प्रावधान है जो भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित किया जावेगा। कृषि वित्त निगम के तहत चलने वाली योजना में 11,84 करोड़ रुपया ऋण का प्रावधान होने की आशा है। यह राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जावेगी।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा अभी तक 9.61 लाख रुपया ऋण के रूप में वितरित किया जा चुका है तथा 3870 करोड़ भूमि समतल की जा चुकी है। कृषि वित्त निगम द्वारा चलाई जाने वाली योजना पर अभी तक कोई ऋण वितरित नहीं किया गया है। नहीं वहां पर अभी तक भूमि समतल की गई है।

(2) जी हां। काश्तकार को स्वयं को दुरुस्ती कराने के लिए पहल करना चाहिए। खातेदारों के नामों में दुरुस्ती के लिए जिलाधीश कोटा ने समुचित आदेश परगना अधिकारियों व तहसीलदारों को दे दिये हैं। उसी प्रकार बूंदी जिले में विगत मई मास से राज्य सरकार ने तहसीलदारों को सहायक भू-अभिलेख अधिकारी प्रदान करने के स्वरूप अब अभिलेखों में शुद्धिकरण करवाया जाना आरम्भ कर दिया गया है।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न जो था वह यह था कि आपने सवा करोड़ तो एक बैंक के तहत और 11 करोड़ दूसरी बैंक के तहत दिलाने का रखा है लेकिन तीन साल में आप 9 लाख ही दे पाये हैं। आपने यह फर्माया है कि यह काश्तकारों की जिम्मेदारी है और उनको पहल करनी चाहिए। काश्तकार तो जिम्मेदारी महसूस करते हैं लेकिन उतनी सरकार की तरफ से महसूस नहीं हो रही है। काश्तकार मर गया है तो जमीन उसके बेटे के नाम करवाते हैं तो पैसा मांगते हैं। इसकी तरफ सरकार क्या कोशिश कर रही है कि उनको समय पर ऋण मिल सके ?

राव श्री नारायणसिंह : कलेक्टर को आदेश कर दिये गये हैं कि वे रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी ठीक कर दें ।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के काश्तकार, जो इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में हैं, की भूमि विकास बैंक मार्टगेज नहीं कर सकती है क्योंकि इस तरह का कानून में प्रावधान है । उस प्रावधान की वजह से उनकी जमीन मोर्टगेज नहीं हो सकती है बैंक के नाम तो बैंक्स उनको ऋण नहीं दे रहे हैं, तो क्या यह भी एक तरह की असुविधा है ?

राव श्री नारायणसिंह : इस विषय की तरमीम विचाराधीन है सरकार के जिसके अन्दर कानून में अमेंडमेंट करके वह तरमीम कर दी जायगी जिससे कि इस प्रकार के लोगों को भी ऋण मिल सके ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह योजना तीन साल से चल रही है । एक छोटी सी मिस्टेक के कारण शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बैंक से ऋण अपनी भूमि को मोर्टगेज करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं । इतनी सी छोटी सी कमी को दूर करना था इसके दूर नहीं होने की वजह से तीन साल निकल गये और आप से लोन एडवान्स नहीं हो सका है और अब कह रहे हैं कि अमेंडमेंट करेंगे । अध्यक्ष महोदय, अब तक क्यों नहीं किया ? अब तीन साल के बाद में अमेंडमेंट निकाल रहे हैं ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी जहां तक सूचना है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बैंक रुपया दे रही है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में संशोधन हो चुका है कि बैंक्स उनकी जमीनों को मोर्टगेज कर सकती है और वे लोन ले सकते हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : विधिवत् करने के लिए ।

श्री रोशनलाल शर्मा : विधिवत् तो वह हो गया ।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि जो संशोधन हो गया है वह झालावाड़ और कोटा पर लागू नहीं किया जा रहा है ?

श्री जुझारसिंह : फैक्ट तो यह है कि लोग इसी वजह से नहीं मिल रहा है कि वे मोर्टगेज नहीं करता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हाड़ा ।

कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति

82. **श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली)** : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसुचित जाति व जनजाति के लिए किस किस जिले में सरकार द्वारा काननी सलाहकार नियुक्त किये गये हैं और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह कानूनी सलाहकार केवल पिछड़ी जातियों के लोगों को मुकद्दमे में केवल सलाह ही देते हैं या मुकद्दमा मुफ्त में लड़ते हैं ? जिलेवार कानूनी सलाहकार

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

की सूची देने के साथ-साथ कितने कितने मुकदमे इन्होंने कहां-कहां पर लड़े और उनके परिणाम क्या रहे यह भी बतलावें ?

(3) अब तक हर जिले में सरकार की ओर से नियुक्ति सलाहकार को क्या वेतन दिया जाता है और विभाग अब तक इस पद पर कितना हर साल व्यय करता रहा है ?

(4) क्या सरकारी वकील पिछड़ी जातियों के दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे लड़ते हैं ? उन मुकदमों में किस प्रकार का व्यय स्वयं को करना होता है ?

(5) क्या सरकार की ओर से इस बात का प्रचार-प्रसार है कि स्वयं ही पिछड़ी जाति का सदस्य उस वकील को पहिचाने और अपना मुकदमा लड़ने के लिए उसे तैयार करे ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री भीखा भाई) : (1) अनुसूचित जाति व जन-जाति के लिए जिस जिस जिले में सरकार द्वारा जबसे कानूनी सलाहकार नियुक्त किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) यह कानूनी सलाहकार अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों के मुकदमे मुफ्त में लड़ते हैं। जिलेवार मुकदमों की सूची तालिका (अ) में दर्शाई गई है।

(3) वर्तमान म नियुक्त कानूनी सलाहकार को प्रति माह दिया जाने वाला वेतन तालिका (अ) में दर्शा दिया गया है। खर्च का विवरण कानूनी सहायता का एक मद होने के कारण इस परियोजना पर होने वाले पूरे व्यय का एक ही लेखे में रखा जाता है, जो संलग्न तालिका (ब) में दिया गया है।

(4) सरकारी वकील दीवानी व फौजदारी दोनों तरह के मुकदमें लड़ते हैं, यह केवल ऐसे मुकदमें नहीं लड़ते हैं जिनमें विरोधी पक्ष भी अनुसूचित जाति का एवं जन-जाति का हो अथवा फौजदारी मामलों में विरोधी पक्ष राज्य सरकार हो। मुकदमें संबंधी सभी आकस्मिक व्यय राज्य सरकार वहन करती है। केवल दण्ड भार का व्यय व्यक्ति को देना पड़ता है।

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार जिला अधिकारियों द्वारा प्रचार व प्रसार करती है कि अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता दी जाती है तथा जिलाधिकारी द्वारा उस कार्य हेतु नियुक्त कानूनी सलाहकार के नाम का प्रचार भी किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या कारण है कि राजस्थान के 26 जिलों में से केवल 5 जिलों में ही नियुक्तियां की गई हैं एडवोकेट्स की ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): बाकी जगह क्यों नहीं की गई ?

श्री भीखाभाई : कितना प्रचार व प्रसार हुआ लेकिन लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई कि जितनी कि होनी चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह विभाग की जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : एडवोकेट की नियुक्ति नहीं की गई तो जानकारी कैसे हो सकती है इसलिए कि सरकार के दिल में खोट है। केवल 5 जिलों में नियुक्तियां की गई हैं और 26 जिलों में से बाकी के जिलों को आपने छोड़ दिया है।

श्री भीखाभाई : कलेक्टर्स और जहां पर हमारे सोशियल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उनको आदेश दे दिये गये हैं कि इस प्रकार का पेनल तैयार करें। उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशियल वेलफेयर ऑफिसर के पास प्रार्थना-पत्र भेजने पड़ते हैं और प्रार्थना-पत्र भेजने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर स्वीकृत करना चाहिए। कलेक्टर और एस० डी० ओ० की स्वीकृति लेकर भेजते हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पहले तो समाज-कल्याण विभाग ने पब्लिसिटी यूनिट था वह समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रकाशित पुस्तकों में निकला है उनमें बारबार हम यह बात कहते हैं, लेकिन उसके बाद मैं यह समझता हूं कि हम जो यहां पर बैठे हुए हैं उनकी भी जिम्मेदारी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमसे पूछते कहां हैं ? हमसे सुझाव नहीं मांगे हैं। अगर मांगेंगे तो जरूर देंगे।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, सरकार......

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय दूसरा प्रश्न भी आने दें।

श्री भीखाभाई : इनके सवाल का जवाब देदूं।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार की यह नीति है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को मुकदमों में राहत दी जाय और उनके लिए एडवोकेट्स नियुक्त किये जायें तो क्यों सरकार जिलाधीशों पर निर्भर रहती है ? मैंने भी प्रस्ताव अपना रखा है। बूंदी जिले में भी अनुसूचित जन-जाति का फिगर काफी है उस जिले में नहीं है, बांसवाड़े में नहीं है, प्रतापगढ़ में नहीं है और न डूंगरपुर जिले में है जहां पर आपकी जाति के लोग मील हजारों की तादाद में रहते हैं और बसते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय मंत्रीजी।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : यह बहुत बुरी बात है कि सरकार इस प्रकार से भेदभाव से कार्य करे।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुदान देने के और कानूनी सहायता देने के राज्य सरकार ने नियम प्रसारित किये हैं, उनके अन्तर्गत जिला अधिकारी जो समाजकल्याण अधिकारी हैं, एस० डी० ओ०, कलेक्टर, सबको ये अधिकार दिये हैं, किसी मामले में, इनडिवीजुअल केस में कार्यवाही करने की जरूरत है तो उससे फीस तय करने आदि का काम एस० डी० ओ० और कलेक्टर को दे रखा है। सिवाय कुछ एक केसेज को छोड़ कर जैसे इन्टर-शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स

(श्री भीखाभाई)

के आपस के मामले हैं, तो उनमें नहीं हो सकता है। मैंने कलेक्टर को कहा है, एस० डी० ओ० को कहा है। सोशियल वेलफेयर आफिसर को कहा है। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनकी और मेरी भी यह जिम्मेदारी है कि हम लोगों की सहायता के लिए प्रयत्न करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिलेवार बजट कर दिया जाये। जिलेवार बजट तो देते नहीं हैं फिर क्या करें ?

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में तो सारी स्थिति को दो बातों म आना पड़ेगा—या तो जो मदद है, उसको काटकर समाप्त कर दिया जाये या उसका नियोजन किया जाये। जिन माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है, वह जिलेवार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मर्जी होती है, उसी में कर देते हैं।

श्री भीखा भाई : इसम पक्षपात कुछ नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : बजट में जरूर रकम रहती है।

श्री भीखाभाई : इसका सवाल नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मन्त्री महोदय, बजट में इसका प्रावधान है। जो सोशियल वेलफेयर बोर्ड है, उस पर गवर्नमेन्ट ने क्या किया है ? आप को कहा गया है लेकिन आपके कानों तक बात पहुंची नहीं है। आप तो अन्धे और बहरे होकर बैठे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या 5 जिलों में ही शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं ? गत सत्र में समाज कल्याण मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक जिले के हैडक्वार्टर पर, जहां सिविल जज रहता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को पैरवी करने के लिए कानूनी वकील नियुक्त किया जायेगा। क्या यह बतायेंगे कि जिन 5 जिलों में 5 वकीलों को नियुक्त किया है उन्होंने अभी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कितने ~~लोगों के~~ केसों की पैरवी की है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार की कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की व्यवस्था असन्तोषजनक नहीं है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय,……

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री मुल्कराज खिन्द : हमारे गंगानगर में भी लोगों को कानूनी सलाहकार देकर मदद की जाये। कलेक्टर का प्रोसीजर उचित नहीं है। इस लिए दूसरे जिलों में नियुक्ति क्यों नहीं की जाती है ?

श्री शिवचरण सिंह : (अध्यक्ष)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : समाज कल्याण डिपार्टमेन्ट को चाहिए कि सारे जिलों में वह व्यवस्था करे । कानूनी सलाहकार नियुक्त करके मदद करें ।

श्री अध्यक्ष : वह समझ गये हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसके लिए हमें कहा जाता है । लेकिन मैं कहूंगा कि समाज कल्याण विभाग जागरूक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कोटा में कैलाशनारायण वकील को बना रखा है । उनका हैडक्वार्टर कोटा में नहीं है जब कि कानून की मंशा यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अनुसूचित जाति और अनसूचित जन-जाति के लिये कैलाशनारायणजी को लगा रखा है कोटा म जबकि वह कोटा में नहीं रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था तो है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि उन्होंने दो पर्सेन्ट केसेज भी नहीं लिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है । ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनको मुफ्त की तनख्वाह दी जाती है ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन): अध्यक्ष महोदय, गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर जो जमीन का एलॉटमेन्ट किया गया है, उस एलॉटेड लैण्ड का कब्जा नहीं मिलने से अनेक प्रकार की कठिनाईयां हैं । इनको दूर करने के लिए क्या कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति सारे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : पुनरुक्ति । माननीय मंत्री महोदय, अत्यन्त संक्षप में ।

श्री भोलाभाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो व्यग्रता दिखाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । लेकिन साथ ही मुख्य मंत्रीजी से बातचीत करके ऐसा प्रोवीजन हो रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आदेश दे देंगे कि हर जिले में वह वकील नियुक्त करदें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

श्री नत्थीसिंह : जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के वकील हैं, उनको ही नियुक्त करें ।

एक माननीय सदस्य : यह ठीक है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के जो वकील हैं, उनको ही कलेक्टर नियुक्त करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । प्रश्न समाप्त हुये ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । माननीय श्री रामचन्द्र आर्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : मेरी भी एक महत्वपूर्ण बात है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

कलमोदीया-हरनावदा शाहजी सड़क की मरम्मत

83. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इकलेरा से कलमोदिया होती हुई जो पक्की सड़क हरनावदा शाहजी जाती है, कलमोदिया से हरनावदा शाहजी तक बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी है जिसकी वजह से यहां पर बसों का चलना भी बन्द हो गया है ?

(2) क्या सरकार इस सड़क को शीघ्र ही ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी नहीं, बसें बराबर चालू हैं।

(2) जी हां । दो मील नं० 4 व 5 में नवीनीकरण का कार्य चालू है । व शेष मीलों में अगले साल धनराशि उपलब्ध होने पर हीं (रिन्युवल) नवीनीकरण करवाया जा सकेगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय न गैर जिम्मेदारी का उत्तर दिया है । बरसात में बसें बन्द रहती हैं।

श्री अध्यक्ष : कभी तो सीधी बात कह दिया करें ।

श्री शिवचरण माथुर आपने लिखा है, बसें बन्द हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या बरसात के दिनों में बसें बन्द रहने की सम्भावना है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बन्द रहती हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हो गया ।

श्री अध्यक्ष : हो गया, बरसात तो गई, अतीत खत्म हुआ ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह बतायेंगे कि सड़क बने हुए कितना समय हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इस सड़क को बने हुए कितना टाइम हुआ है कलमोदिया से हरनावादा ?

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पहले जब से बनी है, पिछले पांच साल से तब से अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

Page No 36

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इस प्रश्न में तो है।

श्री अध्यक्ष : अब आर्य साहब से निपट लेने दीजिये।

रामपुरा व कजवाणी माईनरों का पानी

84. **श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच के माईनरों की टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि रामपुरा माईनर व कजवाणी माईनर की टेल पर आज भी पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि रामपुरा माईनर में चक नम्बर 4, आर० पी० एम० के मोघों के पास पक्की दीवार तामीर कर देने से आगे पानी नहीं जाता है ?

(4) उक्त दोनों माईनरों की टेल पर आबपाशी कुल कितने एकड़ में होती है ? गत 3 साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है इसलिए इसको पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, शर्म नहीं आती कि एक-दो दिन तो सैशन चलेगा, फिर भी कहते हैं कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाय। आप यहां से क्यों नहीं चले जायें ताकि हमारा पिण्ड छूट जाय। इस प्रकार सिंचाई विभाग.....

श्री अध्यक्ष : दो दिन बाकी हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : सिंचाई विभाग के अन्दर इनके आने के बाद में भ्रष्टाचार सौ गुना बढ़ गया है, नालियों में पानी नहीं पहुंचता है और क्वेश्चन पोस्टपोन कर दिया जाता है। यह बता दीजिये, उत्तर कब देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें अलग अलग क्वेरी है कितना पानी दिया गया, कहां रोका, कहां नहीं। मैंने कल पूरे दिन कोशिश की है, लेकिन सूचना एकत्रित नहीं हो सकी इसलिए निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : वह रुक नहीं रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कब तक जानकारी दिला देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : आज प्रयत्न करूंगा, आज आ जाय तो मैं दिला दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आपके और मेरे बीच प्रश्न है। आपका प्रश्न नहीं रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पन्द्रह तारीख को जवाब मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मुझे सिंचाई मंत्री से निपटना पड़ेगा।

श्री रोशनलाल शर्मा : एक बार दोनों को निपटने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाय तब देख लीजिये

Page No 37

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं, सदन के अन्दर ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष का पिण्ड नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा दौर प्रारम्भ होता है।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जैतारण-मेड़ता सड़क पर डामर कार्य

62. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैतारण-मेड़ता सड़क पर डामर बिछाकर पक्की बनाने की स्वीकृति कब हुई और कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 23-8-1970 को राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने इस सड़क के अधूरे कार्य को पूरा करने की घोषणा जैतारण में की थी ?

(3) क्या यह सही है कि एस० ई०, जोधपुर ने इस संबंध में दिनांक 26-8-1970 को पत्र संख्या 15586 के जरिये सूचना भी भेजी थी ?

(4) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री स्वयं जैतारण पधारे तब उनका भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था और लिखित में आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किया गया था ?

(5) क्या यह सही है कि यह सड़क अभी तक अधूरी है और काम चालू नहीं है व सामान जगह जगह बिखरा पड़ा है ?

(6) इस कार्य को चालू न करने के क्या कारण हैं और अब कब तक चालू कर कार्य सम्पूर्ण किये जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) दिनांक 25-3-1971 तथा 8-11-71 को क्रमशः 8.32 तथा 3 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां। कार्य प्रगति पर है।

(6) कार्य आरम्भ करा दिया है। इस कार्य हेतु इस वर्ष 4.20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

पाइप लाइन का सर्वे

63. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेरगढ़-चाबा पाइप लाइन स्कीम का कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया है ? इसके लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर है ?

(2) क्या कलाऊ-दासनिया-सुवालिया आदि गावों की पाइप लाइन का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि लगने की है ?

उत्तर

(1) कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। योजना की अनुमानित लागत 10.69 लाख रुपये है।

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां, योजना की अनुमानित लागत 15.04 लाख रुपये हैं ।

मोरेल बांध की नहर

67. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (बामनवास): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बांध मोरेल की नहर गत वर्ष में ग्राम बरनाला से बाटौदा, भांवड़ तक बन चुकी है ?

(2) क्या अब ग्राम भोरपा, काजी कांडली, जविद, जाखोलास आदि में नहर बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है और इस नहर का कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

टोंक जिले के पहाड़ों का सर्वे

72. **श्री जगन्नाथ पटेल** (टोडारायसिंह) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने कभी टोंक जिले के पहाड़ों का भी सर्वेक्षण कराया है ? इन पहाड़ों में कौन-कौन से बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं और इनसे क्या-क्या किस-किस किस्म का कारखाना चालू किया जा सकता है ?

उत्तर

जी हां, टोंक जिले के पहाड़ों का सर्वेक्षण 1966-67 में कराया गया था । इस समय भी 3 पूर्वेक्षण पार्टीज इस एरिया में गारनेट, बैरियल, टंगस्टन फाईनाईट, क्रिस्टल क्वार्ट्ज व एन्डेल्यूसाईट के भंडारों का पता लगाने के लिऐ कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त इस जिले में माइका, सिलिका सेंड, क्वार्ट्ज, सोप स्टोन व लौह पत्थर की उपस्थिति है जिनके खनन पट्टे दिए हुए हैं । टोंक जिले में कुल 49 खनन पट्टे दिए हुए हैं जिनमें 33 मेजर मिनरल्स के लिए हैं व 16 माइनर मिनरल्स के लिए । इस जिले में जो सिलिका सेंड मिलती है वह कांच उद्योग के काम में आ रही है । हाल ही में निवाई में क्वार्ट्ज को पीसने का कारखाना लगाया गया है ।

प्रतापगढ़ शहर की पानी की टंकी

75. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ शहर, जिला चित्तौड़गढ़ में वाटर वर्क्स की टंकी बहुत छोटी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शहर म वाटर वर्क्स की बड़ी टंकी बनाने की बाबत कई दिनों से मांग चल रही है ?

(3) क्या यह सच है कि जो मौजूदा टंकी नगरपालिका द्वारा बनाई हुई है वह शहर की जनसंख्या तथा बढ़ते हुए नल कनेक्शन्स को देखते हुए पर्याप्त नहीं है ?

(4) क्या यह भी सच है कि लोगों को नलों से पूरा पानी नहीं मिल पाता है ?

Page No 39

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां, पुनर्गठित योजना स्वीकृत की जा चुकी है, इसमें बड़ी टंकी जिसकी क्षमता 1.50 लाख गैलन है और जो 60 फीट की ऊंचाई पर बनाई जावेगी इसके लिये 1.70 लाख रुपये रखे गये हैं। टंकी वित्तीय वर्ष 72-73 तक बनाये जाने की सम्भावना है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्राथमिक व माध्यमिक शालाएं (पाली)

33. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में इस वर्ष जिन जिन प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में व जिन जिन उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया उनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की कितनी कितनी संख्या है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सरकारी माप-दंड के अनुसार किन किन शालाओं में विद्यार्थियों और किन-किन शालाओं में अध्यापकों की संख्या कम है? सूची सदन की मेज पर रखने कि कृपा करें।

(3) इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जायगा?

(स्थगित किया गया)

कृषि उत्पादन योजनाएं

34. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में पुनर्वित्त निगम द्वारा कृषि-उत्पादन में वृद्धि हेतु योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं? यह योजनाएं कितने समय के लिए कब से प्रारम्भ की गई हैं और इनमें कितनी धनराशि लगाई जायगी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन योजनाओं के अन्तर्गत किन किन कार्यों में कितनी कितनी उपलब्धियां हो पाई हैं और सरकार द्वारा इन योजनाओं की सफलता हेतु क्या क्या प्रयास किये जाते हैं?

(3) इस प्रकार की कितनी योजनाएं किस स्तर पर किन किन क्षेत्रों के लिये विचाराधीन पड़ी हैं और उनकी स्वीकृति कब तक होने की आशा है?

उत्तर

(1) पुनर्वित्त निगम द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु क्रियान्वित योजनाओं के बारे में वांछित सूचना सूची 1 में प्रस्तुत है। इन योजनाओं के अलावा पंचायत समिति रेलमगरा, सांभर, सायला और धौलपुर की योजनाओं की स्वीकृति पुनर्वित्त निगम से हाल ही में प्राप्त हुई हैं। इनकी स्वीकृति क्रमशः 42 लाख, 15.02 लाख, 54 लाख और 53 लाख की है और इनका योजनाकाल 3 वर्ष है, सिर्फ सांभर योजना का 1 वर्ष है।

(2) योजनाओं की उपलब्धि सूची 2 में दी गई है। कृषि विभाग में ऐसी

(कृषि मंत्री)

योजनाओं को बनाने और इनकी गतिविधि पर ध्यान रखने हेतु एक नए विशेष योजना प्रकोष्ठ का सृजन 1 सितम्बर, 1971 से हुआ है ।

(3) कृषि पुनर्वित्त निगम के पास इस समय पंचायत समिति जैतारण, महुआ, टोडाभीम, बाली, श्रीमाधोपुर व मांडल की सिंचाई योजनाएं, तथा झालरापाटन की नारंगी उत्पादन-योजना विचाराधीन है । इसके अलावा लघुकृषक, भरतपुर की योजना भी कृषि पुनर्वित्त निगम के पास विचाराधीन है । पंचायत समिति जैतारण और महुआ की योजना का विश्लेषण पूर्व हो चुका है और उनकी स्वीकृति दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक आने की आशा की जाती है । बाकी योजनाओं की स्वीकृति भी तीन माह में प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

पूंगल क्षेत्र में उपलब्ध दूध का उपयोग

35. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसील के पूंगल क्षेत्र में लाखों लीटर दूध प्रति दिन पैदा होता है? अगर हां, तो इस दूध की पशुपालकों को उचित कीमत मिल सके इस सम्बन्ध में विभाग ने क्या व्यवस्था की है ?

(2) क्या दिल्ली मिल्क योजना के बीकानेर में दूध पर या दुग्ध पर आधारित उद्योग तथा दुग्ध चूर्ण, क्रीम आदि बनाने हेतु जमीन ली है ? अगर हां, तो उक्त उद्योग को शीघ्र चालू कराने में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग को दूध इकट्ठा करके सही हालत में पहुंचाने हेतु जिले के कई स्थानों पर दुग्ध शीत यंत्र लगाने की तजवीज भी है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग कब व क्या कदम उठा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां । देहली दुग्ध योजना इस समय करीब सोलह हजार लीटर दूध प्रतिदिन लूणकरणसर क्षेत्र से उठा रही है।

(2) जी हां । उक्त उद्योग देहली दुग्ध योजना द्वारा ही लगाने का प्रावधान है।

(3) जी हां । ये भी देहली दुग्ध योजना द्वारा ही लगाये जाने हैं ।

भादरा तहसील में खाद वितरण

36. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले तीन वर्षों में भादरा तहसील में किस किस प्रकार का कितना खाद किसानों को नगद के रूप में व उधार दिया गया है ?

(2) सूची नाम, वल्दियत, कौमियत और सकनतवार सदन की मेज पर रखी जाय ।

उत्तर

(1) भादरा पंचायत समिति में गत

(कृषि मंत्री)

तीन वर्षों में निम्नलिखित खाद कृषकों को नगद व उधार दिया गया है।

नाम खाद	मात्रा टनों में 1968-69	1969-70	1970-71
1. एमोनियम सल्फेट	295-500	67-430	167-000
2. किसान खाद	468-300	79-850	740-600
3. यूरिया	125-800	152-250	440-900
4. डी.ए.पी.	47-300	16-550	109-600
5. सुपर फासफेट	20-000	10-800	3-000
6. म्युरेट ऑफ पोटाश	—	0-300	2-100
7. अमोनियम फॉसफेट	—	—	50-000

(2) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि खाद का विक्रय सहकारी समितियां एवं प्राईवेट विक्रेताओं द्वारा भी होता है।

जे० बी० एस० स्कूल के अध्यापक के खिलाफ कार्यवाही

37. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री नवरतन मल भोजक, अध्यापक-जे० बी० हायर सेकण्डरी स्कूल, लाडनूं के खिलाफ संचालक मंडल द्वारा की गई अनियमित कार्यवाही के खिलाफ श्री नवरतन मल ने उप-संचालक, जोधपुर के पास अपील की थी ? यदि हां, तो कब और उन पर कब फैसला हुआ ? सूचना फैसले की प्रति सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त अध्यापक ने उक्त फैसले के खिलाफ राज्य सरकार को भी अपील की ? यदि हां, तो कब, और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा क्या कार्यवाही बाकी है ?

(3) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री नवरतन मल भोजक, सहायक अध्यापक, जे० बी० हायर सैकेन्ड्री स्कूल, लाडनूं ने निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को दिनांक 27-9-69 को अपील की जिसके सम्बन्ध में उक्त कार्यालय से उप-निदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर को यह आदेश दिये गये थे कि मामले की जांच कर अन्तिम निर्णय देकर रिपोर्ट प्रेषित करें। उप-निदेशक, जोधपुर ने मामले की जांच कर दिनांक 4-7-71 को निर्णय दिया है। निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। श्री नवरतन मल भोजक ने उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार को दिनांक 28-6-71 को अपील की है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

Page No 42

(शिक्षा मंत्री)

(3) शीघ्र ही।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

मांडलगढ़ क्षेत्र में पत्थर की खानें

38. श्री **मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में पत्थर की खानें हैं?

(2) यदि हां, तो उन खानों में कितने मजदूर काम करते हैं?

(3) क्या यह सही है कि सोलह-सोलह प्लाटों के ब्लॉक बनाये गये हैं जिस से मजदूरों के लिये प्लाट लेना कठिन हो गया है और वे उन लोगों के मजदूर बन गये हैं जो हाथ से काम न करने पर भी हजारों रुपये प्रति माह कमा रहे हैं?

(4) यदि ब्लॉक बनाये गये हैं तो किस किस व्यक्ति के नाम पर कितने ब्लॉक हैं? पूरी फहरिस्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(5) क्या सरकार यह विचार रखती है कि खान के पत्थर निकालने के लिये प्लॉट उन्हें ही दिये जायें जो हाथ से काम करने वाले हैं? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन खानों में करीब दस हजार मजदूर कार्य करते हैं।

(3) यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा 16-16 प्लाटों के ब्लॉक दिये जाने की पद्धति बनाई गई थी किन्तु यह सही नहीं है कि ब्लॉक हाथ से काम करने वालों को नहीं दिये जाते थे।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) दिनांक 1-11-1971 से उक्त क्षेत्र में ब्लॉक सिस्टम समाप्त कर दिये गये हैं और हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जायगी।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

सिलीका खानों की लीज

39. श्री **केशरी सिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या उद्योग एवं खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में राज्य सरकार द्वारा सिलीका रेत खनन की कितनी लीजें किस किस व्यक्ति को किस किस तारीख को दी गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) उपरोक्त खानों में कौन कौन सी खानें किस किस तारीख को चालू की गई थीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अगर कोई खानें चालू नहीं की गई हैं, तो किन किन व्यक्तियों ने नहीं की है?

Page No 43

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(4) जिन व्यक्तियों ने खानें चालू नहीं की हैं, उनके विरुद्ध लीज की शर्त के उल्लंघन के फलस्वरूप में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची की संख्या नम्बर 1 ने तारीख 8-9-52 से कार्य चालू किया है।

(3) श्री कन्हैयालाल घाटीवाला (सूची में नम्बर 2) ने उनके नाम स्वीकृत क्षेत्र ग्राम करदी, तहसील बूंदी में एवं श्री रामेश्वरदास अग्रवाल (सूची में नम्बर 3) ने क्षेत्र निकट बूंदी टाउन में खानें चालू नहीं की हैं।

(4) श्री रामेश्वरदास अग्रवाल को स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य न करने से राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ० 24 (42) खनिज/71, दिनांक 31-7-71 द्वारा खंडित कर दिया गया है एवं श्री कन्हैयालाल घाटीवाला को इस सम्बन्ध में 60 दिन का नोटिस जारी किया गया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

गंग व भाखरा नहर की शाखाओं से मिट्टी निकास

40. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले वर्ष धूलभरी आंधियां चलने के कारण गंगानगर जिले की गंग नहर व भाखरा नहर की शाखाओं की मिट्टी निकलवाने व अधिक रेतीले हिस्सों को पक्का कराने के लिये लगभग 30 लाख रुपया स्वीकार किया गया था ?

(2) इस रुपये में से कितना रुपया शाखावार मिट्टी निकलवाने में व पक्का करवाने में खर्च हो चुका है और कितना रुपया खर्च होने से बाकी है ?

(3) डिस्ट्रीब्यूटरी व माइनर वाइज खर्च की सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1970-71 में 33.30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।

(2) इस राशि को जिन कार्यों पर खर्च किया गया है, खंडवार सूची संलग्न है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बरड़िया बांध, तहसील प्रतापगढ़

41. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में बरड़िया बांध का सर्वे कार्य पूरा किया जाकर कुछ दिन काम भी चलाया गया था ? यदि हां, तो कब और इस पर कितनी

Page No 44

(श्री हरलाल मीणा)

धनराशि खर्च की गई व अब काम क्यों बन्द पड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध को बनाने के लिये धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कितनी व एस्टीमेट के अनुसार उक्त बांध में कितनी धनराशि खर्च होगी तथा यह कार्य कब तक चालू कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रारम्भिक कार्य चालू किया गया था परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य बन्द करना पड़ा। इस पर वर्ष 1969-70 व 1970-71 में क्रमशः 61,500 व 7,000 रुपये खर्च किये गये।

(2) जी नहीं, तखमीने के अनुसार इस कार्य पर लगभग 4.03 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। कार्य प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर शीघ्र ही प्रारम्भ किया जावेगा।

खनिज आधारित उद्योग

73. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार ने खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी हां, राजस्थान राज्य औद्योगिक व खनिज विकास निगम द्वारा मैसर्स टाटा इकोनॉमिक कंसलटैन्सी सर्विसेज, बाम्बे द्वारा खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों का अध्ययन कराया जा रहा है।

यह रिपोर्ट जनवरी, 1972 तक तैयार हो जायगी।

बीकानेर में ऊन आधारित उद्योग

43. **श्री भीमसेन** : (लूणकरणसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है ?

(2) क्या यह सही है कि लुधियाना, अमृतसर आदि शहर ऊन पर आधारित उद्योगों से देश में अग्रणी है ? अगर हां, तो बीकानेर में ऐसे कौनसे कारण हैं कि यह ऊन उत्पादन वाला इलाका होते हुए भी यहां पर ऊन पर आधारित उद्योग उपरोक्त शहरों के मुकाबले नहीं पनप सके ?

(3) क्या सरकार उन कारणों का पता लगाकर बीकानेर में ऊन पर आधारित उद्योगों को लगाने पर विशेष प्रयास करेगी, ताकि नये छोटे-छोटे उद्योग उपक्रमियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। बीकानेर में तकनीकी कारीगरों की कमी तथा कार्डिंग तथा फिनिशिंग प्लांट की सुविधा न होना लगता है।

(श्री भीमसेन)

(3) राज्य सरकार का यह प्रयास चालू है और बीकानेर अथवा आस-पास जो भी उद्योग लगेंगे उनको पर्याप्त सहायता दी जावेगी।

मोहम्मद अली मेमोरियल स्कूल, ब्यावर

44. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कुमारी नजमा व कुमारी आबिदा के प्रवेश मोहम्मद अली मेमोरियल हायर सेकेन्ड्री स्कूल ब्यावर में गलत ढंग से हुए थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रवेश की अनियमितता की ओर जब ध्यान आकर्षित किया गया तो श्री फारूख, जो व्यवस्थापक मण्डल के प्रभावशाली सदस्य हैं, ने कुमारी नजमा को तो स्कूल से निकलवा दिया परन्तु अपनी सुपुत्री कुमारी आबिदा को स्कूल से नहीं निकाला ?

(3) क्या यह भी सही है कि अपनी (श्री फारूख की) सुपुत्री अबिदा का वर्ष खराब न हो, इस हेतु स्कूल के रिकार्ड में भी फेर बदल करने का प्रयत्न किया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि कुमारी मोहेसीना, मरजीना, मेहर अफरोज का प्रवेश भी स्कूल में गलत ढंग से किया गया था ? यदि हां, तो फिर इन छात्राओं को स्कूल से क्यों नहीं निकाला गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्राएं कक्षा 4 में पढती थीं और उन्हें नूतन वर्ष के आरम्भ में कक्षा 6-7 में प्रवेश किया गया ?

(6) क्या यह भी सही है कि ब्यावर के उक्त स्कूल में छात्र फजीउर्रहमान को कक्षा 10 में प्रवेश दिनांक 15-11-69 को दिया गया था ? क्या छात्र को स्थानान्तर प्रमाण-पत्र पर "ड्यू टू लॉग एब्सेन्स" अंकित था ? यदि हां, तो फिर प्रवेश देने का औचित्य क्या था ?

(7) क्या यह भी सही है कि छात्र खुर्शीद को 1968-69 में कक्षा 8 में प्रवेश दिया गया जबकि वह वर्ष 1967-68 में पटेल स्कूल में कक्षा 6 में अनुत्तीर्ण रहा था ? यदि हां, तो ऐसा किस कारण से किया गया ?

(8) गत वर्ष और इस वर्ष इस स्कूल में कितने छात्र अन्य स्कूलों से स्थानान्तर प्रमाण-पत्र लेकर गये ? नाम सहित सूची देने की कृपा करें।

(9) क्या यह भी सही है कि छात्र हरिश्चन्द्र को स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र देते समय उससे 6 माह का शुल्क लिया गया जबकि अन्य मुसलिम छात्रों से केवल एक माह का शुल्क ही लिया गया ?

(10) क्या यह भी सही है कि कई छात्रों को स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र देते समय बॉंड फार्म भरवाये गये हैं जब कि कईयों को बिना बौण्ड फार्म भरवाये ही प्रमाण-पत्र दे दिये गये हैं ?

(11)(क) विगत नियुक्तियों के करते समय किन किन लोगों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया ? नामों को सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह भी सही है कि हिन्दी एवं संस्कृत अध्यापकों के लिये भी उर्दू जानना आवश्यक रखा गया था ?

Page No 46

(श्री गंगासहाय)

(12) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल के व्यवस्थापक वर्ग ने श्री के० एल० गोयल से हायर सेकेन्ड्री वर्ग छीनकर, श्री राम पालसिंह को वरिष्ठता को चुनौती देकर, श्री राजबीरसिंह को उनके अधिकारों से वंचित करके, श्री एस० सी० छीपा को परीक्षा में सम्मिलित न होने देकर, श्री रामकुमार की उपेक्षा करके श्री अनवर को द्वितीय श्रेणी का वेतन दिया जा रहा है, जब कि उनका अनुमोदन शिक्षा विभाग से नहीं किया गया है ?

(13) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक शाला में एक मौलवी साहब को प्रधानाध्यापक बना रखा है—जब कि न तो उन्हें हिन्दी आती है और न अंग्रेजी आती है और न ही वे कक्षा 8 तक शिक्षा प्राप्ति का प्रमाण-पत्र ही पेश कर सके हैं ? क्या यह भी सही है कि मिसेज कालिविन जो इस पद के लिये योग्य हैं को 10) रु० प्रतिमाह का हानि पहुंचाई जा रही है ?

(14) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष माह जुलाई में श्री फारुख के सुपुत्र की शादी में बीकानेर जाने व आने का टी० ए० डी० ए० कुछ सदस्यों ने स्कूल के बायज फण्ड से उठाया है ?

(स्थगित किया गया)

पाली जिले की जल प्रदाय योजनाएं

45. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कौन कौनसी एक एक या अधिक गांवों की सम्मिलित जल प्रदाय योजनायें कितने कितने गांवों के लिये चालू हैं और कौन कौनसी योजनायें किन किन गांवों के लिये चालू करने का सरकार विचार रखती है ?

(2) (अ)—पाली में ता० 23-9-71 को सरकारी आदेश से गैर सरकारी कार्यकर्ता सम्मेलन उप-जिला विकास अधिकारी द्वारा बुलाया गया था ? उस सम्मेलन ने भी उपरोक्त सम्बन्ध म क्या क्या सुझाव दिये और उन सुझावों के क्रम में सरकार ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की अथवा करने का तय किया है ?

(ब)—किन किन सुझावों पर अमल करने का विचार नहीं है और क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) (अ)— दि० 23-9-71 को गैर सरकारी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पाली पंचायत समिति का पश्चिमी भाग, रोहत पंचायत समिति क्षेत्र व चाणोद क्षेत्र (पं० स०, सुमेरपुर) व सोजत पंचायत समिति के उत्तरी क्षेत्र की जल समस्या पर विचार विमर्श किया गया व रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत ली हुई क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने पर जोर दिया गया।

रूरल वर्क्स प्रोग्राम में ली जाने वाली योजनाओं पर प्रोग्राम की स्वीकृती प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। प्रस्तावित योजनायें बनाये जाने के लिये सर्वे की जा रही है।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

हरिजनों को लोन व अनुदान

46. **श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़)** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दांता रामगढ़ के हरिजनों के लोन व अनुदान हेतु कितने प्रार्थना-पत्र कब से विचाराधीन हैं ?

(2) क्या हरिजन बस्ती लोसल के व्यक्तियों को वर्षा से काफी नुकसान हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने उनकी मदद हेतु क्या कार्यवाही की है ?

(3) विधायक दांता रामगढ़ ने इनके लिये भूतपूर्व एवं वर्तमान मन्त्री महोदय को कब कब पत्र लिखे और उन पर क्या आदेश हुए ?

उत्तर

(1) दांता रामगढ़ के हरिजनों के कोई लोन व अनुदान के प्रार्थना-पत्र विभाग में विचाराधीन नहीं हैं।

वर्ष 1970-71 में पांच अनुसूचित जाति के परिवारों को 1,000 रुपये प्रति परिवार की दर से 5,000 रुपया स्वीकृत किया गया था।

इस प्रकार वर्ष 1970-71 में दांता रामगढ़ को गृह निमार्ण हेतु ऋण स्वीकृत करने हेतु 25 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से 2 परिवारों को 2,000-2,000 रुपये स्वीकृत करते हुये प्रथम किश्त के पेटे प्रत्येक को 800 रुपये चुका दिये गये हैं। शेष 23 प्रार्थना-पत्र अपूर्ण होने के कारण वर्ष 1971-72 में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 57821 दिनांक 28-8-71 द्वारा जिलाधीश, सीकर को भेज दिये गये हैं।

(2) यद्यपि इस प्रश्न का संबंध सहायता विभाग से है, तथापि प्राप्त सूचना के अनुसार हरिजन बस्ती ग्राम लोसल म वर्षा से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। जिलाधीश, सीकर ने ग्राम लोसल के लिये 260) रुपये की सहायता स्वीकृत की है।

(3) विधायक दातां रामगढ़ द्वारा भूतपूर्व मन्त्री महोदय को लिखे गये पत्रों की जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। लेकिन मुझे विधायक दांतां रामगढ़ का उक्त विषय में एक पत्र दिनांक 14-7-71 को प्राप्त हुआ था जिस पर मैंने जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सीकर से रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिये थे। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सीकर से रिपोर्ट मांगी गई है, जो अभी तक अपेक्षित है।

जयपुर जलप्रदाय योजना की सुरक्षा

47. **श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली)**: क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जलप्रदाय योजना के फिल्टर हाउस पर कुल कितने मुलाजिम काम करते हैं और उनका अलग अलग क्या कार्य है और वेतन क्या दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जब कि देश में विदेशी जासूस घुस आये हैं, क्या जनता की सुरक्षा के लिये फिल्टर हाउस पर पुलिस की गार्ड का

Page No 48

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

होना आवश्यक है ? क्या सरकार का भी इस ओर ध्यान गया या नहीं ?

उत्तर

(1) लक्ष्मण डूंगरी जलप्रदाय फिल्टर स्टेशन पर कुल 29 कर्मचारी इस समय विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं जिनकी एक सूची चाही गई सूचना देते हुए संलग्न है। उन पर कुल 6,637.55 पैसे की धनराशि मासिक वेतन के रूप में व्यय होती है।

(2) जी हां, सुरक्षा की दृष्टि से जलदाय योजना के अधीन इसके खास खास स्थानों की सुरक्षा हेतु पुलिस गार्ड की आवश्यकता है। आपत्‌कालीन स्थिति में ऐसे स्थानों की सुरक्षा के लिये गार्ड लगाने का प्रावधान Internal security scheme के अन्तर्गत है। यह व्यवस्था जिलाधीश व जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा यथा समय करवाई जायगी।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

विद्युत समस्याओं का समाधान
(जिला पाली)

48. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार पाली में तारीख 23-9-71 को एक गैर सरकारी कार्यकर्त्ता सम्मेलन पाली के उप-जिला विकास अधिकारी ने बुलाया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्मेलन में सरकार को विद्युत समस्याओं सम्बन्धी सर्व सम्मति से कुछ सुझाव दिये थे ? यदि हां, तो उन सुझावों की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जावे और बताया जावे कि इन सुझावों के क्रम में सरकार ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की है और भविष्य में क्या करने का तय किया है ?

(3) किन किन सुझावों पर अमल करने का विचार नहीं है और क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, सुझावों की प्रति, जो अब दिनांक 6-11-71 को प्राप्त कर ली गई है, सूची "क" पर सदन की मेज पर रख दी गई है। सुझावों पर टिप्पणी भी सूची "ख" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह उपरोक्त सूची "ख" में बता दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अन्ता-पलायथा रोड़ पर पुलिया

49. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा-बारां सड़क के मध्य अन्ता से पलायथा जाने वाले मार्ग पर अन्ता से करीब दो-तीन फर्लांग की दूरी पर एक खाड़ी के ऊपर पुलिया बना हुआ है ?

Page No 49

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(2) क्या यह सही है कि पुलिया नीचा होने के कारण बरसात के समय पानी की अधिकता व बहाव के समय कई बार दो-दो तीन-तीन रोज तक सड़क यातायात अवरुद्ध हो जाता है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पुलिया को ऊंचा कराये जाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उस पर कितना रुपया खर्च होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 11 नवम्बर, 1971 को धोबियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया था तथा उन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जाना बतलाया जाकर उस दिन सदन में यह मामला उठाया गया था। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देने की कृपा करें।

व्यवधान

अभी इन्ट्रप्ट मत करिये। एडजस्टमेंट आपके और हमारे बीच में हो जायगा बाद में

उसी दिन जनगणना विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी विधान सभा के बाहर उन्हें राज्य सेवा से मुक्त किए जाने के कारण प्रदर्शन किया गया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने जनगणना विभाग के लगभग 1 हजार कर्मचारियों को राज्य सेवा से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसे सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

कुछ और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाऐं प्राप्त हुई है जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है:—

(1) श्री नत्थीसिंह व श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, जयपुर तथा राजस्थान के समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को जमीन सुधारने एवं फसल तैयार करने के लिए नकदी अल्पकालीन ऋण न दिए जाने के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी है:—

(अ) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन) के वर्क चार्ज कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने के दिनांक 8-1-1971 के सरकारी लिखित आश्वासन की पूर्ति न करने से उत्पन्न स्थिति।

(श्री अध्यक्ष)

(ब) जयपुर की औद्योगिक बस्ती शान्ति नगर की समस्याएं हल न होने से आन्दोलन की स्थिति ।

(स) अलवर में यू० आई० टी० में फैले भ्रष्टाचार, मनमानी और पक्षपात के सम्बन्ध में ।

(द) अलवर के जनरल अस्पताल में अव्यवस्था के 'सम्बन्ध' में ।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :–

(1) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने बीकानेर नगर न्यास के सभापति द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य में घोटाला व फर्जी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवाज बैठ गई ।

श्री अध्यक्ष : आर्यजी का जोर से बोलना होता है । मैं अभी शान्त मन से बोल रहा हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : (2) श्री लाभचन्द वैद व श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने कस्बा सरदार शहर में तारीख 2 अक्टूबर, 1971 को एक नवयुवक सुनार की हत्या कर देने तथा उस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(3) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने जोधपुर विश्वविद्यालय में तथा-कथित हिंसक घटनाओं के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपी खबरों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह मामला विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित बहस के दौरान उठाया जा सकता है ।

(4) श्री भीमसेन व श्री हंसराज आर्य, सदस्य, विधान सभा ने लूणकरणसर क्षेत्र की कुछ सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिये एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इसमें एक से अधिक मामलों को सम्मिलित किया गया है । अतः ग्राह्य नहीं है ।

(5) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने दो माह पूर्व अजमेर नगर के घनी आबादी वाले कुए में एक बालक को मृत पाये जाने तथा पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(6) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी है जिसमें दो वर्ष की एक कन्या नला बाजार, अजमेर से गायब होने पर पुलिस द्वारा अब तक लड़की का पता न लगाने का उल्लेख किया गया है ।

(7) श्री लाभचन्द वैद, सदस्य, विधान सभा ने चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील

Page No 51

(श्री अध्यक्ष)

के विरमसर की डूंगरी पर पेय जल हेतु बन रहे टैंक का निर्माण कार्य बन्द कर देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(8) श्री मूलचन्द कटेवा, सदस्य विधान सभा ने झुन्झुनूं जिले की चिड़ावा तहसील के ग्राम नारनोद व मालीगांव में पीने के पानी में खराबी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित पैंडिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :—

(1) राज्य में मंहगाई एवं शिक्षित व तकनीकी बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या तथा दूसरी तरफ उद्योग एवं कृषि उत्पादन में गिरावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) डाक्टर कमलेश गुप्ता एवं डाक्टर गजराजसिंह द्वारा तबादले के प्रश्न पर आत्म हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) राजस्थान व जयपुर में विशेष प्रकार का बुखार फलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) राजस्थान में लगभग 300 बेरोजगार डाक्टरों को चिकित्सालयों में रिक्त स्थान होने पर भी नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(5) राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की मांगों के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(6) कोटा के बारां नगर में नगरपालिका बारां द्वारा अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जाति के मजदूरों की झोंपड़ियों को जबरन गिरा देने तथा उनका सामान फेंक देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारी को दृष्टि में रखते हुए मैं उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं...

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है इसमें राज्य सरकार ने संतोष कर लिया है......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एक जानकारी राज्य सरकार से चाहता हूं.....

श्री रामचन्द्र आर्य : स्थगन प्रस्ताव जो मैंने रखा है......

श्री दौलतराम सारण : बेकारी नहीं है, बेकारी से पीड़ित जनता नहीं है......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बेकारी की बात नहीं है, एक प्रक्रिया की बात है वह सभी की सुविधा की दृष्टि से है। जो स्थगन प्रस्ताव हमने प्रस्तुत किये हैं, आपने राज्य सरकार से जानकारी चाही, वह जानकारी आपके लिये ही है तब तो हमारे लिए उसका लाभ नहीं है। कम से कम सरकार ने जो जानकारी दी है, स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में, वह जानकारी भी मिल जाय। यदि वक्तव्य न दिलायें तो उससे कुछ समाधान हो सकता है। जानकारी के आधार पर एडमिसिबिलिटी या नान-एडमिसिबिलिटी का प्रश्न नहीं बनता है, स्थगन प्रस्ताव तो एक्सेप्ट होने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए इस सम्बन्ध में प्रक्रिया होनी चाहिए, जो राज्य सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त हुई है, जो तथ्य आये हैं, उस जानकारी की प्रतिलिपि सम्बन्धित सदस्य को भेज दी जाय तो ज्यादा सुविधा हो सकती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मुझे स्मरण है, गत अधिवेशन में मैंने इस प्रश्न को उठाया था, उस समय निवेदन किया था, जब इस सदन में माननीय सदस्य प्रश्न, अल्पकालीन प्रश्न रखते हैं तो उनका राज्य सरकार द्वारा उत्तर दिया जाता है। तब स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जो महत्व पूर्ण मुद्दों को सदन में रखते हैं, जो किन्हीं कारणों से सदन के सामने नहीं आते हैं। तो मैंने उस समय यह निवेदन किया था कि साधारण प्रश्नों का उत्तर दिलाते हैं तो स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से जो टिप्पणी दी जाय या उत्तर दे उसकी जानकारी देनी चाहिए, उस समय आपने निर्णय किया था इस सदन के अन्दर ही। यह बात सही है कि सम्बन्धित सदस्यों, सम्बन्धित सदस्यों को, राज्य सरकार के द्वारा जो उत्तर आया है, उसकी जानकारी दी जाय। इस प्रकार का निर्णय इस सदन में दिया था। इसलिए माननीय सतीशचन्द्र जी ने जो बात कही है, वह बात सही मानते हुए मैं निवेदन करूंगा, जितने स्थगन प्रस्ताव हमारे सदन में आये हैं, उनको चाहे हाउस में रखने की अनुमति न दें लेकिन उनका उत्तर जो राज्य सरकार से आय, उसकी जानकारी सम्बन्धि सदस्य को दे दी जाय, यह मेरा निवेदन है। जब कि हम प्रश्न अतारांकित और तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर......

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस पर अवश्य निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि अजमेर के नला बाजार की दो साल की कन्या को गायब कर दिया गया और, अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आज तक उस बच्ची के माता पिता दोनों परेशान हैं। कई बार राज्य सरकार की पुलिस की अकर्मण्यता के बारे में शिकायत की गयी पर आज तक उसके बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, अजमेर में मेला चल रहा था, यह तो अजमेर के लोगों का धैर्य था कि उन्होंने कोई दंगा-फसाद नहीं किया, अगर वे दंगा फसाद करते तो, अध्यक्ष महोदय, वहां पर हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो जाता। आज सवाल यह आता है कि वह बच्ची कहां

(श्री भगवान दास शास्त्री)

चली गयी। पता नहीं उसे मार दिया या उस बच्ची को यू० पी० में ले जाया गया या उसे कहीं विलायत ले गये पर, अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। यह भी पता नहीं लगता कि वह मर गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो पुलिस अधिकारी आज तक पता नहीं लगा सके हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी हो गया है। अब समाप्त किया जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो अजमेर की जनता का ही साहस है वरना मैं आपसे निवेदन करूं कि बड़ा दंगा फसाद होता। अध्यक्ष महोदय, बड़ी दयनीय स्थिति है, बच्ची के पिता की उम्र साठ साल की है, वह बहुत परेशान है, पर पता नहीं अजमेर की पुलिस इस बारे में कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। वहां के एडीशनल पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। मैं तो कहना चाहता हूं कि, अध्यक्ष महोदय, इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इसलिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। जांच होनी चाहिये, अध्यक्ष महोदय, दो साल की बच्ची वहां से गायब हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त हो गया, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, दो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं एक तो सरदार शहर में अभि दिनांक 20 अक्टूबर को एक युवक की हत्या हुई है जो कि अपने ससुराल में गया हुआ था। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने भी उसकी लाश के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की, डाक्टर ने रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा और इस प्रकार उस हत्या के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि, अध्यक्ष महोदय, पुलिस भी रात को 11 बजे आयी, डाक्टर के साथ गयी पर कोई रिपोर्ट नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस और डाक्टर की मिली भगत है। कोई कारण नहीं नजर आता कि कैसे उसकी मौत हुई। इसलिये इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव है पेय जल के बारे में। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के बिरमसर की डूंगरी पर पेय जल हेतु बन रहे टैंक का निर्माण कार्य बन्द कर देने के संबंध में......

श्री अध्यक्ष : वह टंकी के बारे में है वही है न? पेय जल के बारे में।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, हां वही है। टंकी बनकर तैयार होने वाली है। उस पर सात लाख रुपये तो खर्च हो चुके हैं। अब थोड़ा सा बाकी रहा है। अगर सरकार सिर्फ 60-70 हजार रुपये का खर्चा कर दे तो वह पूरा हो सकता है और वहां की पेय जल की समस्या का हल हो सकता है। काम बन्द हो गया है, अध्यक्ष महोदय। रुपयों की कमी है। अगर राज्य सरकार इसमें मदद करे तो वहां की जनता को राहत मिल सकती है। पी० डब्ल्यू० डी०

Page No 54

(श्री लाभचन्द बैद)

मिनिस्टर जब से माथुर साहब हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, हमने इसके बारे में देख लिया है कि जब जब शिवचरण जी माथुर मिनिस्टर जिस जिस विभाग के रहे तब तब रतनगढ़ के एरिया की उपेक्षा करते हैं। पहले जब शिक्षा मन्त्री थे तो चूरू जिले की उपेक्षा की अब पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर हुए तो.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, अब पेय जल का महकमा माथुर साहब के पास नहीं है, वह महकमा भीखा भाई के पास है।

श्री लाभचन्द बैद : मैं माफी चाहता हूं। मेरा ख्याल गलत था। आप उन्हें फर्मा दें।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं राज्य में मंहगाई, एवं, शिक्षित एवं तकनीकी बेरोजगार की बढ़ती हुई संख्या तथा दूसरी तरफ उद्योग एवं कृषि उत्पादन में गिरावट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में और दूसरा राजस्थान में व जयपुर में एक विशेष प्रकार का बुखार फैलने से उत्पन्न स्थिति पर। आपने इन्हें अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं माना है। तो, अध्यक्ष महोदय, आज इससे ज्यादा भयावह स्थिति क्या हो सकती है कि लोग बेरोजगार हैं और इधर बंगला देश की वजह से भारतवर्ष की जनता पर 70 करोड़ के टैक्स लगायें हैं केन्द्रीय सरकार ने, दूसरी स्टेट्स ने भी टैक्स लगाये हैं, हो सकता है थोड़े दिन बाद राजस्थान सरकार भी राजस्थान टैक्स लगाये क्योंकि आज राजस्थान सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। और आर्थिक हालत के बारे में राजस्थान की जनता को मालूम होना चाहिये कि इसके लिये सरकार क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सरकार ने 90 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट ले रखा है तो फिर यह कैसे मीट आउट किया जायेगा। राज्य सरकार को टैक्स तो लगाना पड़ेगा।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, कृषि के उत्पादन के मूल्य में भी 50 रुपये की हर वक्त घट बढ़ होती रहती है। यह ऊंच नीच नहीं है। दूसरी तरफ यह है, अध्यक्ष महोदय, कि प्राइसेज बढ़ रही हैं। सरकार उनको रोकने में अपने को असमर्थ पा रही है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, पढ़े-लिखे बेरोजगार टैक्निकल ट्रेन्ड व एम० ए०, एम० एससी०, बी० एससी० और इन्जीनियर्स और डाक्टर्स वगैरह रोजगार के लिये परेशान हैं और अध्यक्ष महोदय, मैट्रिक, बी० ए० पास लोगों की गिनती ही नहीं है जो बेरोजगार हैं। तो ऐसी स्थिति विषम है। इसके लिये राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। इधर बंगला देश के शरणार्थी आ गये हैं उनके लिये भी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो केन्द्रीय सरकार ने टैक्स लगाया है वह तो पड़ा जनता पर ही। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं आपके माध्यम से कि राज्य सरकार को जनता से इस बारे में क्या कहना है। अध्यक्ष महोदय, आपने तो जो जानकारी मिली उसके अनुसार इसे

(श्री दौलतराम सारण)

अविलंबनीय लोकमहत्व का नहीं माना। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा लोक-महत्व की चीज क्या हो सकती है–यह पता नहीं चलता। आज जयपुर में एक विशेष प्रकार का बुखार चल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं। इस बुखार में टेम्प्रेचर 103, 104,105 डिग्री तक पहुंच जाता है। और फिर थोड़े दिन बाद यही बुखार टाइफाइड में बदल जाता है। तो, अध्यक्ष महोदय, इतनी भयावह स्थिति है और आपने यह व्यवस्था दे दी है। या तो यह समझ लिया जाय कि राजस्थान सरकार जानती है कि उसके बस की बात नहीं है। तो मैं चाहता था, अध्यक्ष महोदय, सरकार की इसके बारे में क्या व्यवस्था है। इसके बारे में अगर स्टेटमेन्ट मन्त्री महोदय से दिलवा दें तो ठीक रहता। इसलिये मेरा यह आग्रह है कि आप एक वक्तव्य मन्त्री महोदय द्वारा दिलवा देते।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है। उसके बारे में गवर्नमेन्ट से जानकारी जो आयी उसके बारे में आप अवगत करा देते तो ठीक रहता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अभी स्थिति में नहीं हूं उसके बारे में।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर तथा राजस्थान के समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों को आदेश दिया है किसानों को जमीन सुधारने एवं फसल तैयार करने के लिये नकदी अल्पकालीन ऋण न दिये जाने के बारे में जो आदेश दिया है उसके बारे में किसान लोग परेशान हैं। अब यह स्थिति कर दी गयी है कि 75 प्रतिशत खुद दें तो 25 प्रतिशत ऋण बैंकों द्वारा दिया जावेगा। अब तक राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, 16 करोड़ का ऋण......

श्री अध्यक्ष : मैं सिर्फ यह निवेदन करूं कि कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता है।

श्री नत्थीसिंह : मैं अनुरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप न बोलें तो अच्छा है।

श्री नत्थीसिंह : आप जानकारी ले रहे हैं। वक्तव्य दिला दें। आज का दिन और परसों का दिन है सदन का। काश्तकारों की क्या हालत।

श्री अध्यक्ष : मैं चिंता समझ गया हूं। वक्तव्य दिलाने का है। तब स्थिति स्पष्ट होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो डाक्टरों द्वारा आत्महत्या करने के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपने बताया नहीं कि सरकार ने क्या किया। अखबारों में यह आया है कि उन्होंने ट्रान्सफर्स के कारण से यह किया है। स्वास्थ्य विभाग में ट्रान्सफर्स और नियुक्तियों का स्केन्डल बहुत जबर्दस्त बना हुआ है और आम तौर पर चर्चा रही है, इतने रुपये लेने पर ट्रान्सफर होता है और इतने रुपये लेने पर नियुक्ति होती है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वहां भ्रष्टाचार है। डा० कमलेश एम० एस० और गजराजसिंह, एफ० आर० सी० एस० ने आत्महत्या कर ली। ट्रान्सफर के मामले को लेकर कुछ डाक्टर्स महसूस कर रहे हैं कि पक्ष और भ्रष्ट तरीके अपनाये जाते हैं। अपने चहेतों को मनचाही जगह भेज दिया जाता है और जिनका हक होता है उनको वहां पर नहीं भेजा जाता है। इसलिए विभाग में कोई नियम न होने के कारण डाक्टर्स में फ्रस्ट्रेशन है और इस कारण ने दो-तीन की जान ले ली। मैं निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार को जानकारी लेनी चाहिये कि वास्तविक रूप से आत्म-हत्या का कारण क्या है और वास्तव में ट्रांसफर किस वजह से हुआ है और इस पर गम्भीरता से सोच कर निर्णय लेना चाहिये। सरकार को वक्तव्य देन के लिये कहें और न दिला सकें तो जो उत्तर आपको प्राप्त हो उससे आप ही स्वयम् संतोष करलें कि वास्तविकता क्या है और इस प्रकार के कारण दूर हो जावें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर नहीं फर्माया। उत्तम होगा उसकी जानकारी कराकर वक्तव्य दिलायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था। आपने नगर पालिकाओं और नगर न्यासों पर सत्यानाशियों को लाकर बिठा दिया है, भूखे मर रहे थे जिनको कुर्सी मिल गयी और वे सरे आम भ्रष्टाचार करते हैं। बीकानेर नगर न्यास के सभापति ने सड़कों के मामले में घोटाले किये, फर्जी कार्यवाही की। सरे आम भ्रष्टाचार करते हैं और शिकायत करने पर दबाने में लगे हुए हैं एम० एल० ए०, जांच अधिकारी आदि। मैंने जानकारी ली है। इसके पीछे बड़े घोटाले हैं। इसलिए इसकी जानकारी लेकर दी जाय। सदन को अवगत कराया जाय। वास्तव में चेयरमेन ने भ्रष्टाचार किया है, वह सारा रिकार्ड सीज किया जाय और उसकी जानकारी ली जाय। 1,30 हजार रुपये का खर्चा किया गया। झूठे रिकार्ड बनाये गये। ठेकेदारों को झूठे पेमेन्ट किये गये। सेक्रेटरी ने विरोध किया। उसका तबादला करने में एम० एल० ए० और प्रभावशाली लोग लगे हुए हैं। यह मामला गंभीर है। आप जा रहे हैं इसलिए आप भी जाते जाते कुछ कर जाओ ताकि आपकी भी पब्लिक में कुछ इमेज बन सके। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी गहराई में जाइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गम्भीर प्रश्न हो गया है आपके सामने।

श्री अध्यक्ष : जाने में तो आप और मैं दोनों ही हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, परसों सदन में महिला सदन के बारे में प्रश्न आया था। उसके बारे में आसन की ओर से आश्वासन दिया था और उसके अनुसार उसकी जानकारी कल ही मिल जानी चाहिये थी। अध्यक्ष महोदय, मामला गम्भीर है और उसकी जानकारी हाउस को मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आज ले रहा हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

मुख्य मंत्री ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (क) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 16 (5) होम (ए ग्रुप-1) 63 दिनांक नवम्बर, 1964 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : यस । यातायात मंत्री ।

श्री ओंकारलाल (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ख) 1 विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (3) 30 । परि/68 दिनांक 30 जून, 1971 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी नियम, 1951 में और संशोधन किये गये हैं ।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन । राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदन ।

श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम संचालन व्यवस्था से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति के 28 वां प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1969-70 से सम्बन्धित) के सम्बन्ध में राजकीय उपक्रम समिति के 29 वें प्रतिवेदन का उपास्थापन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के 12 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री रामचरण : श्री नन्दलाल (63), श्री कृष्णकुमार गोयल श्री गंगा सहाय, सदस्य, विधान सभा प्रश्न संख्या 11 (2 उ० म०) के उत्तर से (जो दिनांक 10 नवम्बर, 1971 को दिया गया था) उत्पन्न मुद्दों पर आधा घंटे की चर्चा उठायेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं ।

श्री अध्यक्ष : हमने समझा कि महत्व के व्यक्ति हैं और आप महत्व का स्थान ग्रहण करते रहे हैं। मैं भूल गया था । मैं इसमें श्री बृजसुन्दरजी का नाम एड करता हूं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा । समस्या क्षेत्रीय है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: बृजसुन्दरजी का नाम एड नहीं करना है तो दूसरे सदस्य गैर महत्वपूर्ण हैं ?

श्री अध्यक्ष : बहुत महत्वपूर्ण हैं सीनियर हैं । सारी बातें हैं ।

स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त सूचना से सम्बन्धित माननीय सदस्य को अवगत कराने सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल) : स्थगन प्रस्ताव के विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि कई मसले ऐसे हैं जो डिबेट में लाना चाहते हैं, उन्हीं प्रश्नों का स्थगन प्रस्ताव के रूप में आपके सामने पेश किया है और आपका निर्णय होता है, सरकार से जानकारी लेने के कारण सदन में रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन प्रश्नों की हमें जानकारी हो जाय और संतोष हो जाय तो डिबेट में उन प्रश्नों को एवाइड कर सकते हैं जिससे सदन का काफी समय बचेगा। इसलिये उन पर क्या निर्णय किया गया है यह जानकारी मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : इस जानकारी के संबंध में निर्णय लेकर ही कोई निर्णय दे सकता हूं। अभी निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं। कौनसा प्रश्न जानकारी के लिये भेजा है, अभी डिबेट युनिवर्सिटी पर होने वाली है उसमें इस प्रश्न को भी चर्चा के तौर पर उठा सकते हैं। उससे सम्बन्धित यह प्रश्न है। दूसरा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर है उसमें कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है। कोई स्थगन प्रस्ताव हुआ तो पहले ही उस पर निर्णय दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : इस पर संतोष नहीं होगा। डिबेट में आने का प्रश्न नहीं है। एडजोर्नमेन्ट मोशन रिजेक्ट कर दिया उस पर ध्यान आकर्षण कर सकते हैं या शार्ट नोटिस दिया जाय। किन्तु इम्पोर्टेन्ट मान कर एडजोर्नमेन्ट मोशन के रूप में रखा है तो उसके लिये आगे की प्रक्रिया क्या हो? सेशन कम चलने वाला है। पहले की व्यवस्था के अनुसार काल अटेन्शन नोटिस देते हैं और थोड़ी चर्चा के रूप में रखते हैं तो सदन के समाप्त होने के बाद भी उनका उत्तर मिलता रहता है। किन्तु यह जो एडजोर्नमेन्ट मोशन रखे हैं उनकी जानकारी सदन के स्थगित होने के बाद भी नहीं मिलती। उसके लिये जानकारी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : जो स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाये गये थे और जिनको अस्वीकार किया गया था उस बारे में माननीय सदस्यों को चिन्ता है और वे दूसरे रूप में उठाना चाहते हैं। आज का दिन और 15 तारीख का समय सदन के पास है। इन समय के अन्तर्गत जो प्रश्न दूसरे ढंग से उठाये जा सकते हैं उनको उठाने में माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। प्रश्न यह रहता है कि प्रश्न कब उठाया जाय। इस समय की सीमा को देखते हुये माननीय सदस्य स्वयं सोच सकते हैं। अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूं। किन्तु जो प्रश्न उठायें जायं उन पर जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त कर ली जाय अथवा बाद में जानकारी आये उससे माननिय सदस्यों को अवगत करा दूंगा क्योंकि यह संवैधानिक प्रश्न है। इस समय इतना ही कहने की स्थिति में हूं।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने व्यवस्था दी थी कि परसों लाठी चार्ज हुआ था उस पर वक्तव्य होगा। पर सरकार की तरफ से रेस्पोन्स नहीं मिल रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, अब देंगे ।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने जटिल समस्या समय को है । माननीय सदस्य युनीवर्सिटी के प्रश्न पर बहुत अधिक बोलना चाहेंगे । अगर स्टेटमेन्ट आज रख देता हूं तो कम से कम एक घण्टा इसमें लग जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो जब भी लेंगे समय तो तब भी लगेगा ।

श्री अध्यक्ष : इसलिये वक्तव्य देने के लिये मैंने जो कहा है उसके अन्तर्गत यह भी है कि जानकारी पूर्णतया कर लें। जिसका अर्थ यह था कि आज जानकारी अगर अपर्याप्त है तो पूर्ण रूप से लेकर कल स्टेटमेन्ट दे दें ।

आधा घण्टे की चर्चा कोटा-बून्दी के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में नहरों से पानी के रसने से प्रभावित भूमि सम्बन्धी

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, चम्बल नहर के दाईं ओर और बाईं ओर जो मुख्य नहरें निकली हैं उनसे किसानों के अन्दर खुशहाली आनी चाहिये थी, पर इसके विपरीत इसके जल रिसाव के कारण जो वाटर सीपेज और वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई है आज उसके कारण परेशान है ।

प्रारम्भ में जब यह प्रश्न हमने उठाया तो सरकार इसे नजरअन्दाज करती रही । पर धीरे धीरे राज्य सरकार ने इसकी गम्भीरता को स्वीकार किया । पर स्वीकार करते हुए भी आज राज्य सरकार इसके हल के प्रति पूरी तरह से प्रयत्नशील नहीं है ।

सरकार ने इसे प्रोटेक्टेड एरिया और डेमेज्ड एरिया करके दो भागों में बांटा है । जीरो से पांच तक जहां पानी आ गया है उस गहराई वाले क्षेत्र को डेन्जर जोन बताया है । पांच से दस इन्चेज पर ही प्रोटेक्टेड बताया है और यह भी राज्य सरकार का सिंचाई विभाग केवल वाटर लोगिंग के कारण डेन्जर मानता है ।

एक्चुअल में एक्सपर्टों की राय है कि जीरो पोइण्ट से लेकर 10 तक का एरिया जो लाखों एकड़ में फैला हुआ है, सारा का सारा, डेमेज्ड है ।

आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि इस सारे एरिया में किसी प्रकार की खेती नहीं हो सकती । बीज समाप्त हो जाता है । पर इसके विपरीत भी आज उस क्षेत्र के किसान से लगान बराबर लिया जा रहा है । इरिगेशन चार्जेज लिये जाते हैं और फसलें बरबाद होती जा रही हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

कल प्रश्न आया था तो मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि सर्वे कराकर के केन्द्रीय सरकार के सामने हमने मामला भेजा है और 10 करोड़ की मांग इसके लिये की है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे भी समस्या का हल नहीं निकल सकता । यह व्यय करना न करना बराबर होगा ।

आपने जहां ट्रेन्च डाली वहां ज्यादा खराब हो गया । आप ने ड्रेनेज सिस्टम से इस समस्या का हल सोचा है । पर इसके लिये कानन ड्रेनज मेन्टेन करने के लिये किसान को अपने पास से खर्च करना पड़ेगा ।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

पर जैसा मैंने बताया सरकार वाटर लोगिंग की इस समस्या को उस रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह वाटर लोगिंग ही नहीं है इससे बड़ी समस्या है। पर सिंचाई विभाग इसकी अहमियत को आज भी मानने को तैयार नहीं है।

मैं फिर सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार के ये विभाग आपस में लड़ते-झगड़ते रहेंगे और उधर किसान बरबाद होते जायेंगे। भयंकर समस्या सामने है। इसका मुकाबला इस तरह से नहीं कर पावेगी सरकार। नहरों के आसपास की जमीनें बेकार होती जा रही हैं और जैसा मैंने कहा था कि अजीतप्रसाद जैन ने सर्वे किया है और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है और स्पष्ट कहा है कि सरकार के आज के प्रयासों से इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है, इससे समस्या का निराकरण नहीं होगा, पैसा यह व्यर्थ जावेगा। इसका एक ही हल है कि स्थान स्थान पर सर्वे करवाकर जहां जमीन वाटर लोगिंग से इफेक्टेड है वहां ट्यूब वैल खुदाने होंगे। इससे इस समस्या का हल होगा और परमानेन्ट इरिगेशन के साधन और मिलेंगे।

यहां जिस प्रकार की जमीन और मिट्टी है उसको पानी ज्यादा नहीं चाहिये। एवरेज पानी से कम भी हो तो चल सकता है। मिट्टी की आज वाटर सीपेज से जो स्थिति बन गई है उसके कारण पेडी और शुगर केन के लिये ही यह जमीन अनुकूल रह जावेगी, बाकी की दूसरे प्रकार की कोई क्रोप यह जमीन सस्टेन नहीं कर पावेगी।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो जिसको आज आप जीरो टू फाइव मान रहे हैं वह दस तक पहुंच जावेगा और धीरे धीरे सारा एरिया इससे कवर होता जावेगा। इसका डर है।

ट्यूब वैल ही इसका एक मात्र हल टैक्नीशियनों की नजर में है। पंजाब की इस समस्या का हल भी इसी तरह से किया गया है। राजस्थान सरकार को भी इस समस्या पर काबू पाने के लिये इसी तरह करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इतने माननीय सदस्य हैं, सभी बोलेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया (कागी ग्रु०) उत्तर नहीं आया है मेरे प्रश्न का। उसका उत्तर दिलाया जावे।

श्री अध्यक्ष : आपकी अनुपस्थिति में प्रश्न उठा लिया गया है।

श्री लादूराम सुलानिया : उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आवेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं क्या मानकर चलूं ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : आवेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सीपेज की समस्या चम्बल क्षेत्र में गम्भीर रूप धारण करती जा रही है।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

बहुत से क्षेत्र में पानी भरा हुआ है और इस 50-60 इन्च की वर्षा के कारण मैं यह समझता हूं जो भी जमीन जोत में आयेगी वहां कोई फसल पैदा होने वाली नहीं है। इस बारे म विचार करने के लिये बहुत वर्षों से कोशिश की जाती रही है। डॉ० के० एल० राव भी आये थे। उनको भी मौका दिखाया गया है। उस समय करीब 10 करोड़ की स्कीम बनी जो कि करीब ढाई लाख एकड़ जमीन के प्रोटेक्शन के लिये थी। मुझ मालूम नहीं कि प्लानिंग कमीशन या चम्बल बोर्ड उसको लिये हुये बैठा हो और मैंने इस वर्ष माननीय सिचाई मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित किया था और डॉ० के० एल० राव को लिखा लेकिन मुझे यह देखकर दुःख है कोई भी काम सीपेज को रोकने के बारे में नहीं कराया गया है। जो पानी भरा हुआ है, उसमें फसल नहीं होगी। जैसा अभी माननीय सदस्य गोयल जी ने बताया उनको कोई मुआवजा दिया जाय। मुझे तो दुःख है उस क्षेत्र के किसान से लगान भी वसूल किया जा रहा है और पिलाई भी वसूल की जा रही है। मैं समझता हूं राज्य सरकार के आदेश जाने चाहिये और उनकी पिलाई व लगान वसूल नहीं किया जाना चाहिये। उनको जो कुछ भी मदद दिलाई जा सकती है वह दिलाई जाय। इस सीपेज के कारण जीरो टू फाइव में वो क्षेत्र आते हैं जहां पानी का लेवल ऊंचा आ गया है। उस जगह जो जहां बसे हुए हैं उनके चूल्हे तक नहीं जलते हैं वे खाटों पर बैठे रहते हैं। उनके घर के लेवड़े उपड़ चुके हैं। मेरी जानकारी के अनुसार करीब पांच से सात हजार मकान सीपेज के कारण गिर गये हैं। उनको अब तक राहत नहीं पहुंचाई गई है। ऐसा भी है कि कुछ किसानों के पास 10 बीघा जमीन है और वह सारी की सारी सीपेज में आ गई है। उनके खाने पीने की हम सम्भाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे किसान जिनकी सारी जमीन सीपेज में आ चुकी है, मैं समझता हूं कि उनको राहत पहुंचाने की जरूरत है। इसलिये मैं समझता हूं इस समस्या की गंभीरता को सरकार को समझना चाहिये जिन क्षेत्रों में पानी कम भरा हुआ है उनमें तुरन्त ध्यान दें जिससे उसमें बोने लायक जमीन हो जायेगी। जहां 17 हजार एकड़ के लिये ड्रेनेज है लेकिन उसमें मेन्टिनेन्स और रिपेयरिंग नहीं होने के कारण वहां पानी भर गया है। आप कहेंगे किसान क्यों नहीं करता लेकिन माननीय मंत्री महोदय वहां जाकर देखें जो ड्रेज बनी हुई है जो काफी गहराई में है और लम्बाई-चौड़ाई में है और जो ब्रान्चेज केनाल से ज्यादा है, उनकी लम्बाई-चौड़ाई भी ज्यादा है उन नहरों को साफ करने की अपेक्षा किसान से करते हैं तो किसान कभी भी नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं ऐसी गंभीरतम समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। माननीय मंत्री जी न कह दिया पिलाई माफ करवा देंगे। मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि वे इस मसले को केबिनेट में रखें और सिंचाई के साथ साथ लगान भी माफ करियें। माननीय मंत्री महोदय मेरे साथ चल म सारे क्षेत्र में घुमा सकता हूं और मेरे जसे व्यक्ति इसकी गंभीरता को महसूस करते हैं तो मैं समझता हूं आप

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

भी करेंगे और इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करवायेंगे चाहे प्लानिंग कमीशन से करवाये। इस सीपेज के कारण करोड़ों मन के गल्ले का नुकसान हो रहा है। इसको ठीक करने से जो राजस्थान की हालत है उसमें भी फर्क आयेगा। इसलिये में समझता हूं इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गोयलजी ने इस पर काफी प्रकाश डाल दिया है। आप दोनों एक ही दल के हैं......

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ विशेष बात निवेदन करनी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री जो निवेदन किया उस पर कुछ तवज्जह है क्या ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र अन्ता, मांगरोल और बारां जिसमें हजारों एकड़ जमीन वाटर लॉगिंग और सीपेज में आती है इसलिये इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में मेरा भी नाम है। और मैं कुछ इसमें निवेदन करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप समय देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका तो विश्वास है लेकिन आप समय से बाहर निकल जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि दो माननीय सदस्यों ने निवेदन कर दिया है और करीब करीब सारे ब्रॉड पॉइन्ट्स आ चुके हैं, उसके बारे में मैं अपना उत्तर दे दूं फिर कोई शंका माननीय सदस्य को हो तो वे प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सदस्यों ने जिस पर ध्यान आकर्षण नहीं किया है उस पर निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनसंघ ने जिस समय भारत की प्रधान मंत्री कोटा आ रही थीं उस समय कोटा और बूंदी जिले की प्रमुख समस्याओं को लेकर, कोटा में वाटर लॉगिंग और सीपेज को लेकर आन्दोलन करने की चेतावनी दी थी और उस समय के माननीय मुख्य मंत्री महोदय सुखाड़ियाजी ने लिखित में एक आश्वासन दिया था और उस समय मुख्य मंत्रीजी ने इन समस्याओं के बारे में अपने चेम्बर के अन्दर, राजस्थान सचिवालय के अन्दर एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कोटा, बूंदी के एम० एल० एज० थे और माननीय बृजसुन्दरजी भी वहां मौजूद थे। उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री रामप्रसाद लड्ढा भी मौजूद थे। और जब इस मुद्दे पर विचार होने लगा तो उस समय तत्कालीन मंत्री श्री रामप्रसाद लड्ढा ने स्वयं ने स्वीकार किया था और मुख्य मंत्री को कहा था। चम्बल की बाईं और दाईं नहर की वाटर लॉगिंग और सीपेज को हल नहीं किया तो इस समस्या को हल करने के लिये केवल 9 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यदि इसमें एक साल निकाल दिया तो फिर राजस्थान की सरकार को इस समस्या को हल करने के लिये करीब 20 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे – इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, माननीय अध्यक्ष

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

महोदय। मुझे स्मरण है उस समय के तत्कालीन कलेक्टर श्री शास्त्री ने स्वीकार किया था लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चम्बल की बाईं और दाईं नहर के बढ़ते हुए वाटर लॉगिंग और सीपेज को हल करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे आज यह स्थिति आ गई है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं। अन्ता, मांगरोल और बारां उसमें चम्बल की दाईं नहर गई है। आज इस सीपेज और वाटर लॉगिंग के कारण इस क्षेत्र के सैंकड़ों गांव जिसमें, अध्यक्ष महोदय, प्रमुख रूप से धाकड़ खेड़ी, मोड़ता, उतपुड़ा, बड़ गांव आदि हैं ये सारे गांव पानी से चारों तरफ घिरे हुये हैं और एक टापू के रूप में परिवर्तित हो गये हैं। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, चम्बल की सीपेज और वाटर लॉगिंग के कारण वे काश्तकार जिनके दो मील की दूरी पर खेत हैं कच्चे रास्ते से जाते हैं। वे इस सीपेज के कारण खराब हो गये हैं और काफी मील दूर का रास्ता पार कर अपने खेतों को पहुंच न पड़ रहा है। एक गांव है बोलतिया जिसमें चार फीट चार इंच की चौड़ाई है वहां का किसान अब उस ब्रिज पर होकर नहीं जा सकता है। वहां के काश्तकार ने मांग की है इसको ठीक किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, आज इसका हल नहीं होने के कारण 12 मील दूर का चक्कर काट कर जाते हैं और इस सीपेज के कारण उनकी गाड़ियां भी उसमें उलझ जाती हैं। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने एक दो दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जिस किसान की जमीन वाटर लॉगिंग और सीपेज के कारण खराब हो गई है उसका सरकार मुआवजा देगी। मुझे तो इसके लिए बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गत दस वर्षों के अन्दर किसी भी किसान को सीपेज और वाटर लॉगिंग के कारण, जिनकी जमीन खराब हो गई है, मुआवजा नहीं दिया है। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस पर विचार करेंगे कि जिस किसान के पास दस बीस बीघा जमीन है और सारी भूमि डूब में आ गई या सीपेज के कारण खराब हो गई वह किसान आज बेरोजगार हो गया। जिस किसान की आजीविका उस 20 बीघा जमीन पर थी और जो अपने परिवार का पालन-पोषण करता था मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उस गरीब किसानों ने क्या पाप किया? आप मुआवजा एक बार दे देंगे और अधिक से अधिक उसको आप दो हजार रुपये की रकम एक बार दे देंगे.........

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दो मिनट में ही समाप्त करता हूं।

लेकिन वह गरीब किसान जिस 20 बीघा जमीन से अपने परिवार का 20 वर्षों

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

से लगातार खर्चा उठाता आ रहा है और उनको पाल रहा है और आप उसको सिर्फ दो हजार रुपया मुआवजा का देंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा एक साल तक खर्चा चल सकता है लेकिन वह गरीब किसान अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करेगा और जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस समस्या के ऊपर कोटा और बून्दी के विधायकों को बुलाकर इस पर विचार किया था। उस समय मैंने मांग की थी और श्री सुखाड़िया जी ने आश्वासन दिया था कि किसानों को केवल मुआवजा देना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि जमीन के बदले में जमीन दी जायेगी, यह आश्वासन दिया था और मैंने उस समय मांग की थी कि गरीब कसानों को किशनगंज और शाहबाद में जमीन देना चाहेंगे तो वे जमीन नहीं लेंगे। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि चम्बल कमाण्ड एरिया के पास जो अनकमाण्ड एरिया के अन्दर सरकारी पड़त भूमि है वह जमीन उनको दी जाये और उसका मूल्यांकन करके दी जाये। उस समय यह अश्वासन दिया था।

अन्त में मैं, अध्यक्ष महोदय, यह बात कहता हुआ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आज किसानों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सरकार और सिंचाई विभाग सीपेज और वाटर लॉगिंग में आये हुए किसानों से लगान वसूल कर रहे हैं और पिलाई भी वसूल कर रहे हैं और स तरह का काम कर यह राजस्थान सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। रियासत के जमाने में किसान के खेत में कुआ था उसकी पिलाई लगान के साथ थी और वहां आज भी कुआ मौजूद है और आप लगान भी वसूल कर रहे हैं और पिलाई भी वसूल कर रहे हैं। इस तरह से आप जजिया कर वसूल कर रहे हैं जब कि उसकी जमीन समाप्त हो गई है और वह खेती नहीं कर सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सदन के अन्दर घोषणा करें कि इसकी जांच होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। बढ़ते ही जा रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बस एक मिनट में ही समाप्त करता हूं।

तो आप घोषणा करें कि जिन किसानों की जमीन डूब और सीपेज में आने के कारण खराब हो गयी है उससे लगान वसूल नहीं करेंगे और जिनके रास्ते डूब में आ गये चारों, एक तरफ पानी आ गया है उन गावों में यातायात के साधनों के लिय पुल एक महीने में या दो महीने में बना देंगे, और जहां पाइप लाइन है वह पाइप चाहे 6 इंच की हो या 12 इंच की हो बैलगाड़ियों के पास करने के लिए सिंचाई विभाग ठीक करायें।

यही निवेदन करता हुआ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार प्रकट करता हुआ माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि मैंने जो मामले उठाये हैं और राज्य सरकार ने 9 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया और उसमें विलम्ब

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
किया तो 20 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, और यदि आपने इस बात को नहीं माना तो वहां की जनता जनसंघ के साथ जन आन्दोलन करके इस सरकार को बाध्य करेगी और यह पैसा खर्च करायेगी और समस्या को हल करायेगी। और आपने हल नहीं किया तो न लगान देंगे और न पिलाई का पैसा देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अकेले जनसंघ ही आन्दोलन कर सकती है क्या ? कांग्रेस भी आन्दोलन कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सवाल है माननीय सदस्य ने अननेसेसरी पोलिटिक्स में डालने की कोशिश की है अन्यथा बृजसुन्दरजी ने और कृष्णकुमार गोयलजी ने भी कहा है कि यह एक मानवीय समस्या है और सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई मार्ग ढूंढा जाय। यह कहना उचित नहीं है कि राज्य सरकार ने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जब कि 65 से ही जब से यह चीज मालूम हुई तब कई कमेटियां बनाई गयीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने पहले बनाई और फिर इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने और सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन लेवल पर भी कुछ कमेटीज ने सर्वे और इनवेस्टीगेशन किया और एक रिपोर्ट दी, यू० एन० डी० पी० की स्कीम अभी और उसने सारी जांच की। मैं, अध्यक्ष महोदय, लम्बा नहीं जाऊंगा लेकिन दो-तीन चीजें निवेदन करना चाहता हूं। कुछ चीज ऐसी हैं कि जिनको तुरन्त किया जाना जरूरी है और इसलिए जैसा कि अभी कहा गया कि अपनी सीमा के अन्दर कुछ रुपया और बढ़ा कर तत्काल रिलीफ मिल सकता है। पहले से चार लाख का प्रोवीजन है और अब पांच-सात लाख रुपया और बढ़ा सकता हूं......

श्री कृष्णकुमार गोयल : होगा क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं फाइनेन्स मिनिस्टर नहीं हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अपनी सीमा के अन्दर अपने बजट से जो कुछ दे सकता हूं उसको देकर जल्दी काम शुरू करवाऊंगा। दूसरी चीज यह कर रहा हूं कि सारी प्रॉब्लम को केबिनेट के समक्ष रख रहे हैं और इसके ऊपर वहां फैसला लिया जायगा। इसके बाद इश्यू यह है कि यह मेन्टीनेन्स से खर्चा हो अथवा केपिटल इनवेस्टमेन्ट माना जाय इसको। चाहे मेन्टीनेन्स में हो या केपिटल में हो मेरी राय यह है कि इसको केपिटल इन्वेस्टमेन्ट माना जाना चाहिए। तो हम काम शुरू कर देंगे चाहे गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन रहता रहे और हम अपना काम जारी कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, कोटा क्षेत्र की जैसी भूमि है और टोपोग्राफी है उससे ये सारी चीजें पैदा हुई। वहां पर जमीन म राक्स के अन्दर फिशर होने के कारण पानी का सीपेज ज्यादा है और उसके कारण पानी बह जाता है। उस इलाके के किसान जितने पानी का जल्दी से जल्दी उपयोग करना चाहिए-जैसे गंगानगर के लोग कर रहे हैं, रात को इरिगेशन

(श्री हरिदेव जोशी)

करना चाहिए वह उतना नहीं कर पाते हैं । इसलिए भी पानी बहता हुआ चला जाता है । माननीय सदस्य ने एक बात का एतराज उठाया कि हमने सॉइल को दो हिस्सों में बांट दिया है-एक तो प्रोटेक्टेड और दूसरी डेमेज्ड । जीरो से लेकर 5 फीट तक पानी है उसको डेमेज्ड मान लिया और 5 फीट से 10 फीट तक प्रोटेक्टेड मान लिया। सवाल यह है कि जहां खेती नहीं होती है उसको कैसे डवलप किया जाये । जो जमीन जिसमें पहले खेती होती थी आज नहीं होती है इसका क्या कारण है ? तो कोटा की तरफ के क्षेत्र की बात को छोड़ दिया जाय, मेरे जैसे बैकवर्ड एरिया के अन्दर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अन्दर वहां लोग गन्ना कर सकते हैं और पैडी कर सकते हैं और कोटा में भी यह चीजें होती हैं लेकिन धीरे धीरे लोगों का क्रौप पैटर्न बदला और वह उसका उपयोग कर सकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं तो यह मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका हल निकाला जाना चाहिए । य० एन० डी० पी० ने जो स्कीम बनाई है उसको हम स्वीकार करते हैं और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से यह चाहते हैं कि वह इसको स्वीकार करके इसके लिए प्रयत्न करें । मैं तो इस राय तक का हूं कि इसका चाहे फर्दर एक्सपेन्शन न हो लेकिन जो कुछ हो चुका है उसको डवलप किया जाये और आज डवलपमेन्ट है उसको बिगड़ने से रोका जाये इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के और मेरे विचारों में कोई डिफरेन्स नहीं है । हम इसमें पोपुलर पार्टीसिपेशन को भी लेंगे और इस प्रौब्लम को साल्व करने की कोशिश करेंगे । किन्तु मैं यह बता दूं कि राज्य सरकार ने इस सिलसिले में भूतकाल में काफी फैसले लिये हैं । नहर और उप-नहर के पानी के सीपेज की वजह से जमीन खराब हो गयी है और यदि कोई किसान ऐसी भूमि को जो मुस्तकिल तौर पर काबिले काश्त नहीं रही है, राज्य सरकार को सुपुर्द कर दे तो उसको उस भूमि की बजाय अन्यत्र भूमि दी जायेगी और भूमि के बदले नहीं लेना चाहे या अन्य भूमि उपलब्ध नहीं हो तो मुआवजा दिया जायेगा । यह गवर्नमेन्ट का डिसिजन हो चुका है, अब उन किसानों को फैसला करना है । आज किसान भी एक प्रकार से निर्णय करने की स्थिति में नहीं हैं । कई जगह पायलेट प्रोग्राम होने के कारण जो जमीन खराब हो गई थी वे ठीक हो गई हैं और वहां पर खेती हो रही है, वे दुरुस्त हो गई हैं । वहां पर खेती होने लगी है । आज रूट जोन पर किसान काम कर रहा है और पैसा कमा रहा है । किसान यह समझता है कि कोई न कोई प्रोग्राम आ जायेंगे और उनसे जमीन सुधरेगी। इसलिए वे जमीनों को सरेंडर करना नहीं चाहते हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सूचना दी है और इस बारे में मुझे जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कोई वाटर चार्जेज नहीं लिए जाते हैं । अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि वाटर चार्जेज लिए जाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो ऑफिसर्स ने मुझे सूचना दी है वह गलत है और मैं इस चीज को देखूंगा । आप यदि स्पेसिफिकली कहते हैं कि वाटर चार्जेज

(श्री हरिदेव जोशी)

लिए जाते हैं तो जिन लोगों ने मुझे इत्तिला दी है, वह वास्तव में गलत है।

जहां तक रेवेन्यू चार्जेज का सवाल है मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी जमीन जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है और पानी भरा होने के कारण खेती नहीं होती है तो उनसे लगान नहीं लिया जा सकता है। माननीय सदस्यों ने इस मामले को यहां उठाया है तो मैं इसको देखूंगा और केबिनेट के सामने इसको रखूंगा और केबिनेट का निर्णय इस पर कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक डमेजेज का प्रश्न है, कई हजार रुपये डमेजेज के लिए कम्पेन्सेशन के रूप में दिए गए हैं और मुमकिन है कि जितना डमेज हुआ हो वह सारा का सारा नहीं दिया गया हो, लेकिन कई हजार रुपये डमेजेज के दए गए हैं। जहां तक मकानों का सम्बन्ध है, मकानों के बारे में सरकार न यह निर्णय लिया है····

(विराम)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मकानों के बारे में क्या निर्णय लिया है सरकार ने?

श्री हरिदेव जोशी : सरकार ने निर्णय लिया है कि वाटर लॉगिंग की वजह से अगर किसी के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उसकी वजह से दूसरी जगह जाकर बसना पड़ता है तो उसको मुआवजा दिया जायगा।

इस तरह से मैं समझता हूं कि सरकार ने जो निर्णय लिए हैं मैं आशा करता हूं कि उनसे जल्दी से जल्दी इस ओर स्थिति सुधरेगी और लोगों की जो कठिनाइयां हैं इनमें कमी होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो आपने मकानों के बारे में बताया है उसी तरह से जो नारंगी, आम और दूसरे फलों के पेड़ हैं, वाटर लॉगिंग की वजह से इफेक्टेड हो गए हैं उनके लिए आज तक डिपार्टमेंट कम्पेन्सेशन देने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि मकानों के लिए कम्पेन्सेशन देने का निर्णय ले लिया है लेकिन डिपार्टमेंट कोई मुआवजा नहीं दे रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं कह रहा हूं लेकिन इतना कह सकता हूं कि अब तक 23,351) रु० क्रॉप कम्पेन्सेशन के रूप में दिए गए हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्रॉप कम्पेन्सेशन की बात नहीं है। जो फलदार पेड़ थे

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसमें आपसे डिस्प्यूट नहीं करता। जो इन्डीविजुअल चीजें हैं उनको मुझे स्पेसिफिकली बताना होगा और किसान को मेरे पास पहुंचना होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : अब बहुत हो गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न।

माननीय मंत्रीजी, आपने अभी कहा कि जिस किसान की जमीन सीपेज में आई है उसके बदले में दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। आप कृपा करके यह बताइए कि उस किसान को आपने किस जगह पर जमीन देने का तय किया है और उसको कितनी जमीन देंगे?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं ऑफहैंड तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कैसे कह सकता हूं कि उन्होंने इसके लिए अमुक जगह ईयर मार्क कर दी है, मेरे लिए यह अभी सम्भव नहीं है ।

श्री बेणीदत्त गाड़िया : इसलिए मैं कह रहा हूं……

श्री अध्यक्ष : श्री बिश्नोई ।

5. ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

क्रूड ऑयल, मोबिल ऑयल की कमी के संबंधी

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्षजी, मैं राज्य सरकार का ध्यान जिला जालोर में क्रूड ऑयल, मोबिल ऑयल और डीजल ऑयल की स्केयरसिटी जो वहां पर स्थानीय डीलर्स ने पैदा की है उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

अध्यक्षजी, आज पाकिस्तान की फौजें बोर्डर पर लगी हुई हैं और जब से इमरजेंसी की कण्डीशन्स, इमरजेंसी का वातावरण बना है उस दिन से लेकर आज जब कि रबी की फसल की बुआई का समय नजदीक है, डीलर्स ने स्केयरसिटी कण्डीशन्स क्रियेट कर दी हैं और वहां के काश्तकारों में एक पैनिक फैला रहे हैं, और किसान लोग पूछ रहे ह कि जब रबी की फसल का समय नजदीक है तो इस बारे में क्या होगा ? क्योंकि ज्यादातर जिला जालोर में क्रूड ऑयल से ही पम्पिंग सेट चलते हैं, बिजली की, पावर की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, हालांकि जोधपुर डिवीजन में पम्पिग सेटों की संख्या सबसे ज्यादा जिला जालोर में ही है परन्तु दुर्भाग्य से बिजली बोर्ड की तरफ से पर्याप्त मात्रा में पावर कनेक्शन्स नहीं दिये गए हैं । इसी वजह से काश्तकार एकमात्र क्रूड ऑयल से ही अपने पम्पिंग सेट चलाता है । पिछले टाईम में भी जब कि पाक एग्रेशन हुआ था और वहां पर इमरजेंसी कण्डीशन्स क्रियेट की गई थी तो उस समय भी क्रूड ऑयल, मोबिल ऑयल और डिजल ऑयल की गम्भीर स्केयरसिटी कण्डीशन कायम की गई थी और उसका एकमात्र कारण डीलर थे । डीलर्स मिल जाते हैं और मिल कर टेम्परेरी स्केयरसिटी कण्डीशन्स पैदा कर देते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि काश्तकार को बुआई के समय जब कि ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल की आवश्यकता होती है तो उस समय इस प्रकार की स्केयरसिटी क्रियेट करके डीलर्स कह देते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑयल नहीं है। गवर्नमेंट ने डीजल और मोबिल ऑयल रिजर्व कर रखा है इसलिए हमारे पास नहीं है । ऐसी हालत में, अध्यक्षजी, ऐसी इमरजेंसी कण्डीशन के अन्दर जबकि काश्तकार अपने ऐसे बोर्डर के इलाके में ऐसे दिनों में उत्पादन करने म व्यस्त हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो इसकी व्यवस्था भी नोर्मल कण्डीशन की तरह से हो और यह जो क्रूड ऑयल, मोबिल ऑयल और डीजल ऑयल है इसकी पर्याप्त मात्रा में, काश्तकारों के पम्पिग सेट्स की संख्या को देखते हुए रिजर्व कोटा रखा जाय ताकि आज जो लोगों के अन्दर भावना उत्पन्न हो रही है, वह मिट सके । इसके साथ साथ, अध्यक्षजी, डीलर्स के द्वारा ऑयल में एडल्ट्रेशन किया जाता है, नतीजा यह होता है कि एडल्ट्रेड ऑयल से डीजल सेट्स खराब हो जाते हैं और काश्तकार पर एडीशनल बर्डन पड़ता है ।

तो आज जो स्थिति पैदा हो रही है,

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

में राज्य सरकार से आपके जरिए यह निवेदन करना चाहूंगा और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब आने वाले तीन महीनों के लिए ऑयल की पर्याप्त व्यवस्था हो। जालोर जिले में क्रूड ऑयल से चलने वाले पम्पिंग सेट्स की संख्या भी अधिक है और वहां पर स्केयरसिटी कण्डीशन भी है बरसात के कारण, क्योंकि अध्यक्षजी, आपने भी रेडियो में सुना होगा कि वहां पर इस साल भी सबसे कम मात्रा में, एवरेज रेनफाल से भी कम बरसात हुई है और पानी की कमी है और इस पर भी यदि क्रूड ऑयल नहीं मिले तो इससे उत्पादन गिरेगा और लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। ऐसी हालत में कम से कम इसे और तो राज्य सरकार सतर्क रहे ताकि जो लोग क्रूड ऑयल की कमी महसूस करते हैं और किसान लोग रबी की फसल के उत्पादन में लगे हुए हैं तो उनके दिमाग में किसी प्रकार का संशय पैदा न हो और जो आर्टिफिशियल स्केयरसिटी कण्डीशन पैदा करते हैं, उनके प्रति विशष तौर पर व्यवस्था करें ताकि उत्पादन भी नहीं गिरे और काश्तकारों के सामने कोई गम्भीर समस्या भविष्य में आने वाले समय में उत्पन्न नहीं हो।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जालोर जिले के अन्दर क्रूड ऑयल की कमी के बारे में सदन के समक्ष प्रश्न रखा है। यह सही है कि जालोर जिले के अन्दर स्टोरेज केपेसिटी कम होने के कारण वहां पर आज एक आर्टिफिशियल स्केयरसिटी मालुम पड़ती है। जहां तक कन्ट्री में एवेलेबिलिटि का सवाल है, कन्ट्री में एवेलेबिलिटि में कोई कमी नहीं है और इसलिए हम पिछले साल से गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से मिलकर और इण्डियन ऑयल से और दूसरे लोगों से प्रयत्न कर रहे हैं कि स्टोरिंग केपेसिटी बढ़ा दी जाय। इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे डिप्टी सेक्रेट्री गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से निरन्तर सम्पर्क में हैं......

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : स्टोरेज केपेसिटी से आपका क्या मतलब है ?

श्री हरिदेव जोशी : स्टोरेज केपेसिटी से मेरा तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि पांच हजार लीटर स्टोर करने की केपेसिटी है और ट्रांजिस्ट में टाइम लगता है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं मालुम पड़े लोग नाग बेजा फायदा नहीं उठायें......

श्री पृथ्वीसिंह : ऑयल का स्टोरेज तो वेल्स में होता है।

श्री हरिदेव जोशी : दूसरी चीज नई यह पैदा हुई है और मेरे पास परसों ही यह उत्तर आया है, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से बातचीत करने पर कि वे ट्रक्स और टैंकर्स से भी कांडला से ऑयल लाने की इजाजत दे सकते हैं। किन्तु कठिनाई यह है कि वहां पर ट्रक्स और टैंकर्स रेल्वे के अवेलेबल नहीं हैं। आज एक तरफ सीमाओं पर पाकिस्तान की फौज के कारण से हमें कई चीजें दूसरी तरफ डाईवर्ट करनी पड़ी हैं। प्राईवेट ट्रक और टैंकर्स डाईवर्ट करने पड़े ह। फिर भी हम निरन्तर जागरूक हैं कि वहां पर स्केयरसिटी ऑयल की न हो इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

Page No 70

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी स्टेटमेन्ट से एक बात तो साफ हो गई कि वहां पर आॅयल की स्केयरसिटी है और वह स्टोरेज केपेसिटी नहीं होने से है। जब रिजर्व स्टोरेज नहीं है तो राज्य सरकार कम से कम यह व्यवस्था तो करेगी कि कहीं से भी किसानों को क्रूड आॅयल मिल जाय और उनको यह मालूम रहे कि फलां जगह आकर आॅयल ला सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था तो की जाय ताकि कम से कम ऐसी स्थिति तो पैदा न हो।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी और माननीय सदस्य की जानकारी में कहीं कोई अन्तर नहीं है। आप मेरे पास में कई बार आये हैं। वहां पर जो भी प्रयत्न करना चाहिये वह हम कर रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था की हम भारत सरकार के सम्पर्क में हैं और गवर्नमेन्ट आॅफ इण्डिया इसके लिये कदम उठा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, सवाई माधोपुर।

श्री आईदानसिंह : वहां पर क्रूड आॅयल वेगन्स से आता है और काश्तकार डाइरेक्टली स्टेशन से भर कर ले जाते हैं। इन्डीविजुअल सप्लाई होती है।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो मैंने कहा कि वहां पर स्टोरेज केपेसिटी नहीं है। गवर्नमेन्ट आॅफ इण्डिया को कहा है कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करे।

शासकीय वक्तव्य सवाई मधोपुर में तेल-शोधक कारखाने के सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष : सवाई माधोपुर में तेल-शोधक कारखाने की स्थापना पर वक्तव्य।

उद्योग मन्त्रीजी।

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर-पश्चमी भारत में एक तेलशोधक कारखाना जिसकी क्षमता 40 लाख टन प्रति वर्ष होगी और लागत करीब 112 करोड़ रुपये होगी, लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार ने .....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह क्या है?

श्री हरिदेव जोशी : तेल-शोधक कारखाना।

भारत सरकार ने इस कारखाने के लिये स्थान निर्धारण करने हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया गया। समाचार पत्रों के अनुसार इस दल का प्रस्ताव निम्न तीन स्थानों के लिये था—आगरा, हिसार और सवाई माधोपुर। इनमें से चुने किसी स्थान पर क्रूड आॅयल कांडला बन्दरगाह से पाईप लाईन द्वारा भेजा जाने का सुझाव था। चूंकि सवाई माधोपुर इनमें से सब से अधिक कांडला बन्दरगाह से नजदीक है, अतः इस स्थान का महत्व अन्य स्थानों से अधिक समझा गया। इस दल का प्रतिवेदन 1969 में प्राप्त हुआ पर यह राज्य सरकार को नहीं भिजवाया गया था। उक्त दल की सिफारिश ज्ञात होने पर तत्कालीन मुख्य मंत्री राजस्थान ने श्री त्रिगुण सेन, तत्कालीन केन्द्रीय पेट्रोलियम व रसायन मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि यह कारखाना राजस्थान में ही लगाया जावे। इसके उत्तर में श्री त्रिगुण सेन ने यह आश्वासन दिया कि

(श्री हरिदेव जोशी)

राजस्थान की मांग पर पूरा एवं सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जायेगा। इसके बाद तत्कालिन मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखा। इसके उत्तर में प्रधान मंत्री ने यह लिखा कि पेट्रोल व रसायन मंत्रालय अतिरिक्त तेल-शोधक क्षमता प्रश्न पर विचार कर रहा है व इसमें कुछ समय लगेगा।

कई संसद सदस्यों ने यह प्रश्न लोक सभा में उठाया था। एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय पेट्रोल व रसायन मंत्री ने यह कहा कि स्थान के प्रश्न पर विचार हेतु एक तकनीकी कमेटी बनाई गयी है। इसके प्रतिवेदन के बाद ही भारत सरकार निर्णय लेगी।

तत्कालीन मुख्य मंत्री ने पुन: 23 दिसम्बर, 1970 को प्रधान मंत्री, भारत सरकार को एक विस्तृत पत्र लिखा। इसके बाद वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने फिर प्रधान मंत्री को 15 जुलाई, 71 को एक पत्र लिखा है। इस प्रश्न पर अभी भारत सरकार का कोई निर्णय ज्ञात नहीं हुआ है। राज्य सरकार बहुत उत्सुक है कि यह कारखाना राजस्थान में ही लगे। राजस्थान में किस स्थान पर लगे, इस पर राज्य सरकार का अपना कोई मत नहीं है। यह तकनीकी विचारों से तय होगा। राज्य सरकार ने तो केवल अध्ययन दल की राय के अनुसार सवाई माधोपुर का प्रस्ताव भारत सरकार को दोहराया है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कारखाना राजस्थान में कहीं भी लगे राजस्थान सरकार उससे सन्तुष्ट होगी। इसी तरह से राज्य सरकार सतत् प्रयत्न कर रही है। हालांकि अन्तिम निर्णय भारत सरकार का ही होगा।

श्री अध्यक्ष : एडवर्ड मिल पर चालू करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह बताया है कि आरम्भ में केवल समाचार पत्रों से यह सूचना उनको प्राप्त हुई थी। तेल-शोधक कारखाना तीन स्थानों पर लगाने के लिये कमेटी ने सुझाव दिया है। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह भी तीन स्थानों पर लगाने के लिये कहा है और ये स्थान हैं-सवाई माधोपुर, हिसार और आगरा। इसी आधार पर आपने प्रयास जारी रखे हैं। आपके स्टेटमेन्ट के मुताबिक दो पत्र पहले लिखे गये हैं और एक पत्र वर्तमान मुख्य मन्त्री महोदय ने और लिखा है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित किये गये हैं? इस बारे में आपने क्या प्रयास किया है? यह तो ठीक है कि लोक सभा में यह प्रश्न उठाया गया।............

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के सदस्यों को हमने ब्रीफ किया था कि वे इस प्रश्न को लोक सभा म उठावें। सुखाड़ियाजी ने इन्दिराजी से इस बारे में चर्चा की थी। केवल जबानी जमा-खर्च करना ही उपयुक्त नहीं होगा। पत्र लिखकर रिकार्ड रखा गया है जबानी बात इधर-उधर हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : एडवर्ड मिल, ब्यावर।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या मुख्य मंत्री महोदय लोक सभा सदस्यों के साथ प्रधान मंत्री से मिले हैं?

श्री हरिदेव जोशी : मुख्य मन्त्री को लोक सभा के सदस्यों का डेपूटेशन लेकर जाना जरूरी नहीं है। उन्होंने राजस्थान राज्य की राय रख दी है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी है जिसमें हिसार, सवाई माधोपुर और आगरा, तीनों स्थानों के लिये सिफारिश की है। आपका मतलब एक ही समिति से है। उस समिति की रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार ने एक और समिति नियुक्त की थी। क्या उसमें भी इसी प्रकार की सिफारिश की गई है? कृपया इसको भी स्पष्ट कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा मतलब जो पहले कमेटी थी उससे था। दूसरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, यह मुझे मालुम नहीं है, और अगर रिपोर्ट दे दी है तो उसने क्या राय दी है, यह मुझे मालुम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस बात को जानने के लिये, दूसरी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, क्या राज्य सरकार की ओर से प्रयत्न किये गये हैं?

श्री हरिदेव जोशी : आप यहां पर नहीं थे। मैंने सारे पत्रों की सूची पढ़ी है।

श्री भैरोंसिंह : वह मैंने सुन लिया है। पहली समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो तत्कालीन मुख्य मन्त्री थे उन्होंने पत्र लिखे। उसके बाद वर्तमान मुख्य मन्त्री महोदय ने एक पत्र लिखा है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि सेकन्ड कमेटी जो गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने नियुक्त की है क्या उसने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को दे दिया है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में जानकारी करने के लिये स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से क्या एफर्टस किये हैं?

श्री हरिदेव जोशी : लेटेस्ट 15 जुलाई, 71 को पत्र लिखा है, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को और हम उनके उत्तर की अपेक्षा करते हैं। इसमें देर होगी।

श्री भैरोंसिंह : लेटर में इस बात को लिखा है?

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान में लगाया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि सेकन्ड कमेटी की रिपोर्ट आपको मिली है या नहीं?

श्री हरिदेव जोशी : हम कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री भैरोंसिंह : आपने रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास किया है?

श्री हरिदेव जोशी : वे कहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसको कि सबमूलेट किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : इस बात को इस तरह से ध्यान में लेने की बात नहीं है। राजस्थान गवर्नमेन्ट को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली है। यहां तो प्रश्न यह चल रहा था कि राजस्थान सरकार स्वयं इस प्रश्न पर अनडिसाइडेड है। राजस्थान के उद्योग मन्त्री ने यहां पर कहा सवाई माधोपुर में तेलशोधक कारखाना लगे, इसके लिय हमें खुशी है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की

(श्री भैरोंसिंह)

गवर्नमेंट ने राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मन्त्री के इस स्टेटमेन्ट को आधार बनाया है कि एक्सपर्ट कमेटी ने केवल सवाई माधोपुर के लिये रिकमेन्डेशन की है और दूसरा हिसार और आगरा के लिये। परन्तु राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने इसको सवाई माधोपुर से शिफ्ट कर अलवर, धौलपुर का नाम ले लिया। इसी बात का आधार लेकर यू० पी०. गवर्नमेन्ट भारत सरकार पर दबाव डाल रही है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा आगरा विश्वविद्यालय के स्टूडेन्ट्स ने तेलशोधक कारखाना आगरा में लगे इसके लिये आन्दोलन किया और वहां के चीफ मिनिस्टर ने उनको यह आश्वासन दे दिया है यह कारखाना हिसार, सवाई माधोपुर में नहीं खुलेगा, आगरा में खुलेगा। इसके लिये वहां पर साइट का सिलेक्शन भी कर लिया गया है। दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार को इसका पता नहीं है। कमेटी ने जो रिकमन्डेशन की है उस पर भारत सरकार विचार कर रही है और हमारी सरकार इस पर सन्तोष लेकर बैठ गई है। इससे लगता है कि यह कारखाना राजस्थान से बाहर लग जावेगा। इसमें न आपकी राजनीति है। इस विषय पर हम सब एक हैं, एक साथ हैं। 100 करोड़ का विनियोजन राजस्थान में हो, उसकी खुशी जसी आपको होगी, वैसी हम को भी होगी। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान विधान सभा एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजे जिसमें यह निवेदन किया जाये कि भारत सरकार का जितना विनियोजन राजस्थान में है वह अन्य राज्यों के मुकाबले में कम है। इसी आधार पर तेलशोधक कारखाने की मांग की जाये ताकि 150 करोड़ रुपये का कारखाना राजस्थान में हो। हमारे यहां के इन्जीनियर्स बेकार हैं। यह कारखाना यहां पर लगे, ताकि उनको रोजगार उपलब्ध हो सके।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय जनसंघ दल के नेता श्री शेखावत साहब ने अभी कहा है, उसका समर्थन करता हूं राजस्थान सरकार को ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिये। राजस्थान में ही तेलशोधक कारखाना खोला जाये। अतः मैं निवेदन करूंगा कि सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं देता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने एक प्रश्न है!

(भारी शोरगुल अश्रव्य)

क्या कह रहे हैं? एक, दो, तीन, चार इतने सभी खड़े होकर.........

श्री प्रद्युम्न सिंह : 73 कांग्रेस सदस्यों ने ज्ञापन दिया है कि यह कारखाना यू० पी० में खोला जाये। हमारी विधान सभा प्रस्ताव पास करती है तो ज्यादा असर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मुझे उद्योग मन्त्री को सुन लेने दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक बात उद्योग मन्त्री ने यह भी कही है कि राजस्थान में किसी भी जगह तेलशोधक कारखाना खोला जाये अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति अनिश्चित है। राजस्थान सरकार को सेन्ट्रल सर्वे डिपार्टमेन्ट ने रिपोर्ट दी है, उस में सवाई माधोपुर का नाम आया है। इसलिए सवाई माधोपुर जिले को ही आधार मान कर प्लीड करना चाहिये।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : राजस्थान ने अगर जवाब में अस्थिर स्थिति रखी तो उन के परिणाम गम्भीर होंगे। अनुकूल नहीं आयेंगे। इसलिए राजस्थान सरकार को निश्चित तौर से सवाई माधोपुर को ही प्लीड करना चाहिये। दूसरी बात, राजस्थान सरकार को इस सदन को विश्वास में लेना चाहिये। इस सदन की राय भारत सरकार को भेजी जाये। यह आवश्यक प्रतीत होता है। यह अनुचित नहीं होगा। उचित ही होगा।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मन्त्री।

माननीय विरोधी दल के नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हूं। अगर यह सदन निश्चय करता है कि प्रस्ताव ही पारित किया जाये तो माननीय सदस्य दौलतराम सारण ने जो सुझाव दिया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। जब तक हम स्पष्टतया सरकार को अवगत नहीं करेंगे कि फलां जगह तेल-शोधक कारखाना लगाना चाहिए तब तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रपोजल नहीं है। स्पेसिफिक प्रपोजल भारत सरकार के सामने रखा जावे। तेलशोधक कारखाना सवाई माधोपुर में लगाया जाये। उत्तर प्रदेश में आगरा विचाराधीन है। दूसरा हिसार है। मन्त्री महोदय ने यह भी कहा है कि सवाई माधोपुर नजदीक है। यह सरकार प्रस्ताव पास करना उचित समझती है तो सवाई माधोपुर को लेकर ही प्रस्ताव पारित करना चाहिये।

(भारी शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं उद्योग मन्त्री से सुनना चाहता हूं। लेकिन माननीय सदस्य व्यग्रता दिखा रहे हैं। प्रस्ताव इस सदन से पारित किया जाये, इस सम्बन्ध में मैं उद्योग मन्त्री से पूछता हूं, क्या यह सम्भव है? इस पर क्या कहते हैं, उद्योग मन्त्री महोदय?

श्री शिवचरण (महुआ) : दूसरे और मुद्दे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। दूसरे मुद्दे पहले कहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : इसको डाइव न करें।

श्री अध्यक्ष : मेरा सम्बन्ध न सवाई-माधोपुर है और न किसी और पुर से है।

एक माननीय सदस्य : उदयपुर से है।

श्री अध्यक्ष : मेरा उदयपुर से सम्बन्ध नहीं है, आसन से सम्बन्ध है ।

श्री शिवचरण सिंह : राजस्थान सरकार··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय··

(भारी शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री शिवचरण सिंह : ×××

श्री दौलतराम सारण : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री दौलतराम सारण : ×××

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सामने आया है, उस महत्व का ह्रास न करें । मैं उद्योग मन्त्री से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह प्रान्त के हित और अहित का सवाल है । अगर यहां पर यह तेलशोधक कारखाना लग जाता है तो एम्पलायमेण्ट भी बढ़ सकता है । अगर वह सवाई मधोपुर में लगगा तो अलवर भी दूर नहीं होगा । पूरा राजस्थान प्रभावित होगा । अगर सदन की डिवाइडेड ओपिनियन होती है····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कोई डिवाइडेड नहीं होती है ।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये मैंने जहां तक गवर्नमेन्ट का सवाल है, भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी ने और वर्तमान मुख्य मंत्री ने भी पत्र लिखे है । हमारे सामने एक रिपोर्ट आई सवाई माधोपुर के बारे में, अखबारों में रिपोर्ट आई । तो मैंने सवाई माधोपुर पकड़ लिया है । मैं तो कहूंगा कि राजस्थान काण्डला से ज्यादा नजदीक है । बजाय हिसार और आगरा के । इन सारी चीजों को मुख्य मंत्रीजी ने अपने पत्र म दिया है । ताकि राजस्थान के हक म फसला हो । अगर यह राजस्थान के हक में फैसला नहीं होगा तो यह अन्याय होगा । राजस्थान में एक तो रिफाइनरी आनी ही चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : What about the resolution ? Can you move it?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । मेरा सुझाव है कि सर्व सम्मति से प्रस्ताव का एक प्रारूप तैयार कर लिया जाये ।

शासकीय वक्तव्य

एडवर्ड मिल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी : मैं दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : एडवर्ड मिल के संबंध में वक्तव्य ।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एडवर्ड मिल जिसमें करीब 17,000 (सतरह हजार) स्पिण्डल्स और 3,500 लूम हैं व जिसमें 1150 मजदूर कार्य कर रहे थे यह मिल अगस्त 1969

××× अध्यक्षीय आदेश से अंकित नहीं किया गया ।

(श्री हरिदेव जोशी)

में बन्द हुई। उसके बाद राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से धारा 15 इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एण्ड रेग्युलेशन एक्ट के अन्तर्गत जांच कराने का निवेदन किया। भारत सरकार ने इस पर जांच कमेटी नियुक्त की। जांच कमेटी का प्रतिवेदन राज्य सरकार को मई, 1971 में प्राप्त हुआ। जांच कमेटी ने यह अंकित किया कि इस मिल की मशीन बहुत पुरानी है। इस मशीन के नवीनीकरण में केपीटल इन्वेस्टमेन्ट करीब 72 लाख से कुछ अधिक होगा। इसके अतिरिक्त कार्य पूंजी करीब 35 लाख से अधिक होगी। राज्य सरकार ने इस विषय पर नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन व भारत सरकार के अधिकारियों से भी इस सम्बन्ध में वार्तालाप किया तथा राज्य सरकार ने जुलाई, 71 में भारत सरकार को धारा 18 (ए) इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एण्ड रेगुलेशन एक्ट के अन्तर्गत इस मिल को अपने नियन्त्रण में लेने के लिए निवेदन किया।

इसके बाद में मुख्य मन्त्री महोदय व मेरे द्वारा भारत सरकार के विदेश व्यापार मन्त्रालय से वार्ता हुई और हमने पुन: इस मिल को अपने नियन्त्रण में लेने के लिए निवेदन किया। राज्य सरकार ने नवीनीकरण की इतनी अधिक पूंजी होने पर भी 49% लागत अपनी तरफ से खर्च करन को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए 1972-73 की वार्षिक योजना में धनराशि का प्रावधान किया है। अगले वर्षों में बाकी की धनराशि खर्च होगी ताकि नवीनीकरण का पूरा कार्यक्रम किया जा सके। इससे स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार अपने दिये गये आश्वासन को पूर्ण करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार अब केवल भारत सरकार की प्रतिक्षा कर रही है क्योंकि मिल को नियन्त्रण में लेने के आदेश केवल भारत सरकार ही दे सकती है।

अभी जो नया अध्यादेश आया है उसका इस मिल को नियन्त्रण में लेने के प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस में इस अध्यादेश के आने के पहले ही पूरी जांच हो चुकि है। इस अध्यादेश के द्वारा अब जांच कराना आवश्यक नहीं है क्योंकि जांच इस मामले में पहले ही हो चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मिल जो करीब दो साल से बन्द पड़ी है। मेरा यह निवेदन करना है कि जब मुख्य मंत्री जी, और केन्द्रीय विदेश व्यापार मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि हम राज्य सरकार का इन्तजार कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि राजस्थान सरकार दो बार लिख चुकी है। हम 49% ले लेंगे। अब तो भारत सरकार को लिखना है कि वह इसको स्वीकार कर ले।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जुबानी तो है। लिखित कब भेजा है ?

श्री हरिदेव जोशी : हमने तो कल भी टेलीग्राम कर दिया है। यह होने के पहले, 20 दिन पहले गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को हम लिख चुके हैं। टेकओवर करने के ऑर्डर निकाल दें। हम एल० एन० मिश्रा

(श्री हरिदेव जोशी)

से मिले हैं। उनको मैंने कहा है कि 49% ले लेंगे। यह कम्युनिकेट कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको लिखे हुवे 20 दिन हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : 49% शेयर्स लेने की बात जरूर है।

श्री हरिदेव जोशी : हम 1969 म लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि शायर्स लेंगे। तो हमारे बजट में प्रोविजन कर लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जुलाई के महिने में आन्दोलन चला था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय विदेश व्यापार मंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा था कि आप करेंगे तो हमारी तरफ से कोई जोर नहीं लगायेगा और मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 10-15 रोज के बाद में लिख कर भेज दूंगा। इसमें कारखाना चालू हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, 4 अगस्त की चिट्ठी है मेरे पास। इसके बाद मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि उन्होंने जो चिटठी लिखी है, उस को 20 दिन हो गये हैं। डिपार्टमेंट डायरेक्ट नहीं भेज सकता है। 20 अक्टूबर के करीब आपने चिट्ठी लिखी है। 4 अक्टूबर और 20 अगस्त के बीच ढाई महीने लग गये। इसका यह कारण हो गया कि मुख्यमंत्री हमारे सामने कमिटमेंट दे आये हैं। ये उद्योग मन्त्री जी पहले भी इसके पक्ष में नहीं थे। मैं कहना चाहूंगा इस मिल को 2 साल बन्द रखने के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह केवल उद्योग मंत्री है। इन्होंने खास तरीके से......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्होंने यह किया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑर्डर में यह है कि 3 महीने से ज्यादा बन्द हो तो टेकओवर की जा सकती है उस ऑर्डर के मातहत यह है कि आप टेकओवर करना चाहते हैं तो लायबिलटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप लिक्वीडेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं या हाईकोर्ट का ऑर्डर आगया तो यह धरा रह जायगा। यह आप इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी खास आदमी को देना चाहते थे। आप डेलीब्रेटली इसलिए यह कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आर्डर के इन्तजार में हैं ताकि यह मामला धरा रह जाये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खास तौर से ऐसे समय में, जब प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

मेजर श्री फतहसिंह (ब्यावर) : श्रीमान्.....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

मेजर श्री फतहसिंह : मैं कोशिश करूंगा।

(मेजर श्री फतेहसिंह)

मुख्यमंत्री महोदय पधारे थे, शुक्ला दशमी को····

श्री अध्यक्ष : तदनुसार तारीख ?

मेजर श्री फतहसिंह : तारीख मुझे याद नहीं है।

उनका वहां स्वागत किया गया था। वहां जनता ने अपनी समस्यायें उनके सामने रखी। मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जो एडवर्ड मिल बन्द पड़ी है, उसको महीने दो महीने में चालू करा दिया जायेगा। सारी जनता ने तालियां बजाई। थोड़े समय बाद लोग आपसे मिले।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, कब ?

मेजर श्री फतहसिंह : मुझे सूचना मिली है।

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व उद्योग मंत्री होंगे।

मेजर श्री फतहसिंह : नहीं आप ही थे। मजदूर के नेता आप से मिले थे।

श्री हरिदेव जोशी : भ्रम हो सकता है। यहां आये हो और हम से मिले हो।

मेजर श्री फतहसिंह : हो सकता है, वह आपसे मिले थे। उन्होंने कहा कि यह हालत क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री जी तो वादा करके आये थे। जो कुछ आपने कहा उसका मैं समर्थन करता हूं। आपने कहा था, उद्योग मन्त्री मैं हूं। बरकतउल्ला कौन होते हैं। वहां के लोगों की यह धारणा है·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : 26 महीने हो गये हैं।

मेजर श्री फतहसिंह : 1200 मजदूर बेकार हैं। आप के शासन में 1200 मजदूर बेकार हैं। आपने घोषणा की थी, बेकारी को दूर करूंगा। उनको काम दीजिये। नहीं तो उस इलाके में अशान्ति फैलेगी। अभी जो कहा गया है कि आप इसमें बाधक बन रहे हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं। लोग कहते हैं कि आप हाई-कोर्ट के आर्डर की इन्तजार कर रहे हैं। इसको डिले करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। उद्योग-मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से व्यक्तिगत रूप से कहा गया वह सिवाय वाइल्ड एलीगेशन के कुछ नहीं है—····

श्री भैरोंसिंह : वाइल्ड एलीगेशन !

श्री हरिदेव जोशी : एक्जेक्टली।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Your action proves the allegation.

श्री हरिदेव जोशी : कारण यह है···

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं मजदूर नेताओं को यहां पर पेश करूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मई, 1971 में रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट के अन्दर कैटेगेरिकली कहा गया था, इस मिल को टेक ओवर नहीं किया जाना चाहिए।

श्री भैरों सिंह : Not by State Government but by the Textile Corporation.

Page No 79

श्री हरि देव जोशी : It should not be taken over..

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं कहा था, टैक्सटाइल कोर्पोरेशन नहीं लेगा, यह कहा था।

श्री अध्यक्ष : जो कहा था, वह कहने दें।

श्री हरिदेव जोशी : कमेटी होती है वह एडवाइस करती है, टेक ओवर करना चाहिए या नहीं, इसलिए इसको टेक ओवर करना है या नहीं–यह विचारणीय विषय था। उसमें डिले हुई कि टेक ओवर किया जाना चाहिए या नहीं। राज्य सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि टेक ओवर करना चाहिए। जुलाई, 1971 में लिख दिया गया कि टेक ओवर करवाना चाहते हैं–यह बात निश्चित थी, हमारे मन में था, अगर नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन पूरी की पूरी ले लें तो हम हमारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। उसकी अन्डर लाइन मन्शा थी, वह एक थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कितने लाख का इन्वेस्ट में था, वह उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए हम आग्रह करते रहे थे। दूसरे प्रकार की मन्शा नहीं थी। जब मालुम हुआ कि 49 पर्सेन्ट शेयर नहीं लेंगे तब तक वह टेक ओवर नहीं करेंगे तब टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन को लिखा गया कि हम 49 पर्सेन्ट शेयर लेने को तैयार हैं, आप टेक ओवर कीजिये। इसमें जहां तक मुख्य मंत्री के कहने का था प्रश्न वह बिल्कुल झूठ है–सिवाय इसके कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्री का कहना झूठ है ? समझ में नहीं आया।

श्री हरिदेव जोशी : आपको गलत कहा है।

मेजर श्री फतहसिंह : मजदूरों के नेताओं ने कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : गैर जिम्मेदारी से कहा है, गलत कहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार, अध्यक्ष महोदय, शुरू से टेक ओवर करने के हक में थी, राज्य सरकार निश्चित रूप से......

मेजर श्री फतेह सिंह : नहीं कर सकती, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कहने दीजिये, माननीय सदस्य !

मेजर श्री फतेह सिंह : अगर किसी आश्वासन को पूरा नहीं कर सकती तो मंत्री महोदय को कहिये और मुख्य मंत्री जी को मेरी बात पहुंचा दीजिये कि इस प्रकार का आश्वासन न दिया जाय और लोगों को गुमराह नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : उन्हें कहने दें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह रहा हूं वह यह है कि हम तो इस बात को समझ रहे हैं, चाहे लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन हो तो वह भारत सरकार को नहीं भुगतनी पड़ेगी, राजस्थान सरकार को भुगतनी पड़ेगी दूसरे इम्प्लीकेशन्स हों तो वह भी राजस्थान सरकार को भुगतने पड़ेंगे। वह

(श्री हरिदेव जोशी)

पहली मिल नहीं है जिसके टेक ओवर करने की बात हो, महालक्ष्मी मिल को टेक ओवर किया, राजस्थान सरकार को उसमें लाखों रुपयों का नुकसान हुआ तब भी किया। इसलिए यह कहना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, मैं इसे नहीं मानता हूं। यह भ्रम मात्र है। इसमें एक बात है, गवर्नमेंट आफ इंडिया पूरा पैसा दे दे। केवल यह बात है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करनी है, यह इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी, उसके सामने राज्य सरकार ने रिप्रेजेन्टेशन किया, सारे फेक्ट्स दिये थे राज्य सरकार ने, वह रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, क्या उस रिप्रेजेंटेशन में राज्य सरकार ने इच्छा प्रकट की थी कि एडवर्ड मिल को लेना चाहती है?

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि टेक्निकली भी और वैसे भी हम नहीं लेते ह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। हमने सुझाव दिया था कि इसे टेक ओवर करना चाहिए और कराया जाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार) : एक केवल प्रश्न पूछना चाहता हूं। 49 पर्सन्ट शेयर खरीदने के लिए राज्य सरकार तयार है तो 49 पर्सेन्ट शेयर 1972-73 के फाइनेंशियल ईयर के पहले नहीं खरीद सकती है। इसका मतलब है, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल··

मेजर श्री फतेहसिंह : छः महीने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो टेकओवर करने का सवाल नहीं है क्योंकि 1971-72 के बजट में इसका प्रोविजन नहीं है, यानी राज्य सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है। 49 पर्सेन्ट शेयर खरीदने को तैयार है तो वह 1972-73 म।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1971-72 में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 1972-73 में करेगी, 1971-72 में नहीं, न गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है। इसका मतलब है कि इस साल तो लेने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए राज्य सरकार को इच्छा जाहिर करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट लेना चाहती है, 49 पर्सेन्ट शेयर खरीदना चाहती है तो बजट प्रोविजन 1971-72 में कैसे करेगी?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य इन्फरेन्स निकालते हैं, वह सही नहीं है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करली है, वह टेकओवर करले, उसके बाद रिनोवेशन का प्रश्न आयेगा तब शेअर लेने होंगे, रनिंग केपिटल में नहीं देना होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न पूछना चाहता हूं 1971-72 में दिया है?

श्री हरिदेव जोशी : नेक्स्ट ईअर के बजट में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस साल?

श्री हरिदेव जोशी : इस साल कोई नहीं देना पड़ेगा, नशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन देगी।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य! श्रम मंत्री राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1971 को विचारार्थ रखने का प्रस्ताव करेंगे।

मेजर श्री फतेहसिंह : श्रीमान्......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं, सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या विचार है, कब तक मिल प्रारम्भ हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : नथिंग केन बी सेड।

मेजर फतेहसिंह : रफली।

श्री हरिदेव जोशी : निश्चित तारीख नहीं कह सकता, किन्तु कल टेलीग्राम दिया है और हम आशा करते हैं कि जल्दी इसका आर्डर निकल जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास: वहां राजा महाराजा बैठे हैं ? यहां आओ।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि कल जब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो रही थी उस समय मैं एक ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री संशोधन विधेयक विचारार्थ रख रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : इसी सम्बन्ध में कह रहे हैं तो मैं बैठ जाऊं!

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, यस!

विधायी कार्य

राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1971 विचारार्थ प्रस्तुत एवं पारण

श्री भीखा भाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री लादूराम सुलानिया : इसमें काफी समय लगने वाला है, माननीय अध्यक्ष महोदय!

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। श्री हाड़ा!

श्री लादूराम सुलानिया : ऐसा है।

श्री अध्यक्ष : जनमत जानने हेतु।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : छोड़िये।

श्री लादूराम सुलानिया : ऐसा आदेश हुआ कि कल इसके बारे में स्टेटमेंट देंगे।

श्री अध्यक्ष : समय निकाल कर होगा। अलग से समय निकालना पड़ेगा, बहुत कम है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह भी काम है। बहुत महत्वपूर्ण काम है। आश्वासन दिया था, राज्य सरकार के पास रिपोर्ट भी आगई होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है, कोई आपत्ति नहीं करने वाला है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : दो रोज निकल गये।

Page No 82

श्री अध्यक्ष : नहीं निकलेंगे । ऑर्डर प्लीज । व्यवधान न डालें ।

श्री लालूराम मुलानिया : आज भी तीन दफा मैंने निवेदन किया है ..

श्री अध्यक्ष : समय निकाल कर कहीं रखना पड़ेगा, स्थान ग्रहण करें । अभी नहीं ले सकता हूं ।

श्री लालूराम मुलानिया : कितने बजे ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

नहीं मूव करना है, रहने दीजिये । मैं इनकी चिन्ता को समझ गया हूं, आज किस तरह एडजेस्ट किया जाय यह देखना पड़ेगा । अब देखिये, विधायी कार्य है, यूनिवर्सिटी का प्रश्न है इसे रखदूंगा तो इन दोनों पर असर पड़ेगा । कल कहीं न कहीं रख दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं । विश्वविद्यालय की चर्चा होने वाली है। अनुमान यह था कि चार घण्टे मिल जायेंगे । लेकिन समय बाकी की चर्चा में निकल गया। इस बिल के बारे में जब बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी में प्रश्न रक्खा था उस समय हमने एश्योरेंस दिया था कि बिना बहस किये पारित कर देंगे । केवल इसमें एक एमेंडमेंट रखना है कि किसी भी दुकान से किसी कर्मचारी को बिना नोटिस दिये नहीं निकाला जाना चाहिए, एक महीने का नोटिस उसे मिलना चाहिए । यदि कोई दुकानदार किसी कर्मचारी को निकालना चाहे तो उसको एक महीने का नोटिस मिलना चाहिए । यह एक इम्पॉर्टेन्ट, इन्नोसेंट और जेनुआइन अमेंडमेंट है । मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं । चार पांच मिनिट में यह निकल जाता है तो अवशेष समय है वह विश्वविद्यालय के विषय में लग जायें । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को विथड्रा कर लें ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन सिम्पल है । वह यह है कि छः महीने की जगह बारह महीने कर दिये जायें क्योंकि फिजिकल चैकिंग स्टाक्स का होता है उस वक्त मालूम होता है कि उसमें किस तरह की बेईमानी की है ।

श्री अध्यक्ष : विथड्रा नहीं कर रहे हैं। विथड्रा कर लीजिये ।

श्री केसरीसिंह हाडा ; मैं विथड्रा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जनमत जानने हेतु प्रस्ताव जो श्री केसरीसिंह हाड़ा ने प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

खण्डशः विचार । दो पर संशोधन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं मूव करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : खण्ड 3 पर संशोधन नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खड़े हों भीखा भाई, पारित किया जाय यह प्रस्ताव करो। बैठे क्यों हो ?

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री मनोहरसिंह महता (मांडलगढ़): यह सर्व सम्मति से हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (मुख्य सचेतक): यह पहला मौका है, जब भीखा भाई का विधेयक बिना बहस के पास हुआ है।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के सम्बन्धित मामलों पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विश्वविद्यालय के मामले पर चर्चा। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के विषय पर चर्चा प्रारम्भ हो, इसके पूर्व निवेदन है कि शिक्षा मंत्री सदन से अनुपस्थित हैं उन्हें बुलाने का आग्रह है।

श्री भीखा भाई—शिक्षा मंत्री अभी..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तुम क्या समझते हो, शिक्षा के मामले में। बैठ जाओ। यह युनिवर्सिटी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : कहने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वी आर नाट डिस्कसिंग हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल।

श्री भीखा भाई : आधा घण्टा लग जायगा। शिक्षा मंत्रीजी के आने में।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं, माननीय मंत्री······

श्री भीखा भाई : मैंने निवेदन किया, शिक्षा मंत्री जी यहां थे, लेकिन उन्होंने सोचा इस विधेयक में समय लगेगा। इस इम्प्रेशन में चले गये।

श्री अध्यक्ष : वह आ रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं, वह आ रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तब तक श्री भीखा भाई उनकी अनुपस्थिति में बैठे हुए हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कब तक की पेश कर दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : वह आने वाले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कहते हैं मैं बैठा हूं, तो यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : तो एडजोर्न कर दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्यों एडजोर्न कर दें, आप कन्डेम क्यों नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अधिक कन्डेमनेशन वरच्यू हो जाता है। अधिक कन्डेमनेशन नहीं होना चाहिए। मेरे विचार में वह आ रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट 1968-69 की पेश की गई थी, 1968-69 के बाद की रिपोर्ट्स का क्या हुआ ? इस सदन में यह प्रश्न उठाया था और कई बार व्यवस्था हुई है, यह रिपोर्ट हाउस में पेश की जाय। मैं जानना चाहता हूं कि 1969-70, 1970-71 की राज्य सरकार को रिपोर्ट प्राप्त क्यों नहीं हुई ? मैं शिक्षा मंत्रीजी जानना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो सदन की मेज पर रखने की है, जिस विषय में इस सदन में चर्चा हुई है और मांग की गई है, वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट युनिवर्सिटी की सदन की मेज पर क्यों नहीं रखी गई ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (शिक्षा मन्त्री) : मेरी सूचना यह है कि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको गलत ख्याल है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या 69 की रिपोर्ट पेश हो चुकी है, और वह हो चुकी है तो हमारे पास नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे तो सूचना है कि दी जा चुकी है यहां पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेटेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेटेस्ट कब तक की ?

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, सन् 69-70 की रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 69-70 की जो रिपोर्ट विश्वविद्यालय की है वह हमें मिली नहीं है। मेरे ख्याल से तो वह हमें सरक्यूलेट नहीं की गयी है, और अध्यक्ष महोदय, वो कब प्रस्तुत की गयी है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब तक रिपोर्ट हमारे पास नहीं हो अध्यक्ष महोदय, तो फिर हम उस पर क्या वाद विवाद करेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमें रिपोर्ट तो मिलनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आज जब कि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट पर बहस हो रही है तो फिर बगैर रिपोर्ट के माननीय सदस्य सदन में किस आधार पर बोलेंगे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, तीनों ही रिपोर्ट तीनों ही विश्वविद्यालय की 69-70 की वितरित की जा चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसका वेरीफिकेशन करलें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर की 6 -69 की पेश करदी गयी है। जोधपुर की 68-69 की रिपोर्ट पेश कर दी गयी है और राजस्थान विश्वविद्यालय की रिपोट पेश करदी गयी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह गलत है कह रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत हुई है। और अगर वितरित की गयी है तो मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी वेरीफाई कर लेता हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, 69-70 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद को बात है इतने बड़े अधिकारी होकर हाउस में गलत बयान दे रहे हैं कि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार यह है कि पहले रिपोर्ट हाउस के मेम्बरों में वितरित की जाती है और उसके बाद में हाउस में वाद-विवाद होता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि रिपोर्ट हाउस में प्रस्तुत की जा चुकी है। और अगर ज्यादा मात्रा में रिपोर्ट नहीं हो तो हो सकता है सभी मेम्बरों को नहीं दी जा सकी, पर हाउस में प्रस्तुत की जा चुकी थी।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि····

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है परसों मैंने आपसे निवदन किया···।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है आप स्थान ग्रहण करें। मैंने उसके बारे में आदेश दे दिये कि इसकी जांच की जाकर प्रस्तुत की जाय ऐसा कुछ है पर अभी तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसके बारे में आपको उत्तर दे चुका हूं और आप उसी को लेकर चल रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या इसी सभा में ले लिया जायेगा? अध्यक्ष महोदय, यह मेरा निवेदन है कि आप बाद में लेंगे और अगर इसी बीच में हाउस खत्म हो जाय तो फिर क्या होगा? इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि इसी सत्तर में होगा क्या?

श्री अध्यक्ष : सत्तर सत्तर कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होगा।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, आज ही कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:–
"राजस्थान के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय"

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राज्य सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि राज्य सरकार ने आज तीनों विश्वविद्यालयों की स्थिति के बारे में विचार करने के लिये इस सदन के माननीय सदस्यों को मौका दिया आपको याद होगा, अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार इस सदन में विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में वहां की स्थिति क्या है, वहां छात्रों की क्या स्थिति है, क्या वहां राजनीति

Page No 86

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चल रही है उसके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया और अपने विचार प्रकट किये और निवेदन किया कि अगर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के छात्रों को जो आज तकलीफें हैं उनका निराकरण नहीं करेगी तो, अध्यक्ष महोदय, एक दिन यह कोई भंयकर रूप धारण कर लेगी और कभी न कभी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, और आज वह बात सत्य निकली : और, अध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा यह हुआ कि तारीख 27 अक्टूबर को जोधपुर के उपकुलपति श्री वी०वी० जोन को छात्रों ने उनके सर के ऊपर पेपर वेट मारा और उनके चोट लगी। आज, अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय की समस्या जो भी है उनका कोई भी निराकरण नहीं हो रहा है, और आज तीनों विश्वविद्यालयों में घोर अनियमिततायें हैं। वहां पर पक्षपात का बोलबाला है। मैंने कई बार इस सदन में भी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षा संस्थाओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया है कि आज छात्रों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच खाई पड़ गयी है और उनकी समस्याओं की उपेक्षा की जाती है। ये सब अनियमितताएं आज विश्वविद्यालय के स्वायत्त शासन की आड़ में हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि इन सभी बातों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिये नहीं तो इसके परिणाम गम्भीर होंगे। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की समस्याओं को उनकी समस्यायें कह कर टाल दिया। अध्यक्ष महोदय, आखिर यह हुआ कि जोधपुर विश्वविद्यालय में हड़ताल हुई और विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया। इसका कारण यह बताया गया कि छात्रों ने उपकुल पति का घेराव किया और किसी छात्र ने उनके सर पर पेपर वेट मार दिया ऐसा कहते हैं और उनका सर फूट गया। इसके लिये सरकार ने एक जांच कमीशन की नियुक्ति की है जिसके अध्यक्ष श्री हूजा हैं। वे इसकी जांच करके रिपोर्ट पेश करेंगे तो मैं निवेदन सबसे पहले यह करना चाहूंगा कि वे किस बात की जांच करेंगे? क्या इस बात की जांच करेंगे कि उनके सर पर चोट कब किसने की? कब उनके पेपर वेट मारा? या इस बात की जांच करेंगे कि जब छात्र लोग अपनी मांगों को लेकर श्री जोन के पास गये और जब उपकुलपति ने उसे सुना नहीं तो उन्होंने घेराव किया और इससे वो वहां से भागने लगे और भागते समय उनका पैर फिसल गया और जिससे उनके सर पर चोट लगी? वो घायल हो गये इसके बारे में मेरा राज्य से यह अनुरोध है आप की मारफत कि एक बात को ध्यान में जरूर रखा जाये कि जो जांच करायी जाय वह निष्पक्ष होनी चाहिये और सभी बातों के बारे में की जानी चाहिये। ये तो इस विधान सभा के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जोधपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति अपनी जिद्द और हठधर्मी के लिये विख्यात हैं और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि उन्होंने अपने जिद्दी स्वभाव के कारण जो नियुक्तियों में अनियमितताएं की हैं उनको जांच भी होनी चाहिये।

2.18 म० प०

(श्री उपाध्यक्ष श्री रामनारायण चोधरी पदासीन)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा नहीं हो कि राज्य सरकार द्वारा जो जांच कमीशन नियुक्त किया गया है वह इस बात की हम जांच करे कि जोन साहब के सर पर चोट कैसे लगी ? इस जांच कमीशन को उनके कारनामों को भी जांच करनी चाहिये जिसके कारण की आज वहां छात्रों में असन्तोष व्याप्त है। आज श्री जोन साहब के फ्यूडल लॉर्ड एटीट्यूड की वजह से विश्वविद्यालय में अनिश्चितता का वातावरण छाया हुआ है। श्री जोन ने जोधपुर विश्वविद्यालय में घोर अनियमिततायें की हैं, पक्षपात किया है। इन सभी चीजों की जांच उस कमीशन को करनी चाहिये।

मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि विश्वविद्यालयों को सिर्फ आटोनोमस बोर्ड कह कर ही नहीं टाला जाय बल्कि अब विश्वविद्यालय के कानून में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाय। इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिये कि सिन्डीकेट में छात्रों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में भी छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जिससे कि छात्र अपनी समस्याओं का हल निकाल सके। ताकि आज जो जोधपुर में घटना घटी है वह दूसरी जगह और न घट जाय। मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव है कि इसे जल्दी ही किया जाय और मेरा पक्का विश्वास है कि जो जांच कमीशन सरकार ने बैठाया है उसमें श्री जोन दोषी पाये जायेंगे क्योंकि अगर श्री जोन विद्यार्थी लोगों से बात करने को तैयार हो जाते तो यह घटना नहीं घटती। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, आज जो जोधपुर विश्वविद्यालय में घटना घटी है 27 अक्टूबर को उसकी बुनियादी जड़ जुलाई 10 से ही शुरू हो गई थी जब कि विश्वविद्यालय खुले थे। छात्र लोग अपनी समस्यायें लेकर गये थे तो उस वक्त श्री जोन ने उनकी समस्याओं को सुना तक नहीं तो वह तो माननीय सदस्य जानते हैं कि श्री जोन बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं और उन्होंने उनसे बात तक नहीं की, हालांकि विद्यार्थी लोगों ने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन श्री जोन ने उनकी समस्याओं का हल निकालने की बात तो दूर उनसे सुनने की कोशिश नहीं की।

उपाध्यक्षजी, यह निजी मामला है। श्री जोन की जिद्दी नेचर से जितने भी लोग उनके सम्पर्क में आये हैं वे परिचित हैं। एक छात्रों ने किसी प्रकार से अनुनय विनय करके प्रार्थना करके कहा कि आप इस समस्या का हल निकालें। छात्रों ने एक महीने तक हड़ताल नहीं की। 16 अगस्त को जाकर पहली दफा उन्होंने हड़ताल की। उस हड़ताल के बाद श्री जोन ने विदेश जाने की तैयारी की। कितना अनुचित रवैया उस व्यक्ति का हो सकता है ? माननीय सदस्य स्वयम् ही अन्दाज लगा सकते हैं जिस कुलपति के विश्वविद्यालय में हड़ताल चल रही हो वह कोई उसके अनुकूल रास्ता निकालने के बजाय विदेश यात्रा की तैयारी करता है। उन्होंने घाना जाने की तैयारी की। जब वे रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे यात्रा के लिये तो कुछ गुंडों ने मिल कर छात्रों को पीटा। उन सब घटनाओं का महत्व नहीं रहा, क्योंकि श्री जोन के सिर में चोट आयी। उपाध्यक्षजी, आपको और सदन को जानकर यह आश्चर्य होगा कि किन लोगों ने

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमला किया। कुछ गुंडों को श्री जोन ने एम्प्लाय कर रखे हैं। यूनिवर्सिटी सेन्ट्रल लायब्रेरी में एंगेज कर रखा है, ताकि कोई स्टूडेन्ट प्रदर्शन करे, जलूस निकाले तो उन पर आक्रमण करे और उनको मारा जाय। कोई यूनियन को एक्टीविटी हो तो उन स्टूडेन्ट्स को पीटा जाय ताकि श्री जोन का स्ट्रांग डंडा राजस्थान में फिरता रहे। लोग कहें कि श्री जोन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हड़ताल नहीं हो और जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम आगे बढ़े।

इस घटना के बाद 15 विद्यार्थियों को निलम्बित किया गया। इन्जीनियरिंग फेकल्टी की स्ट्राइक में यूनिवर्सिटी की सब फेकल्टीज ने दो दिन की टोकन हड़ताल, स्ट्राइक की। मांग किस हद तक वाजिब है और किस हद तक गैर वाजिब है यह सेकेन्डरी क्वश्चन है। पूरी मांगों को लेकर पूरी फेकल्टी यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक पर थी और श्री जोन पर जूं नहीं रेंगी। यह वस्तु-स्थिति है। विश्वविद्यालय और सार्वजनिक शिक्षण संस्था में बैठ कर एक व्यक्ति किस प्रकार अपनी जिद्द पर अड़ जाता है यह आश्चर्य है! शिक्षा के कुल में बैठ कर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति को चाहिये तो यह था कि वह बच्चों को बुला कर उनके साथ बैठ कर बात करके उनकी समस्या का निराकरण करता लेकिन इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ कर जिस यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे हड़ताल पर हों वह अपनी जिद्द पर अड़ा रहे।

10 अक्टूबर को जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक संघ ने आश्वासन दिया छात्रों को। प्राध्यापक संघ ने लेटर लिखा जोधपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन के प्रेसिडेन्ट को। एक विज्ञप्ति निकाली है:

"It is a matter of great concern to all of us that the University has not been functioning normally for a long time due to strike. This has resulted in tremendous loss of studies and has tarnished the image of the University. We sincerely feel that the situation should not continue any longer. As such, in the larger interest of the University and its academic life, we, the teachers of the University, advise you to call off the strike immediately and return to your classes from Monday, the 11th October, 1971.

As your teachers, we assure you that your genuine difficulties will be looked into sympathetically by the authorities of the University. We are sure that the Committee appointed by the Vice-Chancellor to consider the working hours of the Faculty of Engineering will take into consideration the climatic conditions of Jodhpur and recommend day hours for winter and morning hours for summers."

इसके बाद उपाध्यक्ष जी एक प्रस्ताव टीचर्स एसोसियेशन ने पास किया।

"It is resolved by the staff of Engineering Faculty of the

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

University that a moratorium be maintained except those cases which are involved in the criminal acts-the Faculty of Engineering should open immediately with the timings from 7.30 a. m. to 1.30 p. m. and the whole matter be reviewed by a Staff Students Council."

तो, उपाध्यक्षजी, प्राध्यापक संघ के अन्दर इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया इस अभिप्राय से कि छात्र और स्टाफ की मीटिंग बुलाकर क्या टाइम टेबल रहे और किसी प्रकार से यह मामला हल हो जाय और हड़ताल न हो आगे और है जो समाप्त हो जाय । इस आश्वासन पर हड़ताल खत्म हुई ।

14 तारीख को जॉन साहब कहते हैं स्ट्राइक टीचर्स एसोशियेशन के कहने से ऑफ कर दी है । जॉन साहब टालते रहे मिलने के लिए, आज नहीं कल मिलना, कल नहीं परसों मिलना । छात्रों ने जोर लगाया तो कहा कि दो रोज बाद मिलने के लिये तैयार हूं । अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया । 16 अक्टूबर को वापिस मिले । जॉन साहब फरमाते हैं तुम जाओ । यु विल गेट गुड न्यूज, टूमारो दूसरे दिन 15 को तो पहले ही निष्कासित कर रखा था और 8 को और निलम्बित कर दिया । 15 निलम्बित के लिए विचार करने को भी तैयार नहीं हैं, और अन्य समस्याओं के लिए भी विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं । वे कहते हैं कि मैं बात नहीं करना चाहता । विश्वविद्यालय के एक एक छात्र को निलम्बित कर दो। आप छात्रों से बात करना पसन्द नहीं करते हैं यह कहते हैं वे बाहर के लोगों से बात करना पसन्द करेंगे लेकिन जॉन साहब छात्रों से बात करना अपनी तौहीन समझते हैं ।

25 अक्टूबर को टीचर्स एसोशियेशन ने जॉन साहब को एप्रोच किया । उन्होंने कहा कि हमने आपके कहने से स्टूडेन्ट्स को एश्योर किया अब आप यह क्या कर रहे हैं ? वे कहते हैं यह तो सिर्फ फॉर्मिलिटी है, औपचारिकता है । मैं इसको आगे 25 तारीख को तय कर दूंगा । उन्होंने 25 तारीख को उदयपुर का प्रोग्राम बनाया । लड़के उनके पास गये । कहा कि 25 को आप रहेंगे नहीं आखिर तय कैसे होगा ? पहले तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया । बाहर से वापिस आने के लिये कहा 26 को मिलो तब तय करूंगा । 26 अक्टूबर का प्रोगाम बना दिया । उदयपुर में घूम रहे हैं । उनका रूटीन कार्यक्रम चल रहा है और इधर लड़कों की पढाई नहीं हो रही है । कॉलेजेज बन्द पड़े हैं । लड़कों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है जिससे कि उनको क्लेम कर सकें । 27 अक्टूबर का यह किस्सा है । लड़के गये मिलने । 45 मिनिट तक जॉन साहब का बाहर इन्तजार करते रहे । पर उनको मिलने की फुर्सत नहीं । लड़कों से मिलना वैसे भी वे अपनी तौहीन समझते हैं । जो चुने हुए विद्यार्थियों के प्रतिनिधि हैं उनके लिये वे कहते हैं, "आई डोन्ट रिकग्नाइज यू ।"

27 तारीख को तीन बजे बुलाया 45 मिनिट बाहर खड़े रहे । पर फिर भी टाइम नहीं दिया । आखिर हर आन्दोलन

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

की एक प्रतिक्रिया होती है। जब एक मांग को लेकर छात्र आन्दोलन करते हैं तो बातचीत के लिये तो कम से कम रास्ता निकालना ही चाहिए। तो जब उधर से बातचीत का रास्ता बन्द नजर आया तो लड़कों ने बात करने का मौका निकाला और वे कमरे में गये। अन्दर जाने पर भी जॉन साहब का वही रवैया, वही अक्खड़पना। जोर से चिल्ला कर कहा "Go out I don't recognise you." मैं जबान से शब्द नहीं कहना चाहता फिर भी कह देता हूं। उन्होंने यहां तक कहा कि "Why you come like dogs?" तो, उपाध्यक्ष महोदय, उनका इस प्रकार का व्यवहार रहा। इसके पश्चात् निश्चित रूप से उस गर्मागर्मी में उनके सिर पर चोट आई। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। पर जैसा लोग कहते हैं कि जो एक आदमी लगातार अपनी हठधर्मी लेकर चल रहा हो, और जिद्दी हो, अपनी हठ लेकर चल रहा हो, वह कहता हो कि एक पेपर वेट की मेरे दे मारी उसको सही मानने को कोई तैयार नहीं हो सकता। एक तरफ तो यह विद्यार्थियों से नफरत करने वाला आदमी, जिद्दी और हठी, दूसरी तरफ इतने सारे विद्यार्थियों द्वारा चुने हुए उनके प्रतिनिधि हैं जो कहते हैं कि हम में से किसी ने उनके कुछ नहीं मारी। हड़बड़ाहट में और गुस्से के कारण उनके सिर पर लगी है। तो इनके बयान से सामने एक हठी आदमी की बात कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं हो सकता।

म निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा सरकम्सटेन्सेज है। स्टूडेन्ट्स के काज को डेमेज करने के लिये बदनाम करने के लिये जनता की सहानुभूति न मिल पावे, इसके लिये जॉन साहब के खिलाफ वातावरण न बनने पावे इसके लिए जो कि एक सख्त और जिद्दी किस्म का आदमी है जनता की भावना को अनुचित लाभ उठाने के लिए यह आरोप विद्यार्थियों पर लगाया गया है कि एक लड़के ने मेरे पेपर वेट की दे मारी इसकी जांच के लिये कमीशन नियुक्त किया गया। पर इसी बीच एक नवम्बर को अनिश्चित काल के लिये विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया गया।

मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मन्त्रीजी से कि यह कमीशन किस बात की जांच करेगा। 10 जुलाई से लेकर एक अक्टूबर तक की सारी घटनाओं की जांच करेगा या सिर्फ 27 अक्टूबर की घटना की। फिर, उपाध्यक्षजी, इस जांच से भी समस्या का हल हो जावेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर आप वास्तविक हल इस समस्या का खोजना चाहते हैं तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप इस विश्वविद्यालय के तमाम अफेयर्स की जांच करावें। मैं सदन की मेज पर सारे कागज रखने को तैयार हूं कि जिन से श्री जॉन के विरुद्ध जो भी आरोप लगाये गये हैं और वो अपने आप में प्रमाणित हैं।

वैसे उपाध्यक्षजी, बहुत खेद का विषय तो यह है कि राजस्थान के सारे विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता के नाम पर आज वाइस-चान्सलर को पूरी मनमानी करने की छूट दे दी गई है और जो जो उन्होंने कारनामे किये हैं जो नियम-विरुद्ध काम किये हैं उनको अगर सुनाने लगूं तो तीन रोज में भी वे समाप्त नहीं हो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सकते। इसके बावजूद भी मोटी-मोटी बातें जो कुछ मनमाने तौर पर नियमों को ताक में रख कर अपोइंटमेन्ट और सिलेक्शन के बारे में की गई हैं उन के बारे म थोड़ा सा निवेदन करूंगा।

वैसे जॉन का एण्टी हिन्दी एटीट्युड प्रसिद्ध है। इसके बारे में सदन में पहले भी कहा जा चुका है, और काफी कहा जा चुका है। यह निर्विवाद है कि वही एक व्यक्ति हैं जो अपने लाभ के लिये अपने इंट्रेस्ट को बचाने के लिये भले ही अपन से किसी सुपीरियर से हिन्दी में बात करलें, वरना तो वह किसी से हिन्दी में बात करना पसन्द ही नहीं करते। उन्हें हिन्दी से घृणा है। सामान्य बातचीत भी वह अंग्रेजी में ही करना पसन्द करते हैं। राजस्थान जैसे हिन्दी भाषी प्रान्त में जहां सारा विद्यार्थी वर्ग हिन्दी भाषी है, सिंडीकेट के मेम्बर हिन्दी भाषी हैं, लेक्चरार और अन्य अधिकारीगण अधिकांश हिन्दी भाषी हैं पर वह उन तक से हिन्दी में बात करना अपना अपमान समझते हैं। राजस्थान और हिन्दी प्रान्त के अन्न-जल पर पल कर यहीं की भाषा को वह अपमानित करे ऐसे आदमी को वाइस-चान्सलर बनाना इस प्रान्त का अपमान है। एसा आदमी कैसा होगा, यह आसानी से सोचा जा सकता है।

एक पोस्ट के लिये विज्ञापन किया गया। 10 वर्ष का अनुभव जिसको हो उसे लेने की बात कही गई पर उस जगह पर अपनी मर्जी के आदमी को रखा गया। सारे नियम तोड़ कर।..........

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था यह भी बता दीजिये।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : इतना सच बोलते हैं, तो यह और बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : श्री जॉन बहुत बड़ा जादूगर है। अमेरिका से पैसे लाता है। कई स्कीमें चलाता है और उन स्कीमों के माध्यम से अमेरिकन आइडियोलॉजी का प्रचार करता है। इस जादूगर ने कम्यूनिस्टों को भी अपने जाल में पकड़ रखा है, अपने जादू में जकड़ रखा है हिन्दी द्वषी होने के कारण भी ये कम्यूनिस्ट भी इस जादूगर की पकड़ में आ जाते हैं।

उपाध्यक्षजी, यह कोई बाजारू बातें नहीं हैं। यह सत्य है।

श्री भैरोंसिंह : आप बताइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा ऐसा ख्याल है किसी कांग्रेसी की नकेल भैरोंसिहजी के पास जरूर है। वरना वह यह नहीं पूछते। खैर, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। कौन आदमी किस पार्टी का है। मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा। उपाध्यक्षजी, उन नयनसिंहजी को चैयरमेन किया गया। जिनको दस साल का एक्सपीरियेन्स नहीं। इस तरह 13 एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हैं उस विश्वविद्यालय में। किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होगा। शिक्षा मन्त्रीजी इसकी जांच करें। 13 एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की फौज। श्री जॉन ने अपने चाहने वालों और अपने

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लोगों को पदोन्नत करने के लिये एम्पलॉयमेन्ट देने के लिये यह रास्ता बना रखा हैं।

पोलिटिकल साइन्स में श्रीमती उर्मिला उपाध्याय को एपॉइन्ट किया। दूसरे को 950 रुपया ग्रेड देकर रीडर पद पर बिठा दिया। वैसे इसकी एक लम्बी चौड़ी लिस्ट है। मैं सदन का अधिक समय इस में लेना नहीं चाहता। शिक्षा मन्त्रीजी जब जांच करेंगे तो यह सब बातें उनकी जानकारी में अनायास ही आवेंगी।

कई लोगों को बाहर से बुलाकर एपॉइन्टमेन्ट दिये गये हैं और मनमाने ढंग से इन्क्रीमेन्ट्स दिये हैं। शिवचरण नम्बर दो पर था। यह रेकार्ड की बात है। रेड हैण्डेड पकड़ में आवे ऐसी बात है। इंगलिश में सिलेक्शन हुआ तो मेरिट में दुर्गालाल माथुर और नम्बर दो शिवचरण आये। शिवचरण की तनख्वाह 950 और पहले आने वाले की 850 नम्बर एक वाले को तनख्वाह कम देते हैं यह जॉन साहब ?

इकोनॉमी के हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के लिये एक अहमदाबाद के श्री पटल को एपॉइन्टमेन्ट दिया। उनको कहा गया आप भले ही अहमदाबाद में रहिये, जोधपुर आने की आवश्यकता नहीं, केवल आप का नाम हमारे बोर्ड पर आना चाहिये ताकि हमारे विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ जावेगी, और हमारा विश्वविद्यालय इस से तरक्की कर जावेगा कि पटेल जैसे विद्वान् हमारे एक डिपार्टमेन्ट के हैड हैं। महीने भर में एक बार आ जावेंगे तब भी हमारा बेड़ा पार हो जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कृष्णा मूर्ति का चयन किया गया। इस पोस्ट का वेतन 1,300)रु० था लेकिन इनको 1,420) रुपया दिलाया गया और बड़े नाटकीय ढंग से इनकी नियुक्ति की गई। डॉ० सहल जैसे विद्वान को रिजेक्ट करके जिसने जोधपुर विश्वविद्यालय की काफी सेवा की है उस आदमी के मेरिट को नेगलेक्ट करके व्यक्तिगत ताल्लुक से श्री कृष्णा मूर्ति को बुलाया गया। 1,300) के स्थान पर उनको 1,420 रुपये दिलाये गये, मैं पूछता क्या जॉन साहब ये 120 रुपये अपनी जेब से देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्रीजी जो जोधपुर के हैं और आपको यह जानकारी भी होगी कि वहां साइन्स में जो अन्डर ग्रेजुएट क्लासेज हैं उसमें हिन्दी में नहीं पढ़ाया जाता है। या तो जोधपुर के लोग मैं समझता हूं अंग्रेजी प्रेमी हैं या फिर बहुत ज्यादा अंग्रजी जानते हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी जाय, उपाध्यक्ष महोदय, कि अनिवार्य रूप से और कम्पलसरी लेक्चर अंग्रेजी में डिलीवर किये जायं तो मैं समझता हूं शैक्षणिक योग्यता बढ़ने वाली नहीं है और इससे कोई अच्छा ज्ञान-प्राप्ति होने वाली भी नहीं है।

सबसे जोरदार चीज, उपाध्यक्षजी, यह है कि आज तक हमने यह बात सुनी है एक जगह पर वेकेन्सी निकलती है और उसके लिये एप्लीकेशन्स इन्वाईट की जाती हैं। लोग इन्टरव्यू देते हैं–यह बात सुनी है उपाध्यक्षजी युनिर्वसिटी के अन्दर यह भी होता है कोई बहुत स्ट्रिक्ट आदमी को, मैं इसमें कोई डिसप्यूट नहीं मानता कि बिना एप्लिकेशन आये भी उस

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

व्यक्ति को कन्सीडर किया जा सकता है, लेकिन, उपाध्यक्षजी यहां एक सज्जन का इन्टरव्यू लेने के लिये पूरी कमेटी की कमेटी को बम्बई भेज दिया । जोधपुर युनिवर्सिटी के लोग उस पोस्ट पर एप्लाई करें और सारे राजस्थान के लोग अपना खर्चा लगाकर बम्बई जायें ताकि बम्बई में जो लोग रहते हैं उनको इन्टरव्यू देने में बड़ी सुविधा रहेगी और राजस्थान के लोगों को बम्बई जाने में कुछ असुविधा हो-एसी बात भी की गई है। फिजिक्स के अन्दर, उपाध्यक्ष जी, जो कमेटी थी प्रोफेसर्स के चयन के लिये उसको उन्होंने बम्बई भेज दिया जो बम्बई जाकर इन्टरव्यू ले, क्योंकि बम्बई के एक सज्जन को ऊपर लाना था ।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, गलत काम कर लें, यह समझ में आ सकता है। इर्रेग्युलर और इललीगल काम कर लें और पकड़ा नहीं जाय, यह भी समझ में आ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी भारी गलती करना, यह मेरी समझ के बाहर है ।

इसी प्रकार आनन्दसिंह सिन्डीकेट के मेम्बर चुने गये । सिन्डीकेट, उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के लिये एक क्रियेचर है। उसका एक एक्ट है और एक्ट में प्रोविजन है कि सिन्डीकेट के मेम्बरों की अवधि और उनका एपॉइंटमेंट तीन साल के गेप का रूल है, तीन साल के गेप नहीं हो जाय तब तक एक आदमी को रिपीट नहीं किया जाय, लेकिन एक आदमी को ढाई साल के बाद रिपीट कर दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार गृह विज्ञान के लिये एक आदमी को नियुक्त किया और जब इसके लिये पोस्ट नहीं थी तब ही घोषणा कर दी और बिना पोस्ट के एपॉइन्टमेंट कर दिया गया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, ये कुछ एपॉइन्टमेंट्स जो जान ने किये हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से उम्मीद करता हूं वे इनका जवाब देंगे और इनको कनफर्म करने की कोशिश करेंगे कि यह बात कहां तक सत्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वापिस उन लड़कों के नाम बताने के लिये निवेदन करूंगा — दलपतसिंह, रामसिंह नरुका और सुखराम चौधरी—इन तीन लड़कों को एपॉइन्ट किया हुआ है । इनका सेन्टर लायब्रेरी में नाम लिखा हुआ है जैसा मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं इनको छात्रों की मारपीट और उन पर अपना आतंक रखने के लिये एपॉइन्ट किया है। एक मनोहरसिंह का नाम भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक घटना मैं सदन के समाने लाना चाहूंगा, और मैं समझता हूं सदन के कुछ माननीय सदस्यों की मुलाकात श्री काबरा के साथ भी हुई होगी उनके चोट लगी लेकिन उनकी चोट की किसी को चिन्ता नहीं है । चोट लग सकती है, मारने से भी चोट लग सकती है, एक्सीडन्ट में भी चोट लग सकती है, मैं इसको कोई ज्यादा महत्व नहीं देता लेकिन चोट कब लगी जब 29 अक्टूबर को श्री काबरा को श्री जॉन साहब की कार में बैठकर चार लड़कों ने चोट पहुंचाई। जॉन साहब के लड़के चार लड़कों को बैठाकर अपनी कार में लाये । इन लड़कों के नाम हैं-माधोसिंह, गंभीरसिंह, दलपतसिंह जोधा और कोई एक और है और इन्होंने श्री काबरा के चोट पहुंचाई ।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उपाध्यक्षजी, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन एक मिसेज कामिनी है इनको भी रीडर का पद आउट आफ दी वे जाकर दे दिया। लेकिन, उपाध्यक्षजी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार जांच करवाना चाहती तो अवश्य करवाये। सबको मौका मिलना चाहिये। जो जो इललीगल और इररेग्युलर काम जोधपुर विश्वविद्यालय में हुये हैं उसको प्रूव किया जा सके। गलत जो प्रमोशन्स और सिलेक्शन्स हुये हैं उनको खारिज कराया जाय और एक छोटीसी बात के लिये कि एक किसी छात्र ने उनको चोट पहुंचा दी, हम यह कह सकते हैं कि यह अकलमन्दी का काम नहीं किया, लेकिन इस छोटी सी बात के लिये एन्क्वायरी बैठाना मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं है। आप उस लड़के का चालान कर दीजिये कौन उसकी परवी करना चाहता है लेकिन एक छात्र के लिये थ्रू प्रोब इन्क्वायरी बिठा दें, यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक टीचर्स ने अपील निकाली है, कहते हैं 100 लेक्चरारर्स ने दस्तखत किये ह या 104 लेक्चरारर्स के दस्तखत हैं, लेकिन एक अपील राजस्थान के विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर्स ने निकाली है, उस विषय में निन्दा करते हुये कि जिस छात्र ने हमला किया उसने बहुत बुरा किया। उपाध्यक्षजी यह वहीं मसला है। 104 अध्यापकों के दस्तखत चार हैड आफ दी डिपार्टमेंट एक घंटे में अपने कमरे में करवा सकते हैं। आखिर, उपाध्यक्षजी, कौनसा एक्ट था वह जिसमें मोहनसिंह मेहता को पॉवरफुल बनाने के लि किया था जो आज तक डेमाक्रेसी में और इस जनतन्त्र के युग में नहीं किया गया है? हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट क्या नहीं कर सकते–Once Head of Department is always Head of Department. वाइस-चान्सलर पर्टीक्यूलर्ली हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की कन्ट्रोवर्सी में हो जाय तो क्या जुल्म वह युनिवर्सिटी में ढाह सकते हैं? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री महोदय श्री शिवचरणजी माथुर से एक सवाल पूछा था तब उन्होंने कहा मोहनसिंह मेहता की एक कमेटी बनाई है उसकी फाइल आयेगी तब कुछ कहा जा सकता है। 8-10 महीने तो हो गये मुझे पूछे और तीन वर्ष उस कमेटी को बने हो गये……

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट तो आ गई। गवर्नमेंट के पास है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसके बाद दुबारा जब मैंने पूछा तो उन्हीं शिक्षा मंत्रीजी ने यह जवाब दिया कि गजेन्द्रगड़कर की रिपोर्ट आना बाकी है और जब गजेन्द्र गड़कर की ऑल इण्डिया लेवल पर युनिवर्सिटीज के बारे में रिपोर्ट आयेगी तब हम कुछ करगे। वह गजेन्द्रगड़कर की रिपोर्ट भी आ गयी अब राज्य सरकार क्या करना चाहती है? उपाध्यक्षजी, म यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा छोटा मसला है कि किसने किसके चांटा मार दिया। असल मसला यह है कि आज युनिवर्सिटीज का ढांचा क्या है? क्या हो रहा है युनिवर्सिटीज में? सारी पावर कुछ व्यक्तियों के पास जाकर इकट्ठी हो गयी है और राज्य सरकार

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
उस जिम्मेदारी से ऐसे हट गयी है कि वह उसको ऑटोनामस बॉडी कह कर उसको टालना चाहती है और इतने इम्पार्टेन्ट मसले के अन्दर राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

उपाध्यक्षजी, अब मैं उदयपुर युनिवर्सिटी की बात बताता हूं। उदयपुर युनिवर्सिटी के अन्दर वहां के वाइस-चान्सलर श्री महाजन ने त्याग-पत्र दे दिया। किन्हीं भी कारणों से दे दिया मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। साल भर पहले दे देना चाहिए और जिस प्रकार के कारनामे उन्होंने किये थे उसके हिसाब से दो साल पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन आज वहां क्या हो रहा है? वहां पर 8 तारीख को तो लॉ डिपार्टमेंट के रीडर का सिलेक्शन हुआ, 12 को बोटेनी में हुआ और 13 तारीख को आज हिस्ट्री के रीडर का सिलेक्शन चल रहा है और 4 जनवरी को वहां के वाइस-चान्सलर जाने वाले हैं। यह चर्चा आई थी कि जब राजस्थान युनिवर्सिटी के वाईस-चान्सलर श्री भटनागर ने त्याग-पत्र दिया था और रजिस्ट्रार का सिलेक्शन करना था तो मैंने मोशन दिया था कि कोई भी मेजर डिसीजन आउट गोइंग वाइस-चान्सलर नहीं ले सकता। यह सिद्धान्त की बात है कि आखिर इस युनिवर्सिटी में जो रीडर्स के सलेक्शन कर रहे हैं, प्रोफेसर्स सलेक्शन के लिए तारीख दे रखी है और आउट गोइंग वाइस-चान्सलर प्रोफेसर्स के सिलेक्शन कर जायें, युनिवर्सिटी का ढांचा बिगाड़ जायें, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आने वाला वाइस-चान्सलर कोई तरक्की कर सकता है? क्या इस तरह से वह युनिवर्सिटी के स्तर को ऊंचा उठा सकता है? कभी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्धान्त की बात है। आखिर इनका पीरियड जुलाई में समाप्त हो रहा है और जुलाई के पहले जनवरी में त्याग-पत्र दे रहे हैं तो निःसन्देह वह व्यक्ति किन्हीं न किन्हीं कारणों से जा रहा है और कोई न कोई झगड़ा इनका युनिवर्सिटी से है जिसकी वजह से ये जा रहे हैं ऐसा माना जाना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में अपने टाइम के पहले आदमी क्यों जायेगा? उस हालत में आपकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस मसले के अन्दर भी शिक्षा मंत्रीजी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इन एपॉइन्टमेन्ट्स को नहीं रुकवायेंगे तो उचित नहीं होगा। वहां पर एक डॉक्टर उदयपुर के पारीख हैं उन्होंने भी रिज़ाइन किया और महाराणा भोपाल कॉलेज के डाइरेक्टर हैं और इसी बात के विरोध में रिज़ाइन किया है कि जो आउट गोइंग वाइस-चान्सलर है उसको इम्पॉर्टेन्ट डिसीजन्स नहीं लेने चाहिए, इम्पॉर्टेन्ट सिलेक्शन्स नहीं करने चाहिए। यह बात कह कर डॉक्टर पारीख ने त्यागपत्र दिया है। तो यह एक सिचुएशन है और जब राज्य सरकार को इन्टरवीन करना चाहिए। राज्य सरकार को डॉक्टर उदय पारीख की बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने प्रयत्नों से तमाम एपॉइन्टमेन्ट्स को रुकवाये और इस बात को चेक करे कि उदय पारीख का इस्तीफा वापिस हो।

उदयपुर युनिवर्सिटी के अन्दर भी जितनी अनियमिततायें गिनायें उतनी ही कम हैं वहां पर एस० पी० तिवाड़ी के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सीनियर प्रोफेसर बना दिया जिसको कि सात साल का अनुभव नहीं है। तीनों युनिवर्सिटीज की कोआर्डिनेशन कमेटी ने इस पोस्ट के लिए सात साल का एक्सपियरेयेन्स मांगा था लेकिन आपने बना दिया तो बना दिया और जिसको बिगाड़ सकते थे उसको बिगाड़ दिया लेकिन आगे स्थिति नहीं बिगड़े इसलिए शिक्षा मंत्रीजी को सोचना चाहिए। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस बात की ओर ध्यान दे और कोशिश करे कि उदयपुर यूनिवर्सिटी में कोई भी इम्पॉर्टेन्ट सिलेक्शन रीडर्स के और प्रोफेसर्स के आगे नहीं किये जायें और जो किये हैं उनको भी निरस्त किया जाये, क्योंकि यह कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से आउट गोइंग वाइस-चान्सलर एपॉइन्टमेन्ट्स करे। ऐसा होता है तो यह बिल्कुल अप्रजातांत्रिक और अनहैल्दी ट्रेडीशन हो जायेगा अगर आउट गोइंग वाइस-चान्सलर सिलेक्शन करके जायेगा तो।

उपाध्यक्षजी, जो यह जांच का मसला है और जब जांच की बात जोधपुर युनिवर्सिटी के लिए करते हैं तो मैं कहता हूं कि यह युनिवर्सिटी ही जांच के लिए अकेली नहीं है उदयपुर युनिवर्सिटी भी कम नहीं है और राजस्थान युनिवर्सिटी भी कम नहीं है और इसका तो हाल मत पूछिये। अगर जांच कराना चाहते हैं तो तीनों युनिवर्सिटीज की करवाइये।

स्टूडेन्ट्स को साथ लेने की बात हम ते है, स्टूडेन्ट्स को एनकरेज करने की बात करते हैं और प्रिंसिपली हम इसको स्वीकार करके चलते हैं कि स्टुडेन्ट्स का पार्टीसिपेशन युनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर होना चाहिए। स्टुडेन्ट्स ज्यादा रेस्पान्सीबल बनाया जा सके जिससे कि कोई भी स्टूडेन्ट इरेस्पान्सीबल नहीं हो। यह बात हम प्रिन्सिपली एक्सेप्ट करते हैं, भाषणों के अन्दर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। उपाध्यक्षजी, अगर आप कुछ नहीं कर सकते एक्ट में ओवर ऑल अमेन्डमेन्ट नहीं कर सकते, युनिवर्सिटीज के ढांचे को नहीं बदल सकते तो मैं निवेदन करता हूं कि आप स्टूडेन्ट्स को कम से कम पार्टीसीपेशन तो दीजिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि स्टडेन्ट्स के सब्र की हद आ चुकी है और सब्र उनसे नहीं किया जायेगा। आज स्टूडेन्ट्स के अन्दर बड़ी जिज्ञासा है। दूसरे विश्वविद्यालयों में यह बात चल रही है कि स्टूडेन्टस को पार्टीसिपेसन का मौका दिया जाये। अभी शिक्षा मंत्रीजी कह देंगे कि हमारी सरकार ! इसको स्वीकार करती है और हम एक्ट के अन्दर अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि यह एक ऐसी अहम समस्या बनकर खड़ी हो गयी है कि और कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो करना चाहिए कि कोई आर्डिनेन्स जारी करके-रोज आप आर्डिनेन्स जारी करते हैं और स्टूडेन्ट के मामले में इस सदन का कोई भी सम्माननीय सदस्य विरोध करने वाला नहीं है कि स्टूडेन्ट्स का पार्टीसिपेशन नहीं हो सभी इसका समर्थन करेंगे। हो सकता है माननीय सदस्य अपने अपने विचार प्रकट करें तो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उपाध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही एक रोज के लिए बढ़ाई जा सकती है और एक एमेंडमेंट किया जा सकता है। स्टूडेन्ट्स को रिप्रजेंटेशन इसी सत्र के अन्दर, इसी एकेडेमिक वर्ष के अन्दर दिया जायेगा। सीनेट के अन्दर और सिन्डीकेट के अन्दर इस प्रकार का आर्डिनेन्स जारी करना चाहिए। इनको एक दफा रिप्रजेंटेशन देने की बात तय है तो फिर आगे प्रक्रिया निर्धारित करने का मामला तय हो सकता है। मगर उपाध्यक्षजी, मैं तो यह निवेदन करता हूं कि रिप्रेजन्टेशन देना और नहीं देना आपके हाथ है लेकिन स्टडेन्ट्स की जो इस मामले में व्यग्रता है उसको आप पहचानें। आज प्रोग्रेसिव मेजर्स लेने की बात करते हैं। आज हिन्दुस्ताय के अन्दर बातें चलती हैं कि मिनिमम उम्र वोट देने की कम कर दी जाये मिनिमम उम्र चुनाव लड़ने की कम कर दी जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी से कि वे मुख्य मंत्रीजी तक मेरा सुझाव पहुंचा दें कि कोई प्रोग्रसिव मेजर लेना है तो इसको लें। स्टूडन्ट्स को साथ लेना है तो इस मेजर को लें। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव इमेज आपको स्टूडेन्ट्स के सामने क्रियेट हो तो यह कदम उठायें। उपाध्यक्षजी आज हमारी कांग्रेस पार्टी के अन्दर स्टूडेन्ट्स को इनवाल्व करन की बात चलती है, युवकों को साथ लेन की वा होती है, भावी पीढ़ी का निर्माण युवक करेंगे तो फिर आज यूनिवर्सि ी एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रजेन्टशन देन में क्या तकलीफ हो रही है? अगर आप इसमें कोई संशोघन करेंगे तो आगे आने वाली असेम्बली, 72 के बाद दूसरी गवर्नमेन्ट बनेगी वह करेगी और जो भी वे एमेन्डमेन्ट्स लाना चाहेंगे लायेंगे और जो भी निर्धारित प्रक्रिया अपनाना चाहेंगे वह अपनायेंगे। पर आज एक कदम राज्य सरकार उठाती है इमिजियेटली और स्टूडेंट्स के रिप्रजेण्टेशन के बारे में कदम उठाती है तो इससे राजस्थान सरकार के प्रति निस्संदेह प्रगतिशीलता की एक इमेज क्रीयेट होगी स्टूडेन्ट्स प्रभावित होंगे क्योंकि स्टूडेन्ट्स का खुद का सब मसलों को तय करने में श्रेय और पार्टीसिपेशन रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्व-विद्यालय की अधिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा लेकिन क्योंकि जितना भी दफा बोला जाय कम है। रोज नए 2 किस्से और उनकी इर्रेगुलरिटिज सामने आती हैं, बड़े मनोरंजक तथ्य सामने आते हैं। ज्योग्राफी के अन्दर इवेल्यूएशन का एम०ए० फाईनल का पर्चा था 70-71 का। यह एक पर्चा एम०ए० फाईनल के अन्दर ज्योग्राफी में इंजरेशन का पर्चा था जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह एक पर्चा है मिस्टर बागची का जो रीडर एण्ड हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी इसके इंचार्ज हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्वान हमारे यहां पर एग्जामिनेशन लेने के लिये आवें उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन उन महाशय को हिन्दी नहीं आती। उनको हिन्दी नहीं आती तो इसमें भी आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इसमें है कि हमारे यहां पर स्टूडेन्ट्स हिन्दी में पर्चा देते हैं। अब उनको हिन्दी नहीं आती इस बात को साबित करना है तो इसके लिए मैं बागची साहब को सदन में नहीं लाना चाहता। लेकिन यह जो पर्चा है

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी एम.ए. 70-71 का, रिसर्च अबाउट डेजर्ट, इसके बारे में बताता हूं। यह तो अंग्रेजी में सवाल है रिसर्च अबाउट डेजर्ट रीजन, इसका हिन्दी अनुवाद किया गया है बंजड़ प्रान्त का विवरण दिया जाय। डेजर्ट रीजन को बंजड प्रान्त कहा गया है। यह पर्चा तो बिल्कुल बाहर से मंगाया जा सकता है और इस बात को कन्फर्म किया जा सकता है। इसी तरह से इसमें दूसरा क्वश्चन है, लैंड युटिलाइजेशन सर्वे, उसका हिन्दी अनुवाद किया गया है भूमि उपादेयता निरीक्षण। निरीक्षण होता है आब्जर्वेशन, सर्वेक्षण करने को।

तो उपाध्यक्षजी, इसी तरह से एम.ए. इवेल्यूएशन के लिए एक डॉक्टर एन. बी. एय्यर आए। ये सागर युनिवर्सिटी से आए। दस लड़कों को एग्जामिन करने के लिए आए। इन दस स्टूडेंट्स के कार्य को असेस करने के लिए ये साहब आए और 54 घण्टे जयपुर में रहे। उस 54 घण्टे के अन्दर उन्होंने जयपुर देख लिया, हवा महल देख लिया, आमेर देख लिया, खाना खा लिया, सो लिए, रह लिए और दस लड़कों की थीसिस देख ली। सिनेमा भी देख लिया। I want to know from the Minister whether this is physically possible.

54 घण्टे के अन्दर रहकर जिनकी लाइफ एण्ड डेथ का सवाल है, जो थीसिस सब्मिट करते हैं, उनको पी. एचडी. मिलती है, उनके बारे में फैसला कर दिया। तो यह हाल है ज्योग्राफी का।

अब एक मजेदार बात बताता हूं। ज्योग्राफी में ही हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट हैं, मिस्टर इन्द्रपालजी। वह कांफ्रेंस में मैसूर जा आए, उदयपुर भी जा आए, जोधपुर भी जा आए और मर्जी आई जहां हो आए। लेकिन वे 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक घर पर रहे, पांव पर चोट लग गई थी इसलिए आ नहीं सकते थे लेकिन छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से करीब करीब 60 दिन तक बिना छुट्टी के चलते रहे। जहां जाते हैं वहां का टी. ए. डी. ए. चार्ज करते हैं और यहां पर छुट्टी के लिए अप्लाई तक नहीं करते। यह एक हैड आफ डिपार्टमेन्ट का रवैया नहीं है। यह सभी हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट का आम रवैया है और यह सब जो एक्ट में उनको पावर दे रखी है उसके अन्दर यह सब हो रहा है। सभी हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट जितने रोज चाहते हैं, बाहर जाते हैं और एन्जोयमेन्ट करते हैं लेकिन लड़कों की पढाई की कोई चिन्ता नहीं है। उनके लिए छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ साधारण टीचर्स की क्या हालत है? साधारण टीचर अगर किसी कांफ्रेंस में भी जाएगा तो उसको निश्चित रूप से छुट्टी लेनी पड़ेगी और छुट्टी भी हैड आफ डिपार्टमेन्ट की मर्जी होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। किसी टीचर को यदि उसकी अपनी योग्यता से किसी कांफ्रेंस में जाने का इन्वीटेशन मिल गया तो क्या होता है, छुट्टी देना तो हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट के हाथ में है।

तो उपाध्यक्षजी, इसी तरह से एक डा० राजेन्द्र शर्मा हैं हिन्दी के अन्दर। विश्व के अन्दर तो मैं नहीं कह सकता,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है कि इन सज्जन ने बी.ए. तक पास नहीं किया और ये रीडर हैं। हिन्दी में इन्होंने साहित्यरत्न पास किया जिसे बी० ए० के इक्वीलेंट माना जाता है, उसके आधार पर एम० ए० कर लिया और पी० एच० डी० करके रीडर बने हुए हैं।

उनके सैकिंड डॉ० राजेन्द्र शर्मा के हैं मिस्टर सुरेन्द्र उपाध्याय। तो उपाध्यक्षजी, इन सज्जन के पास पी० एच० डी० की डिग्री नहीं है और आप लोगों को पी० एच० डी० करा रहे हैं। यह सबसे बड़ा तथ्य है कि श्री सुरेन्द्र उपाध्याय के पास पी० एच० डी० की डिग्री नहीं है, इनके पर्चे पब्लिश नहीं हुए ये सबको पी० एच० डी० करा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ परिस्थितियों के अन्दर कई वर्षों का एक्सपीरियन्स होने पर, 20 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियन्स होने पर यूनिवर्सिटी स्पेशल सरकमस्टांसेज के अन्दर पी० एच० डी० के स्टूडेंट्स लेने का अधिकार दे सकती है। आपको पांच-सात साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है और स्वयं पी० एच० डी० नहीं हैं लेकिन पी० एच० डी० करा रहे हैं दूसरों को। लोन लेकर आपने कार ली और उस कार के अन्दर हिस्ट्री के हैड ऑफ डिपार्टमेंट डॉ० ऋषि पांडे अजमेर गये और जब अजमेर गए तो उसका टी० ए० डी० ए० चार्ज कर दिया। तो कार किसकी और पर्सनल कार होते हुए कौन से एक्ट के प्रावधान के अनुसार टी० ए० डी० ए० चार्ज कर लिया। इस में एक आदमी ने जरूर गलत कार्यवाही की है।

उपाध्यक्षजी, हिस्ट्री के अन्दर रीडर की एक पोस्ट एडवरटाइज हुई। वह पोस्ट जो एडवरटाईज हुई तो उस की बेसिक क्वालिफिकेशन निकली यूरोपियन हिस्ट्री के अन्दर मास्टर होना चाहिये। उसके पास यूरोपियन हिस्ट्री का पर्चा होना चाहिये। यूरोपियन हिस्ट्री के अन्दर अगर स्पेशल पर्चा नहीं है तो ब्रिटिश हिस्ट्री का पर्चा होना चाहिये, फ्रेंच हिस्ट्री का पर्चा होना चाहिये लेकिन निकला क्या कि राजस्थान की हिस्ट्री का पर्चा हो। तो उपाध्यक्षजी, राजस्थान हिस्ट्री को स्पेशलाईजेशन मानते हैं तो फिर आपको इण्डियन हिस्ट्री में बेसिक क्वालिफिकेशन मांगनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर यह स्थिति है। भटनागर साहब चले गए और नए कुलपति आ गए। उनके खिलाफ कहने के लिए कोई ऐसी बात मेरे दिमाग में नहीं है। वे काम कर रहे हैं और ढंग से कर रहे हैं। अलबत्ता एक बात है कि अभी तक टीचर्स को उन्होंने एड्रेस नहीं किया है छुट्टियों में यहां रहते हैं और वर्किंग डेज में बाहर रहते हैं। अभी उनको मौका मिलना चाहिये। उनके लिए अभी कोई बात कहना अनुचित मानता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यूनिवर्सिटिज की हालत वह है कि हर साख पर उल्लू बैठा है अन्जामें गुलिस्तां क्या होगा? इन यूनिवर्सिटिज के किसी भी डिपार्टमेन्ट में आप चले जाइये, यही हालत आपको देखने को मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय......

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह यूनिवर्सिटी पर ही लागू होता है या सारे प्रशासन पर लागू होता है?

Page No 100

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रशासन के लिये आप कह लेना।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसको आपको कहने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर बताने के लिए काफी फैक्ट्स हैं परन्तु अब मैं ज्यादा फैक्ट्स नहीं कहना चाहता हूं। परन्तु एक बात जरूर कहना चाहता हूं। एक लड़के के नाम से डॉ० आर्यन ने, बोटनी के अन्दर कन्सेशन बना लिया बम्बई के लिये। Under the rules one is entitled to railway concession only for a place where he resides. बम्बई के लिये कन्सेशन बना लिया और इसके लिये एक क्लर्क से गड़बड़ी कराई। उस लड़के का कोई पता नहीं है। दो रोज बाद कन्सेशन बनाया और वह भी उसको दे दिया। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस जोधपुर विश्वविद्यालय के मसले पर शिक्षा मन्त्रीजी यह बात लेकर चलते हैं कि इन्जीनियर फेकल्टी के लड़के टाइम-टेबिल की बात को लेकर हड़ताल करते हैं और जो चोटें उपकुलपति को आई हैं, अगर शिक्षा मंत्री जी उस पर ध्यान देना चाहते हैं तो उसको देखें, और अगर नहीं चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। मेरा सुझाव है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अकेले जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में सोचा जाये तो जोन को वहां पर रखना एक तरह से विश्वविद्यालय को खतम कर देना है। जोन की प्रवृत्ति यह सामने आई है कि वह गुन्डों से स्टूडेन्ट्स को पिटवाता है। जो आदमी कहता है कि टीचर्स कहेंगे, लड़के कहेंगे तो मैं रिजाईन कर दूंगा, वह एक नाटककार है और जब टीचर कहते हैं, स्टूडेन्ट्स ने लिख कर कह दिया तो वह रिजाइन नहीं करता है। अगर जान साहब में कुछ इन्सानियत है तो वे इस तरह से यूनिवर्सिटी को बन्द करके नहीं बैठते। उनको लड़कों की समस्याओं को सुलझाना चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि मन्हे से यूनिवर्सिटी खुल रही है.......

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्षजी, पांच मिनिट और लूंगा। आई एम समिंग अप। उपाध्यक्षजी, जोधपुर यूनिवर्सिटी की समस्या को हल करना है तो वहां से जोन साहब को तुरन्त हटाया जाना चाहिये उनके वहां पर रहते हुए समस्या का हल नहीं होगा और जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर कोई स्वच्छता नहीं आयेगी।

(दर्शक दीर्घा से नारे-स्टूडेन्ट एकता जिन्दाबाद, हमारी मांग पूरी हो)।

(दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे गिराये गये)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष जी......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको सी का इन्तजार था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज राजस्थान विधान सभा के प्रांगण में इस प्रकार से जो पर्चे गिराने की कार्यवाही की गई है, वह गैर जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा की गई है। निस्सन्देह रूप से यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह छात्र नेताओं ने कोई अच्छी बात नहीं की है। परन्तु

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह कार्य उनकी उद्विग्नता का परिचायक है। आखिर हम छात्रों के प्रति, विश्वविद्यालयों की समस्याओं के प्रति कब तक उदासीन रह सकेंगे, कब तक सोते रहेंगे। उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय से जोन साहब को तुरन्त हटाया जाना चाहिये। उदयपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति को भी मेजर, इम्पार्टेन्ट डिसीजन लेने से रोका जाना चाहिये। वे कोई इम्पार्टेन्ट सिलेक्शन नहीं करें। उपाध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि जो स्टूडन्ट के पार्टीसिपेशन की बात है, इमीडियेटली यह पार्टीसिपेशन उनको मिलना चाहिये। अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जांच की बात सरकार करती है, तो जांच करवावें। एक हाई पावर कमेटी से जांच करवावें·········

(13.15 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, उदयपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में जांच करवायें में किसी ब्यूरोक्रेट से जांच करवाने के पक्ष में नहीं हूं। एज्यूकेशनलिस्ट से जांच करवाने के पक्ष में हूं, किन्तु ऐसे से नहीं जो कि उनमें इन्वाल्व्ड हों। इस सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा जांच होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर केदार से जांच करवाई जा सकती है। उनके साथ अन्य माननीय सदस्यों को रखा जा सकता है···

श्री अध्यक्ष : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि छात्रों की समस्याओं के प्रति राजस्थान सरकार अब और अधिक सो नहीं सकती। राजस्थान सरकार को जागरूक रह कर उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिये, जांच कराने के लिये स्टूडेन्टस् को पार्टीसिपेशन के लिये मौका देना चाहिये और जोधपुर यूनिवर्सिटी से जोन को हटा कर, उदयपुर यूनिवर्सिटी से वहां के वाइस चांसलर को मेजर, इम्पार्टेन्ट डिसीजन लेने से रोका जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री सारण।

श्री दौलतराम सारण (डुंगरगढ़) : अध्यक्ष जी, आज राजस्थान, उदयपुर और जोधपुर विश्वविद्यालयों के बारे में विचार हो रहा है। जब हम विश्वविद्यालयों के बारे में विचार करते हैं तो केवल एक जोन ही हमारे चिन्तन का विषय नहीं हो सकता है। केवल एक–दो छात्रों की हुल्लड़बाजी हमारे चिन्तन का विषय नहीं हो सकती। हां, घटना विशेष हमारे चिन्तन को प्ररित कर सकती है। चिन्तन को उद्वेलित कर सकती है, और उसी सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय की समस्या या राजस्थान और उदयपुर के विश्वविद्यालय की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। गत वर्षों में बराबर जुलाई से नवम्बर, दिसम्बर तक का समय हड़तालों और हुल्लड़बाजी का समय रहता आया है। इतने पीरीयड में कभी निर्बाध रूप में शिक्षण व्यवस्थित रहा हो ऐसा याद नहीं पड़ता है। कभी किसी संस्था में तो कभी किसी संस्था में किसी एक कारण से या

(श्री दौलतराम सारण)

किसी दूसरे कारण से हड़ताल और तोड़ फोड़ और हुल्लड़ हर वर्ष होता है। आखिर विद्यार्थी इस तोड़फोड में क्यों संलग्न होता है और यह पत्थर बाजी, यह पेपरवेट क्यों फेंका जाता है और यह हिंसक मनोवृत्ति, यह जातीय दुर्भावना जो विश्वविद्यालयों में नजर आती हैं तो क्यों आती हैं और इसका क्या कारण है? हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय। कहीं न कहीं दोष है और यह दोष ऐसी जगह पर है जिसको कि निकालना आसान नहीं है। अधिकांश हड़तालों का अगर विवेचन किया जाये तो इसके पीछे कई कारण नजर आयेंगे। इसमें चयन, स्टाफ के चयन का मामला जुड़ा हुआ होगा, या प्रमोशन का मसला जुड़ा हुआ होगा। स्टाफ के लोगों का आपस में झगड़ा होता है और वे इसके अन्दर विद्यार्थियों को इस्तेमाल करते हैं। मैं छात्रों से सम्बन्ध रखता हूं। छात्रों से मेरा सम्पर्क है और इसी नाते मुझे जानकारी है कि यूनिवर्सिटीज की अधिकांश समस्याएं छात्रों के माध्यम से पैदा नहीं होती हैं, हड़तालें उनके द्वारा नहीं होती हैं बल्कि वहां के स्टाफ द्वारा करवाई जाती हैं और मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में गुटबाजी पैदा हो जाती है और इस गुटबन्दी में छात्रों को किसी न किसी प्रकार इस्तेमाल किया जाता है तो वह गम्भीर बात है अध्यक्ष महोदय। यही स्थिति राजस्थान विश्वविद्यालय की है, यही स्थिति उदयपुर विश्वविद्यालय की है और यही स्थिति जोधपुर विश्वविद्यालय की है। फेक्चुअल अगर वहां की बात करूंगा तो अधिक समय लगेगा, लेकिन मैं संकेत रूप से इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के स्टाफ में जो गुटबन्दी है, जो झगड़े हैं वे विद्यार्थियों में बेचैनी पैदा करते हैं। यह मूल कारण है। उसके बाद आग सुलगाने वाले लोग पीछे खिसक जाते हैं और विद्यार्थियों को आगे कर देते हैं। विद्यार्थी अपनी किसी कमजोरी की वजह से और विद्यार्थी अपनी भावुकता की वजह से या विद्यार्थी अपनी कुछ बेचैनी की वजह से उनके इस्तेमाल में आते हैं। विद्यार्थियों का इस तरह से इस्तेमाल होना मुश्किल है लेकिन विद्यार्थियों की अपनी समस्याएं हैं उनकी बराबर उपेक्षा होती आ रही है। उन समस्याओं का समाधान जब नहीं निकलता है और स्टाफ का आसरा मिल जाता है तो इस वजह से उनकी समस्याएं भी उनके साथ जुड़ जाती हैं। विद्यार्थियों को अपना भविष्य अंधकारमय लगता है। शिक्षा-समाप्ति के बाद जीवन का आधार कुछ नजर नहीं आता है इसलिए जीवन के बारे में उनकी उपेक्षा की भावना है। उसकी वजह से विद्यार्थियों में उद्विग्नता है। इसके साथ साथ विद्यार्थी देखते हैं कि आय दिन पक्षपात होता है होस्टल में पक्षपात होता है, नम्बरिंग में पक्षपात होता है, यहां तो डिविजन बिकता है। इस युनिवर्सिटी के एसे लड़कों को मैं जानता हूं जिसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिला है, गोल्ड मेडेलिस्ट जो कहे जाते हैं उनको एक लाइन लिखना नहीं आता है जिस भाषा में परीक्षा दी है उसमें और जिसमें उन्होंने टाइप किया है। आपने देखा होगा कि प्रेक्टिकल में हन्ड्रेड पर्सेन्ट तो मार्क्स नहीं दिये हैं, लेकिन यहां विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेज में हन्ड्रेड पर्सेन्ट मार्किंग होता है। यही कारण है

(श्री दौलतराम सारण)

जो असन्तोष पैदा करते हैं। एक विद्यार्थी जो अपना पसीना लगाकर, अपनी मेहनत लगाकर स्टडी करता है उसको मार्क्स कम मिलते हैं, लेकिन जो फ्लेटरी करने वाला है चापलूसी करने वाला है और पैसा खिलाने वाला है वह नम्बर मार जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती है।

इसी तरह से चयन में होता है। इसी तरह से पी० एच० डी० के सिलेक्शन में होता है, जो रिसर्च स्कालर्स हैं उनके सिलेक्शन में होता है। आजकल युनिवर्सिटीज में बहुत बड़ा बार्गेनिंग चल रहा है फॉरेन एड के नाम से। प्रोजेक्ट रिसर्च के नाम से हमारे इन्टेलेक्चुअल्स को खरीदने का फॉरेन वाले, विदेश वाले जो हैं षड्यंत्र चला रहे हैं। हमारे हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स, कुछ, सब को तो नहीं, कुछ जो बहुत पापुलर है, जो बहुत ज्यादा अपनी क्षमता रखते हैं एडजस्टमेन्ट की या प्रोपेगेण्डा की वह इधर उधर से प्रोजेक्ट ले आते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और वह अपने चहेतों को उसमें एन्गेज कर लेते हैं और खुद मोटी कमाई उसके नाम से करते हैं। फ़ारेनर्स द्वारा हमारे इन्टेलेक्चुअल्स को ग्रेब करने का जो तरीका चल रहा है इससे हमें सावधान होने की आवश्यकता है। उनको इतना समय नहीं है कि वे छात्रों की क्लास लें, और अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके छात्रों में जाते नहीं हैं। आज उनको समय नहीं है प्रोफेसर्स और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को कि छात्रों को एक दो लेक्चर्स दे सकें। यह स्थिति आज हमारी युनिवर्सिटी की है, लेकिन किसको कहें। हम देखते हैं कि किसी को देखने की फुरसत नहीं है, न सीनेट को है, न सिन्डीकेट को है, न एकेडेमिक कमेटी को है, न एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को है, न वाइस-चांसलर को है। सबको समय नहीं इन सारी बातों को देखने के लिए।

तो एक तरह की नहीं अनेकों तरह की समस्याएं हैं। होस्टल में किनको प्रवेश मिलता है, जिनकी सिफारिश होती है-। जो वाजिब केस होते हैं, दूर के लोग आकर पढ़ते हैं उनको होस्टल में जगह नहीं मिलती है। होस्टल में उसी तरह से जगह मिलती है, चक्कर कटवाये जाते हैं।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इन विश्वविद्यालयों का नाम तो बहुत पवित्र है, महान है, विशाल है पर यथा नाम तथा गुण नहीं है। इनका स्तर निम्नस्तर पर आ गया है। इनके आचरण शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोगों के अत्यन्त निम्नस्तर पर पहुंच गये हैं। पार्टीबाजी, साथियों के प्रति घृणा, विद्वेष और इस तरह कीहरकतें बढ़ रही हैं पक्षपात इतना जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन विवरण है। यही स्थिति राजस्थान विश्वविद्यालय में है, उदयपुर विश्वविद्यालय में भी है और जोधपुर विश्वविद्यालय में भी है। इसलिए इन प्रवृत्तियों की तफसील में जाने की आवश्यकता है। एडमीशन में, होस्टलों के प्रवेश में नियुक्तियों में, परीक्षा पद्धति में, मार्किंग सिस्टम में, शिक्षा पद्धति में और शिक्षा के माध्यम के विषय में भी हमें तफसील में जाने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में अनेकों कमीशन बने हैं, कमेटियां बनी हैं।

(श्री दौलतराम सारण)

उन्होंने रिपोर्ट दी है इस मुद्दे पर, लेकिन उन कमेटीज की रिपोर्ट के दूसरी बराबर कमेटियां बनाई गई हैं, फिर तीसरी बनी और चौथी बनी, यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन कोई निश्चित निर्णय लेकर निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में कदम नहीं उठाया है। अभी तक हम शिक्षा के क्षेत्र में केवल प्रयोग करते जा रहे हैं, खास तौर से विश्वविद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षा के स्तर पर। कभी तीन वर्ष का कोर्स हो जाता है, कभी 5 वर्ष का हो जाता है, कभी हम अमेरिकन पेटर्न ले आते हैं किसी सब्जेक्ट में और कहीं पर कुछ ले आते हैं लेकिन ये प्रयोगात्मक कदम हैं। इन कदमों से विद्यार्थियों में असन्तोष फैलता है। कभी लॉ का कोर्स तीन साल का हो जाता है और कभी दो साल का हो जाता है। आखिर यह प्रयोग हम किसलिए कर रहे हैं। हमको यह प्रयोग बन्द करने चाहिए। जब लड़के पढ़ाई समाप्त होने के बाद रोटी-रोजी मांगते हैं तब, अध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि हम मेडिकल कालेज में सीट कम करते हैं, इन्जीनियरिंग कालेज में सीट कम कर देते हैं, और पोलीटेक्निक में सीट कम कर देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह हमारा दृष्टिकोण प्रतिगामी दृष्टिकोण है। मैं कहूंगा कि शिक्षा का जीवन के साथ सामन्जस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। जब तक शिक्षा के साथ विवेक और श्रम का समायोजन नहीं होगा, जब तक शिक्षा के क्षेत्र में विसंगतियां रहेंगी, इसी तरह का विद्रोह दृष्टिगोचर होता रहेगा। आज जहां स्टाफ की विकृतियां और स्टाफ के झगड़े इसके कारण हैं वहां शिक्षा के क्षेत्र में जो अदूरदर्शितापूर्ण समय समय पर निर्णय लिये जाते रहे हैं उसके कारण से एक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। विवेक और श्रम के समायोजन की कमी है उसका परिणाम यह असन्तोष है। उसका यह मोटा कारण है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नये शिक्षा मंत्रीजी इस बारे में गम्भीरता से विश्वविद्यालय के साथ में सम्पर्क करके इस क्षेत्र में कारगर कदम उठायें।

आप इन्जीनियर्स और डाक्टर्स को तो भत्ता दे देंगे लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि पी०एच०डी० वालों के लिए क्या कर रहे हैं। पी०एच०डी० में सबसे ज्यादा लम्बा समय उनके शिक्षण में लगता है। आपने एम०ए०वालों के लिए तो मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन का लिख दिया, लेकिन पी०एच०डी० वालों को सीनियर टीचर में भी लेने को तैयार नहीं हैं और वे मारे मारे फिर रहे हैं। पी०एच०डी० के बारे में भी हमने देखा है कि जो उनका थीसस होता है वह 5—10 किताबों की नकल होती है और उस पर ही आप पी०एच०डी० बनाते जा रहे हैं। आखिर उद्देश्य क्या है आपका ? इस तरह से शिक्षा सोद्देश्य होनी चाहिए। केवल एकेडेमिक क्वालिफिकेशन के नाम पर हमें शिक्षा के स्तर को नहीं गिराना चाहिए, और शिक्षा का जीवन के साथ में सम्पर्क हो, समन्वय हो और तालमेल होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि जैसा भी मैस सिस्टम चलता है यूनिवर्सिटीज के होस्टल्स में उसकी क्या दयनीय स्थिति है। मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई मैस का इन्चार्ज बन जाता है विद्यार्थी तो सारे उसकी क्लास के लोग

(श्री दौलतराम सारण)

जो हैं, वे कहते हैं, अरे यार, अब की बार तो तेने सूट भी करा लिया कुछ हमें भी खिलाओ। मतलब यह है कि मेस का इन्चार्ज बनने का मतलब एक दो सूट बनाना यह स्थिति है युनिवर्सिटी के क्षेत्र में। यह स्थिति क्यों बनी ? पिकनिक के नाम से और न मालूम कितनी तरह से स्टाफ के लोग गोलमाल करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन छात्रों पर आता है।

अब कोर्स की किताबों का हाल देखिये। किस तरह से कुछ लोगों की किताबें स्पेशल रूप से युनिवर्सिटी में लगी हुई हैं और जब उनको देखते हैं तो उनमें क, ख भी नहीं हैं। उनसे ज्यादा बढ़िया किताबें हैं लेकिन उनका नम्बर नहीं आता है और घासलेटी साहित्य ...

श्री अध्यक्ष : कुछ उदाहरण रखें तो आपकी बात का प्रतिपादन ठीक साबित होगा।

श्री दौलतराम सारण : मैं तैयार हूं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपकी घन्टी बजनी शुरू हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : ऐसी किताबें हैं तो मैं घन्टी नहीं बजाऊंगा।

श्री दौलतराम सारण : मेरी तो पूरी तैयारी है। आप कहें तो एक एक बात का उदाहरण देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : समय तो माननीय सदस्यों का है मेरा नहीं।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य आपसे भयभीत रहते हैं। आपकी घन्टी से बड़ा भय लगता है।

शिक्षण-संस्थाओं को बन्द करना या हड़ताल करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। छात्रों में असंतोष और अनुशासन नहीं रहने में आपत्ति नहीं। अगर छात्रों के असन्तोष को हमें दूर करना है, छात्रों से हड़ताल की मनोवृत्ति को हटाना है, अगर हमें छात्रों को योग्य, शिक्षित और सुसंस्कृत बनाना है तो हमें चाहिए कि हम छात्रों के अधिक नजदीक जायें। आज छात्र आप से मिलना चाहें तो उनको गेटआउट कह कर निकाल दिया जाये। वाइस-चांसलर उनको निकाल दे। हैड आँफ डिपार्टमेन्ट उनको निकाल दें। वह पुलिस के सिपाही नहीं हैं जो एस० पी० गेट आउट कह दे और वे बेचारे अनुशासन के नाते चले जायें। बच्चे भी समझदार हैं, नौजवान हैं। उनको प्यार और मुहब्बत से कब्जे में किया जा सकता है। योग्यता से ही उनको अनुशासन में रख सकते हैं। रिस्टीकेशन के डण्डे से उनको कब्जे में नहीं रख सकते हैं।

जोन साहब का जिक्र किया गया है। अच्छे आदमी और शिक्षाविद् हैं। मैं नहीं जानता हूं। सुना है वह रूखे आदमी हैं। वे पाश्चात्य शिक्षा के आदमी हैं। भारतीयता के कट्टर विरोधी हैं। जोन साहब, जिस प्रकार का विश्वविद्यालय का वातावरण बनाना चाहते हैं, वह कोई बरदाश्त नहीं कर सकता है। अगर जोन साहब असन्तोष दूर करना चाहते हैं तो उनको छात्रों की बात सुननी होगी। तालाबन्दी करने वाला तरीका नहीं चलेगा। पिटवाने की बात तो मैं नहीं कहता हूं, कहां तक सही बात है। जैसा कि सुरेन्द्रजी ने अभी कहा है। परन्तु मैं जानता हूं कि वह रूखे आदमी हैं। कड़े

(श्री दौलतराम सारण)

ज्यादा हैं । परन्तु वह पुराने जमाने की बात थी । इस युग में तो लाजिकली और साइकालाजिकली एप्रोच होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : सम्पर्क स्नेह, ये सभी कुछ हैं ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आप तो पारंगत हैं ।

तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक मांग पत्र में अभी नीचे गया तो मिला था । वही शायद यहां भी डाला गया होगा । इसमें 9 मांगे पेश की हैं । वे मुझे वाजिब लगती हैं । मेरे ख्याल में तो उन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

(1) विश्वविद्यालय की तालाबन्दी को हटाना ।

यह तो नागरिक भी चाहते हैं । यह तो कोई अनुचित बात नहीं है । निलम्बित छात्रों को पुन: प्रवेश दिया जाये । मैं समझता हूं कि यह देना ही चाहिए ।

(2) विश्वविद्यालय प्रशासन म छात्रों की हिस्सेदारी को स्वीकार किया जाये ।

यह तो, अध्यक्ष महोदय, नई कांग्रेस रोज ही ढोल पीटती है । अगर एकेडेमिक कोन्सिल में नहीं तो सिन्डीकेट में और सीनेट म प्रतिनिधित्व उनको दिया जा सकता है । या तो उनकी यूनियन के द्वारा डायरेक्ट उनको किया जा सकता या है । या अलग अलग चुने जायें उनमें से लिया जा सकता है । किसी भी तरह से उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए । यह बात मैं अनुचित नहीं मानता हूं । इससे उनकी स्वयं जिम्मेदारी की भावना बनेगी । ऐसी मेरी मान्यता है ।

(3) शिक्षा की समाप्ति पर रोजगार की गारण्टी राज्य सरकार द्वारा दी जाये । यह तो अध्यक्ष महोदय, उनका अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष : संविधान का है ।

श्री दौलतराम सारण : जिसको चोंच मिली है उसको दूध भी मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : दूध क्यों खुराक मिलनी चाहिए ।

श्री दौलतराम सारण : हमारा तो जनतन्त्रात्मक संविधान है । इसीलिए मैंने कहा था कि शिक्षा की संगति जीवन के साथ होनी चाहिए । यह बात भी वाजिब लगती है ।

श्री अध्यक्ष : कोई भी गैर वाजिब नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण: आज की परिस्थिति में मांग तो उनकी उचित है । आगे उन्होंने कहा है,

(4) राष्ट्रीय कृत बैंकों से विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु ऋण दिया जाये ।

अगर उनको दिया जाये तो जो लोन चाहेंगे, वह लेंगे । नहीं लेना चाहेंगे वह नहीं लेंगे । यह स्कालरशिप से ज्यादा अच्छा है । यह मांग भी अनुचित नहीं मालूम होती है ।

Page No 107

(श्री दौलतराम सारण)

(5) अनिवार्य उपस्थिति इसी वष से समाप्त की जाये ।

इस मांग से मेरी सहमति नहीं है । मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं । रेलवे कन्सेशन की बात कही गई है यह भी अनुचित नहीं है । कुछ सभा भवन और कालेज भवन बनाने के लिए भी कहा गया है । यह भी राजस्थान सरकार को देखने की बात है । एल० एल० बी० का कोर्स कभी 2 साल का होता है तो कभी 3 साल का होता है । उनको एक साल ज्यादा जाना पड़ता है । पहले तो प्रेक्टिकल ट्रेनिंग किसी भी वकील के पास एक साल की ले लेते थे । अच्छा है, एक साल सरकार का कम होता है । फिर,

(9) राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी विभागों को मेन केम्पस म स्थानान्तरित किया जाये । ये 9 मांगे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आग और है । राज्य सरकार ठण्डे दिमाग से सोचे । (हंसी)

श्री दौलतराम सारण : ये 9 मांगें हैं इनमें कोई ऐसी मांग नहीं है जो अनुचित हो । विचारणीय मांगे हैं । राज्य सरकार व विश्वविद्यालय के जिम्मेदार लोगों को छात्र नेताओं से बात करनी चाहिए । उनसे घबराना नहीं चाहिए । आखिर वह हमारे बच्चे हैं, वह हमसे लड़ने के लिए नहीं हैं । कोई आपके घर से है । कोई हमारे घर से है । हम हमारे बच्चों म बैठें, उनकी कोई बात अगर तर्कसंगत नहीं हो, उसमें सार नहीं हो तो विश्वविद्यालय स्तर के वह छात्र हैं, उनसे हमें बात करनी चाहिए……

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त कर दें । मैं घण्टी बजा रहा हूं ।

श्री दौलतराम सारण : आप कह रहे थे कि सौ उदाहरण बोलूं । मैं उदाहरण दे रहा हूं……

श्री अध्यक्ष : कुछ उद्विग्नता अन्य माननीय सदस्यों की दीख रही है । वह बोलना चाहते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : मुझ बोलते हुए बीस मिनिट हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : मेरी घड़ी में आधा घण्टा हुआ है । खैर, आपकी घड़ी मान लेता हूं । आप बोलें ।

श्री दौलतराम सारण : मेरे पूर्व के वक्ता सवा घन्टे बोले हैं । उनके लिए सवा घण्टे में भी घण्टी नहीं बजी ।

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये ।

श्री विजयसिंह : घण्टे घण्ट में घण्टी बजती है, सवा घण्टे में घण्टी कैसे बजती ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय तीनों विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा की घोर उपेक्षा हो रही है । दो विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा नाम मात्र को नहीं है, राजस्थान विश्वविद्यालय में जरूर है, लेकिन राजस्थानी का सम्मानजनक स्थान होना चाहिए, विश्वविद्यालय में वह नहीं है । तो राजस्थान विश्वविद्यालय में भी राजस्थानी भाषा का सम्मानजनक स्थान न हो-यह बात अत्यन्त आपत्तिजनक है और

Page No 108

(श्री दौलतराम सारण)

यह अस्वाभाविक है, और मैं कहूं कि नाकाबिले बर्दाश्त है, तो अध्यक्ष महोदय, अनुपयुक्त नहीं होगा। इसलिए इस मामले पर शिक्षा मंत्री को गौर करना चाहिए, वह राजस्थानी के हमदर्द भी हैं।

इसके अलावा जो यह सिलसिला चल पड़ा है कि जुलाई से नवम्बर तक हड़ताल का पीरियड रहता है, इस सिलसिले को समाप्त करने के सम्बंध में विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों और राज्य सरकार को आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते इस तरफ ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय की स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, अधिकांश लड़के हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन दस पांच लड़के जाकर फाटक बन्द कर देते हैं तो हड़ताल हो जाती है। यह स्थिति रहती है प्रायः, लेकिन यह स्थिति पदा क्यों होती है। यह स्थिति पैदा होती है असंतोष के कारण। जैसा मैंने बताया वह तब पैदा होती है, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि ऐसी स्थिति को······

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई दर्ख्वास्त नहीं आई है, गाड़ियाजी, आपने स्थान परिवर्तन कर लिया है ट्रेजरी बेंचेज पर, आप आरम्भ रखें।

श्री दौलतराम सारण : अगली बार इधर से उम्मीद नहीं है। इसलिए उधर से हाथ मारने का इरादा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप पुरानी आदत से लाचार हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह जो सारा घपला है, इसके लिए राजस्थानी की एक कहावत है- कि लोह खोटो की लुहार खोटो - छात्र दोष कर सकते हैं तो दूसरे विश्वविद्यालय के अधिकारियों और स्टाफ का भी दोष हो सकता है। दोनों ओर से दोष होता है, तो गड़बड़ी होती है······

श्री अध्यक्ष : लोहा खराब होवे और लोहार भी खराब होवे तो सत्यानाश है दोनों का।

श्री दौलतराम सारण : कहीं कहीं अच्छाई भी हो सके है। रलाया हाथ धूपे। दोनूं पक्ष मिलाकर काम करें जद ठीक हुवे। सीख सरीरां ऊपजे दीया लागे डाम।

श्री अध्यक्ष : सीख न दीजे बांदरा घर बया का जाय।

श्री दौलतराम सारण : टाबर कुटाबर हो सके, पण माइत कुमाईत नीं हुवे।

श्री हंसराज आर्य : कहावत यह है–
सीख जाको दीजिये जाको सीख सुहाय,
सीख न दीजे बांदराको घर बया का जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने आखिरी पंक्ति कह दी, आप पहली पंक्ति कह रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष जी, मुझे आश्चर्य हुआ, हूजा साहब को जांच अधिकारी नियुक्त किया है, पेपर बेट मारने की इन्क्वायरी करने के लिए। यह पेपर बेट मारने की बात गलत समझता हूं, गैर जिम्मेदाराना समझता हूं। ऐसी घटनायें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। ऐसी

(श्री दौलतराम सारण)

घटनाओं को सख्ती के साथ रोकना चाहिए। ऐसी घटनायें करने वाले को कड़ी सजा देनी चाहिए। परन्तु एसी घटनायें पैदा क्यों होती हैं। उनकी तह में नहीं जायेंगे और ऊपर से ही उपचार करेंगे तो उपचार नहीं होगा क्योंकि शरीर के अन्दर विकार है, वह विकार दूसरे रूप में सामने आयेगा। इसलिए इन्क्वायरी बैठाने की आवश्यकता है मूल मुद्दे में जाने के लिए, समस्या की तह में जाने के लिए, असंतोष के कारण की छानबीन करने के लिए और समस्या के निवारण के लिए सुझाव देने के लिए। राजस्थान सरकार को उस क्षेत्र में सोचना चाहिए, इस विषय में सोचना चाहिए। लेकिन यह इन्क्वायरी बैठाई गई है, मुझे ऐसा लगता है कि यह मूल मुद्दे को साइडट्रैक करने वाली इन्क्वायरी है, असली मुद्दे के ऊपर पर्दा डालने वाली इन्क्वायरी है। इसलिए यह उचित बात नहीं है। इस इन्क्वायरी की दीवार को हटाना चाहिए, राजस्थान सरकार को इस दीवार को हटा कर पूरी इन्क्वायरी सारे मसले की करवानी चाहिए। लड़के कहते हैं कि टाइम-टेबल में परिवर्तन कर दिया जाय, तो मुझे यह अनुचित नहीं लगता है। उनके साथ में बैठ कर टाइम टेबल को उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बदल दिया जाय तो क्या वज्रपात हो जायगा। लेकिन नहीं करेंगे, कहते हैं जो कर दिया वह कर दिया। यह स्टेण्ड, यह तरीका सामन्तशाही तरीका है·······

श्री अध्यक्ष : वह भी अंग्रेजी भाषा में।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा आखिर में कि लड़कों की समस्या, छात्रों की समस्या केवल छात्रों की ही नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान के भावी नागरिक के निर्माण की समस्या है। हम भावी नागरिक कैसे चाहते हैं उसी तरह की हमें स्थिति पैदा करनी चाहिए। अगर हम हुल्लड़बाज नागरिक पैदा करना चाहते है, अगर हम यह चाहते हैं कि हुल्लड़बाज, अनुशासनहीन और केवल वाचाल नागरिक पैदा हों तो चाहे आप ध्यान नहीं दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं, हिन्दुस्तान में जिम्मेदार, अनुशासनबद्ध और इरादे के नागरिक पैदा हों, किसी उद्देश्य को लेकर जीने वाले नागरिक हों, तो हमें निश्चित रूप से विद्यार्थियों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि हम एसा करेंगे तो निश्चित रूप से मेरी ऐसी मान्यता है कि इस इरादे के साथ विश्वविद्यालय के लोग और राज्य सरकार मिल कर अगर नागरिकों का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का उचित ढंग से समाधान होगा और आज जो विश्वविद्यालय के जीवन में विसंगति है, और छात्रों के अन्दर विषाक्त वातावरण नजर आता है वह नहीं आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं यह अपेक्षा करता हुआ कि इन बातों पर गौर किया जायग, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सदन के विशेषाधिकार हनन करने के दोषी व्यक्ति सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ? जो व्यवधान सदन में हुआ उस प्रश्न को रख

(श्री अध्यक्ष)

कर मैं उसका निराकरण कर लेना चाहता हूं ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : डिबेट से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष : डिबेट से सम्बन्धित है लेकिन वह अन्डर अरेस्ट है ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : छोड़ दीजिये ।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : बच्चे हैं, छोड़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पूछ लेता हूं ।

नाम है, रमश साधु, दूसरे हैं मरतसिंह । दो विद्यार्थी हैं, जो यहां दाखिल हुए प्रवेश-पत्र के साथ, नारे लगाये, पेम्फलेट फैंके-पेम्फलेट शालीन हैं, जो माननीय सदस्यों से मांग की हैं, उनमें कोई ऐसी नहीं है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : छात्र भी शालीन है ।

श्री अध्यक्ष : तरीका भी शालीनता का था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह नहीं था ।

श्री अध्यक्ष : प्रासीजर में न जाकर माननीय सदस्य कह दें कि रिलीज कर दिया जाय तो....

श्री दौलतराम सारण : बचपन में कर दिया है, बाकि बुरे इरादे से नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : They may be released (विराम) छोड़ देना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

राजस्थान के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मामलों पर अग्रेतर चर्चा

श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में डिबेट चल रही है। इतना वक्त नहीं है कि यूनिवर्सिटी के हर एक फेज के बारे में यहां बोला जा सके। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि तीनों यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हैं, निकले हैं उनमें से वह स्टूडेन्ट लीडरशिप नहीं दे पायी है । स्टूडेन्ट्स के लिए हम यह मान कर चलें, चाहे कहीं बैठे हों, इधर बैठे हुए हों, चाहे उधर बैठे हों कि जो स्टूडेन्ट लीडर शिप राजस्थान यूनिवर्सिटी को देनी चाहिये वह देने में वह फेल रही है । इसके कारण हो सकते हैं, जो सिस्टम ऑफ एजूकेशन है, या हमारे देश में जो कन्फ्रन्टेशन है, जो अनएम्पलयमेन्ट की प्राबलम है, या लेक्चरर्स में इन्टरनल ग्रूप है या राइवलरीज है-वह कारण हो सकते ह। मैं इनमें नहीं जाना चाहता । मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह वक्त आ गया है कि सरकार को इस सम्बन्ध में सोचना चाहियें, राजस्थान की यूनिवर्सिटी है वह इतनी बड़ी अनबिल्डी हो गई है, अध्यक्षजी, इनका जो काम्प्लेक्स है, उसमें इतने नम्बर आफ स्टूडेन्ट हैं, या इतने नम्बर आफ लेक्चरर्स या प्राफेसर्स हैं कि न तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है और न अच्छी तरह से एजूकेशन दी जासकती है इसलिए राजस्थान सरकार को सोचना

(श्री केदारनाथ)

चाहिये कि चौथी यूनिवर्सिटी राजस्थान में हो, उसकी सीट कहां हो, इसके कई फेक्टर्स हो सकते हैं। कल्चरल हेरीटेज, एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशंन्स नम्बर ऑफ स्टूडेन्ट। यह सारी चीजें सोच कर अजमेर के लिए सोचा जा सकता है कि वहां यूनिवर्सिटी की सीट हो, बीकानेर के लिए सोचा जा सकता है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। अध्यक्षजी, मेन चीज यह है कि जितनी यूनिवर्सिटी है, उनके अन्दर क्या टीचर्स के अन्दर और स्टूडेन्ट्स के अन्दर कार्डीनेशन है। नहीं है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में और टीचर्स में बहुत बड़ा गेप है, सोचने के अन्दर और सोच कर काम करने में। इसलिए कहां पर बुनियादी तौर पर झगड़े पैदा होते हैं। जहां तक जोन का प्रश्न है, वह बहुत अच्छे वाइस-चान्सलर हैं, हमारे यहां वाइस चान्सलर अच्छे अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में किलक्स बन गये हैं, हैड ऑफ डिपाटमेंट्स के। चाहे उदयपुर के हों, चाहे जोधपुर के हों और चाहे यहां के हों, वह केवल मिसगाइड कर सकते हैं। उनकी प्रापर गाइड्स नहीं है। और आज हैड्स का एक विसिअस सर्किल पैदा हो गया है, उनके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स पैदा हो गये हैं, अब यह मांग चल रही है कि हैड्स रोटेशन से हों, डिपार्टमेंटल कमेटी के चेयरमेन हैं, डिपार्टमेन्ट के हैड वह फिक्स्ड नहीं हों, वह रोटेशन के आर्डर में हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज एफलूएन्ट फोर्सेस यह कहती हैं, हमारे साथ में पक्षपात होता है। इसलिए आपकी मार्फत यह भी मैं अर्ज करना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी केम्पस में जो प्रोफेसर हैं वह केवल पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को पढ़ाते हैं, वह अन्डर ग्रेजुएट क्लासेज को नहीं पढ़ाते हैं। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, इनका दिमाग और इनका एप्रोच कैसे बदला जाय, कैसे स्टूडेन्ट के अन्दर डिसीप्लीन मेन्टेन किया जाय। आज यूनिवर्सिटी की एजूकेशन में इतनी डिस्पेरिटी है, पढ़ाने में इतनी डिस्पेरिटी है, काम करने में इतनी डिस्पेरिटी है। यह जो डिस्पेरिटी मैं डिस्पेरिटी है इसे यदि दूर न कर पाये तो इसमें सुधार नहीं आ सकता है। इसका यही इलाज है कि फर्स्ट ईअर से लेकर एम० ए० तक की क्लासेज हर एक लेक्चरर और प्रोफेसर के पास होनी चाहिए। क्लासेज में लेक्चरर, प्रोफेसर, हैड ऑफ डिपार्टमेंट आये तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा और जो विसियस स्थान बना लिया है वह दूर होगा। मेरा ऐसा सुझाव है कि विश्वविद्यालय में सिन्डीकेट में स्टूडेन्ट का पार्टीसिपेशन होना चाहिए। इसी प्रकार स्टूडेन्ट्स का एकेडेमिक कौन्सिल में भी होना चाहिये पार्टीसिपेशन आज ज्यों ज्यों डेमोक्रेसी बढ़ रही है त्यों त्यों शिक्षा का प्रसार भी बढ़ रहा है देश में सोशियो इकॉनोमिक प्रोग्रेस होगी और इस प्रकार स्टूडेन्ट्स को उसमें आगे के चान्सेज नहीं होंगे या उन्हें सर्विसेज पढ़ लिख कर नहीं मिलती है तो एजूकेटेड मास में अनरेस्ट होगा और होना स्वभाविक ही है। स्टूडेन्ट्स में इनडिसिप्लीनरी टेन्डेन्सी इसीलिए बढ़ती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यूनिवर्सिटीज में डे-टू-डे एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेन्ट्स का भी शेअर होना जरूरी है अगर उनका शेयर होगा या अगर हम उसमें स्टूडेन्ट्स का रिप्रेजेन्टेटिव ले लेते हैं उसमें तो उन्हें अपनी रेस्पान्सिबिलिटी

(श्री केदारनाथ)

महसूस होगी चूंकि इन सभी बातों का आज अभाव है इसीलिये ये इतने आज युनवर्सिटीज में दंगे फिसाद होते हैं आये दिन हड़तालें होती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन होना चाहिए। आज अगर इनकी मिलीजुली कोई कमेटी बनी हुई थी, स्टूडेन्ट्स और विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच समन्वय जैसी कोई बात होती तो ठीक रहता। इससे वो जो डिसीजन लेती तो उसमें काफी छात्रों की समस्याओं का समाधान हो जाता। आज स्थिति यह है कि जब श्री जॉन ने रेजिग्नेशन दे दिया और वो उसे वापिस भी ले लेते हैं और इस बीच में और घटनायें घट जाती हैं तो यह ठीक नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मारफत कहना चाहूंगा राज्य सरकार को कि विश्वविद्यालय एक्ट में अब तुरन्त संशोधन किया जाना चाहिए। इसके लिए अगर राज्य सरकार के पास अभी टाइम नहीं हो तो राज्य सरकार को चाहिए कि वह एक आर्डीनन्स जारी करदे। स्थिति अगर ऐसी हो गई है कि एडमिशनस के बारे में कोई प्रोब्लम है तो सरकार चाहे तो एक और यूनिवर्सिटी खोल दें। वह चाहे अजमेर में हो या कहीं हो। आज स्टूडेन्ट में अनरेस्ट बहुत ही ज्यादा है। आज यूनिवर्सिटीज में गुटबन्दियां अधिक हैं एक यूनिवर्सिटी को चाहे जब डिजोल्व कर देते हैं और चाहे जब वी० सी० स्तीफा दे देता है और दो दिन बाद में वापिस ले लेते हैं। आज जोधपुर, उदयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय में काफी इर्रेग्यूलेरीटीज हो रही है और अब इर्रेग्यूलेरीटीज होती हैं तो स्टाफ में और स्टूडेन्ट्स में अनरेस्ट होना नेसेसरी है। आज सरकार ने विश्वविद्यालय को ऑटोनोमस बना कर उन पर कोई चेक नहीं रखा इसलिए वो इस तरह की मनमानी करती है जिससे ये सारे डिस्टर्बेन्सेज होते हैं। विश्वविद्यालय के वीसीज अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं। मैं आपको एक उदयपुर युनिवर्सिटी के हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट के प्रोफेसर का उदाहरण देता हूं ये सीनियर प्रोफेसर है डि० लिट् हैं उन्होंने जो लिखा है उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"Sir, you have placed two Professors of Science department and placed the other two in the senior professor-ship. This will almost exhaust the quota of senior-professorship.

All these who fulfill the minimum qualifications of the University are being given University professorship. It is unpresidented that a person who was almost to have dismissed from the other University in your tenure as V. C. and now he has been placed in a senior grade.

Promotion to the Senior grade should not be made routine promotion.

Secondly the entire quota need not be exhausted. Your decision to appoint all the four Science Professorship to the Senior cadre would be prejudicial.

(श्री केदारनाथ)

I request you to reconsider the whole issue."

(3.55 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष पदासीन)

और, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहां गुटबन्दी थी और इस प्रकार एक योग्य व्यक्ति को नहीं लिया गया और एक लैस क्वालिफिकेशन वाले को ले लिया था इस तरह से सारी एकेडेमिक लाइफ खराब हो गयी है। तो यह हालत आज सीनियर प्रोफेसर्स में अनरेस्ट की और इसी प्रकार स्टूडेन्ट्स में भी अनरेस्ट है। अगर हमें इन इर्रेग्युलेरीटीज को मिटाना है और लोगों में डिससेटिसफेक्शन को मिटाना है तो हमें कोई एक्ट बनाकर इन यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन पर चैक रखना होगा। आज यूनिवर्सिटीज की फाइनेनशियल पोजीशन भी खराब है। उनमें भी सुधार होना चाहिये। दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह है फोरिन स्कोलरशिप्स जितनी ग्रान्ट होती है यूनिवर्सिटीज को चाहे वो फोर्ड फाउन्डेशन के वजट से या और किसी से। ये स्कोलरशिप्स जो ग्रांट होती हैं इनमें भारी अनियमिततायें और उन्हीं लोगों को ज्यादा मिलती है जो कि चापलूस होते हैं जिन्हें वी० सीज० फेवर करते है। इसके कारण लोगों को जो अधिक होशियार होते हैं उन्हें वंचित हो जाना पड़ता है। कई बार उन लोगों का केरियर खराब हो जाता है। दूसरे इन स्कोलरशिप्स का इफैक्ट यह कि है हिन्दुस्तान के कल्चर पर ये अमेरिकन कल्चर को इन डाईरेक्टली थोप रहे हैं और एक तरह से हमारे लोगों में अमेरिकन थोट का इन्फिल्ट्रेशन करते हैं जिसका असर हमारे कल्चर पर खराब पड़ता है इससे हमारी सोशियल लाइफ पर धीरे धीरे उस कल्चर का असर हो रहा है जिसका मेजर इफैक्ट यह होता है कि हमारे स्टूडेन्ट्स में अमेरिकन लाइफ का त्यौर आ जाता है और उसका असर हमारे इन्डियन सोवरन्टी के खिलाफ भी किसी हद तक पड़ जाता है हमारे लोगों में अमेरिकन थिंकिंग को करेक्ट समझने की गति हो जाती है दूसरे फोर्डफाउन्डेशन की जो स्कोलरशिप्स होती है वह हमारी इकोनोमी को भी सेफगार्ड नहीं करती और इस बहाने वे हमारे स्कोलरशिप्स के नाम पर इनडाईरेक्टली यूनिवर्सिटीज के डे-टूडे एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टरफियरेन्स करते हैं। आज यूनिवर्सिटीज में क्लिनिक बन गये हैं।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राज्य सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि वह इन सभी प्रोबलम्स के बारे में कोई परमानेन्ट सोल्यूशन निकले जैसी कोई एक्टीविटी करे कोई एक्ट बना कर। जोधपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री जोन के बारे मे जो कहा जाता है वह मैं ठीक मानता हूं क्योंकि मैं श्री जोन को अच्छी तरह से जानता हूं। वे पहले अजमेर स्टेट में थे, बाद में राजस्थान के कॉलेज एजूकेशन के डाईरेक्टर बने और अब तीन साल से वाइस-चान्सलर बने हुए है। वे एक अच्छे स्पीकर, अच्छे राइटर और अच्छे एजूकेशनिस्ट हैं। लेकिन वो एक जिद्दी प्रवृत्ति के हैं अभी जो इन्होंने रेजिगनेशन दिया और वापस लिया और इस बीच में इन्होंने जो नियुक्तियां की हैं या प्रोमोशन्स किये हैं लेक्चरार्स का प्रोफेसर वगैरहों के वह मैं समझता हूं ठीक नहीं किये हैं। फिक्शन्स हैं स्टूडेन्ट्स के इसको भी मैं मानता हूं। लेकिन अपने आपको

(श्री केदारनाथ)

एजुकेशनिस्ट्स कहे, अपने आपको एकेडेमिशियन कहे, इतना ट्रान्जिट हो जाय, इतना एडमेन्ट हो जाय कि स्टुडेन्ट्स की बात नहीं सुनना चाहता, पब्लिक की बात न माने, सरकार की बात न माने। वह वाइस-चांसलर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लायक नहीं है। कोई भी हो एकेमेडिक लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना चाहिये। कोई भी वाइस चान्सलर क्यों न हो। मामूली सी बात थी कि टाइम चेन्ज किया जाय या नहीं। जोधपुर की क्लाइमेट सूट करती है या नहीं। फैकल्टी ओ इन्जीनियरिंग के स्टाफ को और स्टुडेन्ट्स को जो टाइम सूट करे उसको कर दिया जाय उसमें दिक्कत कहां थी? इससे कोई डिग्निटी कम नहीं होने वाली थी। उसके बाद किस प्रकार कंवाोकेशन्स हुए हैं और क्या स्थिति पैदा हुई है कि सारी युनिवर्सिटी की लाइफ को विशियेट कर दिया है। जोन साहब स्तीफा दें या नहीं दें, सरकार उनसे स्तीफा ले या न ले यह मेरा सबजेक्ट नहीं है। जब स्ट्राइक वापिस ले ली स्टुडेन्ट्स ने टीचर्स के कहने पर, चाहे कितना ही बड़ा एकेडेमिशियन हो, कितना ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो कितना ही बड़ा प्रिन्सिपल हो, वह अपनी पोजिशन को अनडिग्निफाइड बनाता है। स्टुडेन्टस की बात मान लेते और कहते यह टाइम टेबल रखता हूं और उसके बाद वाइस चान्सलर अपनी इच्छा को प्रिवेल करते तो हल निकल सकता था शिक्षा मंत्रीजी वहां के हैं, मुख्य मंत्रीजी वहां के हैं, कृषि मंत्रीजी वहां के हैं और दिल्ली में हमारे होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वे वहां के रहने वाले हैं। आखिर यह रिफ्ट क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ लेक्चरार्स हैं, कुछ पोलिटिशियन्स हैं जो स्टुडेंटस के नाम से यह स्थिति पैदा हुई है? इसके बैक में कौन हैं? भैरोंसिहजी से बात की। आप लोग भी गये। आखिर क्यों किसी की बात नहीं मानते हैं जोन। जो सब को ओवर राइट करता है स्टुडेन्ट्स को ओवर राइट कर सकता है, स्टाफ को ओवर राइट कर सकता है, पब्लिक ओपिनियन को ओवर राइट करता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को आप ओवर राइट नहीं कर सकते चाहे कितना ही डिटरमिनेशन हो, फेयरनेस हो। पब्लिक ओपिनियन बन गयी है और युन्विर्सिटी की लाइफ विशियट होती है तो जोन साहब को माफी मांग लेनी चाहिये थी कि गलती की। ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। और भी दूसरे सबजेक्ट्स हैं। लेकिन मेन बात यही है। पर्चे भी यहां आये। स्टूडेन्ट्स की मांग काफी लम्बे अर्से चलती आ रही है। रिफ्ट हुआ वह क्यों हुआ? सारे अफेयर्स की जांच होनी चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री मदनसिंह: ये सारी बातें आप समझ गये होंगे, आप ऐलान कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के बारे में बार बार कहा जाता है माननीय सदस्यों को सहूलियत होगी। मैं उसको पढ कर सुना देता हूं।

The Governor is hereby pleased to appoint Shri G. B. K. Hooja

(श्री शिक्षा मंत्री)

Chairman Board of Revenue, Ajmer to enquire and report on the following points—

1. Causes and circumstances leading to the incident.

2. Whether the police reached the spot promptly on receipt of information from the University authorities and whether it handled the situation properly.

3. The role of the students in the incident,

4. Measures to prevent such recurrence......

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : यह भी टर्म रहनी चाहिये कि इन्क्वायरी के समय जोन को नहीं रहना चाहिये।

श्री केदारनाथ : आयन्दा झगड़े न हों। जो रेस्टिगेटेड स्टूडेन्ट्स है वे वापिस ले लिये जायं। कोई विक्टिमाइजेशन न हो। एक क्लाईमेट बनाने के लिये खुद शिक्षा मंत्रीजी वहां पर जांय। उदयपुर के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वाइसचान्सलर ने इस्तीफा दे दिया है तो उसको दुबारा नहीं बनाना चाहिये। चौथी युनिवर्सिटी बनाओ उससे पहले इन सब समस्याओं का हल होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में गत कई वर्षों से हम इस सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे। मुझे कहते हुए खेद होता है कि राज्य सरकार ने इन विश्वविद्यालयों की बिगड़ती हुई हालत के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा का कभी मौका नहीं दिया। आज राजस्थान में तीन विश्वविद्यालय है और उन विश्वविद्यालयों के अन्दर जिस प्रकार के हालात हैं जिनके सम्बन्ध में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से प्रकाश डाला है समयाभाव के कारण मैं बहुत कुछ अधिक नहीं कह सकूंगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सब ही सम्माननीय सदस्यों को राजस्थान के विश्वविद्यालयों की हालत को देखकर गहरी चिन्ता है। जोधपुर विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिये बन्द है। तीन महीने से हड़ताल है। विद्यार्थियों को निकाला जा रहा है, विक्टिमाइजेशन का दौर चल रहा है, रिप्रेजेन्टेशन्स दिये जा रहे हैं लेकिन कोई सुनना नहीं। एक व्यक्ति द्वारा आज विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक साधारण से सवाल को लेकर, समय परिवर्तन के सवाल को लेकर आन्दोलन खड़ा हुआ। उस मांग के सामने वाईस-चान्सलर झुकने के लिये तयार नहीं हैं और राज्य सरकार नहीं चाहती। जोधपुर विश्वविद्यालय की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे बंगला देश के लोग अपनी मांगों को लेकर वेस्ट पाकिस्तान की मिलिटरी और तानाशाह याहया खां द्वारा जिस प्रकार से जुल्म उन पर ढाये जा रहे हैं उनको बर्दाश्त कर रहे है और विश्व मूक होकर देख रहा है उसी प्रकार जोधपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और राज्य सरकार अमेरिका की तरफ मूंह देखकर उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ होने दे रही है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्या किया राजस्थान सरकार ने ? हम राजस्थान के विश्वविद्यालयों पर 2।। करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करते हैं। जोधपुर पर 70 लाख रुपया खर्च करके छोटे 2 इलाकों में प्राइमरी और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खोलने के लिये हमारे पास पैसा नहीं है। जवाब में कहा जाता है कि हम 70 लाख रुपया जोधपुर विश्वविद्यालय पर खर्च करते हैं जोधपुर पर 6 करोड़ रुपया, उदयपुर पर 6 करोड़ रुपया 62 से लेकर अब तक खर्च किया है। क्या उपलब्धि है ? जोधपुर की उपलब्धि है कि जोधपुर का विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिये बन्द है। विद्यार्थियों को निकाला जाता है। मिनिस्टर जोर देते हैं। इस सदन की भावना छात्रों के साथ है। लेकिन सरकार कुछ करने में समर्थ नहीं है। क्यों मूक दर्शक होकर यह सरकार देख रही है ? इसका आखिर फिर क्या नतीजा निकलेगा ? इसके क्या परिणाम निकलेंगे क्या उन पर सरकार ने कभी गम्भीरता से विचार किया है ? एक बार नहीं अनेक बार मांग की कि यूनिवर्सिटी अफेयर्स की जांच करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में मैस हो रहा है। चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे उदयपुर विश्वविद्यालय हो राजस्थान सरकार कहती है कि विश्वविद्यालयों की ओटोनॉमी का सवाल है। ओटोनॉमी का क्या मतलब है जिसके नाम पर सदन में हमारी भावना को दबाया जावे, इसके नाम पर विश्वविद्यालय में छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो, शान्ति और व्यवस्था की स्थिति भंग हो, विश्वविद्यालय बन्द रखे जावें, और राज्य सरकार मौन होकर बैठी रहे। यह स्थिति सदन अधिक समय तक बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, ढाई करोड़ रुपया इस पर सालाना हम खर्च करते हैं वह इसलिये करते हैं कि शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था हो, पक्षपात रहित होकर जो योग्य हों उनको नियुक्तियां दी जावें, यह नहीं कि मनमाने लोगों को नियमों की अवहेलना करके नियुक्त किया जाय। रूल्स का वायोलेशन किया जावें। स्टेचूटरी एक्ट का वायोलेशन किया जावे यह ओटोनोमी का मतलब नहीं है। ओटोनोमी का मतलब यह है कि कानून के दायरे में रहकर काम करिये। विश्वविद्यालय के कानून और नियमों का पूरा 2 पालन किया जावे। इस तरह काम करते हुए रोजाना के काम म हम भी दखलन्दाजी करना नहीं चाहेंगे।

अगर अराजकता, अव्यवस्था मनमानी की स्थिति पैदा जहां हो जावे, वहां स्टेटों को भी केन्द्र अपने हाथ में लेते नहीं हिचकिचाती। तो ओटोनोमी का मतलब यह नहीं है कि स्टेटों में अराजकता और असन्तोष का बोलबाला होने दिया जाय। बंगाल में हालत खराब हुई तो केन्द्र ने तत्काल कदम उठाया और वहां की सरकार को समाप्त कर दिया। पर इतना होने के बाद भी यूनिवर्सिटी के इन अफेयर्स के बारे में आपने क्या किया ? भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया। पर दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी इनफीरियोरिटी कम्पलेक्स से ग्रस्त हैं।

Page No 117

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वे समझते हैं कि कहां तो मैं एक साधारण पढ़ा लिखा आदमी, और कहां मेरे मुकाबले में विश्वविद्यालय के एम० ए०, पी०एच०डी०, डी० लिट। तो इस कारण वे उनसे खरी 2 बातें नहीं कर सकते। आज तक सारे शिक्षा मंत्री, दुर्भाग्य से ऐसे ही आये। पहले बृजसुन्दरजी गरीब को बना दिया। फिर बरकत भाई आये। वे भी ऐसे ही रहे, कोई तालमेल नहीं था। हरिभाऊजी आये। उनको मालिश से ही फुरसत नहीं मिलती। तो इस माने में राजस्थान का दुर्भाग्य रहा कि कोई शक्तिशाली शिक्षा मंत्री नहीं मिला इसको। प्रबल मनोबल वाला नहीं मिला जो इनको ठीक कर सकता। राजस्थान के जितने शिक्षा मंत्री बनाये गये, निकम्मे लोगों को बनाया गया। जिनमें विश्वविद्यालय की हालत सुधारने की क्षमता कतई नहीं थी। नाथूरामजी मिर्धा को भी बनाया। कुम्भारामजी को भी बना देते तो क्या होता।

आज जो आये हैं, डिप्टी स्पीकर से प्रमोट होकर आये हैं। बरकत की महरबानी से आये हैं। पर, ये भी ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जिनमें साधारण पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। अगर उनको इस विश्वविद्यालय को या अन्य को ठीक करना है तो सख्ती से काम लेना होगा, इस इन्फीरियोरिटी कम्पलेक्स को अपने मन में से निकाल कर पूरी ताकत और सख्ती से इन सारी बुराइयों को ठीक करना होगा। इनका कठोर ऑपरेशन करना होगा। 35 करोड़ का शिक्षा का बजट आपके हाथ में है। 21 करोड़ जनता को भावी पीढ़ी के निर्माण का गुरुतर भार आपके कन्धों पर है। आज हमारी स्कूलों से निकलने वाले, कॉलेजों से निकलने वाले विश्वविद्यालयों से निकलने वाले, स्नातकों का स्तर जब हम देखते हैं तो तरस आता है। आज हम ये नमूने पैदा कर रहे हैं जो अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं में आई० ए० एस०, आर० ए० एस० की परीक्षाओं में आगे नहीं आ पाते। पिछड़ जाते हैं। ऑल इण्डिया कम्पिटीशन में खड़े नहीं हो पाते। यही कारण है कि सर्विसेज में आज हमारे तौर तरीके गिर रहे हैं, हमारा स्तर गिर रहा है।

परीक्षाओं की व्यवस्था के बारे में शिकायतें आती हैं, हम इनको रोक नहीं पाते। खुले आम नकलें करते हैं। बूंदी में क्या हुआ? क्या हुआ उनके बारे में हुए मुकद्दमों का। किसी को हटाने की बात आती है तो आप ठिठक जाते हैं कि यह फलां का आदमी है। खर्चे का मामला आता है तो आप घबरा जाते हैं, एक्शन आप ले नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज जो हालत शिक्षा जगत में राजस्थान की पैदा हुई है वे विगत आठ व दस सालों से बहुत अधिक हुई है। इन आठ व दस सालों में विधान सभा में भी बहुत मामले आये हैं, इतने पहले नहीं आते थे। सदन ने इन पर चिन्ता व्यक्त की है।

राजस्थान विश्वविद्यालय 47 में बना। वाइस-चान्सलर महाजनी आये। तीन साल रहे। इसके बाद उनकी अवधि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बढ़ाई। तीन साल और रहे। फिर चटर्जी आये। तीन साल रहे वे भी। सिंडीकेट ने उसकी म. टर्म बढ़ाई। तीन साल और रहे। इसके बाद मोहनसिंह मेहता आये। वे 60 तक रहे। उन पर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप लगाये गये। यहां पर बहस हुई। पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि और बढ़ावा दिया। अब यह गिरावट की शुरूआत कहां से हुई। अगर कहा जाय तो मोहनसिंह मेहता के समय से ही प्रारम्भ हुई।

आज यूनिवर्सिटी का हैड कौन है? गवर्निंग कौन्सिल किसके हाथ में है? सिंडीकेट किसके हाथ की कठपुतली है? अगर सिंडीकेट ठीक नहीं है, उसका कान्स्टीट्यूशन और कम्पोजीशन ठीक नहीं है, ठीक से काम नहीं करती तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है? 60 तक यह हालत नहीं थी। राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्धमें सदन को मौका नहीं मिला शिकायत करने का शिकायतें ज्यादा आई भी नहीं। इसका कारण क्या था? क्यों ऐसा 60 से पहले नहीं होता था, और बाद में होने लग गया?

60 के बाद मोहनसिंह मेहता को अपॉइन्ट किया गया तीन साल के लिये। इसे वाइस चान्सलर नियुक्त किया गया। 62 में उन का कार्य-काल समाप्त हो गया। सिंडीकेट राजस्थान विश्वविद्यालय की उनकी टर्म आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। 3 साल के लिये रिअपॉइन्टमेन्ट देने को तैयार नहीं थी। अब इधर मोहन सिंह मेहता और उधर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखाडिया। मोहन सिंह मेहता को एक्सटेन्शन नहीं मिले यह उनको कतई बर्दाश्त नहीं। यह कैसे हो सकता है कि मोहनलाल सुखाडिया मुख्य मंत्री राजस्थान के और मेवाड़ के और मोहनसिंह मेहता मेवाड़ के फिर भी उनको एक्सटेन्शन न मिले। अब तरकीब सोची जाने लगी कि उनको रिअपॉइन्टमेन्ट कैसे मिले। रास्ता निकाला गया कि सिंडीकेट अगर इनकी सिफारिश नहीं करती है, तो इसी को बिगाड़ो, इसको रि-कान्स्टीट्यूट करो और इस तरह करो कि यह वाइस-चान्सलर की कठपुतली बन कर रह जाय। पेटर्न उसका बदला गया इस हिसाब से। केवल एक आदमी को अकमोडेट करने के लिये इस तरह के बीज बोये गये। विधान सभा में कानून लाया गया और सारी सिंडीकेट के कान्स्टीट्यूशन को और उसके कम्पोजीशन को बदला गया 62 में।

सितम्बर-अक्टूबर की बात है। कानून आया और सिंडीकेट का पेटर्न बदल दिया गया। इसके बाद उनका रि-अपॉइन्टमेन्ट का सवाल समाप्त हुआ। इस नये कानून के द्वारा सरकार ने सिन्डिकेट के पेटर्न को आमूल-चूल बदल दिया। इलेक्टेड शेप बदल कर इसे नोमीनेटेड बना दिया। इस कानून को कोर्ट में चेलेन्ज किया गया। कहा गया कि यह इल-लीगल है, रूल के खिलाफ है। इनका रिअपॉइन्टमेन्ट गलत है। क्या नतीजा निकला। मुंसिफ कोर्ट ने इनवेलिड कर दिया। इसका कान्स्टी-ट्यूशन गलत है। इसका कम्पोजीशन गलत है। राज सरकार का ऑर्डर गलत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है विश्वविद्यालय अपील में गया। कोर्ट ने फिर निर्णय दिया कि इसका कन्स्टीट्यूशन गलत है, मेहता का रि-अपोइन्टमेन्ट गलत है। सरकार चक्कर में आ गई। सुखाड़िया साहब की नाक कट गई। अब इसे कैसे बचाया जावे। क्या किया जावे? वाइस-चान्सलर तो यही मेहता रहेगा, सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर है तो यह भी वाइस-चान्सलर रहेंगे। युनिवर्सिटी का भले ही कुछ भी हो जावे। विश्वविद्यालय जावे भाड़ में। इसे आग लग जावे हमेशा हमेशा के लिए। कटुता के बीज सुखाड़िया जी ने इसी दिन बो दिये केवल एक मेहता के अपोइन्टमेन्ट के लिये। मेहता को रि-इम्पलोय करने के लिये। विधान सभा में वेलिडेशन का बिल लाया गया। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनके अपोइन्टमेन्ट को वेलिडेट कराया गया। यह है शुरूआत।

राजस्थान विश्व-विद्यालय में जो जहर पनप रहा है और विश्व विद्यालयों में जो जहर पनप रहा है उसकी शुरूआत यहां से हुई। इस विष बेल के बीज उस दिन बो दिये गये थे। राजस्थान की सरकार ने स्वयं अपने हाथों यह आग लगाई, यह कटुता के बीज बोये। इस विष बेल को सींचा। इस मेहता के अपोइटमेन्ट को लीगेलाइज करने के लिये वेलिडेटिंग बिल लाकर। सुखाड़िया रहेगा तो यह व्यक्ति उसके साथ रहेगा चाहे कानून और नियम सभी बदलने पड़े। यह मनोवृत्ति थी जो घातक सिद्ध हुई।

बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजूकेशन का मामला हो। वहां अगर सुखाड़िया जी का आदमी है तो कैसे हट सकता है। तो यहां से सारी शुरूआत होती है।

आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह कान्स्टीट्यूशन क्या था और उसमें चेन्ज क्या हुआ? उस समय व इस चान्सलर को इतने अधिक पावर नहीं थे। सिंडीकेट पावरफुल थी। वह इलेक्टेड थी। उसके इलेक्टेड केरेक्टर को इतना बदला गया कि वह नोमीनेटेड बाडी बनकर रह गई और वाइस चान्सलर की हाथ की कठपुतली बन गई। जिसको वाइस-चान्सलर ने चाहा उसको रखा और जिसको नहीं चाहा उसको निकाल बाहर किया। वाइस चान्सलर को ये पावर मिल गये, अमेन्डमेन्ट से। और यह किया गया केवल डाक्टर मेहता के लिये।

पुराने कान्स्टीट्यूशन में 7 बोडीज होते थे। ओटोमेटिक चुनकर आते थे। नामीनेटेड नहीं होते थे। इलेक्टेड प्रिन्सिपल तीन सीनेट से आते थे। इसके अलावा डाइरेक्टर आफ एजूकेशन आदि मिलाकर 17 व्यक्तियों की सिंडीकेट थी। जिसमें वाइस चान्सलर के दो नोमीनेटेड होते थे तीन डीन। अब तीन डीन वे होने लग जिनको वाइस चान्सलर चुने यानि जिस को मेहता चुने। मरजी के अपने आदमी वहां लाये। दो प्रिन्सिपल इलेक्टेड दो सीनेट में इलेक्टेड। पहले तीन थे, तीन से घटाकर अन्त में दो कर दिये गये और जहां पहले दो चान्सलर नोमीनेट करते थे वहां दो बढ़ा कर तीन कर दिये। उधर घटा दिये, इधर बढ़ा दिये। मरजीदानों की भरमार करा दी। इसी तरह प्रोफेसरों का किया गया। अब नामीनेशन से मेजोरिटी बनने लगी और इस तरह से सिंडीकेट अन्त में जाकर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वाइस चान्सलर को कठपुतली बनाकर रख दी गई। और यहां से शुरुआत हुई। सन् 1962 की बात राजस्थान विश्वविद्यालय में यह दीमक लगी। यह पौत्रे में जहर डाला गया कि राजस्थान को सरकार ने मेहता के लिये एक व्यक्ति के लिये विधान सभा में बिल पास कराया कि इसको दो साल और रखा जाय। एक व्यक्ति के खातिर राजस्थान की सरकार ने यह पाप किया है। राजस्थान सरकार ने शुरुआत की और अब वही पैटर्न उदयपुर में फैल रहा है, वही पैटर्न जोधपुर में फैल रहा है। शुरुआत होती है 62 से यही एक साल का समय है, उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में ट्रबल्स, उदयपुर युनिवर्सिटी मे ट्रबल्स और वही राजस्थान विश्वविद्यालय में ट्रबल्स। जब यह हालत हो गई कि सिंडीकेट में गुटबन्दी हो गई। चान्सलर किनको नोमिनेट करे जो उसके खुशामदी हो, उनके चमचागिर हो। जो गवर्निंग बाडी, सुपीरियर गवर्निंग बाडी है या दूसरे विश्वविद्यालयों की है वह रियल स्टूडेन्ट्स की प्राबलम को देखें, युनिवर्सिटी अफेयर्स की जांच करें इम्पारशियल बाडी के रूप में काम करें वह वाइस चान्सलर को कठपुतली बन गई और हालत यह हो गई कि अपाइन्टमेन्ट्स के बारे में दिल्ली जायें और दिल्ली में जाकर दिल्ली के गेस्ट हाउस में ठहरे और वहां कोई रणजीतसिंह जी जैसे कोई मित्र मिल गये……

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : मेरा नाम काहे को ले रहे है………………

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उदाहरण के रूप में ले रहा हूं। उनसे पूछा तुम नौकरी में हो और अगर नौकरी में नहीं है तो तुम्हें हम राजस्थान विश्वविद्यालय में नौकरी दिलवा देंगे। वह कहता है वहां तो एक्सपर्ट्स जाते हैं तो कह दिया तुम्हें एक्सपर्ट बना देंगे। जो कोई सुझाव दें, उसका सलेक्शन हो गया। इस तरह गुटबन्दी की शुरुआत हो गई। अब जो दूसरे लेक्चरार्स है उनमें हार्ट बर्निंग हो गई। जो चमचागिरी करेंगे, उनको बना दिया और ठहरे कहां गेस्ट हाउस में इस तरह युनिवर्सिटी का दिवाला निकाल दिया। लाखों रुपये अपने ऐश आराम में खर्च कर दिये, लाखों रुपये फर्निचर पर खर्च कर दिया और ऐसे आराम से रहते लगे क्योंकि सुखाड़िया साहब का उन पर वरदहस्त था। उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अदालत में उनके खिलाफ कोई जायगा तो कानून बनाकर यहां विधान सभा में सरकार ले आयेगी। इससे सबको डर लगने लग गया कि अब तो कोई कुछ इनका बिगाड़ नहीं सकता तो यह गुटबन्दी की शुरुआत हो गई। अब इस गुटबन्दी से प्रोफसरों में खिचाव हो गया, सिन्डीकेट में खिचाव हो गया, सीनेट में खिचाव हो गया, डीन्स में भी खिचाव हो गया और यही छुआछूत की बीमारी जोधपुर पहुंच गई। यही कारण है आज जोधपुर में क्या, उदयपुर में क्या, और राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या सब जगह यह छुआछूत की बीमारी फैल गई। आज स्टूडेन्ट्स के बारे में जो कुछ हो रहा है उसकी पेथोलोजी यही है। आज जो जोधपुर में तालाबन्दी है, स्टूडेन्ट्स सब जगह भूख हड़ताल पर हैं, जोधपुर के टीचर्स, प्रोफेसर्स आज सब मजबूर हैं जलूस लेकर जाते हैं। भूख

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं। इसकी जिम्मेदारी चान्सलर और वाइस-चान्सलर पर नहीं है। इसकी सीधी जिम्मेदारी सन् 62 में इस सरकार ने मेहता को पावर्स देकर ऐसा एक गन्दा कम्पोजीशन कर दिया, उसकी है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, अपॉइन्टमेंट के मसले हों, कई एक के उदाहरण हैं लम्बी चौड़ी लिस्ट है, उनके पास भी है और हमारे पास भी है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और अपाइन्ट-मेन्ट हो जाये। जिनकी योग्यता नहीं होती है उनको प्रमोशन मिले क्योंकि वाइस चान्सलर को चम्पू चाहिये। इस के लिये तो गवर्नमेंन्ट का ऐडमिनिस्ट्रेशन ही बहुत है, युनिवर्सिटी को तो कम से कम दूर रखा जाय। चम्चों को प्रश्रय देते हैं इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन अदालतों में मुकदमे जाते हैं। जोधपुर म कई रिट चल रही हैं, स्टे ग्रान्ट हो गया, इन्जेक्शन ग्रान्ट हुआ है और आज युनिवर्सिटी चक्कर लगा रही है। कोई परसन्टेज को लेकर मुकदमा करता है तो कोई कहता है गोल्ड मेडल मुझ मिलना चाहिये था वह दूसरे को मिल गया, कोई कहता है पी० एच०डी० की डिग्री पैसे लेकर दे दी, कोई अटेन्डन्स को लेकर कोर्ट में जाता है तो कोई प्रमोशन को लेकर मुकदमा करता है और कोई अपॉइन्टमेन्ट को लेकर कोर्ट में गये हैं। आये दिन विश्वविद्यालयों की यह हालत बनती जा रही है। विश्वविद्यालयों के छोटे से छोटे मुकदमे लेकर बड़े बड़े मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। यह स्थिति क्या अच्छी है? यह स्थिति अच्छी नहीं है। यह स्थिति पैदा होती है और इसलिये होती है कि चान्सलर को नोमीनेशन के पावर्स देदी, वाइस-चान्सलर को नोमीनेशन के पावर्स देदिये और नोमीनेशन जिनका होता है जो इनके साथ पढ़ा हुआ होता है। कोई साथ पढ़ा हुआ होगा उससे पूछेंगे तुम कहां रहते हो। वह कहेगा मैं रिटायर हो गया हूं-कोई काम नहीं है। उस से कहेंगे अच्छा तुम्हें सिन्डीकेट का मेम्बर अपॉइन्ट कर दूंगा। उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। चूंकि मेरे साथ पढ़ा हुआ है, यही उस की क्वालिफिकेशन बन जाती है। दिल्ली के स्टेशन पर कोई मित्र मिल गये उन को जोधपुर की सिन्डीकेट का मेम्बर बना दिया और राजस्थान युनिवर्सिटी का भी मेम्बर बना दिया यह तो इन की हालत है। एक जगह का नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, दो दो जगह के मेम्बर बना दिये। तीन साल की जगह 6-6 साल के लिये बना दिया। उनके अलावा कोई मिलता ही नहीं है। उनको जो तीन नोमीनेशन की पावर्स है वह क्या एक उचित बात है। क्या राजस्थान में एज्युकेशनिस्ट है ही नहीं, क्या कोई राजस्थान के विश्वविद्यालयों में दिलचस्पी रखने वाला है ही नहीं जो आपको बाहर से लाना पड़ता है। राजस्थान सरकार के चान्सलर और वाइस-चान्सलर को एडवाइस देनी चाहिये वे सिन्डीकेट में जो राजस्थान के बाहर के हैं उसको किसी प्रकार नोमिनेट नहीं करेंगे और अगर नोमिनेट कर दिया है तो नये नये लोगों को मौका दीजिये। एक तरफ तो कहते हैं नये नये लोगों को मौका मिलना चाहिये। पूनमचन्दजी आगये, यह नये लोगों की नीति का ही परिणाम है। नये लोगों को मौका मिलना चाहिये। हर आदमी को सिन्डीकेट और सीनेट में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मौका मिलना चाहिये। यह क्या है 62 साल के हो गये और जिनका 30-30, 40-40 हजार का टी० ए०, डी० ए० बनता है उनको क्यों नहीं हटाते हैं, क्योंकि वे उनके मरजीदान हैं। अगर युनिवर्सिटी में भी मरजीदानी चलेगी तो यह राज्यपाल महोदय के लिये ठीक नहीं है। चान्सलर के लिये यह बात सुनते हैं, खन्ना साहब हैं वे माननीय राज्यपाल महोदय के साथ पढ़े हुये हैं। डाईरेक्टर ऑफ ऐज्यूकेशन हैं उनका क्या स्टेटस है। कॉलेज का प्रिन्सिपल डाईरेक्टर ऑफ ऐज्युकेशन बन गया और सिन्डीकेट के मेम्बर बना दिये एक जगह नहीं दो-दो जगह के मेम्बर बना दिये और तीन-तीन साल नहीं छः-छः साल रहेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है राजस्थान के बाहर के व्यक्ति को राजस्थान में अपॉइन्ट नहीं करना चाहिये और अगर बना दिया है और टर्म खत्म हो गई है तो दुबारा नहीं बनाना चाहिये, राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मुझे याद है उदयपुर, जोधपुर में सभी जगह योग्य केन्डीडेट्स खड़े हुये हैं। लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया कि राजस्थान के लोग कहां जायं। मैं यह भी नहीं कहता कि क्वालिफिकेशन को लेस कीजिये, मैं यह भी नहीं कहता कि मेरिट पर विचार मत कीजिये लेकिन जो युनिवर्सिटी ढाई करोड़ रुपया खर्च करती है और जो वहां के प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेज्युएशन किया है वे दुनियां की ठोकर खाते रहे, उनको राजस्थान विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं मिले। बाहर के माल को आप कब तक इम्पोर्ट करेंगे वे भी भारत के हैं, उनको भी चान्स मिलना चाहिये। उनका केस कन्सीडर करें लेकिन यह क्या यहां के फर्स्ट क्लास इंजीनियर हैं, फर्स्ट क्लास प्रोफेसर हैं उनको नौकरी नहीं। वे कहां जायेंगे? उनकी राज्य सरकार से शिकायत है आज स्टुडेन्टस में अनरेस्ट क्यों। क्यों ये चीजें पैदा होती हैं? ये चीजें पैदा होती हैं आपके गलत कारनामों से। आज 300 डॉक्टर्स युनिवर्सिटी से निकाल रहे हैं, उनके लिये कोई नौकरी नहीं। वे बेकार फिर रहे हैं आज की हालत में डॉक्टर्स बेकार, इंजीनियर्स बेकार। बेकारी में फिर रहे हैं और आज एक आपने सीखो और कमाओ की स्कीम चौड़े रास्ते में खोल दी है। रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग गुड़िया बना रहे हैं क्या उनके लिए अच्छी बात है? क्या यही धंधा उनके लिए बचा है। ये योजनायें हैं आपकी? सीखो और कमाओ योजना कोई हल नहीं है इस बेकारी का। आज इन पढ़े लिखे बेकारों में असन्तोष फैल रहा है और अगर इसकी ज्वाला को नहीं रोका गया तो यह ज्वालामुखी फट पड़ेगा और जो ज्वाला इतनी ज्यादा उमड़ रही है - यहां विधान सभा में आज परचे फेंके, आप सोचें यह क्यों फेंके। क्या वे जिम्मेदार नहीं हैं, क्या उनके घरों पर काम नहीं हैं? विद्यार्थी कभी नहीं चाहता लेकिन उसे मालूम है कि आज उनके विषय में विधान सभा में चर्चा होगी और उनके आने वाले भविष्य का फैसला होगा। उसे क्या मालूम है कि यहां तो मूर्ख सरकार बैठी है। आज का विद्यार्थी इसी से सन्तोष कर लेता है कि यहां पर पर्चे फेंक दें, ऊपर गैलेरी में से नारा लगा दें स्टुडेन्ट्स यूनियन जिन्दाबाद। लेकिन आज आप उनको ट्रेनिंग नहीं देते। आप उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। केवल अपनी जय जयकार लगवाने के लिए कोई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इनआगरेशन कर दिया, किसी रेस्ट हाउस का इनआगरेशन कर दिया या कभी कुछ कर दिया। इसकी आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के बीच में जाओ और उनकी समस्याओं को सुलझाओ। आप जानो कि उनकी क्या क्या समस्यायें हैं। आप यह समझने को कोशिश करो कि वे क्या चाहते हैं, भारत का भावी नौजवान क्या चाहता है इसको समझिये और उन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कीजिए।

क्या स्टुडेन्ट्स पार्टीसिपेशन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हो सकता? आप यह स्टुडेन्ट्स पार्टीसिपेशन किस आधार पर नहीं चाहते? क्या वे अपने आपको मैनेज नहीं कर सकते? सेल्स टैक्स का इन्स्पेक्टर करप्शन करें, भ्रष्टाचार करें, दो साल की हाईकोर्ट से सजा हो जाये वह राजस्थान की 2॥ करोड़ जनता का शासन चलाने वाला मंत्री मंडल का मंत्री बन सकता है लेकिन विद्यार्थी युनिवर्सिटी अफेयर्स में पार्टीसिपेट नहीं कर सकता। क्यो नहीं कर सकता? नान-हाऊस मेम्बर केबिनेट में बैठकर राजस्थान के शासन को संभाल सकता है, वह विधान सभा का इलेक्टेड मेम्बर नहीं है लेकिन आप समझते हैं कि इनमें योग्यता है। लेकिन आज विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी क्यों विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टीसिपेट नहीं कर सकता? क्या आपने कभी उसको ऐसा करने के लिए अलाउ किया है? क्या स्टुडेन्ट्स को रिप्रजन्टेशन नहीं मिलना चाहिये? आज फेक्ट्रीज में मजदूरों को प्रतिनिधित्व मिले इसकी बात हम करते हैं लेकिन आज हम युनिवर्सिटी अफेयर्स में स्टूडन्ट्स के पार्टीसिपेशन को नहीं चाहते। आपने क्यों नहीं अध्यादेश निकाला, हम स्वागत करते उसका। क्या दिक्कत की बात है? आप सिन्डीकेट में किनको अपाइन्ट करते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सिंडीकेट में एक मेम्बर को अपनी सरकार ने नामीनेट किया। उनका नाम क्या है? उनकी क्वालीफिकेशन्स देखिये। पहले नामीनेट किया सन् 62 में। कौन है? क्या नाम है? सिंडीकेट में मेम्बर कौन है मिस टी० पी० मेनन। कौन है ये? ये वही है जिनके ऊपर अभी 420 का केस चला है, ये वही हैं जिनके ऊपर 468 फौजदारी का केस चल रहा है। जिन्होंने भारत सरकार से 5 लाख रुपये का अमाउन्ट लेकर झूठा सर्टीफिकेट दिया और लोक सभा की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने कहा कि ये वही मेम्बर हैं जिनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलता है। उनको जानते हैं ये हैं सिंडीकेट की मेम्बर। यह है राजस्थान सरकार की क्वालीफिकेशन देखने की। जो फ्रेडुलेन्ट एक्शन से पब्लिक एक्सचेकर से 5 लाख रुपया हड़प करे और श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेम्बर बनतें हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी आज युनिवर्सिटी अफेयर्स में पार्टीसिपेट नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी डेमोक्रेटाइज मांग है नामीनेशन कम कीजिए और इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेशन को ज्यादा मौका दीजिए। खतम कर दीजिए, चान्सलर के 3 नामीनेशन की क्या आवश्यकता है। क्या आप सारे विश्वविद्यालयों को इस प्रकार से अपने ग्रिप में रखना चाहते हैं और अब आप अपने नामीनेटेड मेम्बर्स को लाना बन्द कीजिए यह उचित नहीं है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Democratise the institutions, Democratise the University institutions. Less nomination and more elections. Militarise the students and give them training. वह आप नहीं दगे। काम चाहिये नौजवानों को। पानी बहता है और गंगा में आता है और उस पानी को रास्ता नहीं मिलता है तो वह गांवों में घुसेगा और बरबादी करेगा। आप पानी को बाधने के लिये बांध बनाते हैं और उसको रास्ता देते हैं। अगर उस पानी को अच्छे काम में उपयोग में दिया तो वह सिंचाई करेगा, पैदावार बढ़ायेगा। अगर रास्ता नहीं दिया तो बरबादी के रास्ते पर मुल्क को ले जायेगा ये जो देश के जवान हैं इनको राजस्थान की सरकार ने रास्ता नहीं दिखाया, और ये जवान दिशाभ्रम रहे तो फिर गलत रास्ते पर जायेंगे। विद्यार्थियों ने यहां पर्चे फेंके, नारे लगाये तो क्या कसूर किया ? आपने अन्तरआत्मा की आवाज की बात कही और आपकी अन्तरआत्मा ने कह दिया कि गिरी को वोट दो और पार्टी के अनुशासन को नहीं माना, अन्तरआत्मा की आवाज को सामने ले आये तो यह अनुशासनहीनता कौन लाया देश में ? फिर स्टुडन्ट्स की अन्तरआत्मा की आवाज निकली स्टुडेन्टस यूनियन जिन्दाबाद। अन्तरआत्मा की आवाज आ गई और निजलिंगप्पा का पता नहीं, पाटिल का पता नहीं। राजस्थान में सुखाड़िया साहब चिल्लाते रहे कि अनुशासन की कार्यवाही की जायेगी। आपके अन्तरआत्मा की आवाज उठ सकती है, आप पार्टी के अनुशासन को भंग कर सकते हैं और दो साल बाद तक उसका मजा ले सकते हो तो बस फिर विद्यार्थियों ने भी यही सोचा है अन्तरआत्मा की आवाज से काम करो तो ठीक है। नारे लगा दिये तो उन्होंने क्या बुरा कर दिया। क्या कभी लक्ष्मीकुमारी जी खुद भी सोच सकती थी कि वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन सकती हैं। आप तो ढूंढ ढूंढ कर लाये और पकड़ पकड़ कर लाये। बरकत साहब यहां के मुख्य मंत्री बन गये जिनके पास एक मेम्बर का भी समर्थन नहीं है। यह सब क्या है अन्तर आत्मा की आवाज। जब ऐसा यहां शासन में होता है तो बस विद्यार्थी भी सोचता है कि क्यों न अन्तर आत्मा की आवाज से काम किया जाय और 2 साल बाद मजा लिया जाये। इसलिए आपने जो देश में अनुशासन हीनता पैदा की है उसका तो फल भुगताना ही होगा। पेड़ जहर का बोओगे तो आम का फल कहां से आयेगा ? इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। आज देश के नौजवानों में जो दिशाभ्रम है उसके लिए आपको कुछ करना होगा। नहीं तो क्या होगा कि कोई रेल के नीचे कट रहा है तो कोई जहर खाकर मर रहा है। डॉक्टर एफ० आर० सी० एस० और इंगलण्डरिटर्नड उन्होंने जहर खा लिया क्योंकि आपके ट्रान्सफर्स की पालिसी गलत है। अपॉइन्टमेन्ट में तुम पैसा खाओ, ट्रान्सफर्स में तुम पैसा खाओ और पोस्टिंग में तुम पैसा खाओ। सन् 67 से पहले तो सेठ साहूकार से पैसा खाते थे लेकिन 67 के बाद में तो सरकार न नौकरियों में पैसा खाना शुरू कर दिया, ट्रान्सफर्स म खाना शुरू कर दिया, पोस्टिंग में पैसा खाना शुरू कर दिया। थाना बिक रहा है, अस्पताल बिक रहा है। गंगानगर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का अस्पताल चाहिए 25 हजार रुपया, गंगानगर का थाना चाहिए 40 हजार रुपया क्योंकि वहां आमदनी ज्यादा है लोग कहते हैं कि थाना बिक रहा है, अस्पताल बिक रहा है, यह हुकूमत क्या है आपकी ? डॉक्टर लोग हमारी ट्रांसफर की पॉलिसी से तंग आकर आत्म हत्या कर रहे हैं। आज एम० एस० करने वाले फिर रहे हैं। न तुम नौकरी की गारन्टी देते हो। आज उमाशंकर दीक्षित को घेर लिया तो उन्होंने कह दिया कि हां, हां तुम्हारी मांगे जरूर मंजूर करेंगे अगर तुम्हारा घेराव कर लिया तो सब कुछ हो जायेगा और घेराव नहीं किया तो आप मानते नहीं हैं। इसलिये आज का विद्यार्थी आपको समझाने की भाषा जानता है। आप कौनसी भाषा में समझते हो वह जानते हैं। अगर सरकार सभ्य भाषा नहीं समझेगी, प्रस्ताव की भाषा नहीं समझेगी, रेज्योल्यूशन की भाषा नहीं समझेगी रिप्रेजेन्टेशन की भाषा नहीं समझेगी डिमान्सट्रेशन की भाषा समझेगी, वायोलेशन की भाषा समझेगी तो समझायेंगे। यह प्रवृत्ति देश में बढ़ रही है। इस भाषा से मैं समझाने का हामी नहीं हूं लेकिन रामानन्द जी बड़े खुश हैं इस बात से। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि सारी स्थिति है। चाहे आज जॉन का मामला हो, चाहे महाजन का मामला हो इन सारे मामलों में निवेदन करना चाहता हूं इस सदन को मैंने सदन में एक बार पहले भी सुझाव दिया था और इसी सदन में निवेदन किया था। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं फिर यहां निवेदन करना चाहता हूं स्टुडेन्ट्स रिप्रेजण्टेशन के बारे में। एक बात कही गई कि इन विश्वविद्यालय के अफेयर्स की श्री जी० बी० के० हूजा का कमीशन बनाया गया है जांच करने के लिए। अब यह कमीशन क्या जांच करेगा, कैसी जांच करेगा और क्या जांच करेगा। यह बेकार है। इस कमीशन का कोई लाभ नहीं है और इस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिफेक्टिव हैं। क्या यह कमीशन इस बात की जांच करेगी कि किसके पेपर वेट लगा है और किसके नहीं लगा है। क्या जब भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री रामप्रसाद जी लड्ढा की शाहपुरा में जूते और चम्पलों से पिटाई की गई तो क्या उसके लिए कोई कमीशन बिठाया था। उसकी कोई जांच कराई थी कि उनके चम्पल और जूते क्यों लगे......

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिसको जस्टिफाईड मानते हो उसकी क्या जांच करावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जस्टिफाईड तो मान ही लिया है। आपके प्रधान मंत्री ने ही सर्टीफिकेट दे दिया है कि आप दागी हो, आप छोडो इस कुर्सी को।

श्री मनोहर सिंह महता : आपकी दृष्टि में, अब जो रह गए हैं वे बेदागी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थोडे बहुत तो रहते ही हैं। फार्मी गेहूं में भी कचरा होता है, कंकर होते हैं। अपने आपको समझ सकते हैं कि वे क्या हैं।

तो मेरा निवेदन करना यह है कि जांच का मुद्दा आखिर क्या है ? आप

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किस बात की जांच कराना चाहते हैं क्या यह जांच कराना चाहते हैं कि पेपर वेट किसने मारा, क्या इस बात के लिए कमीशन बैठाया है। आज बंगला देश में क्या हो रहा है, क्या उसके लिए कोई जांच कमीशन बैठा रहा है कि किसने किसका खून किया। आज, वहां पर लाखों लोग मर रहे हैं लेकिन कोई जांच कमीशन बैठा है ? वी० वी० जोन साहब ने कोई बात कह दी और याहू याखां की तरह से उस पर अड़ गए कि सुबह 7-30 बजे से 12-30 बजे तक का समय नहीं हो सकता और हम अमेरिका की नीति को अपनाए हुए हैं और मौन बनकर बैठे हुए हैं और सोच रहे है कि रामनिवासजी मिर्धा आयेंगे तो वे इसको ठीक करेंगे, आप क्यों नहीं करते हैं। आप रामनिवासजी मिर्धा की दुहाई क्यों देते हो। आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसी के घर में सांप निकल गया और अन्दर से बेटे ने आवाज दी कि घर में सांप निकला है और आप यह कहें कि बाहर जाऊंगा, किसी मर्द को बुला कर लाऊंगा। बाहर कोई मर्द हो तो उसको बुला कर लाता हूं। यह तो इसी तरह की बात हो गई। आपके घर की बात है और आप कहते हैं कि रामनिवासजी मिर्धा आयेंगे वे जोधपुर विश्वविद्यालय की समस्या का हल निकालेंगे। आप शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री होने के नाते यह जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि इस मामले को सुलझायें। इस हाउस के लिए आप रेसपोंसिबल हैं। इस हाउस ने ढाई करोड़ का जो खर्चा युनिवर्सिटीज पर करने का अधिकार दिया है वह आपके हाथों में दिया है और आपको सम्भलाया है। उनमें अगर कोई बदइन्तजामी होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आज छोटी 2 बातों को लेकर युनिवर्सिटीज में झगड़े होते हैं। परसन्टेज का मामला हो अपोइन्टमेंट का मामला हो, प्रमोशन्स का मामला हो, सिविल कोर्ट्स से, हाई कोर्ट्स से स्टे ऑर्डर जारी हो रहे हैं, क्या यह शोभा की बात है ? लेबर के मामलों के लिए आपने लेबर कोर्ट बनाई है तो लेबर का मामला लेबर कोर्ट में जाएगा, इन्डिस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो वह इन्डस्ट्रियल कोर्ट में जायगा। इसी तरह से आप क्यों नहीं युनिवर्सिटीज कोर्ट बनाते। आप युनिवर्सिटी कोर्ट बनाइए। किसी भी स्टाफ का मामला हो, छात्रों का मामला हो, किसी लेक्चरार का मामला हो, उनकी कोई भी शिकायत होगी वह युनिवर्सिटीज कोर्ट में जाएगी, सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। आप इनको कोर्ट फीस से बरी कर दीजिए, कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी और जो इस प्रकार का यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल होगा वह सारे मामलों का फैसला करेगा। चाहे परसन्टेज का मामला हो, चाहे अटेन्डेंस का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो और चाहे अपाइन्टमेन्ट का सवाल हो, वह युनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल इसको तय करेगी। इस ट्रिब्यूनल में स्टाफ का प्रतिनिधि भी रखिए, स्टूडेन्ट्स का प्रतिनिधि भी रखिए। मैं यहां पर ब्रोड बेस बात कह रहा हूं, इसका पेटर्न क्या हो, आप इस पर डिटेल में विचार कर सकते हैं, मैं तो एक ब्रोड थिंकिंग की बात कह रहा हूं। यह कितने बड़े शर्म की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बात है कि सिविल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में आपके विरुद्ध रिट दायर होती हैं, एफिडेविट दिये जाते हैं, आपको मेला-फाईड करार दिया जाता है, क्या यह अच्छी बात लगती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी कोर्ट, या स्टेंडिंग ट्रिब्यूनल बनाएं जो इन सारे मामलों पर निर्णय करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक और निवेदन करना चाहूंगा। आपने यूनिवर्सिटि अफेयर्स के लि जो जांच आयोग बैठाया है वह क्या करेगा, इससे समस्या का कोई हल निकलने वाला नहीं है। आपकी जोधपुर यूनिवर्सिटी एक्ट में इसके लिए प्रावधान है, आपके उदयपुर यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 10 में इसका प्रावधान है और जहां तक मुझे याद पड़ता है राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्दर भी सेक्शन 10 में ही इसका प्रावधान है, जिसके अनुसार चांसलर को इसकी पावर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट चांसलर को, जो राज्यपाल महोदय हैं और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के उनसे सम्बन्ध बुरे नहीं हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी अफेयर्स मैस हो रहे हैं उनको सेट राइट करने के लिए कोई इन्क्वायरी कमीशन बैठाय जो जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे। लेकिन कमीशन में डॉक्टर मोहनसिंह मेहता को मत बना देना यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। आप चाहें तो हाउस की कमेटी बनाइए कांग्रेस के लोगों को उसमें रखिए और पिछली बार भी विधान सभा में जब कानून आया था उस समय भी मैंने हाउस रिप्रजेण्टेटिव्ज के लिए, दो सदस्यों के सम्बन्ध में संशोधन रखा था और राज्य सरकार ने माना था लेकिन वह सीनेट में नोमीनेट होंगे। राजस्थान विधान सभा के सदस्य सीनेट में होंगे, सिण्डीकेट में नहीं। तीन रिप्रजेण्टेटिव चांसलर के होंगे वह भी सब बाहर के। राजस्थान के बाहर के लोगों को क्यों उसमें रखना चाहते हैं। अगर आपको इन्क्वायरी कराना है तो सही तरीके से काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि खाली आश्वासन दे दें बरकत साहब की तरह से। अलवर गए तो वहां कह दिया कि तेल शोधक कारखाना यहां बनेगा, सवाई माधोपुर गए तो वहां कह दिया कि तेल शोधक कारखाना यहां लगेगा और जब धौलपुर में गये, और वहां स्वागत हुआ तो वहां कह दिया कि कारखाना धौलपुर में खुलेगा। गंगा गये गंगादास जमुना गये जमनादास ऐसी बात आप मत कर देना। अगर आप सही माने में यह समझते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अफेयर्स मैस हो रहे हैं तो इस बीमारी को रोकिए। यह टी०बी० की बीमारी है जो थर्ड स्टेज पर पहुंच गई है। अभी भी इसको रोका जा सकता है लेकिन फिर मुश्किल होगा। ये लोग चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों लेकिन आप डमोक्रेटिक मार्ग अपनाएं। एक आदमी चाहे कितना ही इन्टलीजेंट हो, पत्र लिखा हो, लेकिन जनता चहाती है कि उसका प्रतिनिधि तो बिना पढ़ा लिखा ही हो तो उसको जिता दिया और वह उसका प्रतिनिधि हो गया। श्री वी०वी० जान साहब के बारे में भी बड़ी चर्चा सुनते थे। लेकिन वे भी सठिया गये हैं। श्री जोन चाहे कितन ही पढ़े लिखे हों, चाहे कितना ही अमेरिका से पैसा लाते हों और चाहे कितने ही प्रो-अमेरिकी हों, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता लेकिन यह सही है कि साठा सो बाठा। आज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

श्री महाजन 74 साल के हो गए हैं। इन सारे लोगों को चिपकाने की क्या जरूरत है। नए लोगों म भी अच्छे से अच्छे मिल सकते हैं। अगर बदइन्तजामी हो गई है, प्रशासन बिगड़ गया है तो आप नए लोगों को मौका दीजिए, नए लोग भी अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। इसमें कोई योग्यता का सवाल नहीं है। योग्यता तो आते-आते आती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सारे मसलों को आप गम्भीरता के साथ सुलझाइये। केवल डिबेट के लिए डिबेट न रह जाय, बोलने के लिए बोलना न हो जाय। इस दरिद्र देश की, इस गरीब राजस्थान की गाढ़ी कमाई में से ढाई करोड़ रुपया खर्च करने का अधिकार आपको दिया है, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इन यूनिवर्सिटीज पर खर्च होता है। और जब युनिवर्सिटीज बन्द रहती है तो जलन होती है। तीन तीन महीने तक यूनिवर्सिटीज बन्द रहें और छोटे से छोटे सवालों को लेकर बन्द रहें तो जलन होती है। ऐसा आदमी क्या जो कि अपने बच्चों को बहला नहीं सकता। एक बच्चा बिगड़ जाता है कि मैं तो चन्दा मामा लूंगा तो पिता उस चन्दा मामा को पानी की परात में दिखा देता है और उसको चुप कर देता है। बच्चा पानी की परात के चन्दा मामा को देखकर चुप रह जाता है क्योंकि बच्चे का दिल भोला होता है। बच्चे के दिल में भगवान निवास करते हैं। उस आदमी में इतनी योग्यता नहीं कि इन बच्चों को थाली में चन्दा दिखा सके और उनको बहला सके। यह तो बर्र का छत्ता है इसको छेड़ोगे तो काट खाएगा और सही तरीके से सींचोगे तो फल देगा। आज ये विद्यार्थी खून देते हैं, ब्लेक आउट का अभ्यास होता है तो हमारे एम० एलेज० क्वार्टर में आते हैं। आप उनको किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं देते, पैसा नहीं देते लेकिन अपने आप एम० एलेज० क्वार्टर में आते है, सिविल लाइन्स में आपके मंत्रियों के बंगलों पर कहीं से रोशनी दिखाई दे जाय तो बिना पैसे के आकर कहेंगे कि लाईट बन्द करो। इनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, ये अपना खून दे सकते हैं। यह भारत की तरूणाई है, भारत का भविष्य है और भारत के भविष्य की इस बढ़ती हुई जिन्दगी के साथ खिलवाड़ मत करो। यही निवेदन करते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सांवरमल बासोतिया।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज तक मैं इस इम्प्रेशन में था कि आए दिन कॉलेजो में और विश्वविद्यालयों में जो तोड़ फोड़ की घटनाएं होती हैं, आय दिन हड़ताल होती हैं और मारपीट को वारदातें होती हैं उनमें मुख्य रूप से चूंकि विद्यार्थियों की बुद्धि अपरिपक्व होती है, उनमें बौद्धिकता कम होती है और जवानी के कारण खून गरम होता है इसलिए हो सकता है कि अधिक गल्तियां उनकी तरफ से हों। लेकिन जोधपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर श्री जोन का जो मामला हुआ तब से मेरी यह धारणा बन गई है और मेरा वह गलत इम्प्रेशन हट गया है कि वास्तव में विद्यार्थी ही इसके लिये जिम्मेदार है। वास्तव में विश्वविद्यालय में आए दिन जो हड़तालें

(श्री सांवरमल बासोतिया)

होती हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं अथवा तोड़ फोड़ की वारदातें करते हैं उनके लिए वास्तव में विद्यार्थी नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज के अधिकारी वर्ग इसके लिए जिम्मेदार हैं। विद्यार्थी लोग तोड़ फोड़ करते नहीं, बल्कि तोड़ फोड़ उनसे कराई जाती है उनको उकसाया जाता है, उनमें आक्रोस पैदा किया जाता है। जब वे छोटी सी मांग लेकर पेश होते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। वे कोई भी बात कहें तो उनको झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, गलत बातें बताई जाती हैं इससे उनमें असन्तोष पैदा होता है आक्रोश बढ़ता है और अन्त में बाध्य होकर इस प्रकार की हरकतें और कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि बहुत से माननीय सदस्य उदयपुर और जोधपुर युनिवर्सिटी के बारे में काफी प्रकाश डालेंगे, मैं इस विषय में अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मुकन्दगढ़ के कॉलेज को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र बना रखा था, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी के नॉलेज में यह बात लाना चाहता हूं। मुकन्दगढ़ में शारदा कॉलेज एक बहुत ही पुराना कॉलेज है। इस कॉलेज की एक्टीविटी के लिहाज से, परीक्षा फल के लिहाज से, इसका परिणाम हमेशा अच्छा रहा है। एक्टीविटीज के लिहाज से यह राजस्थान में माना हुआ रहा है। जब से राजस्थान युनिवर्सिटीज बनी हैं, शारदा सदन कॉलेज विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये परीक्षा केन्द्र रहा है। किन्तु अफसोस होता है कि इस वर्ष युनिवर्सिटी अधिकारियों ने इस परीक्षा केन्द्र को बन्द कर दिया है, बंद करने का फैसला कर लिया है और जब से इस फैसले की आवाज मुकन्दगढ़ के छात्रों के कानों में गई है तब से वे उद्विग्न है, चिन्तित है। परन्तु फिर भी मैं दाद देता हूं कि अभी तक संयम और धैर्य के साथ और उचित ढंग से कॉलेज की ऑथोरिटी की मारफत विश्वविद्यालय के अधिकारियों तक अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं। परन्तु लिखापढ़ी करने के बावजूद भी, एक दिन की टोकन स्ट्राइक रखी, उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने लम्बे समय के लिये कालेज की स्ट्राइक शुरू कर दी। लोगों के समझाने बुझाने पर उन्होंने इस स्ट्राइक को भी तोड़ दिया, परन्तु अब उनकी किस तरह की परेशानियां हैं, उसको विश्वविद्यालय के अधिकारी समझें और परीक्षा केन्द्र को शुरू कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुकन्दगढ़ कॉलेज में 600/700 विद्यार्थी पढ़ते हैं और परीक्षा केन्द्र बंद कर देने पर इन 600/700 विद्यार्थियों पर इसका असर पड़ता है। इन 600/700 विद्यार्थियों को दूसरे परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के लिये जाना पड़ेगा तो 150/200 रुपयों का पर व्यक्ति का एक्स्ट्रा खर्चा होता है। इस आर्थिक तंगी के समय में, महंगाई के समय में, गरीब समाज के विद्यार्थियों के लिये, इसको सहन करना मुश्किल है। वे इस स्थिति में नहीं हैं। बहुत से विद्यार्थियों की तो यह हालत है कि वे इस एक्स्ट्रा खर्चे के कारण परीक्षा म नहीं बैठेंगे। इसके अलवा जो 600/700 विद्यार्थी दूसरे परीक्षा केन्द्र पर जायेंगे, शेखावटी क्षेत्र में उसके आस-पास में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर......

(श्री सांवरमल बासोतिया)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

(4.53 म०प०)

उनको रहने के लिये अकोमोडेशन मिल सकती है। आज स्थिति यह है कि विद्यार्थी अपना मानसिक सन्तुलन खोते जा रहे हैं, उनको अपने भविष्य की चिन्ता बन गई है और विश्वविद्यालय ने अभी तक सही रूप से, सही दिशा में कदम नहीं उठाया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भावना विद्यार्थियों में बन गई है, हड़ताल, मारपीट की जो घटनाएं हो रही हैं, और जोन जैसे व्यक्ति का सिर नहीं तोड़ दिया जाये, तब तक इन विद्यार्थियों की मांगें मन्जूर नहीं होंगी। अगर विश्वविद्यालय के अधिकारी यही स्थिति लाना चाहते हैं तो बात दूसरी है। वहां सिर्फ परीक्षा केन्द्र को चालू करने की बात है। इसको शुरू करवावें ताकि आगे की स्थिति खराब न हो।

श्री सभापति: श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभापति महोदय, आज देश के प्रायः सभी अखबारों में एक इस प्रकार की प्रवृति चल रही है कि प्रत्येक राज्य में अमुक विश्वविद्यालय बंद हो गया, अमुक कालेज ने हड़ताल कर दी, विश्वविद्यालय में हड़ताल कर दी गई। अमुक कालेज, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने आन्दोलन कर दिया। दुर्भाग्य की बात है कि वह देश जि के विश्व विद्यालयों का सम्मान भू-मण्डल पर था, तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों के अन्दर शिक्षा प्राप्त करने के लिये इस देश के निवासी ही नहीं बल्कि दूसरे देश के निवासी आते हैं......

श्री भैरोंसिंह शेखावत: माननीय सदस्य, एक मिनिट......

सभापति महोदय, आज हम जिन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं, वही मांग लेकर छात्रों का एक जुलूस. प्रदर्शन के रूप में विधान सभा के समक्ष आया हुआ है। मुझे अभी अभी जानकारी दी गई है कि विधान सभा के समक्ष छात्रों पर पुलिस द्वारा भयंकर रूप से लाठीचार्ज किया गया है और इस लाठीचार्ज के परिणामस्वरूप कई छात्रों के चोटें आई हैं। अनेक विद्यार्थी अपनी व्यवस्था के अनुसार अस्पताल में उपचार हेतु गये हैं। मैंने परसों भी निवेदन किया था कि सरकार और विधान सभा के अध्यक्ष, दोनों मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि विधान सभा के समक्ष कोई प्रदर्शनकारी आवें, तो उन प्रदर्शनकारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जावे और उस व्यवस्था को किस प्रकार से कार्य रूप में परिणित किया जाये, इसकी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये। पुलिस अधिकारियों की एक चेष्टा रहती है कि विद्यार्थी या प्रदर्शनकारी, उन्होंने अपनी तरफ से जो लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वे उससे आगे न बढ़ें। उधर प्रदर्शनकारियों की सदव यह इच्छा रहती है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को सरकार की तरफ से कोई बुलाने आयें हमारी बातचीत हो जाये, उनसे बातचीत करके मांग मन्जूर की जाये उसका निर्णय हो जाये, इस सम्बन्ध में सारी व्यवस्था कोई न कोई हो जाये। इस व्यवस्था के बारे में विधान सभा के सदस्य पिछले कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं परन्तु यह व्यवस्था नहीं हो रही है और उसका परिणाम यह हो रहा है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिस समय भी प्रदर्शनकारी, जयजयकार के नारे लगावें, अपनी मांगों के सम्बन्ध में नारा लगाकर जन जागरण की चेष्टा करें, मुर्दाबाद के नारे लगावें और उसके कारण कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा उस लक्ष्मण रेखा के पार चला जाता है जानबूझ कर न जाकर भूल से चला जाये तो मैं समझता हूं कि पुलिस की लाठी उसके सिर पर पड़े बिना नहीं रह सकती है। परसों धोबियों का जलूस निकला, लाठी चार्ज हुआ....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज मैं समय बढ़ा देता हूं।

सदन की अनुमति से सदन का समय जब तक कि यह चर्चा समाप्त न हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परसों लाठी चार्ज हुआ, उस प्रश्न को यहां पर उठाना चाहता हूं। जिस महिला के ऊपर लाठी लगी, परसों के दिन, उस महिला को मैंने मुख्य मंत्री को दिखाया। उनकी कमर के ऊपर लाठी का बहुत बड़ा निशान था। मैंने उस निशान को मुख्य मंत्री को दिखाया था। मुझे गुस्सा आया, मुख्य मंत्री उस निशान को देखकर कहते हैं यह पुलिस के लाठी चार्ज से नहीं हुआ है, यह निशान और ही तरह से आया है। मुझे इतना क्रोध आया और अपने आप उसे हजम कर लिया क्योंकि इस मुख्य मंत्री को कहने से कोई सेन्स नहीं है जिसने प्रत्यक्ष में इस चीज को देखकर बिना पुलिस की रिपोर्ट मंगवा कर पुलिस की वकालत करदी। इसलिये मैंने मांग की है कि मुख्य मंत्री का कोई वक्तव्य इस सदन में आना चाहिये। आज वह वक्तव्य हो जाता तो मेरी मान्यता है कि पुलिस द्वारा विद्यार्थियों के ऊपर आज लाठी चार्ज न होता। इसके लिये कोई न कोई व्यवस्था होती। आज वही हालत विद्यार्थियों के साथ हुई है। काफी दूर तक पीछा किया गया। लाठियों से मारा है। ऐसी हालत विधान सभा के सामने हो रही है तो कभी न कभी कोई दूसरा परिणाम भी निकलेगा। आज विद्यार्थियों ने इस सदन में पर्चे फेंके हैं। मुझे डर लगता है इस बात को कहने से कि यदि हम इन चीजों का समाधान नहीं करेंगे, लोगों की उत्तेजना को किसी न किसी प्रकार से ठंडा न कर पायेंगे तो परिणाम कहीं यह न निकले कि आज पर्चे फेंके जा रहे हैं फिर विधान सभा में पर्चों का स्थान कोई दूसरी चीज न ले ले लेकिन विधान सभा में प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे, और विद्यार्थियों की उत्तेजनात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए अगर सरकार इस प्रकार करती रहेगी तो दुर्भाग्य होगा इस देश का कि इसके परिणाम इस प्रकार के बनते जायेंगे।

मैं इस आधार पर यहां पर विशेष चर्चा नहीं उठाना चाहता हूं। मैं आसन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार को कम से कम इस बात के निर्देश दें कि राज्य सरकार जिन विद्यार्थियों के चोटें आई हैं, सरकारी स्तर पर सारे विद्यार्थियों का मेडिकल एक्जामिनेशन कराया जाय और उनकी इन्जरी रिपोर्ट तैयार कराई जाय और उस इन्जरी रिपोर्ट को राज्य सरकार विधान सभा में प्रस्तुत करें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभापति महोदय, मैं दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के एक अधिकारी को इस बात के लिए नियुक्त किया जाये कि वह प्रारम्भिक जांच करके अध्यक्ष महोदय को इस बात का प्रतिवेदन करे ताकि असलियत का पता चले और ऐसी चीज भविष्य में न हो इसकी रोक लगे। इस प्रकार से रोज रोज होता रहे तो न तो विधान सभा में काम चलेगा और न विधान सभा में लोग अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि मैंने इस मसले को सदन के माननीय सदस्य के सामने रखा है उस मसले पर गंभीरता से विचार किया जाय और विचार करने के साथ साथ भविष्य के लिए कोई व्यवस्था का निर्माण हो इस प्रकार के आदेश न किये जायं।

(5.2 म. प.)

श्री रामनारायण चौधरी (उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट के अन्दर निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो छात्र विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और छात्र इकट्ठे हो रहे थे उनसे समय निश्चित किया था कि साढ़े तीन बजे उनसे मिलेंगे, जैसा कि छात्रों का कहना है और उसके पश्चात जब चार बज गये और छात्रों की मुलाकात जब मुख्य मंत्रीजी से नहीं हो पाई तो उस स्थिति में मुख्य मंत्रीजी से मिलने के लिए और अपनी समस्याओं का ज्ञापन देने के लिये तैयार होकर एफर्ट लगा रहे थे, जैसा कि प्रदर्शनकारी लगाया करते हैं ऐसी स्थिति में हमेशा कभी छात्र आते हैं तो यह बिलकुल प्रेक्टिकल इम्पॉसिबल है। व्यवहारिक रूप से असम्भव है कि कोई बोर्डर लाईन खींची जाय कि उसके आगे वे नहीं जा सकते हैं, और जब क्राउड होती है तो थोड़ा बहुत पुशिंग भी होता है तो उसके कारण से उत्तेजना के कारण की सी स्थिति नजर नहीं आती है। जो लाठी चार्ज स्टुडेन्ट्स पर पुलिस के द्वारा किया गया है वह, मैं समझता हूं कि उचित नहीं था, और खास तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति के अन्दर जब कि स्टुडेन्ट्स का आन्दोलन चल रहा है, जोधपुर में चल रहा है, टेन्शन जयपुर में चल रहा है, पुलिस अगर गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई कॉज स्टुडेन्ट्स को देगी तो ज्यादा उत्तेजना फैलेगी और ज्यादा अनरेस्ट होगा तो वह न तो राज्य के हित में होगा और न स्टुडेन्ट्स के हित में होगा, और स्टुडेन्ट्स का एक बहुत बड़ा फोर्स होता है, और देखने में यह आता है कि स्टूडेन्ट्स के बारे में गवर्नमेन्ट अक्सर लीनीयन्ट व्यू लेती है। उन लोगों की स्थिति आम प्रदर्शनकारियों से भिन्न होती है। वैसे किन्हीं भी प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने का औचित्य नहीं होता, और विशेष तौर से स्टूडेन्ट्स पर। किन परिस्थितियों में स्टूडेन्ट्स पर लाठी चार्ज किया गया? ऐसा कौनसा प्रोवोकेशन विद्यार्थियों की तरफ से था कि लाठी चार्ज हुआ, और उस लाठी चार्ज में कितने लोगों को क्या चोटें आई हैं, यह जानकारी दें। अगर मुख्य मंत्रीजी ने छात्रों के साथ में समय निश्चित किया

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

था तो निश्चित समय पर क्यों नहीं मिलने गये। इसकी जानकारी मैं चाहता हूं कि यह राज्य सरकार इस सदन की मेज पर रखें।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए मैं इस लाठी चार्ज के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीरामानन्द अग्रवाल।

श्री विजयसिंह : मैं इस संबंध में पूर्ण जानकारी देना चाहूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण...

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त तो नहीं हुआ बट अनफॉर्चुनेटली डिस्पोज्ड ऑफ बाई मि० भैरोंसिंह।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उन्होंने कहा था कि वे आसन को जानकारी देना चाहते हैं।

श्री मनोहरसिंह : बिल्कुल यही कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाढ़दार।

श्री भैरोंसिंह : इस के बारे में आप क्या कर रहे हैं? श्री दुर्गालाल बाढ़दार भाषण दें इसमें किसी को आपत्ति नहीं है; लेकिन व्यवस्था के बारे में क्या कहना है?

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, स्टुडेन्ट्स जब प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उनको प्रोवोक किया व पुलिस अफसर इस प्रकार चल रहे थे जैसे कि अकड़ा हुआ अमचूर होता है। आखिर बच्चे ही तो ठहरे। बच्चे किसी का रूआब बरदाश्त नहीं कर सकते। एक अंग्रेजी राइटर ने कहा है कि "चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन" यह बात सही है क्यों कि बालक इस भारत का भविष्य निर्माता है। आज जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो विधान सभा में पर्चे फैंके गये। माननीय भैरोंसिंहजी एक बात, बड़े नेता हैं, शायद वे अपने मुंह से नहीं कह सकें, परन्तु मैं यह कह देना चाहता हूं कि अब पर्चे क्या स्टडेन्टस उधर बैठने वालों पर बम्ब फैंकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने भाषण शुरू कर दिया।

श्री विजयसिंह : यह तरीका बिल्कुल गलत है। कई दफा इस तरह से लोगों को कन्ट्रोल करने की कोशिश की है लेकिन कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कन्ट्रोल करना चाहते थे तो नम्रता से कन्ट्रोल कर सकते थे। पुलिस वाले डंडा दिखा कर कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं, खास तौर से राजस्थान की पुलिस की यह हालत है मोहनलालजी सुखाड़िया को मुख्य मंत्री बनने में मदद दी, गोली चलाकर, डंडा चलाकर, उनको मुख्य मंत्री बनाया व उस के बाद बरी कमीशन बैठा वहां उसने भी पुलिस के खिलाफ लिखा परन्तु उससे कुछ भी नहीं हुआ तब से ये मनमानी करने लगे। धोबियों ने प्रदर्शन किया तो लाठी चार्ज हुआ उसमें कुछ नहीं किया। स्टुडेन्ट्स इसको बरदाश्त नहीं कर सकते हैं, और एक दिन आयेगा कि राजस्थान पुलिस को मुंह की खानी पड़ेगी, और राजस्थान के

(श्री विजयसिंह)

मुख्य मंत्री उन्हें समय देकर जयपुर से भागकर नहीं जा सकते हैं………

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री विजयसिंह : मुख्य मंत्रीजी को उनसे बातचीत करनी पड़ेगी । स्टुडेन्ट्स की मांगें आज से नहीं कई दिनों से चल रही हैं । विधान सभा का तीन दिन का सत्र बुलाया है कांग्रेस के तिये की बैठक है जो समाप्त होने वाली है, और यह आखरी सत्र है । विधान सभा के समय पर ही यदि वो नहीं कहेंगे तो फिर कहां पर जाकर कहेंगे तो मेरा इतना ही निवेदन करना है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था की हुई है कि जो डिमास्ट्रेटर्स यहां आते हैं उनके डेपुटेशन से गवर्नमेंट के प्रतिनिधि नहीं मिलते हैं। अभी तक तो यहहोता रहा है कि डिमोन्स्ट्रेशन को वहां रोक देते थे, और उनके डेपुटेशन को फौरन बुलाकर मिला जाता था । अब हमें पता लगा है कि डेपुटेशन से मिलने के लिए इन्कार किया जाता था अब हमें पता लगा है कि डेपुटेशन से मिलने के लिए इन्कार किया जाता है या अधिकारी उनको मिलने नहीं देते हैं । यह क्यों नहीं हो पाता है ? ऐसा यदि होता है तो कन्फ्रन्टेशन की जबरदस्त स्थिति पैदा की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का क्या ऐसा एटीटयूड है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (शिक्षा मंत्री) : पहले जब कभी भी प्रदर्शन करने वाले आये हैं तो उनके प्रतिनिधियों से मिलने की व्यवस्था रही है, और अब भी इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल भी किया था। आज स्टूडेन्ट्स के बारे में वही हुआ है । या तो पुलिस ऑफिसर को जाना चाहिए या आपकी तरफ से किसी को जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि कौन साहब मिलने के लिए आना चाहिए और डेपुटेशन को बाकायदा इज्जत के साथ बुलाए और मिले बजाय इसके कि उनको डंडा दिखाकर खड़ा रखें और गेट वाले उनको रोकें और किसी आदमी को नहीं आने दें तो आपसे व सम्पर्क कैसे करें। आपको फौरन अपनी तरफ से किसी को भेजकर, आपका पी० ए० जाय या सेक्रेट्री जाये और कोई भी जाकर उनको बुला लाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक तो यह स्पष्टीकरण किया जाय कि क्या कारण है कि जब तीन बजे विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मण्डल से मिलने का………

श्री भैरोंसिंह : विद्यार्थियों को एड्रेस करने का ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समय दिया था फिर क्यों नहीं मिले ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जानकारी नहीं है तो किसी से जानकारी करवाकर बताएं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जानकारी होना आवश्यक नहीं है । मैं यहां आपके रूबरू बैठा हुआ था ।

Page No 135

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप जानकारी करके बता दें सदन को।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तो जानकारी करके निवेदन कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कम से कम इस सम्बन्ध में आज एक वक्तव्य गवर्नमेंट की तरफ से दिलाया जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बादीकुई) : ओन ए पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर, मैं वहां मौजूद था करीब 3, 3।। बजे के आसपास मुख्य मंत्रीजी से मिल लिये हुं वे।

श्री विजयसिंह: But do you know that they were students ? दूसरे होंगे।

श्री भैरोंसिंह: क्या बात हुई आप बता दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : म मुख्य मंत्रीजी से मिलने गया था तो वहां पर विद्यार्थियों को देखा था। बातचीत उस समय नहीं हुई मेरे सामने। वे बात करके निकल रहे थे।

श्री भैरोंसिंह : जब आप मिलने गये तो वे बातें करके जो कह रहे थे तो उस समय यह तय हुआ था कि साढे तीन बजे वे नीचे जायेंगे और विद्यार्थियों को एड्रेस करेंगे और जो बातचीत हुई है वह विद्यार्थियों को बतायेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी समय पर उपस्थित नहीं हुए इस कारण से यह घटना हुई है।

श्री विश्वम्भरनाथ : क्या तय हुआ और क्या तय नहीं हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि उनसे जरूर मिल लिये थे।

श्री दुर्गालाल बादवार : इस प्रकार की स्थिति क्यों आ पड़ी, इसका कारण जानना चाहते है।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस घटना के बारे में कितने विद्यार्थियों को चोटें आई है। ऐसा न हो कि विद्यार्थी वहां जायें और वहां अस्पताल में उनका इलाज न हो।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट से वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह सम्भव कैसा होगा?

श्री दुर्गालाल बादवार : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न पैदा होता है। आज आप को यह विदित है और राजस्थान की सारी जनता को विदित है कि आज इस सदन म यूनिवर्सिटीज के बारे में चर्चा होगी। यह मानव का स्वभाव होता है कि उसके सम्बन्ध में चर्चा होती है तो उस पर जानकारी करने का स्वभाव होता है। इस देश में विद्यार्थियों में विरोध की भावना जाग्रत हुई है। वह दिलचस्पी के साथ यहां आते हैं। वह आते तो कोई अपमान नहीं करते हैं कर्मचारियों का जुलूस आता है, धोबियों का आता है। विधान सभा पर जुलूस आयेंगे। यह भी यहां की परम्परा रही है। जुलूस के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए जाते रहे हैं। जनता के प्रतिनिधि आते है तो उनको बुलाया जाता है। आवश्यक होता है तो मंत्री भी मिलने जाते हैं। जैसा कि आपको जानकारी दी गई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आपके द्वारा सदन के सारे सदस्यों, मंत्रिमण्डल के सदस्यों को यह निवेदन करूंगा कि सदन के अन्दर यह घटना होती है तो यह अपमान न माननीय सदस्यों का होता है। आसन का भी होता है और आसन को इस बात पर विचार करना होगा। माननीय सदस्य भैरोंसिंहजी ने प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। राज्य सरकार को इस पर अपना अभिमत व्यक्त करना होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस विषय को लेकर अखबारों में पढ़ते है..

श्री विजयसिंह : यह सब तो ठीक है वक्तव्य देंगे या नहीं ?

(शोरगुल)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अपनी अपनी बात को कहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय..

श्री मनोहरसिंह मेहता : गांधीजी ने कहा था कि सफेद टोपी वालों को जनता चुन कर मारेगी। वह दिन दूर नहीं है। यह आग सारे राजस्थान के कौने कौने में फैलेगी। इसलिए कृपा करें। इसके परिणाम भयंकर होंगे।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मनोहरसिंह मेहता : उसका क्या हुआ ?

श्री विजयसिंह : वक्तव्य कब देंगे ? कितनी देर में देंगे ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक मन्त्री यहां मौजूद है। वह मन्त्री वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं। उनके सामने घटना से अवगत कराया गया है। उनका दायित्व है कि वह प्रकाश डालें। कम से कम इतना तो करें।

श्री विजयसिंह : दस में से केवल एक मिनिस्टर है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न एकायक सदन के सामने आया है और वक्तव्य की मांग की गई है। वक्तव्य देने में समय लगेगा। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय सम्बन्धी चर्चा प्रारम्भ की जाये और इस प्रश्न पर और इस स्थिति पर भी सरकारी पक्ष की तरफ से जो जवाब दिया जाये उसमें स्पष्टीकरण कर दिया जाये।

श्री विजयसिंह : वक्तव्य होना चाहिये। हमको मालूम है।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी पक्ष से वास्तविक घटना क्या है, यह जानकारी दिला दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ माननीय सदस्यों से जानकारी मिली है। जहां तक वक्तव्य की बात कही है, मैं जानकारी कर लेता हूं।

कई माननीय सदस्य : वह यहां नहीं हैं। शाहपुरा गये हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह उनको खुद की जानकारी में है। माननीय उपाध्यक्षजी, जो मामला माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की जानकारी में है, उसके सम्बन्ध में मैं क्या कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप यह तो कह सकते हैं कि लड़कों के चोटें लगी हैं। आप यह तो कह सकते हैं या नहीं? हम लड़कों से मिल कर आये हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप सदन के एक जिम्मेदार आदमी हैं। आप जो कहते हैं, ठीक ही होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्योंकि आप नये आये हैं। आप ने देखा होगा जब आप उपाध्यक्ष पद पर थे। (व्यवधान) लाठी चार्ज हुआ है। चोटें आई हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लाठी चार्ज हुआ है या नहीं, इसकी सूचना मैं 10-15 मिनट में आप को दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर रहा था, विश्वविद्यालयों के विषय में। स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् जिस प्रकार की नीति राज्य सरकार की रही है, उसके बारे में विद्यार्थी और सभी असन्तुष्ट रहे हैं। विश्वविद्यालयों की आलोचना करने की दृष्टि से नहीं कहता हूं लेकिन हमें गहराई से विचार करना होगा। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है, जिसके कारण विद्यार्थियों में उपेक्षा बढ़ती है। इस स्थिति पर पूर्ण रूप से सरकार विचार करती तो ये स्थितियां नहीं होतीं। उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों के पक्ष को मैं जानता हूं। देश का उत्तरदायित्व सम्भालने का सारा भार उसी विद्यार्थी के ऊपर है, उसी जवान के ऊपर है, जिस प्रकार के नैतिक चरित्र को लेकर वह विश्वविद्यालय से निकलेगा। उससे निकल कर उसी प्रकार की भावनाओं का प्रसार कर सकता है। इस दृष्टि से आप के माध्यम के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे सारे देश के अन्दर युनिवर्सिटी से किस प्रकार के सम्बन्ध कानूनी रूप से बन गये हैं। एक ओर कहा जाता है कि यह आटोनोमस बॉडी है। यह कहा जाता है। दूसरा हमारा फाइनेन्स का सवाल आता है, राजस्थान को ही नहीं सारे देश की सारी जनता के ऊपर करोड़ों रुपये का कर इस बहाने के साथ लगाया जाता है कि हमें भावी संतान को शिक्षित बनाना है, सुशिक्षित बनाना है। तो हमें यह मान कर चलना होगा कि शिक्षा के द्वारा ही हमारे अन्दर संस्कारों का निर्माण होता है। इन संस्कारों का निर्माण इन युवक-युवतियों में किया जाता है, इन संस्कारों के द्वारा ही देश की संस्कृति का निर्माण होता है। इसके सम्बन्ध में हमें सोचना होगा कि

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

हमारे देश के भावी नागरिकों में संस्कृति और संस्कार बढ़े हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम इस प्रकार से सोचेंगे तो बुद्धि के लिए, सिद्धान्तों के लिए अच्छी शिक्षा का होना नितान्त आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात् से हम शिक्षा पद्धति में चेंज नहीं कर सके हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आदमी में असंतोष उत्पन्न होता चला जा रहा है ? हम अखबारों में पढ़ते थ कि अमुक फेक्ट्री की तालाबन्दी हो गई है, अमुक फेक्ट्री में हड़ताल कर दी गई है तो कोई अफसोस की बात नहीं होती थी। लेकिन आज यह सुनने को मिलता है कि अमुक कॉलेज को बन्द कर दिया गया है, अमुक कॉलेज की तालाबन्दी कर दी गई है, अमुक विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया है तो इससे बड़े दुर्भाग्य का विषय और नहीं हो सकता है। हम विश्वविद्यालय जसी संस्थाओं पर विचार करते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तक्षशिला और नालन्दा से विश्वविद्यालय हमारे यहां थे जिनमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के ही नहीं, भारत के दूसरे देशों के लोग भी आते थे और यहां की संस्कृति की शिक्षा ग्रहण करते थे—'विद्या ददाति विनयम' इस आधार पर चल कर अपने देश का और विश्व का कल्याण करते थे। लेकिन आज देश का यह दुर्भाग्य हो रहा है कि इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसका कारण क्या है ? आजादी के बाद विश्वविद्यालयों का निर्माण होने लगा तो इसके लिए राजनीति के आधार बने। हर जगह के व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे यहां यूनिवर्सिटी कायम हो। लेकिन वहां पर जरूरत है या नहीं, वहां पर रुपया लगाना चाहिए या नहीं—इस पर विचार नहीं किया जाता है। राजनैतिक दबाव और प्रेशर आते हैं और यूनिवर्सिटी कायम कर दी जाती है। यूनिवर्सिटी कायम हो जाय तो प्रोफेसर का अपॉइन्टमेन्ट होगा, लेकचरार का अपॉइन्टमेन्ट होगा—वहां भी यही समस्या आयेगी। वहां पर शिक्षा का स्तर नहीं देखा जाता है, एकेडेमिक क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती है, योग्यता नहीं देखी जाती है और अपॉइन्टमेन्ट इस प्रकार के राजनैतिक दबाव से होते हैं। यह देखते हैं कि अमुक नेता का कितना प्रभाव है, किस व्यक्ति को कहां लिया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अपॉइन्टमेंट होते हैं। इसके बाद पढ़ाई के तरीके की बात आती है जिससे विद्यार्थियों में असंतोष पैदा होता है। मुझे विद्यार्थियों से संपर्क करने का मौका मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रौढ़ हैं, इस विधान सभा में बैठने वाले माननीय सदस्य प्रौढ़ हैं, अधिकारीगण प्रौढ़ हैं, हमारी और उनकी सन्तान ही कॉलेजों में पढ़ने वाली है। आज बड़ी मुश्किल से कोई बाप-बच्चों की पढ़ाई के लिए परिश्रम करके धन कमा कर कॉलेज में प्रवेश कराता है, किताबों के साधन जुटाता है, वस्त्र जुटाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उसके सामने यह समस्या आती है कि आज कॉलेज बन्द हो गया, आज स्कूल बन्द हो गया। बच्चे-बच्ची घर पर बैठे हुए हैं और उनको घर पर समझाना मुश्किल हो जाता है और इस प्रकार साल भर की पढ़ाई का खर्च बेकार चला जाता है। मैं बाप हूं, मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे। यह महत्वपूर्ण समस्या है, इसे लाइटली नहीं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लीजियेगा, इसको नजरअन्दाज नहीं किया जायेगा। इससे प्रभावित हम सब होने वाले हैं। इसलिए इसको गहराई से सोचने वाली बात है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। एक कवि ने कहा है :

दुख: देशज प्रजा को,
क्यों न बढ़े दुख द्वन्द।
अधिक अंधेरी ही करैं
मिलि मावस रवि चन्द।

ओटानोमी देकर आपने विशेषाधिकार दे दिये। राज्य सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं करती है या नहीं करना चाहती है तो जो प्रबल शक्तियां हैं वह अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती है, वह करेंगी। जिस प्रकार अमावस्या के दिन सूर्य अपनी पूरी किरणों के साथ होता है और चन्द्रमा भी अपनी पूरी किरणों को शक्ति के साथ होता है, दो शक्तिशाली एक राशि में आते हैं तो दिन में जो उजाला रहता है लेकिन रात में वह उजाला नहीं रहता है और अन्धेरा ही अंधेरा हो जाता है। यही स्थिति आज देश में चल रही है। युनिवर्सिटी में वेकेशन छुट्टी का तरीका अलग है, सेवा कानून अलग हैं अपॉइन्टमेन्ट का तरीका अलग है और राज्य सरकार के कार्यालयों में छुट्टी का तरीका अलग है। राज्य सरकार का अधिकारी छुट्टी पर है और कहीं दौरे पर उसे जाना पड़े तो उसे सोचना पड़ेगा कि उसके बच्चे बच्चियों की छुट्टियां हैं या नहीं। उनको अलग छुट्टियां लेनी पड़ेंगी अगर नहीं हैं तो। मेरी समझ में नहीं आता, आजादी के बाद यह अलग अलग प्रकार का तरीका, कानूनी तरीका क्यों बना दिया है ? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, प्रशासन में भ्रष्टाचार का वर्णन किया जाता है लेकिन विश्वविद्यालय में होता है तो वहां भ्रष्टाचार के साधनों पर विचार करने का साधन नहीं है। आज हमें यह विचार करना है यह असंतोष क्यों है। इसके ऊपर हमे जरूर सोचना पड़ेगा। यह नौ मांगों का पत्र विद्यार्थियों ने सदन के अन्दर फेंका यह मांगें कोई नई मांगें नहीं हैं, इनको लेकर विद्यार्थी काफी अर्से से चल रहे हैं, इनके बारे में रिप्रेजेन्टेशन देते हैं, अधिकारीगण से मिलते हैं, मंत्री महोदय से मिलते हैं, उन पर प्रकाश डाला गया है। मैं नौ की नौ मांगों से पूर्ण सहमति प्रकट करता हूं। ऐसी बात नहीं है कि सरकार सब मान लें, इनमें से कुछ मांग हो सकती हैं जिन पर राज्य सरकार पुनः विचार करना चाहे। बहुत सी मांगे इस प्रकार की हैं विद्यार्थियों की, जिनके बारे में राज्य सरकार हिन्दुस्तान की सरकार और अन्य प्रदेशों की राज्य सरकार को सोचना चाहिए, जो इस बात का दावा करके चलती है कि हम प्रगतिवादी सरकार है और समाजवाद लाना चाहती है और इस प्रकार का देश में वातावरण पैदा करना चाहती है। मेरा निवेदन है कि जिन व्यक्तियों से सम्बन्धित कोई निर्णय करने वाली संस्था है, उसमें कम से कम उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों की मांग क्या है; लेकिन हम यह कहते हैं, विद्यार्थी नादान हैं, उनका रिप्रजेंटेशन निर्णायक समिति मे रख लिया जायगा तो सम्भवतः निर्णय उनका प्रिमेच्योर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह मालूम होना चाहिए कि विद्यार्थी जो कॉलेज की एजूकेशन पाने वाले हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टेन्डर्ड की डिग्री लेने

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

वाले हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले हैं, उनसे क्या यह अपेक्षा करते हैं कि उनकी प्रिमेच्योर क्वालिफिकेशन है ? जो उनमें योग्यता हैं उनके आधार पर वह प्रतिनिधित्व रखना चाहते हैं तो क्या कारण है, राज्य सरकार के सामने कौनसी ऐसी समस्या आ रही है, क्या कारण है, इसको मानने के अन्दर कौनसी पेचीदगी या दिक्कत आ रही है, कौनसा आसमान टूटने वाला है। लेकिन राज्य सरकार ने इन बातों को देखा नहीं। राज्य सरकार सहानुभूति पूर्ण वातावरण बनाकर प्रतिनिधियों से बात करने की चेष्टा करती, यह चेष्टा करती कि कम से कम विद्यार्थियों के मसलों का उचित समाधान निकालना है, तो किसी विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।

अब अमुक व्यक्ति में गुण हैं या अमुक व्यक्ति में दोष है - इसकी चर्चा करने से मेरा ताल्लुक नहीं है। यह हो सकता है प्रशासन में, कोई किसी ढंग से काम करता हो, कोई किसी ढंग से काम करता हो, कोई प्रशासन नरमी से करता है और कभी सख्ती करने की जरूरत पड़ जाती है। तो प्रशासन और विद्यार्थियों में समन्वयात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया जा सकता है। व्यक्तियों की आलोचना करना मेरी सीमा के बाहर है, लेकिन कम से कम मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा, समस्या आपके सामने है, उसमें दोष किसका है, इसका निराकरण कैसे हो सकता है, इसको ठीक करने का रास्ता क्या निकाला जा सकता है क्या राज्य सरकार अपना उत्तरदायित्व भूलना चाहती है ? अगर राज्य सरकार इस प्रकार विचार करती है तो बात बिगड़ने वाली है। आज जिस समस्या का समाधान हो सकता था, वह हुआ नहीं, तो क्या हुआ, विद्यार्थियों प्रदर्शन करने के लिए विधान सभा के सामने आये। उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। यह कोई समाधान नहीं है। आप मानकर चलिये, इस वक्त देश की स्थिति और ही है, हमारे देश पर संकट छाया हुआ है। इस वक्त प्रत्येक व्यक्ति का मनोबल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए राजनैतिक लोगों का पुनीत कर्तव्य है कि देश के अन्दर उठने वाली कठिन समस्या जागरूकता के साथ देखें और प्रत्येक नागरिक का मनोबल इस प्रकार उन्नत करें कि देश प्रत्येक मुसीबत के समय का हर प्रकार से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। आज हमारे देश के अन्दर ऐसी परिस्थिति हैं, दूसरी ओर आन्तरिक स्थितियों की अपेक्षा करके चलना चाहेंगे तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। मैं कहता हूं कि इन युवकों के प्रति, देश के भावी नागरिकों के प्रति राज्य सरकार को उदारता का दृष्टिकोण अपनाना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं, आज एडमिशन की समस्या प्रत्येक विश्वविद्यालय में है। कहीं न कहीं से शिकायत इस प्रकार की आई है स्पष्टतया युनिवर्सिटी के अन्दर नम्बर दिये जाते हैं उन नम्बरों के दिये जाने में दृष्टिकोण बहुत लीनियेन्सी का अपनाया जाता है, ज्यादा पर्सेन्टेज और फर्स्ट डिवीजन ज्यादा। लेकिन दूसरी युनिवर्सिटी का दृष्टिकोण दूसरा है। लेकिन जब हायर एकेडेमिक एजुकेशन का सवाल आता है, मेडिकल में एडिमशन का सवाल आता है,

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

लों में एडमिशन का सवाल आता है, तो उसमें इस प्रकार की समस्या आती है कि जो राइट आदमी है, जो जेनुआइन है उसका अधिकार छिन जाता है क्या यह अच्छी बात है ? इससे भी गम्भीर बात यह है, अभी हाल ही में मेडिकल कालेज में एडमिशन हुए, उनमें इस प्रकार के घोटाले हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय के ध्यान में उदाहरण लाना चाहता हूं। मेडिकल में कुछ विद्यार्थियों का पर्सेन्टेज कम कर दिया गया, और फिर बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के बाद एडमिशन लिस्ट निकाल दी गई और उसम बच्चों के नाम दे दिये गये कि इनका पर्सेन्टेज बढ़ाया है और इसके बाद अमुक अमुक को एडमिशन दिया जाता है। इस प्रकार आज शिक्षण संस्थाओं में अनियमिततायें होने से विद्यार्थियों में डिस्सेटिस्फेक्शन होता है। आज उनकी समस्याओं को कोई सुनता नहीं है इसका नतीजा यह होता है कि उनकी श्रद्धा उनके प्रति खत्म हो जाती है और जो उनकी श्रद्धा विश्वविद्यालयों के उपकुलपति के लिये जो होनी चाहिये वह नहीं रहती और उनके हृदय में उनके आदर के बदले घृणा हो जाती है क्योंकि उनकी उपेक्षा की जाती है। दूसरी ओर जो माता पिता अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं और साल में इस तरह से विश्वविद्यालय दो तीन बार बन्द हो जाते हैं बच्चों की पढ़ाई खतम हो जाती है और उनमें एक अनिश्चित वातावरण हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई खतम हो जाती है। बच्चों की समस्याओं को सुना नहीं जाता। इधर विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां होती है और प्रोमोशन्स होते हैं उनमें भी घोर अनियमिततायें होती हैं इसका परिणाम होता है कि वहां के स्टाफ के लोगों में डिससेटिसफेक्सन हो जाता है जिन लोगों को प्रोमोशन मिलने चाहियें उन्हे नहीं मिल पाते हैं तो उनका हृदय उद्विग्न हो जाता है। इधर बच्चों की शिक्षा का हनन होता है। अगर विश्वविद्यालय बन्द होते हैं तो पढ़ाई नहीं होती और बाद में जब विश्वविद्यालय खुलते हैं तो बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं रिजल्ट बच्चों का खराब होता है। आज स्थिति यह है उनके मार्क्स का पर्सेन्टेज पूरा नहीं होने से उन्हें एडमिशन्स नहीं मिलता है। बच्चे फेल तो होते ही है और इस तरह से उनकी जिन्दगी का एक अमूल्य साल खराब हो जाता है। साथ में उनके माता पिता की खून पसीने की कमाई जो खर्च की जाती है वह हानि होती है। तो आप जरा सोचिये उपाध्यक्ष महोदय, उनके हृदय में क्या गुजरती है ये तो आप भी जानते हैं जिनके बच्चे हैं वे सभी जानते हैं आज मन्त्री महोदय अगर अपनी गिरबान में हाथ डाल कर सोचें तो उन्हें भी महसूस होगा कि इन विश्वविद्यालय को सिर्फ ओटोनोमस बोडी कह कर बात टाल जाने से यह सभी घटनायें होती हैं। इसलिये आज जरूरत है विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार की उसमें संशोधन होना चाहिये। आप देखिये उपाध्यक्ष महोदय किस प्रकार का अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ ? वे अगर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो वे उनकी सुनते नहीं। आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर तो आप करते नहीं उनकी समस्याओं के समाधान के लिये कुछ भी ? तो आखिर वो बच्चे कहां जायेंगे? उनका

Page No 142

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कोई समाधान तो होना चाहिये। यहां राज्य सरकार से निवेदन किया जाता है तो कहा जाता है कि राज्य सरकार इसके प्रति जागरूक है फिर क्या किया जाय ? आज विश्वविद्यालय में सुधार की नितान्त आवश्यकता है। मेरा सुझाव है राज्य सरकार को कि एडवाईजरी कमेटी बनायी जावे जिसमें स्टूडेन्ट्स के नुमाईन्दे भी हों ताकि उनकी समस्याओं का कुछ समाधान हो आज जरूरत है विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन को ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। विश्वविद्यालय एक्ट में ऐसा संशोधन होना चाहिये कि उसमें स्टुडेन्ट्स में राइट ऑफ प्रोप्राईटी हो।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय सदस्य ने जो बात कही है उस के बारे में बहुत ही आभारी हूं। स्टूडेन्ट्स की 9 मांगें हैं। प्रोप्राइटी और औचित्य की बात तो ठीक नहीं है लेकिन, आपने जो रिप्रेजेन्टेशन की बात कही है वह मैं उचित मानता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मन्त्री महोदय मेरा इस बारे में सुझाव है कि राज्य सरकार इसके बारे में विचार करके संशोधन करे तो ठीक रहेगा। बच्चों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी जैसे एक संस्कृत की एक श्रुति में कहा है---

अदिमर्गुर्यान्त गात्राणी मत: सत्येन शुद्धति विद्या तमम्भाम भूतानाम शुद्धिर्शीनेन शुध्यति।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार शरीर के लिये पानी जरूरी है उसी प्रकार मनुष्य के लिये शिक्षा अनिवार्य है लेकिन अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, अगर शिक्षा का ढंग ठीक नहीं है तो उसका विपरीत असर पड़ता है बच्चों की 9 मांग थीं। वो लेकर आये राज्य सरकार के पास तो उनको सुना नहीं गया। उल्टा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों में विद्रोह की भावना बढ़ती है, वे हड़ताल करते हैं। मैं बच्चों की सभी मांगों को उचित नहीं मानता। लेकिन उनमें से दो तीन मांगें तो उचित हो सकती हैं। अत: उन्हें सुनकर उनका हल किया जाना चाहिये। मैं बच्चों की हर बात के लिए आन्दोलन करने की प्रवृत्ति का हामी नहीं हूं लेकिन उनकी उचित मांगों को तो पूरा किया जाना चाहिये। हमारे यहां स्वास्थ्य विज्ञान की इन्स्टीट्यूशन्स है उनमें एडमिशन्स के लिये अनियमिततायें की जाती हैं। इसमें बहुत सी खामियां हैं उन्हें सुना जाना चाहिये। आज उन गड़बड़ियों की वजह से अच्छे मेधावी लड़के और बुद्धिशाली लोगों को अपने भविष्य बनाने का मौका नहीं मिलता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि लोगों को उनकी योग्यतानुसार काम धन्धा मिलना चाहिये। राज्य सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि वह उन्हें योग्यतानुसार नियुक्तियां दे। पर आज विश्वविद्यालय के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टचार है, घोर पक्षपात है उनकी योग्यतानुसार उन्हें मौका नहीं मिलता। इसमें राजनैतिक कारण आ जाते हैं, अच्छे योग्य बुद्धिवान छात्र तो रह जाते हैं और नीचे स्तर के लोगों को ले लिया जाता है। आज हमारे विश्वविद्यालय में, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे विषय की पढ़ाई कराई जाती है कि जिससे वे शिक्षा पाकर जब निकलते हैं तो एक ही तरह के निकलते हैं जैसे गढ़-

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

गढ़ कर टकसाली सिक्के हों और वे सभी यही सोच कर निकलते हैं कि हमें तो नौकरी करनी है। आज अधिकांश प्रवृत्ति मानव की नौकरी करने की है। हमें इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिये। हमें राज्य सरकार के ऊपर ही अवलम्बित नहीं रहना चाहिये और इसके लिये हमें पाठ्यक्रम को बदलना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा एक उदाहरण के तौर पर यह जो आज सरकार ने स्कूलों में नेशनलाईजेशन आफ टेक्स्ट बुक्स किया है और इसका एक बोर्ड भी है जो कि हर विषय की पुस्तकों को देख कर स्वीकृति प्रदान करता है। इसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा सबसे पहले खराबी तो यह है कि जो पुस्तकें बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जाती हैं उनमें कई ऐसे लेखकों की पुस्तकें स्वीकृत कर देते हैं जिनका कि शिक्षा विभाग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वे कोई प्रोफेसर नहीं, किसी कालेज के प्रिन्सीपल नहीं। पर उनकी पुस्तकों को रिकमेन्ड कर दिया जाता है और दूसरों की पुस्तकों को नहीं। इसमें भी अनियमितताएं यह हैं कि जो लोग इनके रिश्तेदार होते हैं उन्हें प्राथमिकता दे दी जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि उनका स्टेन्डर्ड गिरता है। इससे उस राइटर की पुस्तकें भी बाजार में नहीं मिलती हैं। बोर्ड तो पुस्तकें पास कर देता है लेकिन वे छपती नहीं हैं और इस प्रकार बच्चों के हाथ में किताबें नहीं आती हैं तो वे पढ़ाई कर नहीं सकते और इस तरह उनका ज्ञानार्जन में बहुत बड़ी हानि हो जाती है। यह ध्रुव सत्य और अटल है बच्चों की ज्ञान शक्ति, चेतना शक्ति क्षण क्षण पर क्षीण होती जाती है। तो आपके मारफत, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार को निवेदन है कि चूंकि आप प्रशासन चलाते हैं इसलिये प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह आपको शिकायतें इस सदन में कई बार की गई थीं कि पाठ्य क्रम को बदला जाय ताकि उसमें सुधार होने से बच्चों को लाभ होगा। पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से कई बार निवेदन किया था। जब इस प्रकार की स्थिति है कि पुस्तकें बाजार में नहीं मिलती तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? कैसे आपका नेशनलाईजेशन बोर्ड इस प्रकार की टेक्स्ट बुक्स को पास कर देता है? उसे ठीक किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : आपके बच्चे ज्यादा हैं इसलिए व्यक्तिगत रूप से कहो मन्त्री महोदय से।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरे से तो जोशीजी के ज्यादा हैं।

श्री विजयसिंह : जोशीजी के तो फुटबाल की टीम है और आपके वालीबाल।

श्री रामानन्द : भैरोंसिंहजी को इससे नाइत्तफाकी है क्योंकि उनके एक ही है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि पाठ्यक्रम में सुधार किया जाये। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी आज जो स्थगन प्रस्ताव सदन में विश्वविद्यालय के बारे में आया उस पर अपने सुझाव दिये है, उन पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये। आज विश्वविद्यालय के प्रशासन में घोर अनियमिततायें हैं। उनके प्रशासन में भारी पक्षपात हो रहा है। क्या मोशन्स हों, क्या नियुक्तियों के मामले हो, सभी

(श्री दुर्गालाल बाद्दार)

तरफ पक्षपात का बोलबाला है इसका नतीजा यह है कि प्राध्यापकों में, प्रोफेसर्स में ही भारी असन्तोष है। इधर छात्रों में असंतोष तो उधर प्राध्यापकों में। जिधर देखो उधर असन्तोष ही असन्तोष है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार इन समस्याओं को तुरन्त हल करे। आज छात्र अपनी मांगें लेकर जाते हैं उसमें से दो तीन मांगें तो सही हो सकती हैं, सभी गलत नहीं हो सकती, और मैं यह भी नहीं कहता कि उनकी सभी मांगें ही सही हैं पर जो सही हैं उन्हें तो मानना चाहिये। जब विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन मांगों को नहीं सुनता है तो वे आपके पास आते हैं और इसके लिये उन्हें आन्दोलनात्मक रवैया अपनाना पड़ता है तो मेरा सुझाव यह है कि आप विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन कर ताकि उनकी समस्याओं का हल निकाला जा सके। पर राज्य सरकार उसकी ओर ध्यान ही नहीं देती

एक ओर हम यह चाहते हैं कि अपने देश में समृद्धि हो, देश में तरक्की हो और दूसरी ओर जब ये समस्यायें हमारे सामने आती हैं तो उन पर मौन होकर बैठ जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? संघर्ष होता है और सारी बातें हो जाती हैं। इन सारी समस्याओं पर विचार करना होगा।

तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वह कहना चाहता हूं कि शिक्षा का पेटर्न। किसी समय इस देश का मोरल इतना ऊंचा था और उसको नीचा गिराने के लिये बर्तानिया हकूमत ने यह समझा कि जब तक यहां की शिक्षा में विकार और संस्कारों में विकृति उत्पन्न न की जायगी तब तक इस देश को गलाम बनाकर अपने हाथ में रखना हमारे काबू के बाहर होगा। लॉर्ड मेकाले ने इस दृष्टि से इस पर विचार किया। उसी नीति के कारण देश के अन्दर बड़े बड़े मिनिस्टर्स कांग्रेसी मंत्रिमंडलों में आये वे इस देश के स्वतन्त्रता के पश्चात् भी हमारी प्राचीन संस्कृति और उच्चादर्श और उच्च चरित्र निर्माण की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाये। चाहे केन्द्र के मंत्री हों या अन्य राज्यों के मंत्री हों अपनी पोलिसियों, की घोषणा करते हैं, अपनी नीतियों की घोषणा करते हैं और समाज के कल्याण और युवकों के कल्याण की घोषणायें करते हैं और उसी नीति का अनुमोदन करते हैं। यही बात ठीक लॉर्ड मेकाले ने कही। इस देश म कानून नहीं है। इस देश में गरीबों को बचाने के लिए, उनको राहत देने के लिए कानून की व्यवस्था आवश्यक है और इस प्रकार से उन्होंने अपने कानूनों की यहां पर व्यवस्था की। जो लॉ वहां पर प्रिविलेन्ट थे वे हमारे यहां पर उन्होंने थोप दिये।

हमारे यहां यह आदर्श रहा है, शिक्षा है:

श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनम्
एतत् चतुर्विधं प्राहः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्

जिस प्रकार पहले न्याय व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था चलती थी उन सब पर पानी फेर दिया और नयी व्यवस्था थोंप दी गयी। उनमें पला शिक्षित वर्ग आता है। आई०सी०एस० और दूसरे आफिसर्स तैयार होते हैं। वे इसी दृष्टि से तैयार किये

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

कि बाहर की हुकुमत आकर किस प्रकार यहां हुकुमत कर सके उसमें शिक्षा प्रणाली को लेकर कौनसा परिवर्तन किया गया है । अभी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की बात आपके सामने आयी । शिक्षा में सुधार नहीं किया गया और अच्छी व्यवस्था नहीं की गई उसी का यह परिणाम हुआ है । शिक्षालय और युनिवर्सिटीज ज्यादा खोल दीं और आंकड़ों पर देखने के लिये कह दिया कि किसी समय 5 परसेन्ट शिक्षित थे और हमारे जमाने में 25 परसेन्ट शिक्षित कर दिये । पहले पांच परसेन्ट गुलाम पैदा करते थे और अब हम 25 परसेन्ट गुलाम पैदा करने लग गये हैं । यह आपने देश के साथ और उसकी संस्कृति के साथ न्याय किया या अन्याय किया ? यदि देश की संस्कृति के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करते, जब कि आपका ही स्वतन्त्रता के पश्चात् मंत्रिमण्डल रहा है, चाहे केन्द्र में हो या राज्यों में हो, तो आज यह गुलाम नहीं पैदा होते जो दर दर की ठोकरें खाकर घूमते हैं किन्तु ऐसे व्यक्ति तैयार होते जो विश्वविद्यालयों से निकलने के पश्चात् आत्म निर्भर होते । ऐसी शक्ति को लेकर विश्वविद्यालयों से निकलते तो देश के निर्माण में आज उनकी शक्ति लगती । ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति आज आपके बंगलों पर चक्कर लगाते हैं । आप हम × × × एम. एल. एज. के बंगलों पर चक्कर लगाते हैं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ये शब्द निकाल देने चाहिये । उपयुक्त नहीं हैं ।

× × × अध्यक्षीय आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये शब्द निकाल देने चाहिये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ये शब्द कार्यवाही से हटाये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष : ये शब्द निकाल दिये जायं ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : शिक्षित लोगों को गुलाम शब्द कहा यह भी निकाल देने चाहियें ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सदन के माननीय सदस्य कहते हैं पढ़ा लिखा कर गुलाम बनाते हैं । आप कहते हैं वह वास्तविकता है । क्या जन प्रतिनिधि होने के बाद आपने देश में निष्ठा पैदा करने की चेष्टा की ? कई नौजवान नौकरियों के लिये दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं । आपकी इस दूषित व्यवस्था के कारण आज देश के पढ़े लिखे नौजवान बेकार और बेरोजगार हैं और दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं । मैं भी अपने आपको आपके साथ मान कर चलता हूं । अगर भावना पैदा करना चाहते हैं देश भक्ति और कर्म शक्ति की तो देश को जागृत कीजिये अपने दल को जागृत कीजिये और सरकारी पक्ष को इस पर दवाब डाल कर तैयार कीजिये, देश के नौजवान नौकरी की तलाश करने वाले नहीं होंगे किन्तु आत्मनिर्भर होंगे । हिन्दुस्तान की सरकार ने और राज्य सरकारों ने ऐसे शिक्षित पैदा नहीं किये, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा नहीं और ऐसे लोगों को तैयार किया जो गुलामी करते हैं और पेट भरने के लिये दर दर

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

की ठोकरें खाते फिरते हैं। यह मैं अपनी भावना के साथ कह रहा हूं। आज प्रत्येक नागरिक को यह सोच कर चलना होगा, प्रत्येक जनप्रतिनिधि को यह सोच कर चलना होगा कि यदि हमने इस ओर विचार नहीं किया तो वह समय दूर नहीं जब आप इन कुर्सियों पर बैठेंगे। मैं अपने आपको भी इसमें शामिल करता हूं। बाजारों में चलना मुश्किल हो जावेगा। जनता का प्रतिनिधित्व करना सरल नहीं है। आप हमको बाजार में निकलने दिया नहीं जावेगी। क्योंकि यह क्रान्ति आने वाली है हालांकि मैं इसका पक्षपाती नहीं हूं।

श्री रामचन्द्र अग्रवाल : You are seeing the writing on the wall.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरह से। उस व्यवस्था में मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं। रामानन्दजी, जब इस प्रकार की बात आती है तो ऐसा लगता है कि बिल्ली को छिछड़ें नजर आते हैं। समझाने की बात की है। न रूस आने वाला है यहां और न चीन आने वाला है यहां। हम तो यह बात मान कर चलते हैं कि मैं आपको पौराणिक बात बताता हूं कि हिरण्य-कश्यप भी आया, रावण भी आया, और हिरण्याक्षपु भी आया। उसने पृथ्वी को पाताल में लेजाने की कोशिश की लेकिन इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता संस्कार इस प्रकार के रहे हैं कि सदा सनातन है और सनातन आधार पर चलने वाली संस्कृति बराबर रही है और अक्षुण रही है। इसमे परिवर्तन आने वाला नहीं है इसलिये यहां न रूस आने वाला है और न ही चीन आने वाला है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : न आने देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आने की बात ही नहीं है। आ ही नहीं सकता। भाग जावेगा डर कर। आप कितनी ही कोशिश कर लें चीन आने वाला नहीं है।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस गम्भीर समस्या पर आप विचार कीजिये। बेरोजगारी को दूर हटाने की कोशिश कीजिये। विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से मिलिये और उनकी समस्याओं को निराकरण करने की चेष्टा कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना विधान सभा के सामने घटी है और आपके माध्यम के द्वारा ध्यान में लायी गयी है उस पर विचार करना चाहिये। पुलिस विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करे यह शोभनीय नहीं है। इस पर गम्भीरता से सरकार को विचार करना होगा। और मसले हल करने होंगे।

इतनी चर्चा के पश्चात् हमारे मंत्री महोदय अच्छे निर्णय पर पहुंच कर इन नवयुवकों के प्रति उदारवृत्ति अपना कर शिक्षा में कल्याण करने की चेष्टा करेंगे यही मैं निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह शक्तावत।

श्री बालसिंह सोढा (जेसलमेर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर।

मैने तीन रोज पहले एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये राज सरकार ने एक ऐसा आदेश दिया है कि उनको चौहटन

Page No 147

(श्री बालसिंह सोढा)

और शिव तहसीलों में नहीं बसाया जावे। इस मसले पर जब सीमा के बारे में विवाद हुआ तब भी सरकार न कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

आज सुबह मुख्य मन्त्री को भी मैंने पत्र लिखा और आग्रह किया कि राज्य सरकार इस पर कुछ प्रकाश डाले और उन शरणार्थियों के लिये आवश्यक कार्यवाही करे।

इसका बक ग्राउण्ड क्या था यह मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। आज सुबह मैंने एक निर्णय लिया कि या तो इस मुद्दे पर मुख्य मन्त्री विरोधी दल के विधायक को सन्तोष दिलावें और सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण करें अन्यथा मुझे इसके लिये आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा और इस कदम के लिये मैंने भूख हड़ताल सदन में करने का निर्णय लिया था।

अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा था कि इस संकट की घड़ी में राज सरकार को सहयोग देना चाहिये। इस पर मैंने अपना मुद्दा स्पष्ट कर दिया कि सरकार केवल इतना बता दे कि चोहटन और शिव में नहीं बसाने का पूर्वाग्रह रखकर सरकार क्यों चलती है। सुबह मुख्यमन्त्रीजी से भी बातचीत हुई। पर इससे कोई सन्तोष मुझे नहीं मिला। मुख्य मुद्दा वे टाल गये।

भारत सरकार ने आज पूर्वी बंगाल के एक करोड़ शरणार्थियों को शरण ही नहीं दी है बल्कि उनके बंगला देश के आन्दोलन में भी दूर सम्भव सहायता दे रही है। फिर क्या कारण है कि पाकिस्तान के सताये हुए पश्चिमी हिस्से से आये अल्पसंख्यक शरणार्थियों को सहायता नहीं दी जाती? उनके लिए वैसी व्यवस्था नहीं की जाती? उनको रहने बसने और खेती करने के लिये जगह नहीं दी जाती, जमीन नहीं दी जाती। उनको तिरस्कृत रूप से देखा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा।

श्री बालसिंह सोढा : यह भाषण देने की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। यह तो हकीकत है जो मैं रख रहा हूं आपका ध्यान दिलाने के लिये। आप देखें यह क्या हो रहा है। तो सरकार का व्यवहार जो न शरणार्थियों के प्रति है वह निन्दनीय है। कतई शोभाप्रद नहीं है। अमाननीय है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण अंकित न हो।

श्री भैरोंसिंह : यह क्या तमाशा है? अंकित क्यों नहीं हो। क्या बात है?

मेजर श्री फतेहसिंह : इतना क्यों हस्तक्षेप हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : इन्फोर्मेशन इन्फोर्मेशन ही होती है। संक्षेप में होती है। भाषण नहीं होता।

श्री बालसिंह सोढा : यह जरूरी नहीं कि सूचना केवल दो शब्दों में ही हो दो लाइनों, दस लाइनों में भी हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : दो मिनट में दे देते हैं। अंकित न हो, यह क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बस

श्री बालसिंह सोढा : बड़े शर्म की बात है कि आज उन शरणार्थियों के साथ इस तरह का हृदयहीनता का व्यवहार हो रहा है, जब कि बंगला देश से आये हुओं के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है । फिर पश्चिमी हिस्से से आने वालों के साथ ऐसा क्यों ? राज सरकार ने इन पश्चिमी पाक से अपनी इज्जत बचाकर भाग कर आने वाले शरणार्थियों के साथ जो हृदयहीन बरताव किया है और करती जा रही है उसके प्रति अपना रोष और आक्रोश प्रकट करने के लिये उसका विरोध करने के लिये इस सदन के प्रांगण में भूख हड़ताल पर बैठता हूं ।

हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप मानवता की रक्षा के लिये इन शरणार्थियों को शरण देकर अपनी स्वतन्त्रता तक को खतरे में डालने की जोखिम लेने को तैयार हैं जो कि हमारी शानदार भारतीय परम्परा के अनुकूल ही कहा जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं ।

पर आज जब पश्चिमी पाकिस्तान से अपनी इज्जत को बचाकर और अपना सब घरबार वहीं लुटाकर अपने धर्म को बचाने के लिये करोड़ों की अपनी सम्पत्ति को वहीं छोड़कर भारत में आये हैं तो उनको पूरी तरह से मदद करना तो दूर रहा, उल्टे राज सरकार ने ऐसा आदेश निकाला है कि हम उनको यहां नहीं बसने देंगे । इससे जघन्य कार्य और क्या हो सकता है। इसके प्रति रोष प्रकट करते हुए मैं भूख हड़ताल पर बैठता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जैसा कि बालसिंहजी ने कहा है, उन्होंने यह मुद्दा मुख्य मन्त्री के सामने रखा था उसका क्या हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी और माननीय अध्यक्ष के बीच में क्या बातचीत हुई इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है : पर यह जानकारी अवश्य है कि पश्चिमी पाकिस्तान से 110 परिवार बाड़मेर और जैसलमर जिलों में आए, उनको तत्काल राहत देने का काम राज सरकार ने किया है । जो एक स्केल निर्धारित किया हुआ है उनको राहत देने का, उसके अनुसार ही राहत दी गई है ।

लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो शरणार्थी पाकिस्तान से आते हैं व जब तक हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं बन जाते तब तक उनको भूमि अलॉट नहीं की जा सकती । अभी तक जो परिवार मार्च-अप्रेल के आस पास भारत में आये उन पर इण्डियन सिटिजनशिप एक्ट के तहत सिटिजनशिप के राइट कनफर नहीं किये गये हैं ।

अब जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया कि उनको बसाया नहीं जा रहा है शिव और चोहटन तहसीलों में, तो मामला यह नहीं है । यह प्रश्न राज सरकार के विचाराधीन है और इसमें निर्णय लेने के बाद में उनको कौन से गांव में कहां बसाया जावे यह निर्णय सिटिजनशिप के राइट कनफर कर दिये जावेंगे इसके बाद में राज सरकार लेगी ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यदि यह नहीं कहू

Page No 149

(श्री भरोंसिंह)

तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती जिस प्रकार को जानकारी मन्त्री महोदय ने दी है, वह सही नहीं है।

सही जानकारी न होने के कारण सदन भ्रम में न रह जावे इस दृष्टि से मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगा।

ये शरणार्थी इसी वर्ष आये हों, ऐसी बात नहीं है। सन् 65 में भी आये थे। मंत्री महोदय जानते हैं कि 65 से लेकर 8 फरवरी, 67 तक जितने भी शरणार्थी आये हमने उनको गांवों में बसाया है। टेम्परेरी जमीनों के अलॉटमेन्ट किये हैं और जब नागरिकता का अधिकार उन को मिल गया तो उस टेम्परेरी अलॉटमेन्ट पर खातेदारी राइट देकर उनको परमानेन्ट मालिक भी बना दिया गया है।

आज ये शरणार्थी भी यह नहीं चाहते कि भले ही हमें सिटिजनशिप राइट न मिले हों पर जमीन का परमानेन्ट अलॉटमेन्ट कर दिया जावे। वे केवल इतना चाह रहे हैं कि जिस गांव में आप उनको बसा रहे हों उसमें या उसके आस पास में सरकार की काफी पडत जमीन पड़ी है उसको उन्हें टेम्परेरीली अलॉट कर दिया जावे ताकि वे अपना स्वाभिमानपूर्वक गुजर बसर कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण परिश्रमपूर्वक कर सकें और जिस समय सिटिजनशिप के राइट मिल जावें उस समय उन जमीनों पर उनको भी खातेदारी राइट दे दिये जावें।

तो इस तरह से उनके और आपके कथन में अन्तर है। 65 से आज तक जितने भी शरणार्थी आये हैं उनके लिये कहीं भी सरकार ने आज तक ऐसा कोई निषेधात्मक आदेश नहीं निकाला है कि अमुक क्षेत्र में अमुक को नहीं बसाया जावे। तो फिर ऐसा क्या विशेष कारण हो गया कि इनके साथ अमुक क्षेत्र में नहीं बसाने का ऑर्डर निकालना पड़ा। यह स्पष्ट करें एक तो। दूसरा कहां आप बसाएं और कहां नहीं बसावें किस जगह आपने उनको भूमि का आवंटन किया है और किस जगह नहीं किया है इस पर कोई पाबन्दी नहीं थी। आप पर ऐसी कोई रोक नहीं थी। पर इसके साथ आपने जो यह पाबन्दी लगा दी कि इनको शिव और चौहटन तहसीलों में नहीं बसाया जायेगा। रोष इस बात का है।

क्या आप यह कह सकते हैं कि आपको इन पर ही ऐसा अन्देशा क्यों है और अगर है तो कारण क्या है ? इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप लाभदायक काम करेंगे इस प्रश्न पर। अगर भारत सरकार या राज्य सरकार ने कोई इस तरह की पाबन्दी लगाना उचित समझा है तो इसका भी उत्तर में स्पष्टीकरण कर दें। इन दो बातों का आप उत्तर दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी तो मुझे नहीं है। यहां पर ऑफ हैण्ड मेटर यह आ गया इसलिए कोई रेडिली जानकारी तो मैं सदन को नहीं दे पाऊंगा। यह मुझे मालूम है कि उनको अभी तक सिटीजनशिप राइट कनफर नहीं किये गये हैं।

यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि उनको कहां बसाया जाय और चौहटन और शिव

(श्री परसराम मदेरणा)

की बात कह रहे हैं यह मामला भी है, यह क्लोज नहीं कर दिया है कि उनमें उनको बसाया जावेगा या नहीं। यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। यह आश्वासन देता हूं कि राज सरकार किसी एक पूर्वाग्रह से बन्ध कर नहीं चलती है। कहां बसाना चाहिए कहां नहीं यह सरकार अपनी सहूलियत देख कर भी तय कर सकती है। जो शरणार्थी बनकर हमारे देश में आते हैं उनकी मदद करना हमारा उद्देश्य रहा है। यह आप स्वयं जानते होंगे। मांवा गांव में पहले के शरणार्थी रहते थे, पीने के पानी की व्यवस्था वहां की थी। लेकिन जो फरवरी में आये हैं उसके बाद 6 हजार के आस पास और फेमिलीज पहुंच गई हैं इसलिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यह कहना व्यवस्था होनी नहीं की है, ठीक नहीं है। केश डोल भी जो लेना चाहते हैं, उनको दिया जा रहा है, जो नहीं लेना चाहते हैं उनको अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। केश डोल नहीं लेना चाहता है, यह दूसरी बात है। परमानेंट बसाने की बात सिटिजनशिप के बाद की है। उसके बाद उनको जमीन का अलाटमेन्ट किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिव और चौहटन तहसील में नहीं बसाया जाय, ऐसे ऑर्डर्स हुये हैं क्या? और अगर ऐसे आर्डर्स दिये है तो क्या कारण हैं?

श्री परसराम मदेरणा : पत्रावली को देखकर बता सकता हूं। कौनसी तहसील के लिये है, पत्रावली देखकर राज्य सरकार के क्या आदेश हैं बता सकूंगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। एक एक माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप उनको यह आदेश हुये हैं कि अमुक तहसील में नहीं रखा जाय तो मैं समझता हूं वे दूसरी जगह भी नहीं रह सकते हैं। उन पर कोई डाउट है तो क्या वह दूसरी जगह के लिए नहीं है? डाउट फुल केस हों तो उनको केम्प में रखना चाहिए और अगर आजादी से फिर रहे हैं तो फिर उनका राइट है हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में बसने का,- under that law they are there.

होच पोच नहीं, एक एक का जवाब आना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : ये चौधरी नहीं बसने देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : चौधरी भी हैं उनमें। दूसरों का नम्बर ज्यादा नहीं है।

श्री मदनसिंह : आपने यह कह दिया मुझे पूरा मालूम नहीं तो फिर......

श्री परसराम मदेरणा : उसमें सभी कौमों के लोग हैं। राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, चौधरी भी हैं। आज काफी शरणार्थी पूर्वी बंगाल से आये हैं। आते ही उनको सिटिजनशिप के राइट नहीं हो जाते हैं। पहले उनको केम्प में रखा जाता है और आज भी वे केम्प में हैं।-जब तक वे हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं बन

(श्री परसराम मवेरणा)

जाते हैं उससे पहले जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वह दी गई हैं। लक्ष्मणसिंह सोढा, नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं, उन्होंने अगस्त में एक अर्जी दी थी कि प्रारम्भिक मदद मिलनी चाहिए। वह तो उनको मिली है लेकिन परमानेन्ट बसाने के लिए जो आवेदन पत्र है उसमें इनको जल्दी से सिटिजनशिप के राइट कनफर करें, यह सब राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसमें जल्दी ही निर्णय ले लिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं इस सदन के माननीय सदस्य ने भूख हड़ताल करने की घोषणा की। क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई रास्ता नहीं निकाल सकती है या आपकी मजबूरी है जिसके कारण यह स्थिति न टाल सकें। टेम्परेरी बसाने में मैं नहीं समझता ऐसी कोई स्थिति है। आखिर इनकी भी कोई जिद्द नहीं है। भूखे मरने की कोई जिद्द थोड़ी ही है···

श्री परसराम मवेरणा : मुझे नोटिस होता तो मैं फाइल देख लेता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिनको सिटिजनशिप राइट नहीं है उनको भी टेम्परेरी लैण्ड अलॉटमेन्ट तो हो ही सकता है।

श्री परसराम मवेरणा : इस सम्बन्ध में मैं कनटेस्ट नहीं करता लेकिन जिस इलाके में शरणार्थी बसे हुए हैं वह राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है। उसमें एक फसल होती है वह तो अब हो गई। जमीन उपजाऊ नहीं है, उसमें इरिगेशन बेस्स नहीं है···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री परसराम मवेरणा : यह तो मैं माननीय सदस्य की तसल्ली के लिये कह रहा हूं। फसल की बुआई का काम आयेगा तब तक इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तब तक तो आप रहेंगे ही नहीं। तब तो हम ही कर देंगे।

श्री परसराम मवेरणा : आप कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसको डिबेट का रूप दे रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

एक एक माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना था कि भूख हड़ताल का मुख्य कारण और जिसमें पिन्चिंग बात हो रही है वह यह है कि शिव और चोहटन तहसील में नहीं बसाया जायगा। यह एक पिन्चिंग बात है। He cannot force us and say that he will settle at a particular place, सामान्यतः जो एक जगह बैठे हैं तो वहां नहीं बसने का कोई कोजेन्ट कारण होना चाहिये–बाकी otherwise beggers cannot be choosers. जो सुविधा है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वह देंगे यह एडमिनिस्ट्रेटिव बात सही है। लेकिन जहां बैठे हैं वहां क्या दिक्कत है? आज अगर उनकी लॉयलटीज के बारे में शक है तो फिर दूसरी जगह में और इस जगह में क्या फर्क है? अगर बिल्कुल बोर्डर में रख कर तारतम्य रह सकता है तो–this can be a cogent reason but we should be bold enough to say that and justify it. लेकिन बात साफ साफ आनी चाहिये।

श्री विजयसिंह : जब अन्य व्यक्तियों को वहां बसाया गया है तो इन्हीं व्यक्तियों को वहां बसाने में क्या दिक्कत है?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं परसों तक विचार करके जहां चाहते हैं टेम्परेरी जमीन दे दें। मैं आपसे (श्री बालसिंह सोढ़ा) भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं एकदम भूख हड़ताल का नोटिस दे दिया यह ठीक नहीं है। आज इसको वापिस ले लें। परसों के बाद करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आज अगर बैठ जायेंगे तो क्या मर जायेंगे। एक दिन में तो कोई मरता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : इस स्थिति पर गम्भीरता से विचार करिये और अगर परसों तक कर सकते हैं, जैसा माननीय रामानन्दजी ने बताया, सरकार के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है चरित्र के बारे में सन्देह करें। वे व्यक्ति यहां बसे हुये हैं। बहुत से तो 6 महीने से आये हुये हैं और कईयों को तो दो वर्ष हो गये। उनके बारे में कोई कानूनी अड़चन नहीं आती है तो केवल सिद्ध के रूप में जिद्द करके नहीं चलें। उन्हें भी मौका दें। आज नहीं, तो मंत्री महोदय क्या आश्वासन देने को तैयार हैं कि किस दृष्टि से उनको वहां नहीं रखा जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर मंत्री महोदय यह कहते हैं कि आये हुए विस्थापितों के बारे में शिव और चौहटन के लिए इनके ऊपर पाबन्दी लगाई गई है, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी कल ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर जो सीमावर्ती इलाके हैं उनकी सुव्यवस्था के लिए उसी स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से जो निर्णय लेने हैं उसके लिए चार मंत्रियों की नियुक्ति की है और वे वहीं बैठकर निर्णय ले लें मेरी समझ में नहीं आता कि एक ओर जब मुख्य मंत्री महोदय ने इतना अधिकार दिया है, एक ओर तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से जो मुख्य मंत्रीजी को श्री बालसिंह जी सोढ़ा का पत्र आया है उस पत्र की तो आपको जानकारी है...

श्री परसराम मदेरणा : पत्र की जानकारी इसलिए है कि पत्र चीफ मिनिस्टर के पास आया है इसलिए नहीं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के शब्दों में मैं कोई सेक्टर कमाण्डर हूं...

श्री भैरोंसिंह : You have been appointed one of the four Civilian Commanders.

Page No 153

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए कि रिलीफ एण्ड रीहेबिलीटेशन डिपार्टमेन्ट मेरे पास है इसलिए उस संबंध में यह पत्र मेरे पास आया था तब मैंने पढ़ा था। मुख्य मंत्रीजी जो भी पत्र मेरे पास भेजते हैं मैं पढ़ने के बाद आदेश भी देता हूं और लिखता भी हूं। इसलिए उनका आवेदन पत्र आया था वह अगस्त के महीने में या सितम्बर के फर्स्ट वीक में आया था लेकिन मैंने पत्र को जरूर पढ़ा था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब चार मंत्रियों को नियुक्त किया है तो सीमावर्ती इलाके के बारे में जो भी निर्णय लेते हैं उसके संबंधित जानकारी भेजी जाती है। तो इस सदन के अन्दर जानते हुए भी इस प्रकार से इसको उड़ाना चाहते हैं मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे सदन के माननीय सदस्य इस अहम प्रश्न को लेकर जिसके अन्दर अत्यन्त आवश्यकता है, यह जो घोषणा की है यदि इसके संबंध में, जिसकी जानकारी मुख्य मंत्रीजी को पहले देदी और ये कहते हैं कि मेरे पास जानकारी नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं राज्य सरकार के सबसे बड़े जिम्मेदार अधिकारी और जो इस सदन के नेता हैं, सरकार के नेता हैं। मुख्य मंत्री को जानकारी देने के बाद एक मंत्री कहे कि मेरी जानकारी में नहीं है, तो आप यह कह सकते हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को यहां बुलाकर इस संबंध में निर्णय लिया जायगा। यदि आपके अधिकार के अन्दर नहीं है तो आप इस संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लें......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री देवदत्त गाड़िया : ......मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है और माननीय राजस्व मंत्री इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेने में असमर्थ हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बालसिंह जी सोढा जो कि इस सदन के माननीय सदस्य हैं......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जसलमेर से विधान सभा के सदस्य हैं और जो वे भूख हड़ताल करने जा रहे हैं यह अहम प्रश्न है और इस सदन के अन्दर आज ही निर्णय होना चाहिए और माननीय मुख्य मंत्रीजी को तुरन्त बुलाया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य ने भूख हड़ताल की और इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हो सकता है इसके परिणाम भयंकर होंगे और देश के अन्दर संकट की स्थिति आई है उस संकट की स्थिति में एक सदन का सदस्य भूख हड़ताल करता है और सरकार चुपचाप और मौन होकर बैठती है उस सरकार के लिए लज्जा की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ......मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है और इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय निर्णय नहीं ले पाते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सदन में तुरन्त बुलाया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो अफसोस है कि जो यह अल्पकालीन सत्र चल रहा है इसमें भी मुख्य मंत्रीजी उपस्थित

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

नहीं रहते हैं। मेरे इस कार्यकाल में पहले के मुख्य मंत्री को मैंने ऐसा नहीं देखा कि गम्भीर प्रश्नों के ऊपर वह यहां नहीं रहें। वे हमेशा रहते थे लेकिन मुझे अफसोस है कि वर्तमान मुख्य मंत्रीजी इस सदन की उपेक्षा करते हैं और मैं इसकी निन्दा करता हूं और मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को यहां बुलाया जाये और उनसे इस संबंध में निर्णय देने के लिए कहा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मेरे गांव में मौलाबक्स की औरत को अभी नेशनेलिटी दी है 10-20 दिन में ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बार अन्तिम तौर से.........

श्री परसराम मदेरणा : नागरिकता मिल गई इससे क्या कहना है ?

श्री मदनसिंह : आप टेलीफोन करके इतला मंगा लो कि मौलाबक्श की औरत को कैसे नागरिकता मिल गयी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बार अन्तिम तौर से मैं फिर इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को और टाला जा सके और इस संबंध में राजस्व मंत्री महोदय राज्य सरकार की ओर से इसकी यहां घोषणा करें तो मैं आपसे और श्री बालसिहजी सोढ़ा से निवेदन करूंगा कि शिव और चोहटन तहसील में नहीं बसाने का जो सरकार का आदेश है तो कहां बसायें। बसाना तो फिर भी गवर्नमेन्ट के हाथ में है। यह कोई मेकमोहन रेखा तो है नहीं कि शिव और चोहटन में नहीं बसाया जाये और इसके आदेश एक बार हो गए तो हो गए......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरी कान्सटीटएन्सी में आप जानते हैं मुसलमान मेव रह रहे हैं और......

श्री मदनसिंह : आपकी पार्टी ने चाइना के गुण्डों को रखा हुआ है। आपके माव को जानते हैं.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सारे क्वेश्चन को हम किसी कम्युनल एटीट्यूड से न लें। मैं समझता हूं कि हिन्दु और मुसलमान का सवाल नहीं है और न इसका सवाल हमने खड़ा किया है......

श्री रामनन्द अग्रवाल : मेरे क्षेत्र के मेवों की औरतें पाकिस्तान में हैं और वह यहां आना चाहें तो उनके लिए आपका क्या एटीट्यूड है। मेरे क्षेत्र में मेव हैं और उनकी बीबियां वहां हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनको यहां की नेशनेलिटी दी जाये लेकिन नहीं दी और गवर्नमेन्ट ने जबरदस्ती धक्का देकर बाहर भेज दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम हिन्दु और मुसलमान के आधार पर विचार नहीं करते। कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें हिन्दुओं का बाहुल्य है हम आपको भी गद्दार पार्टी कहते हैं। हिन्दु और मुसलमानों का सवाल पैदा करना चाहते हैं......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं क्लियरली पूछ रहा हूं कि आपका क्या एटीट्यूड है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप कौन हैं हमसे पूछने वाले ? आप हमारे दफ्तर में आये हम आपको ट्रेनिंग देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा क्वेश्चन यह है कि उनको बसाना या नहीं बसाना सरकार के निर्णय की बात है लेकिन ऐसे कोई आदेश हैं उन आदेशों को मैं समझता हूं कि वापिस लिया जा सकता है और इनका भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए इसके बारे में । सेन्टीमेन्ट, इमोशन की बात है इसलिए आदेश को वापिस लेने की घोषणा कर सकते हैं और इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने भूख हड़ताल के नोटिस को वापिस ले लें ।

श्री भैरोंसिंह : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह गवर्नमेन्ट के नेगेटिव एटीट्यूड के लिए कही है । मैं किसी बात पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं केवल जानकारी करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट का यह नेगेटिव एप्रोच किस कारण से रहा ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने पहले कहा था कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बालसिंहजी सोढा जैसलमेर से आये हैं । उनके साथ में मुख्य मंत्रीजी से माननीय अध्यक्ष के कक्ष में मिला । मुझे भी इस बात की बहुत चिन्ता थी । मैंने बालसिंहजी सोढा को समझाने का पूरा प्रयास किया कि वे ऐसा कदम नहीं उठायें कि जो मुझे अखरे । उन्होंने मुझे यह कहा कि यह समस्या आज की नहीं है, स्थगन प्रस्ताव तीन-चार दिन हुए दिया । सरकार उस संबंध में कोई उत्तर नहीं देती । अब सरकार ने कोई ऐसा रुख शायद अपना लिया है कि इस संबंध में सरकार टस से मस या इधर से उधर नहीं होना चाहती तो सवाल यह है कि पश्चिमी पाकिस्तान से, सिंध से और ढाका डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग शरणार्थियों के रूप में जैसलमेर और बाड़मेर में आए हुए हैं । आपको पता होगा शायद कि कुछेक लोग सन् 1965 के पहले भी आए थे और उनको मवरी गांव में बसाया गया था । अब धीरे धीरे यह रफ्तार बढ़ती जा रही है और मुझे यह स्पष्ट आशंका है कि अल्प संख्यक जातियों में से पश्चिमी पाकिस्तान में एक भी व्यक्ति शायद वहां बाकी बचा नहीं रहेगा । धीरे 2 सबको निकाला जाएगा । आखिरकार हमारे लिए यह समस्या है । और जहां तक सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न है हम और सरकार एक हैं । बड़ी से बड़ी कुरबानी देनी पड़ी और देश के ऊपर आक्रमण हो तो हमें उसकी प्राथमिकता देकर सरकार से कन्धे से कन्धा मिला कर काम करने में आपत्ति नहीं है । लेकिन इसके साथ साथ हमें मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए । हम उस तरह का वहशियाना बर्ताव तो नहीं कर सकते, टिट फॉर टेट को संज्ञा लेकर जैसे पाकिस्तान करता है । वैसे हम निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते हैं तो मेरे ख्याल में हम एक सिविलाईज्ड सरकार नहीं हैं । एक सभ्य देश नहीं हैं । यह हमारी आन बान, शान और संस्कृति के बिल्कुल विपरीत होगा । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहा है कि आपको सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए ।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मुझे यह आशंका है कि मुख्य मंत्रीजी सम्भवत: कुछ करना चाहते हों तदुपरान्त भी वे कुछ करने की परिस्थिति में सम्भवत: अपने आपको नहीं पा रहे हैं। मुझे वे कह गए हैं कि वे शाहपुरा जा रहे हैं कल वापिस आयेंगे और परसों, सोमवार को कभी न कभी विचार करके कोई न कोई उत्तर देंगे और उत्तर क्या देंगे और क्या नहीं देंगे वह भी मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने उत्तर देने का आश्वासन दिया है। मैंने उनको विवश करने की भी कोशिश की, उनसे कुछ बाहर निकालने की कोशिश की कि कुछ नहीं कह सकते हों तो कम से कम हां या ना में तो जवाब दीजिए। उस वक्त भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री मोहनलालजी सुखाड़िया भी मौजूद थे, उनसे भी चर्चा की। बहुत सारी बातों को उन्हें कहा गया माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में, मैं उन्हें यहां दोहराना नहीं चाहता। मैं तो एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आए हैं उनमें राजपूत भी आए हैं और दूसरे लोग भी आए हैं। मैं नहीं समझता कि राजपूत होना कोई पाप है। राजपूत भी इंसान हैं। उनमें भील भी हैं, कई दूसरी जाति के लोग भी आए हैं तो आखिरकार इनके लिए सरकार को कोई न कोई मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो माननीय सदस्य हमारे दल के श्री बालसिंहजी ने ऐलान कर दिया तो वह कर दिया, जो कर दिया वह ठीक है। मैंने स्वयं ने उन्हें समझाया था कि उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरी इच्छा को ठेस पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने ऐलान कर ही दिया तो कर दिया। मैं अब उनसे कुछ नहीं कहूंगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को सहानुभूतिपूर्वक निष्पक्षता के साथ इस पर विचार करना चाहिए, संकीर्णता के साथ नहीं विचार करना चाहिए।

और उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि सम्भवत: दिल्ली के अन्दर कांग्रेस में एक लोबी है, उसके अन्दर कोई यंग टर्क, टर्की, टुर्की, टर्की या कौनसी टुर्की, फिलीपाईन या जापान या कोई ऐसी गेलरी या लोबी है। मैं बहुत इज्जत के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने कोई खास रुख अपना कर माननीय प्रधान मंत्रीजी को कुछ न कुछ बात उनको तरफ से कही है तो खैर उनको अपने तरीके से कहने का अधिकार है. लेकिन हरएक समस्या के दो पहलू हैं। प्रति-पक्ष और स्व-पक्ष दोनों ही होते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्रीजी को अगर पूरी समस्या समझा कर उनके समक्ष रखी जावेगी तब तकड़ी में तोल कर निष्पक्षता से वे भी निर्णय लेंगी। मुझे इस बारे में विशेष निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार मानवीय पक्ष अपनाए। मैं यह भी मानता हूं कि सरकार की सीमाएं एक हद तक सीमित हैं इस समस्या को लेकर। लेकिन सरकार लिख सकती है केन्द्रीय सरकार को। यह विषय केन्द्रीय सरकार का हो सकता है किन्तु केन्द्रीय सरकार को लिख कर वास्तविकता से, माननीय दृष्टिकोण दर्शाएं तो मेरे ख्याल से उचित होगा।

(महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह)

(विराम)

अगर सरकार अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और उसको कुछ कहने में आपत्ति है तो न कहें, इतना तो संक्षेप में कहे कि सोमवार को कुछ होगा। यह भी व्यग्रता और उद्विग्नता सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यह बिल्कुल व्यर्थ है। इसके लिए सरकार यदि कुछ कहे तो बहुत कृपा होगी, महती कृपा होगी। सरकार के लिए भी मैं निवेदन करूंगा कि आज के लिए सम्भव न हो तो सोमवार के दिन ही कुछ न कुछ कहे, इसके लिए मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि कुछ न कुछ करना चाहिए। आखिरकार सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं। मेरे सामने मुख्य मंत्रीजी ने टेलीफोन उठा कर कहा था सेक्रेट्री को कि बाडमेर के कलेक्टर से पूछें कि भूमि अलॉट हुई है क्या और हुई है तो कब हुई। किन किन को हुई, कहां कहां हुई, कब कब हुई। सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय आप कुछ न कुछ अपना रुख दर्शाएं तो बड़ी कृपा होगी।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी ने क्या टेलीफोन किया था ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उन्होंने मुख्य सचिव को मेरे सामने टेलीफोन किया है। शायद मेरे लिए यह शोभनीय नहीं है इस बारे में जितना भी मैं यहां कह रहा हूं लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने मेरे सामने टेलीफोन करके मिस्टर खुराना से यह पूछा कि अलॉटमेंट कब हुआ, कहां पर हुआ, 25 मील या 25 किलोमीटर के अन्दर हुआ या भांवरी गांव में हुआ, कहां अलॉटमेंट हुआ और कब हुआ। यह उन्होंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है या हमको सुनाने के लिए लीपापोती की है, यह तो वही जानते हैं, मुझे कुछ पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : सोमवार को कह दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो कुछ अभी कहा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस मामले में कोई रिजिड एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहती, उसका बहुत ओपन माइण्ड है। एक बात।

दूसरी बात मुख्य मुद्दे की यह है कि जिस ऑर्डर की, गवर्नमेंट के जिस ऑर्डर का आप जिक्र कर रहे हैं वह मेरे से पूर्व का है। मैंने सम्बन्धित पत्रावली को देखा नहीं है। तो भी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि आज यह एक्सट्रीम कदम नहीं उठाएं। मैं कल ही इस पर विचार कर और परसों मैं इस सदन में वक्तव्य दे दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय सोढ़ा साहब, आप कृपा करके यह कदम आज न उठायें और परसों तक ठहरें।

(व्यवधान)

श्री विजयसिंह : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बालसिंहजी भी इस जिद्द पर नहीं हैं कि आज ही भूख हड़ताल पर बैठें। परन्तु इससे भी उनका समाधान थोड़े ही होने वाला है। सरकार कल

Page No 158

(श्री विजयसिंह)

इसके बारे में क्या करना चाहती है इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आपको तो नोटिस दिए काफी टाइम हो गया है लेकिन कुछ नहीं किया गया है। परसों जो वक्तव्य देंगे तो उससे भी क्या होने वाला है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हमें विश्वास रख कर चलना चाहिए, विश्वास बड़ी चीज है। कृपा करके छोड़िए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्रीजी ने बड़ी कृपा की कि उन्होंने परसों वक्तव्य देने की बात कही। लेकिन उनका महत्वपूर्ण वक्तव्य मैं भूखा रह कर भी सुन सकता हूं। भूखे रहते हुए भी जो भाषण वे देंगे उसको सुन लूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपको परसों तक नहीं करना चाहिये। जब उन्होंने जुबानी कहा है तो आपको विश्वास करना चाहिये।

श्री आईदानसिंह (मीनमाल) : मंत्री महोदय ने कोई डेफिनेट चीज नहीं कही है। क्या वे कहने की स्थिति में हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मन्त्री महोदय कहने की स्थिति में हैं और वे कह सकते हैं।

श्री मदनसिंह : मैं रिक्वेस्ट करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : आज मन्त्री महोदय कहने की स्थिति में नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर और मन्त्री महोदय दोनों मिले नहीं हैं। जयमल और फत्ता लड़े और बीच में कोई आ गया। लड़ाई थोड़े ही रुकी। आज नहीं तो लड़ाई परसों सही। परसों खुद ही ऐलान कर देते हैं तो ठीक है वरना आपको कौन रोकता है और आप कामयाब होंगे और रोटी नहीं खानी है तो ठीक है। ऐलान तो तब ही करेंगे जब गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जैसा कि मन्त्री महोदय और माननीय सदस्यों ने कहा, मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूख हड़ताल से मेरी आत्मशुद्धि हो जायेगी और वक्तव्य सुन लूंगा तो मेरी आत्मा को संतोष होगा और मन्त्री महोदय के मुंह से सुन लूंगा और आत्म संतोष होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शक्तावत।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभ नगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही थी, उसके सम्बन्ध में मैं भी अपना विचार आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी तक पहुंचाना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्षजी पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है उसके बारे में जानकारी दी जानी थी......

(शोरगुल)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इन विश्वविद्यालयों की हालत के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, उनमें मैं विस्तारपूर्वक नहीं जाना चाहता हूं। मैं उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। आज कई माननीय सदस्यों ने कहा कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी है, स्तर नीचे गिरा है। उसका कारण क्या है? जब जब भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो सरकार केवल यह कह कर रह जाती है कि यह युनिवर्सिटी आटोनोमस है, आटोनोमस बोडी होने की वजह से हम उनके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ह। मैं उदयपुर युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुर के टीचर्स एसोसियेशन ने राजस्थान सरकार को उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर महोदय, जो पिछले तीन वर्षों से बने हैं, के सम्बन्ध में और उदयपुर विश्वविद्यालय की कुछ समस्याओं के सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया था। आज उस ज्ञापन को तीन वर्ष हो गये हैं लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। चांसलर महोदय नहीं सुनते हैं, सरकार नहीं सुनती है और सरकार ने यह बहाना बना लिया कि युनिवर्सिटी आटोनोमस बोडी है, इसलिये उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो मैं शिक्षा मन्त्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यदि युनिवर्सिटी आटोनोमस बोडी है और वह अगर एक्ट के खिलाफ, स्टेच्यू के खिलाफ कोई कार्यवाही करती है, तो उसकी सुनवाई कौन सी अदालत में हो सकती है। वाइस चान्सलर महाजनी ने इस्तीफा दे दिया है और त्यागपत्र देने के साथ हो इस तरह की धांधलेबाजी युनिवर्सिटी में शुरू करदी है कि जो योग्य नहीं था, काबिल नहीं था, जिनमें किसी तरह की योग्यता नहीं थी ऐसे लोगों को सीनियर प्रोफेसर बना दिया है। वाइस-चांसलर कोई भी डिसीजन अकेडेमी कोन्सिल और एक्जीक्यूटिव के बिना नहीं ले सकता है। अकेडेमी कोन्सिल ने जिन व्यक्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये व्यक्ति इसके काबिल नहीं है, सीनियर प्रोफेसर के लायक नहीं है, उन व्यक्तियों को सीनियर प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया है। वैसे कई उदाहरण है डाक्टर महाजनी के लेकिन एक दो उदाहरण मैं खास तौर से ध्यान में लाना चाहता हूं। एक है एच० के तिवाड़ी, जो 1965 में लखनऊ युनिवर्सिटी में लेक्चरार बने थे, उनके खिलाफ कुछ केसेज दायर हुए और वे उस युनिवर्सिटी को छोड़ कर उदयपुर युनिवर्सिटी में आ गये। उदयपुर विश्वविद्यालय में आने के बाद, अकेडेमी कोन्सिल ने जो कि सक्षम बोर्ड है किसी लेक्चरार को रीडर के लिये प्रोमोशन देने के लिये, और उसने रीडर के पद के लिये जो अवधि निश्चित कर दी है, सात वर्ष होने के बाद किसी को रीडर के पद पर लगाया जाये, उसके खिलाफ अपाइन्टमेंट कर दिया गया और फिर प्रोफेसर बना दिया और अब पिछले अक्टूबर महीने में सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट पर अपाइन्ट कर दिया है। इस अपाइन्टमेन्ट के खिलाफ वहां की अकेडेमिक कोन्सिल और वहां के डाइरेक्टर श्री उदय पारीक ने अपना एक रिप्रिजेन्टेशन दिया है वाइस चांसलर को लिखा है कि आपने यह गलत कार्यवाही की है। अकेडेमिक कोन्सिल को बाई पास

Page No 160

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

कर के, एक्जीक्यूटिव कमेटी को बाई पास करके आप यह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इसी बात को लेकर त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन यही नहीं वाइस चांसलर ने अपना त्यागपत्र देने के बाद, जब कि उनको मालूम है कि यहां पर मैं नहीं रहने वाला हूं, जाने वाला हूं, आज इस तरह से प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार की नियुक्तियों में दिलचस्पी ले रहे हैं, नहीं लेनी चाहिये थी। उन्होंने कोई मीटिंग करके सिलेक्शन नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके मध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आज युनिवर्सिटी को जो आटानोमी एक एक्ट के द्वारा दी गई है, सरकार द्वारा इसके लिये जो एक्ट बनाया गया है उस एक्ट की धारा 8, के तहत आपको यह अधिकार मिला हुआ है कि अगर कोई युनिवर्सिटी या उसका वाइस चान्सलर युनिवर्सिटी में किसी तरह की गड़बड़ी करता हो, गलत काम करता हो, तो सरकार उस सारे काम की जांच करवा सकती है। उदयपुर टीचर्स एसोसियेशन ने आपको रिप्रिजेन्ट किया है। उदयपुर के कई लोगों ने इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिये हैं और कहा है कि सरकार यूनिवर्सिटी के काम में इन्टरवीन करें और अभी लेटेस्ट 20 अक्टूबर को उदयपुर विश्वविद्यालय के टीचर्स एसोसियेशन की तरफ से एक रिप्रिजेन्टेशन आपको प्राप्त हुआ होगा लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। खासतौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार, जो वाइस-चान्सलर अपना कोई पावर्स न होते हुए, स्टेच्यूट की जो पावर्स हैं, उनको बाय पास करते हुए गलत काम करता है, तो गलत काम करने के निमित सरकार उसको रोक नहीं सकती, क्या उसके गलत काम को रोकने की क्षमता सरकार में नहीं है? विधान सभा ने जो एक्ट पास करके सरकार को दिया है और उस एक्ट में सरकार को जो अधिकार दिया गया है उस पावर का उपयोग करने में सरकार क्यों कतराती है? तो उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिये शिक्षा मंत्रीजी से केटेगेरिकली यह जवाब चाहता हूं कि जो गड़बड़ियां वाइस चान्सलर अपने रिटायर होने के पहले के कुछ समय में, महीने दो महिने में कर रहा है, इस दौरान जो सिलेक्शन किया है, गलत काम किया है, सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट वेकेन्ट पड़ी है, उसको भर लिया है और ये पोस्टे गलत आदमियों को लगाकर भरी जा रही हैं उनके सम्बन्ध में क्या आप इन्क्वायरी करवायगे? श्री तिवाड़ी को सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट पर अपाइन्ट किया है। उनके खिलाफ उदयपुर की कोर्ट म 420 और 468 के केसेज चल रहे ह। मुझ समझ में नहीं आता कि विश्वविद्यालय के नाम पर ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ 420 और 468 के केसेज चलते है उनको विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर बिठाकर, जो हम हिन्दुस्तान का भविष्य का निर्माण करना चाहते है, वे प्रोफेसर हमारे छात्रों का क्या मार्गदर्शन कर सकते है। इसके साथ साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो उदयपुर विश्वविद्यालय की समस्याएं हैं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार को समय समय पर ध्यान आकर्षित किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

श्री सिमलोट हैं। उनके खिलाफ अलपारा कान्ड की इन्क्वायरी हुई और उस इन्क्वायरी में उनके खिलाफ डिसीजन हुआ और रिकवरी का फैसला हुआ लेकिन आज तक उनसे कोई रिकवरी नहीं की गई है। इसी तरह से इस युनिवर्सिटी के अधीन एक कृषि फार्म चलता है वह रिसर्च फार्म है और उसके इन्चार्ज हैं डा० श्रीवास्तव। इनके नेतृत्व में हजारों रुपयों का घोटाला इस फार्म में हुआ है। यह शिकायत युनिवर्सिटी को दी गई और युनिवर्सिटी ने एक नाथ कमेटी एपाइन्ट की। नाथ कमेटी ने एन्क्वायरी की और नाथ कमेटी ने रिपोर्ट दी। लेकिन यूनिवर्सिटी में डा० श्रीवास्तव एक बड़ी पोस्ट पर हैं इसलिए युनिवर्सिटी उनसे नहीं पूछना चाहती है, और उनकी मदद करना चाहती है, और नाथ एन्क्वायरी कमेटी के नाम से जो रिपोर्ट पेश हुई है उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाले हुए है। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस विश्वविद्यालय को हम मानते हैं कि शिक्षा का पवित्र मन्दिर है उस पवित्र मंदिर में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर 420, जिन पर 468 के मुकदमे हैं। पहले हम सुना करते थे कि भ्रष्टाचार कौन लोग किया करते थे वे छोटे लोग किया करते थे जिनको कम तनख्वाहें मिलती थीं, लेकिन युनिवर्सिटी के बड़े बड़े अध्यापक, बड़े बड़े रीडर और हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट की पोस्ट पर जो लोग बैठे हुए हैं जिनको अच्छी पे मिलती है, जिनकी 1300 से 1800 की ग्रेड है वे भ्रष्टाचार के दोषी हों, उनके खिलाफ चार्जेज हों और युनिवर्सिटी में बैठे हुए वाइस-चान्सलर पंगु हों तो उनसे पूछना चाहिए। हमारी सरकार यह कहकर टाल देती है कि युनिवर्सिटीज आटोनोमस बोडीज हैं और एक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन इन आटोनामस बोडीज में जो आज इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं कि जहां पर चार आदमी काम करते हैं और 25 आदमियों की हाजरी मांडकर रुपया गबन किया जाता है और जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते हैं तो कौन सी बात यह आटोनामस बोडी की हुई ?

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी का एक केम्पस जोबनेर में है। जोबनेर में 70 हजार का घोटाला हुआ। वहां का एक केशियर 70 हजार रुपये लेकर गायब हो गया, लेकिन किसी के खिलाफ एन्क्वायरी नहीं की गई, किसी को एन्क्वायरी के लिए एपाइन्ट नहीं किया गया। ये युनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में और हमारे ये विचार हैं कि वे देश के लिए नागरिक तैयार करती हैं ? कैसे नागरिक तैयार करती है ? वहां पर हम देखते हैं कि प्रेक्टिकल में गलत हाजरी मांडने का काम सिखाया जाता है। मैं समझता हूं कि वे देश के लिए भले नागरिक तैयार नहीं कर रही हैं, लेकिन देश के लिए ऐसे नागरिक तैयार कर रही हैं जो बेईमानी और बदमाशी सीखकर वहां से आते हैं।

उदयपुर युनिवर्सिटी में वाइस-चान्सलर डा० महाजनी के समय में काफी घोटाले हुए हैं, और उनके सम्बन्ध में उदयपुर के टीचर्स एसोसियेशन ने एक मांग प्रस्तुत की थी और एन्क्वायरी की

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

मांग की थी। मैं उस मांग का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार इन सब बातों की जांच कराने के लिए तैयार है। यदि राज्य सरकार जांच के लिए मना करती है तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का भी उसमें हाथ है और राज्य सरकार भी उतनी ही दोषी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हियर, हियर।

श्री गुलाबसिंह : मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि डा० महाजनी का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। वे कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग नहीं होने देते हैं और उनकी प्रशासन चलाने की केपेसिटी खत्म हो गई है। ऐसे आदमी को वहां पर वाइस-चान्सलर बनाने की क्या आवश्यकता है? सरकार की रिकमन्डेशन पर होता है उनका एपाइन्टमेन्ट और फाइव ईयर्स का होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वाइस-चान्सलर साहब के पास कुछ काम नहीं है। कुछ मांगें डाइरेक्टर वाइस-चान्सलर के पास भेजता है विद्यार्थियों के सम्बन्ध में तो विद्यार्थियों की मांगों को वे मंजर नहीं करते हैं और जब हड़ताल का सवाल आता है तो वाइस-चान्सलर उदयपुर छोड़कर कभी जयपुर आ जाते हैं और कभी दिल्ली चले जाते हैं। पिछले महीने विद्यार्थियों की छोटी सी मांग को लेकर हड़ताल हुई और उसका कारण क्या था कि डाइरेक्टर ने यह कहा कि वाइस-चान्सलर साहब यह काम किया जाय, लेकिन वाइस-चांसलर साहब कभी जयपुर और कभी दिल्ली चले गये, लेकिन उनको विद्यार्थियों की बात सुनने का समय नहीं मिलता है।

उदयपुर युनिवर्सिटी में कभी स्टाफ कम कर देते हैं। वहां पर दो पोस्टें कम थीं। उसमें से एक पोस्ट किसी अपने आदमी को दे दी तो वहां के डाइरेक्टर हैं कामर्स डिपार्टमेन्ट के हैड श्री हिंगोरानी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि वाइस-चान्सलर का एक्शन जस्टीफाइड नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उदयपुर युनिवर्सिटी में नियमों के विरुद्ध, रूल्स के खिलाफ जो भी एपाइंटमेन्ट हुए हैं और युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर के रेजिग्नेशन देने के बाद हुए हैं, और गलत कार्यवाही हुई है उन्हे आप रोकेंगे।

इसी तरह से वहां पर एक प्रोफेसर शिमलोट हैं उनके खिलाफ एन्क्वायरी हुई है और उसने फैसला दिया है तो क्या आप उसकी जांच करवायेंगे। फार्म में जहां पर हजारों रुपयों के घोटाले हुए हैं उनके खिलाफ कमेटी म एक रिपोर्ट पेश की है तो क्या जांच कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेन्ट कराने के लिए सरकार ध्यान देगी?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा एक एडजोर्नमेन्ट मोशन भी है। इसलिए मुझे इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : कितना समय लेंगे?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आधा घन्टा।

Page No 163

श्री रणजीतसिंह : जोधपुर युनिवर्सिटी का सवाल है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ इस बात की तो खुशी है कि 4-5 वर्षों के प्रयत्न के बाद अब की बार युनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में इस सदन में कुछ विचार-विमर्श करने का समय मिला है । जो भी बातें माननीय सदस्यों ने यहां पर कही हैं मैं समझता हूं कि उनसे राज्य सरकार को इस बात के नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए कि जो उन्होंने युनिवर्सिटीज से सम्बन्धित मामलों में बहस करने से जो रोकने का प्रयत्न किया है वह उनकी भूल थी, और इस प्रकार से इन युनिवर्सिटीज के मामलों में ऑटोनॉमी का बहाना लेकर इस सदन को उन पर विचार करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात में कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है कि युनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस बोडीज रहते हुए भी यह सदन जो उनकी पेरेन्ट बोडी है उसको जो स्टेट्यूटरी अधिकार हैं नियन्त्रण रखने का उसको उस पर बहस करने का अवसर दिया जाय । मैं समझता हूं कि जिस तरह के गम्भीर मामलात इस सदन के सामने लाये गये है इससे इस प्रकार की बहस युनिवर्सिटीज के संबंध में एन्युअली भी होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर युनिवर्सिटी में जो घटनाएं हुई, और जो जोधपुर युनिवर्सिटी अभी तक बन्द है, इसके बारे में राज्य सरकार ने समय रखा है 15 नवम्बर से खुल जाने का और वहां के उपकुलपति ने घोषणा कर दी है उससे यह सदन पूरी तरह से और साधारण लोग चिन्तित हैं । मैं समझता हूं कि जो भी ये घटनाएं हुई हैं बहुत ही दुःखपूर्ण हैं । जो टाइमिंग्स के सवाल को लेकर, इन्जीनियरिंग कॉलेज में जो पुराना टाइमटेबल चल रहा था उस टाइमटेबल को चेन्ज करने के सम्बन्ध में जो प्रेसिपिटेड हुआ, सारा मामला, मैं इसको बहुत ही दुःखपूर्ण और अबुद्धिमत्तापूर्ण समझता हूं । मेरी यह मान्यता है कि सामान्यतया जिस प्रकार का पुराना अरेन्जमेंट था जिसमें स्टूडेन्ट्स एक साथ जाकर और सब काम खत्म करके अध्ययन वगैरह का, अपने घर में आजायें, हर स्टूडेन्ट इस बात को पसन्द करेगा ।

हम भी स्टुडेण्ट रहे हैं । मैं समझता हूं कि सामान्यतया जो स्टुडेण्ट हैं, वह समझेंगे कि बाहर कॉलेज में चले जाय । और निपट कर आजावें । इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी । जो बुनियादी तौर पर गलत हो । लेकिन फिर भी कोई दूसरा आल्टरनेटिव रखे । इसमें विद्यार्थियों की ओर से इस बात का ऐतराज किया गया, जब कि होस्टल में रहने वाले भी वहां थे । और वहां के जो रहने वाले हैं उनसे काफी कम हैं । मैं यह भी मान लूं कि जो उपकुलपति ने आल्टरनेटिव रखा, वह दुरुस्त भी हो लेकिन जिनको मनवाना है, आप उनको समझा कर मनवाएं । इम्पोज करने की नीति नहीं चलेगी । यह पुराना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है । यह दृष्टिकोण डेमोक्रेटिक आइडियल के विरुद्ध है । हमने केवल चुनाव प्रणाली स्वीकार कर ली, इससे हम डेमोक्रेटिक हो गये यह समझना गलत होगा । हम चुनाव जीत कर आगये हैं । लेकिन हमारे घर में हमारे बेटे से क्या सम्बन्ध है । मां है, बाप है । मैं बाप हूं । बेटे को जो कहूंगा, वह करना पड़ेगा । मैं हज्बैण्ड हूं । बीबी को जो कहूंगा करना पड़ेगा । जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कपड़ा पहनने को कहूं वह पहनना पड़ेगा। यह डेमोक्रेटिक एप्रोच के विरुद्ध है। आज यह इस चीज के विरुद्ध है। टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी इस प्रकार के बने हुये हैं सीधा मतलब है कि इसकी एप्रोच फ्यूडल है। डिक्टेरियल है। इसका एप्रोच यह है कि हमारी अक्ल या हमारी बुद्धि ही सही है और कोई नहीं। यहां तक कि बाल कैसे कटवाने चाहिएं। कमीज कैसी पहनी या कैसे कपड़े पहनो यह भी मां-बाप तय करेंगे, यह जो मां-बाप समझते हैं, वह गलत समझते हैं। जो राजनैतिक लोग हैं। हम सब लोग आये हैं। मैं समझता हूं कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने अपने मां-बाप का कहना नहीं माना है। सभी को यह कहा गया था कि राजनीति में क्यों पड़ते हो। हमने कहना नहीं माना। सब ने शिकायत की कि लड़का आवारा हो गया है। तो इस प्रकार हम सब राजनीति में आये हैं। तो अब यह मानें कि इससे आगे जा ही नहीं सकते हैं। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको शत-प्रतिशत हमारे आइडियल को अपना लेना चाहिए, इस एप्रोच में मेरी समझ में बुनियादी गलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगली पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में भेद बड़ा है। एक खाई क्रियेट हो चुकी है। लक्ष्यों की उद्देश्यों को बहुत बड़ी खाई है। इसलिए युवक वर्ग में विद्यार्थी वर्ग में, उद्विग्नता आज देखी जा रही है। जिसकी आप सभी चिन्ता करते हैं। शिकायत होती है कि अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। परन्तु यह एक आउट वर्ड बीमारी है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह केवल विद्यार्थी और वाइस-चांसलर के बीच में वास्तविक कण्ट्राडिक्शन है या केवल सुपरफिशियल बातें हैं। आब्जेक्टिवली विद्यार्थी और वाइस-चांसलर के बीच कोई कण्ट्राडिक्शन नहीं है। क्या है जो युवक के सामने आता है। जिनको हल करने के लिए वह किसी न किसी तरीके से वह एक्शन करने के लिए आता है। आज कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि यह बीमारी राजस्थान के अन्दर ही है। या इसके स्टूडेण्ट्स ही खराब हैं। इस देश में सभी जगह स्टूडेंट्स हैं। जादवपुर युनिवर्सिटी में विद्यार्थी इस बात के लिये लड़ रहे हैं, सोडा फैंक कर नहीं, बम फैंक कर लड़ रहे हैं। वह कहना चाहते हैं कि इस एजूकेशन को देकर क्यों हमारा समय बरबाद कर रहे हो। वे कहते हैं कि इस चक्कर से हमें निकालो। इस रास्ते को बदलने के लिए आगे आओ। ये टाईम बदलवाने के लिए लड़ रहे हैं तो वह एजूकेशन सिस्टम बदलवाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल जो नौजवान के सामने है वह है आज पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच खाई। जिस जमाने में हम पढ़ते थे, हमारे लीडरों के सामने जो लक्ष्य थे, उसमें कोई खाई नहीं थी। हमारे लीडर कहते थे कि आजादी के लिए लड़ना है। गान्धीजी ने कहा, लड़कों स्कूल छोड़ो। हम लोग स्कूल कॉलेज छोड़कर बाहर आ गये। सड़कों पर खम्भे तोड़े होंगे। लट्टू निकालने के लिए नहीं। आजादी की लड़ाई के लिए। जिससे तुम्हारी लड़ाई है, उसके सिस्टम को चेन्ज कर दो। आज के विद्यार्थी के दिमाग में यही भावना है। आप का पुराने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सिस्टम को रखने वाला दिमाग बन चुका है। विद्यार्थी की समझ में यह आ चुका है। आज उससे कुछ बनने वाला नहीं है। इस प्रकार के सिस्टम से कुछ बन नहीं सकता है। तहस नहस किये बगैर नया समाज बने बगैर वह हो नहीं सकता है। इसलिए उनका कन्फ्रन्टेशन है आपसे, आपकी आइडियोलोजी से, आपके विचारों से, आपके लक्ष्यों से, और उसको तोड़ने के लिए, उसको बदलने के लिए आज वह तड़प रहे हैं। यह बात सही है, रास्ता कौनसा हो ? यह एक इनके सामने प्रश्वाचक चिन्ह है, राह में खड़े हुए है, कौनसे रास्ते से बदलना है। उसमें से नक्सलवाद से लेकर थोर दक्षिण पंथी आर० एस० एस० और जनसंघ के विचार उनके सामने हैं एक्स्ट्रीम नक्सलवाद का परीक्षण वह लोग कर रहे हैं। इस तरीके से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह पूछना चाहता हूं प्रश्न उत्पन्न होता है लड़के हड़ताल करते हैं एडमिशन के लिए। क्या प्रोफेसर एडमिशन नहीं देना चाहता ? वाइस चान्सलर एडमिशन नहीं देना चाहता ? गवर्नमेंट कहती है कि नये कालेज नहीं खोल सकते क्योंकि बजट नहीं है, आर्थिक संकट है, इसलिए नहीं खोल सकते। आर्थिक संकट उनको एडमिशन की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करता है। अभी यह समझे नहीं हैं कि कौन एडमिशन में बाधक है, यह आर्थिक संकट है या यह इकानामिक पोजीशन है। वह यह समझते हैं कि यह कालेज का प्रिन्सिपल हमको दाखिल नहीं करता है। इसलिए लड़ाई उससे होती है। अब वह पास हो जाता है, तो पास और फेल होने का सवाल पालिटिकल तरीके से तय होने लगा है। ज्यादा लड़के पास होंगे, ज्यादा पर्सेन्टेज होगा तो ज्यादा को एम्प्लायमेंट देने की जिम्मेदारी आयेगी इसलिए साठ पर्सेन्ट के बजाय चालीस पर्सेन्ट कर दिया। सोचा, बीस पर्सेन्ट को एम्प्लायमेंट देने की जिम्मेदारी कम हुई। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से निर्णय लिये जाते हैं, पास और फेल की मात्रा घटाने या बढ़ाने से ताल्लुक उससे है। वाइस चान्सलर से इसका ताल्लुक नहीं है। टीचर से इसका ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक इस पालिसी से है, इसका सम्बन्ध आर्थिक संकट और अनएम्प्लायमेंट के क्वेश्चन से जुड़ता है। आर्थिक संकट और अनएम्प्लायमेंट के प्रश्न को आप हल कैसे करते हैं। सवाल पैदा होता है, फलां इन्स्टीट्यूशन बन्द कर दो, फलां पोलोटेकिनक बन्द कर दिया जाय, फलां इंजीनियरिंग कालेज में, मेडिकल कालेज में इतने एडमिशन नहीं किये जायं। इसके कारण आज हड़ताल होती है और उद्विग्नता पैदा होती है। क्या इस तरीके से आर्थिक संकट का क्वेश्चन हल करना चाहते हैं ? क्या इससे हल होगा-यह मानते हैं ? आज इतने इंजियिनर और डिप्लोमा होल्डर बेकार हैं। क्या टेक्निकल पर्सनल इस स्टेज पर पहुंच गये हैं कि राजस्थान की प्रगति और विकास के लिए जितने टेक्निकल हैड्स चाहिये, उससे ज्यादा आपने प्रोड्यूस कर दिये हैं ? यह है क्या वास्तविकता। वास्तविकता यह है कि हम उस स्टेज से बहुत पीछे हैं। यही बात डॉक्टरों के बारे में हैं। डॉक्टर जगह जगह चाहिए। गांव गांव में लोगों की मांग है। दूसरे देशों की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तुलना में इस कन्ट्री में। पर थाउजेंड जितनें डॉक्टर होने चाहिए, क्या उतने अपने देश में है ? राजस्थान में हैं नहीं उसके बावजूद डॉक्टर बेकार हैं, दस हजार एस. टी. सी. मेट्रिकुलेट ट्रेंड टीचर बेकार। हैं। वह देख ही रहे हैं पढ़ कर क्या होगा, बेकारी के रास्ते में जाना होगा। वह एल. एल. बी. में एडमिशन लेते ,हैं रिसर्च स्टूडेंट बनते हैं, पी. एच. डी. करन लग जाते है। सोचते है, किसी तरह यह मसीबत थोड़े दिन टले। यह साफ सवाल है, फ्रस्ट्रेशन का साफ सवाल है कोई मुसाफिर बैठ गया गाड़ी में जाकर। सोचता है, बम्बई में जाकर क्या लेना है, अहमदाबाद उतर गया तो अहमदाबाद सही, बड़ोदा उतर गया तो बड़ोदा सही कहीं लक्ष्य साफ नहीं है। फ्रस्ट्रेशन हीं फ्रस्ट्रेशन है उनके सामने। इसलिए आज कहना चाहता हूं और विद्यार्थियों से भी खास तौर से, हमको इस समस्या का भी हल बुनियादी तौर से सोचने की जरूरत है हम मानते हैं हर एक आदमी को एम्प्लायमेंट दिया जा सकता है। लेकिन क्या यह मानते हैं कि हर एक आदमी को एजूकेट नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाना चाहिए। आज पॉलिसी किन्हीं अपने कारणो की वजह से, सरकार चलानी है इस कारण से, यह बना रहे है जिसके जरिये लोगों का जो बुनियादी अधिकार एजुकेशन प्राप्त करने का है, उसको कानन से रोकते हैं। आज जिन लोगों का बुनियादी अधिकार पढ़ने का है उसको कानून से रोकने है। जिन लोगों का अधिकार एम्प्लायमेंट पाने का है उसको आप आर्थिक नीतियो से रोकते हैं। और उन आर्थिक नीतियों को मानने का नाम आप अनुशासन समझते हैं। आप यह चाहते है, यह आर्थिक नीतियों, यह सिस्टम, यह एडमिशन का सिस्टम, या पास करने का सवाल है, कोर्स का सवाल है या एम्प्लायमेंट सिस्टम जो आपने बना दिया हैं यह नौजवान उसको सर झुका कर मंजूर करले सोच लें किस्मत में हमारें अनपढ़ रहना लिखा है, बेकार रहना लिखा है, पढ़ कर बेरोजगार रहना लिखा है। जो नौजवान इस बात को स्वीकार कर लेगा मैं समझता हूं उसकी रगों में खून नहीं है वह समाज को बदलने के लिए लड़ना नहीं चाहता है। वह सरेन्डर करना चाहता है, वह कावर्ड है, इन्सान नहीं। मैं समझता हूं, जो बूढ़े है, साठ वर्ष के हो गये, वह समझते हैं पांच-सात वर्ष और निकालने हैं कब्र में पैर लटक रहे हैं, जिस प्रकार निभ जाय वैसे निभा लेंगे। लेकिन नौजवान को तो सारी जिन्दगी बसर करनी है। इसलिये आज जिस अनशासन की बात करते हैं, आज जिस अनुशासनहीनता की बात करते हैं, वह कौनसा अनुशासन है जिसे आप मनवाना चाहते हैं ? मैं पूछना चाहता हूं जो युवक विद्यार्थी हैं उनसे आप यह अनुशासन मनवाना चाहते हैं, आपको पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा, आप चुपचाप बैठ जाओ या यह ठीक है ? आप कहें कि कॉलेज म एस० टी० सी० में स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा या पढ़ने के बाद नौकरी का मौका नहीं मिलेगा और वह चुपचाप सिर झुका कर मानले। वह अपनी आंखों से देख रहा है, मैं फर्स्ट डिवीजन हूं मुझे नहीं लिया गया यह सैकिण्ड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डिवीजन है इसका नेता से ताल्लुक है, मिनिस्टर से ताल्लुक है इसलिये वह ले लिया जायगा—तो क्या वह चुपचाप सहन कर ले उसको आप अनुशासन मानेंगे ? मैं कहना चाहूंगा हिन्दुस्तान की जनता, हिन्दुस्तान के नौजवान ने इस प्रकार के अनुशासन को मान लिया, इस प्रकार अनुशासन को, जो समाज का कोढ है, मान लिया तो हिन्दुस्तान का विकास रुक जायगा, हिन्दुस्तान की आजादी नहीं रह सकती और जो स्वप्न भारत का देखता है जो कल्पना एक नये राष्ट्र की करते हैं वह हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं आ सकेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा आज आप जैसा रोज कहते है, यह आपकी मजबूरी है, कहीं आपकी कान्स्टीट्युशन की मजबूरी है, कहीं आपकी ओटोनोमी को मजबूरी है, कहीं पार्टी की मजबूरी है, कहीं आपकी गवर्नमेंट की मजबूरी है, कहीं आपकी आर्थिक स्थिति की मजबूरी है। लेकिन नौजवान इन सब मजबूरियों को तोड़कर उनसे लड़ना चाहता है जिन मजबूरियों से लड़ने की आपकी हिम्मत नहीं है। आप हरिजन का पक्ष लेंगे तो ब्राह्मण नाराज हो जायेंगे, हिन्दू का पक्ष लगे तो मुसलमान नाराज हो जायेंगे मुसलमान का पक्ष लेंगे तो हिन्दू नाराज हो जायेंगे। यह सच बात है, इन तमाम बातों से लड़ने की आप में हिम्मत नहीं है। वह लड़ना चाहता है। आज सब लोगों ने हमदर्दी जाहिर की है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन रोक रहा है? कौन फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है? कहते हैं, एम्प्लायमेंट तो दे दो हर एक को एम्प्लायमेंट मिलना चाहिए लेकिन मेरा प्रिवीपर्स नहीं छीनो। कहते हैं, इनका विकास हो जाय, सबको रोजगार मिल जाय लेकिन मेरी जागीरदारी थी, वह जागीरदारी वैसे ही रहे, सेठ का मुनाफा वैसा ही रहे, उनकी जायदाद वैसे ही कायम रहे, और उनको लेने के लिए संविधान में संशोधन आ गया तो मरीसिंहजी कहेंगे, यह फ्रीडम पर आघात है। यह मुल्क की आजादी को खतरा है। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। कम्युनिज्म आ रहा है। टोटेलिटेरियनिज्म आ रहा है। मैं साफ कहना चाहता हूं आज के नौजवान को कितना ही चाहे कहें, डेमोक्रेसी चाहे टूट चाहे टोटेलिटेरियनिज्म आये, चाहे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हों–जो भी चीज रास्ते में आयेगी, वह उससे टकरायेगा, चाहे आपका संविधान टूटे, एक दफा नहीं दस दफा टूटे, उसे नहीं बचाया जा सकता। जहां इन सवालों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, वहां नौजवान लायेगा। आपकी फौज के भेजने के बाद वह बन्दूक लायेगा। आप लाठीधारी पुलिस भेजेंगे तो वह लाठी लायेगा। आप पिस्तौल से डरायेंगे तो वह पिस्तौल लायेगा। आप बम्ब चलायेंगे तो वह बम्ब लायेगा। आप समाज की प्रगति को रोकने वाले बनेंगे, समाज की तालाबन्दी करने वाले बनेंगे तो लाजिमी तौर पर जिसको आगे बढ़ना है वह परवाह नहीं करता है, आपने एक दफा लाठी चार्ज किया है, लेकिन आप गोली भी चला देंगे तो भी वह परवाह नहीं करने वाला है। इसलिये मेरे विद्यार्थी दोस्तों से यह कहना है कि आज बुनियादी समस्या इस समाज को बदलने की है। आज दोस्तो, चपरासी से मत लड़ो, पहरेदारों से मत लड़ो समाज को बदलने के लिये लड़ो उन लोगों से जो समाज को जकड़े बैठे हैं, या जो समाजवाद का थोथा नारा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

देते हैं और विपक्ष में उस ओर बैठे हुए हैं अपने अपने वेस्टेड इन्टरेस्ट से इनको सच्चा समाजवाद लाने के लिये हटादो इनको सत्ता से और राज्य से चाहे वो जागीरदार हो चाहे वो इजारेदार हो चाहे वो कोई सेठ हो चाहे कोई राजा हो इन्हें खतम करो नहीं तो तुम्हारी जिन्दगी कभी नहीं पनपेगी। आज समाज के हर नागरिक को, सामान्य आदमी को, जरूरत है ऐसी शिक्षा की जिससे कि वह रोटी रोजी पासके। ऐसी शिक्षा की जिसमें रोजगार की गारन्टी हो। और इसके लिये तुम दोस्तों जो आज अपनी कुछ मांगों को लेकर लड़ रहे हो, उसके लिये तो लड़ो कोई बात नहीं पर यह छोटी लड़ाई है तुम्हें अभी बड़ी लड़ाई और लड़नी है, वह होगी इस समाज को बदलने के लिये। यह आन्दोलन तुम्हारा छोटा है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तुम्हें देश में समजवाद लाना होगा इसके लिये दोस्तों बड़ा जन आन्दोलन होगा। यह तो कभी भी सही हो जावेगा यह कन्वीन्सड हो गये हैं तुम्हें मालूम होना चाहिये इसलिये आज इन्होंने सदन में विचार करने को रखा है लेकिन समाजवाद के लिय तुम्हें इनवेस्टेड इन्टरेस्ट को खतम करना होगा जो कि समाजवाद में आज रोड़ा बन हुए हैं। अब समय आ गया है समाज का हर वर्ग आज इस सरकार से डिससेटिसफाइड है चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो मजदूर हो और इस स्थिति का भान इस सरकार को हो गया है। इसलिये दोस्तों समय आ गया है कि इन समाजवाद के थोथा नारा देने वाले इस सरकार को हटाने के लिय आगे बढ़ो अब यह डेमोक्राटिक दम तोड़ने वाली है ये कन्वीन्सड हो गये हैं और कन्वीन्सड होकर सही तरीके से होकर समाजवाद की बातें करनी इन्होंने शुरू की है और घोषणायें कर रहे हैं। पर यह सिर्फ घोषणायें ही करती है उन्हें क्रियान्वित नहीं कर सकती है क्योंकि इनके खुद के वेस्टेड इन्टरेस्ट हैं पूंजीपतियों में, इसलिये इन्हें खतम करो। रोटी रोजी सबको मिलनी चाहिये और मिलेगी। समाज में हो रहे परिवर्तन से इन्हें डर बैठ गया है कि वहीं जबरदस्ती पकड़ फैंक नहीं दिया जाय इसलिये इन्होंने यह समाजवाद का नारा दिया है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है पर इसका भी फायदा आज मजदूर वर्ग को नहीं, समाज के सभी वर्ग को समान रूप से नहीं है इसलिये दोस्तों इनकी आर्थिक हालत खराब हो रही है। दोस्तों तुम्हारी मांगें सही हैं इन्हें तो इनको मानना होगा लेकिन समाजवाद सच्चा लाने के लिये समाज के हर वर्ग को रोटी रोजी मिलने के लिये, समाज के हर वर्ग को बराबर भाग मिलने के लिये तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी वो है समाजवाद लाने के लिये। आज समाजवाद की बातें करनी वाली सरकार प्रिवीपर्स को खतम करने के लिये चलने वाली सरकार प्रिवीपर्स खतम नहीं कर सकी है। आज वही प्रिवीलेजेज चले आ रहे है वो अभी भी है उन्हें समाप्त करना होगा सरकार सिर्फ घोषणायें ही कर सकती हैं तो हमें दोस्तो सच्चा समाजवाद लाने के लिये इन्ह हटाना होगा। प्रिवीपर्सेज को खतम करना होगा उनके प्रिवीलेजेज को खतम करना होगा। और दोस्तों एक

(रामानन्द अग्रवाल)

एक दिन जल्दी ही समाप्त होंगे। इसके लिये दोस्तो सिर्फ विश्वविद्यालय के संविधान में ही उस तक ही सीमित नहीं रहना होगा इसके आगे भी मांगे होंगी तो जरूरी है। विश्वविद्यालय की मांग ते है व तो ठीक है लेकिन भारत के संविधान के अन्दर सुधार लाये बिना य जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं नये जागीरदार से खतम नहीं होगी इन्हें हटाना होगा, विद्यार्थी दोस्तो! दोस्तो आज ये सरकार समाजवाद की सिर्फ घोषणायें करके क्रियान्वित नहीं करके सिर्फ स्टेट्स को मेनटेन करना चाहती है उसे खतम करना होगा। दोस्तो, चूंकि तुम्हारी समस्याओं को कोई नहीं सुनता है इसलिये तुम्हें यह रिवाल्टिंग एटीट्यूड अपनाना पड़ा है इसलिये बाद में तुम्हें अपनी रोटी रोजी के लिये समाजवाद लाने के लिये आन्दोलन करना पड़ेगा और तुम्हारे रिवाल्टिंग एटीट्यूड से इनका यह जर्जर सिस्टम टूट जायेगा। आज तुम्हारे सीरियस मूड से यह रिट्रीट कर रहे हैं। आज तुम्हारी जितनी भी मांगें हैं इन्हें ये दिल में जस्टीफाइड मानते हैं इसलिये आज इन्होंने सदन में यह डिस्कशन रखा है और एक न एक दिन बाद चाहे 10 दिन में चाहे 15 दिन में जरूर माननी पड़ेगी तुम्हारी मांगें। क्योंकि दोस्तो ये अपनी मजबूरी को समझ गये हैं, ये डर रहे हैं विद्यार्थी दोस्तो आन्दोलन से यह डरते हैं तुमने आन्दोलन हाथ में लिया है और मैं आन्दोलन में विश्वास करता हूं। इसी आन्दोलन ही से ये प्रिन्सली प्रिवीलेज खतम होंगे, और तुम्हारी मांगें तो ये मानेंगे ही। दोस्तो तुम पढ़ लिख कर बाहर आओगे उस दिन तुम्हें रोजगार की जरूरत होगी। यह निकम्मी सरकार आज 23 वर्षों में रोटी रोजी समाज के हर वर्ग को देने में असमर्थ रही है क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों की खरीदी हुई है इसलिये तुम्हें इन पूंजीपतियों के एजेन्टों को खतम करना होगा तभी तुम्हें रोटी रोजी मिलेगी आज रोटी रोजी का हक सबको ही है। इसलिये विद्यार्थी दोस्तो आज तुमने छोटे लक्ष्य को लेकर आन्दोलन किया है कि विश्वविद्यालय के संविधान में सुधार किया जाय वो तो ठीक है पर असली संविधान में सुधार करना आवश्यक है। इसलिये दोस्तो असली दुश्मनों को पहिचानो। इन वेस्टेड इन्टरेस्ट वाले लोगों को खतम करें। आज दोस्तो झगड़ा विश्वविद्यालय के उपकुलपति तक ही सीमित नहीं है यह तो ठीक हो जायेगा लेकिन झगड़ा असली है पोलीटिकल इकॉनोमिक प्रोबलम्स का जब तक मेरे दोस्तो उसका हल नहीं निकलेगा तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। ये आज तुम्हारी प्रोबलम है कि टाइम टेबल की ओर हमारे सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व होना चाहिये ये सब ऑर्डिनेरी प्रोबलम में आता है यह तो तुरन्त हो जावेगी। ये वाइस चान्सलर जॉन साहब आज है और कल नहीं रहेंगे पर ये जो इन्टरेस्ट इन्टरेस्ट वाले लोग जब तक सत्ता के चिपके रहेंगे तब तक समाज के साथ न्याय नहीं होगा इसलिये मेरे दोस्तो तुम्हें यही निवेदन है कि सिर्फ यही मांग कि जॉन को हटाओ बुनियादी मांग नहीं है। आज असली कन्फलिक्ट है वाइस-चान्सलर और लड़कों में नहीं आज असली कन्फलिक्ट विद्यार्थियों

(श्री रामानंद अग्रवाल)

और अध्यापकों में नहीं है। आपका मतभेद वर्ग मालिक और मजदूर में संघर्ष नहीं है। आपका व संघर्ष वेस्टेड इन्टरेस्ट के साथ है। इसके लिये समाजवाद के लिये लड़ाई लड़नी होगी क्योंकि जब तुम पढ़ लिख कर तैयार होकर बाहर आवोगे तो तुम्हें रोटी रोजी की समस्या होगी। तो दोस्तों तुम्हें उसके समाधान के लिये लड़ाई लड़नी होगी। जब एपोइन्टमेन्ट के वास्ते तुम जावोगे तो तुम्हें मिलेगा नहीं क्योंकि आज जो शिक्षा दी जाती है वह बेकार है इसलिये तुम्हें सही स्थिति पैदा करनी होगी। आज यह कहा जा रहा है कि राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का बोल बाला है घोर अनियमिततायें है और पक्षपात है तो इन्हें खतम करने के लिये तुम्हें अभी यहां लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उसके बाद में स सरकार से लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिये यह कहना कि राजस्थान के बाहर वालों को मत लो, ये तो छोटी बात है क्योंकि आखिर वो भी तो इसी देश के है इसलिये मेरा सुझाव तो यह है कि किसी हिन्दुस्तानी को ही लिया जाना चाहिये लेकिन फिर भी किसी हद तक यह मांग भी ठीक कि वहां के लोकल लोगों को चान्स दिया जाना चाहिए। जोधपुर विश्वविद्यालय में कुछ लोगों को बाहर से लिया गया है तो दोस्तो पंजाब, गुजरात बंगाल है तो अपने देश के ही अंग है इसलिये तो छोटी बात है फिर भी कुछ हद तक लोकल लोगों की नियुक्तियें को किया जाना चाहिये अगर वे ज्यादा एक्स्ट्राआर्डिनरी केलीबर के हो तो पहले उन्हें लेना चाहिये जो कि उस यूनिवर्सिटी से ही निकले हों पढ़ कर ताकि उन लोगों को मौके मिले अपने विश्वविद्यालय की सेवा करने का। दूसरे चूंकि उसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ होता है तो उसको काफी समस्याओं का ज्ञान होता है वहां की, ताकि वह उसमें सुधार करने की कोशिश करें।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज इन युनिवर्सिटीज के मसलों पर देशव्यापी पैमाने पर विचार किया जा रहा है और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बावजूद कितने ही कमीशन बनाने के अब तक जिस प्रकार की एजुकेशन हमारे देश में होनी चाहिए हम इस नतीजे पर देश व्यापी नहीं पहुंच पाये हैं। एक तो बहुत बड़ा प्रश्न यह है। हमारी तीन युनिवर्सिटी में ही नहीं किन्तु भारत सरकार की और केन्द्र की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी बहुत झगड़े होते रहते हैं। अलीगढ़ युनिवर्सिटी बनारस युनिवर्सिटी, और इलाहाबाद युनिवर्सिटी। बंगाल की और महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज को ले लें। हर जगह, ऐवरी वेयर इन्हीं प्रश्नों पर झगड़े होते रहते हैं। इसलिये बहुत सेल्फ एक्युज्ड महसूस नहीं करें अपने आपको कि हम बहुत नालायक हैं, हम अपने मामलों को देख नहीं पाये। समस्या उसी तरीके की बुनियादी है, उसी तरीके से उसको बुनियादी तौर पर सोच कर हल निकालेंगे। टेम्परेरी तौर पर हमारी प्रोबलेम है। एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेन्शियल या एकेडमिक। वे तीनों युनिवर्सिटीज में बार बार आयी है। मैं समझता हूं उनके लिये जो भी मामलात हमारे सामने आये हैं, हमारी सर्विसेज बहुत कहा करती है कि चुन हुए

(रामानन्द अग्रवाल)

लोग वोट के भूखे हैं इसलिये न्याय और अन्याय को नहीं देखते हैं और चाहे जसे कर देते हैं लेकिन श्रीमानजी ये बहुत बड़े इन्टलेक्चुअल लोग हैं युनिवर्सिटीज के चाहे जोन साहब हों, चाहे मेहता साहब रहे हों, चाहे भटनागर साहब रहे हों या महाजनी साहब रहे। आज तक कितने ही केसेज के केसेज अवैधानिक तरीके से, अपोइन्टमेन्ट्स प्रमोशन्स इस प्रकार के मामलात, हर जगह होते रहे हैं। फिर ओटोनोमी की बात करें। ये देश के बैस्ट इन्टलेक्चुअल्स ये। यह जरूरी नहीं है कि बैस्ट इन्टलेक्चुअल्स बैस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो। यह जरूरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की आवश्यकता है। बावजूद स्टेचूट के, बावजूद एक्ट के ये सब बातें आयी हैं। सब युनिवर्सिटीज की य बातें आयी है बार बार जिनमें एक्सपेन्डीचर प्रमोशन्स आदि सारी बातें हैं। इन तमाम युनिवर्सिटीज के इन तमाम मामलों की जांच करवाइये। पहले भी कहा था।

बुनियादी बात जो थोड़ी बहुत हो सकती है उन तमाम युनिवर्सिटीज को डैमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। ये जो आपके एक्ट्स हैं वे ब त पुराने हैं। वे आज के युग को रिप्रेजन्ट नहीं करते हैं। आपने वाइस–चान्सलर को पावर दी हुई है कि वाइस–चान्सलर डीन को मुकर्रर करेगा, डीन हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट को मुकर्रर करेगा। इससे यह इलेक्टिव बोडी कुछ चाहते लोगों की बन जाती है। इन तीनों एक्ट्स में बुनियादी तौर पर संशोधन की जरूरत है। आपने एक कमेटी बनाने की घोषणा की थी। सुनने में नहीं आ रहा है कि वह फंक्शन भी कर रही है या नहीं। कोई रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को मिली हो तो बताइये। वरना मेरा यह कहना है कि कुछ एजुकेसनिस्ट्स की कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा पब्लिक में से भी जो लोग एजुकेशन में इन्ट्रेस्टेड हों उनको भी वहां पर रखें और पूरा अमेन्डमेन्ट कीजियेगा।

स्टुडेन्ट्स का रिप्रेजेन्टेशन सीनेट और सिन्डीकेट में हर जगह होना चाहिए। इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि हमारे बच्चे ना समझ हैं। आपसे ज्यादा समझदार हैं। यह दिमाग से निकाल दें कि वे मासूम हैं, उनके समझ में नहीं आता है। क्युबा का एम्बेसेडर इन्डिया में पहला एम्बेसेडर है जो 27 साल का नौजवान है और अपने देश को रिप्रेजेन्ट करने आया है। क्युबा म जिन्होंने रेवोल्युशन किया वे 25 से 35 साल के नौजवान हैं। 25 साल से भी कम उम्र वालों ने रेवेल्युशन में हिस्सा लिय। नौजवान में खतरा मोल लेने की ताकत है। उनके जोश को ठंडा करने और कम करने की कोशिश मत करो। आप जो काम नहीं कर पा रहे हैं वे नौजवान करना चाहते हैं, आप उसके अन्दर रुकावट मत बनो और हेल्दी तरीके से नौजवान समाज में आगे बढना चाहते हैं उनको मौका देना चाहिए आगे बढने का।

अन्त में जोधपुर युनिवर्सिटी के लिय निवेदन करना चाहता हूं। युनिवर्सिटी को खोलने की घोषणा की यह तो सही है। वरना बाद की जितनी घटनायें हुई है, कोई मारपीट हुई हो और कोई घटनाएं हुई हों वे सब कोन्फिडेन्शियल हैं और मैं समझता हूं कि फोरगेट और फोरगिव का एटमोस-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फियर कमेंट करने के लिए कोई एक्शन किन्हीं स्टूडेन्ट्स के खिलाफ न लिया जाय और प्रेसफुल्ली उनको विड्रो करना चाहिए और एक एटमोस्फियर युनिवर्सिटी में पैदा करना चाहिए। प्रोफेसर्स, टीचर्स और वाइस-चान्सलर को भी कहना चाहूंगा कि वे इस मामले को इस रूप में न समझें। टाइम्स के मामले में यह रिजिड एटीट्यूड है वह गलत है। इसको खत्म करना चाहिए और बहुमत स्टूडेन्ट्स का इस नये प्रोग्राम को मानने के लिये तैयार नहीं है तो पुराने ही प्रोग्राम को रिवाइज करना चाहिए और शक हो कि मत फियर है तो बेलेट के जरिये तय कराया जा सकता है। कोई समिति की जरूरत नहीं है। प्रेस्टिज बचाने की बात करें वह अलग है

मैं कहना चाहता हूं कि टीचर्स और वाइस-चान्सलर और एम्पलोयर्स की तरह वहां लोक आउट की बात करें, इन्डस्ट्रीज के तरीके से न एप्रोच करना चाहिए और न ही कन्फन्ट्रेशन करना चाहिए। यह बात भी हो सकती है कि कुछ अवांछनीय लोगों ने, कुछ अवांछनीय तत्वों ने, कुछ ऐसे टीचर्स ने जिनका इन्ट्रस्ट क्लेश होता हो उन्होंने उनको एम्पलोय किया हो मैं इसको नहीं मानता। एक सही बात के लिए जिसको हम एग्री नहीं करते हैं और गलत आदमी मानते हैं वह कहता है कि उसको हम न मानें यह एक सही रवैया नहीं होगा। हमें मेरिट्स पर किसी बात को देखना चाहिए। मेरिट्स पर सही एजीटेशन हुआ है या नहीं हुआ इस बात को मानना चाहिए। इसमें कोई प्रेस्टिज का सवाल नहीं है। जौन साहब का जो रवैया है इसको कोई आदमी एप्रिशीयेट नहीं कर सकता है। मैं उनको खुद जानता नहीं। कभी उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ नहीं। अखबारों में उनके आर्टिकल्स पढ़ने का मुझे मौका मिला जिससे मालूम होता है कि आदमी काफी विचार-शील है। लेकिन इन्टलेक्चुअल केपेसिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी दो अलग अलग बातें हैं।

यह भी कहा गया कि जॉन साहब ने इस प्रकार की एक्टिविटीज की। एक परिचय भी दिया गया कुछ ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है वे मेरी पार्टी से सम्बन्धित हैं और भाई और रिश्तेदारों के बारे में भी कहा। मैं साफ कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कानून के खिलाफ भाई, बेटे, या हमारे किसी भी रिश्तेदारों को कोई फायदा दिलाने में विश्वास नहीं करती। कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी सदस्य न कभी सुखाड़िया जी के पास कानून के खिलाफ गया और न किसी वाइस-चान्सलर के पास जायेगा और न गया है। पहले भी मिनिस्टर थे और आज भी हैं। कोई अफसर हो यह कह दे कि रिश्तेदार के लिये अपने लिये कोई नाजायज हक मांगने गये हों? कभी नहीं गये। कम्युनिस्ट पार्टी पर लांछन लगा कर गंदी उछालना चाहें तो वह गंदगी उन्हीं के मुंह पर पड़ेगी। केरल के रेवेन्यू कमिश्नर ने हमारी पार्टी पर गंदगी उछालने की कोशिश की और हाई कोर्ट का फैसला आ गया। हमारी छोटी पार्टी है। हमसे बहुत बड़ी पार्टीज हैं। हम इस बात का गर्व है और हम गौरव महसूस करते हैं कि छोटी पार्टी होते हुये भी गरीब हो सकती है, उसके सामने आर्थिक संक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होते हुए भी वह जनता के अधिकारों को लड़ कर लेना जानती है और अधिकार लिये हैं। अपने रिश्तेदारों के लिये नहीं लड़े हैं। वे गलती करेंगे तो वे जिम्मेदार हैं और हम उनको डिफेन्ड करने वाले नहीं हैं। म निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के मामले को लेकर, किसी ने गंदगी उछालने की कोशिश की वह गंदगी उन्हीं पर पड़ेगी। कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी ओपिनियन है। उनकी भी ठीक ओपिनियन होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर हम इस प्रकार का एक वातावरण पैदा करें और जोधपुर यूनिवर्सिटी को दुबारा खोलने का वातावरण पैदा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इस का उत्तर दें। काफी समय हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं काफी समय नहीं लूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप किसी को समय बहुत ज्यादा दे देते हैं इसलिए बाद में समय कम रह जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां): उपाध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय का मसला है। खास कर जोधपुर विश्वविद्यालय। हालांकि इस माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय की भी चर्चा हुई।

यह चर्चा का विषय क्यों बना। यह जानना चाहिये। तीन चार साल पहले भी यहां यह मसला आया था, पर इतने रूप में नहीं। पहले तक यह कह कर टाल भी दिया जाता था यह मसला कि स्वायत्त-शासी संस्था है। पर आज यह कह कर टालने की स्थिति नहीं है।

अब इस स्थिति में मूल कारण क्या है यह सदन को जानना चाहिये। राज्य सरकार ने इसके लिये जांच कमीशन भी बिठाया है। वह जब करेगा तब करेगा और क्या करेगा क्या नहीं यह भी भविष्य गर्भ में है। पर आज कालेज और विश्व-विद्यालय बन्द होने से बच्चों का भविष्य तो बिगड़ रहा है। इसमें दो रायें न हीं। इसलिये सही निदान होना चाहिये कि उसका उचित इलाज किया जा सके।

मैं दो दिन जोधपुर रह कर आया हूं। विद्यार्थी जीवन भी अजीब जीवन है। अब विद्यार्थी जीवन में अगर विकृति आती है और उसके पठन पाठन में बाधा आती है तो सबसे अधिक दयनीय स्थिति कृषक परिवार की होती है। गांव के लोग आज शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। बड़ी आशाएं लेकर गांव के लोग शहरों में आते हैं। बड़ी उमंग और सुन्दर भविष्य की कल्पना करके गांव का किसान आज अपने पेट पर पट्टी बान्ध कर भी खुद आधे पेट भूखा और नंगा रह कर भी अपनी सन्तान को उच्च शिक्षा दिला कर सुसंस्कृत करना चाह रहा है। वह आशा करता है कि शहरों में जाकर उनके लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और फिर अच्छी काम की जगह पर लगेगा। वह आराम पायेगा। इस सुनहरे भविष्य की कल्पना में वह सभी कष्ट सहन

(श्री रणजीत सिंह)

करता है । पर जब संस्थाएं बन्द हो जाती हैं, पढ़ाई रुक जाती है और इसके कारण अगर लड़का फेल हो जाता है परीक्षाओं में तो काश्तकार की दशा अत्यन्त दयनीय हो जाती है ।

आज काश्तकार की स्थिति आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं है । फिर भावों के उतार चढ़ाव तेजी से होते रहते हैं । अगर उत्पादन अधिक होता है तो उसका लाभ उसको नहीं मिलता, उल्टी सजा मिलती है । उसके उत्पादनों के भाव बाजार में गिर जाते हैं । शहरों के उत्पादन में इण्डस्ट्रीज के उत्पादनों में भावों म अन्तर नहीं आता । बल्कि दिन दिन बढ़ते ही जाते हैं । पर किसान पर सीधा असर पड़ता है । उसके उत्पादन में बहुत तेज घट बढ़ जाती है । पर मन्दी के दिनों में भी वह अपने पेट पर पट्टी बान्धकर अपनी सन्तान को सुशिक्षित करने में संकोच नहीं करना चाहता । किसान की आज स तरह से क्या स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं है । जिस साल किसान के फसल अच्छी नहीं होती तो उसे बाजार से लेकर खाना पड़ता है और महंगा से महंगा अनाज लेना पड़ता है और जब मन्दी होती है उत्पादन बहुत होता है तो महंगे साधनों से उसे उत्पादन करना पड़ता है, पर अपने उत्पादनों का रिटर्न उसको नहीं मिलता । तो उस वक्त भी उसको घाटा और बाद में भी घाटा । वह तो दोनों तरफ से मिटता है । अब अगर कालेज और विश्वविद्यालय बन्द होते हैं तो भी घाटा उसी पर पड़ता है । शहरों में रहने वाले बच्चों के तो खाने पीने की व्यवस्था में अतिरिक्त खर्च कुछ नहीं करना पड़ता । पर किसान को तो बोर्डिंग में अपने लड़के को भेजना पड़ता है । खाना भी वहीं खाता है । दोनों का खर्चा उसे सहन करना पड़ता है ।

तो विश्वविद्यालयों में गड़बड़ होती हैं तो उसका भी सीधा असर किसान पर पड़ता है ।

अब मैं निवेदन करूं कि जोधपुर के झगड़े में कारण क्या है ? इस में कारण विद्यार्थी भी नहीं हैं अकेले जोन साहब भी नहीं हैं । अब विद्यार्थी हैं वे कुछ तेजी में आये । जोन साहब खुद अपनी हठधर्मी में रह गये । इसलिये वातावरण गरम बना । झगडा जोन और टीचर्स में था । इसमें विद्यार्थियों को बीच में घसीट कर जोन साहब से भिड़ा दिया गया । विद्यार्थी अन्दर कूदे तो फिर तो सभी पार्टियां वहां पहुंच गई । इसके लिये हम भी वहां मिले । विद्यार्थियों पर सब की नजर है । वातावरण कैसे बने यह विद्यार्थी पर निर्भर है और विद्यार्थी किस तरह से बनें यह शिक्षा पर निर्भर है, जैसी शिक्षा मिलेगी विद्यार्थी तो वैसा ही बन जावेगा और विद्या शिक्षकों पर और उनके आचरण पर निर्भर है । जैसा अपने शिक्षकों का आचरण विद्यार्थी देखेगा वह तो उसका अनुकरण करेगा वही सीखेगा ।

अब इस आन्दोलन में शिक्षक ने अपना नमूना बता दिया । यही नमूना सब जगह सामने आ रहा है । तो झगडा वास्तव में तो इन टीचर्स का और वाइस-चान्सलर का था और कसूर निकालते हैं विद्यार्थी में । तो सही निष्कर्ष कैसे निकलेगा ? यह कालेज का टन्टा है, विद्यार्थियों का टन्टा नहीं है ।

(श्री रणजीतसिंह)

यह टन्टा है टीचर्स का और स्टाफ का है। किस कारण अन्य समय चेन्ज करना पड़ा। समय चेन्ज की क्यों बात आई। पहले विद्यार्थी पढ़ते ही थे। विद्यार्थी आते हैं स्कूटर पर और जितने लेक्चरार्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं वे आते हैं पैदल। यह क्या कारण, ये आते हैं स्कूटर पर और हम आते है पैदल। तब उनको पता चला कि यहां के जो कर्मचारी हैं उनके पास पैसा आया कहां से, ये पैदल क्यों नहीं आते हैं। जिनको 700-700, 800-800 रुपये मिलते हैं वे आ रहे हैं पैदल और जिनको 400-500 मिलते है वह आते हैं स्कूटर पर। कारणों का पता लगाया तो कारण मिला ये सब पार्ट टाइम काम करते हैं और इस तरह से उनको डबल पैसे मिल जाते हैं......

श्री विजयसिंह : यही हालत आप सबको है। हमारे पास तो स्कूटर है और आप आते ह कार में।

श्री रणजीतसिंह : इसलिये टीचर्स ने वाइस-चान्सलर को यह समझाया अगर टाइम ही ऐसा रख दें कि पार्ट टाइम नहीं कर सकें तो अच्छा हो और वे हमारे बराबर आ सके। वाइस-चान्सलर को समझाकर यह टाइम चेन्ज करवाया। अब कर्मचारियों के टाइमिंग चेन्ज होने से घाटा आ गया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा यह टाइम सूट नहीं करता है इसलिये यह समय आपके अनुकूल नहीं है। तो झगड़ा तो शुरू हुआ इस बात से। विद्यार्थियों न कहा हमको झगड़े में नहीं पड़ना है। जिस दृष्टि से टाइम बदलने की कोशिश की तो वाइस-चान्सलर अकड़ गये और फिर टीचर्स को बीच में पटका। टीचर्स ने वाइस-चान्सलर के कहने से सारा मामला उठाया। जब वापिस बात करने की कोशिश की तो उस समय जोन साहब ने अकड़ाई की। फिर भी लड़कों ने समझ लिया हमें तो पढ़ना है। इस बात पर जोन साहब ने अन्ट सन्ट कर दिया।

श्री विजयसिंह : यह घटना कोनसे पेज पर है। युनिवर्सिटी पर डिसकस हो रहा है

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री रणजीतसिंह : विद्यार्थियों ने क्या कहा और क्या नहीं कहा यह नहीं मालूम लेकिन विद्यार्थी तैयार हो गये। तब जोन साहब ने बच्चों को अन्ट सन्ट कह दिया उस कहने पर ही सारा वातावरण बना। हालांकि वातावरण खराब बना लेकिन ऐसा नहीं बना कि विश्वविद्यालय बन्द करना पड़े। एक तरफ से पाकिस्तान हमारे बोर्डर पर फौजें डाले बैठा है और एक तरफ हमारे विद्यार्थी झगड़ा करें। कलेक्टर ने भी बहुत कोशिश की लेकिन जोन साहब ने कहा जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। हालांकि पेपर वेट की लगी। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है उस पर तो विश्वविद्यालय बन्द हो गया और बच्चों के भविष्य के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। यही हाल पाकिस्तान का पहले था, यहया खां कह रहा था जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। जब प्रजातन्त्र की बात आई

(श्री रणजीतसिंह)

और चुनाव हुए और जब चुनावों का नतीजा सामने आया तो जो जनता के प्रतिनिधि बने वे तो गये जेलों में और उन्होंने गोलियां खाई, बाकी के मौज उड़ा रहे हैं। यह सारा परिणाम आज हमारे सामने है। वाइस-चान्सलर है वही सारे पावर्स अपने पास रखता है और पावर्स किसी को नहीं मिले। छात्रों की मांग है कि छात्रों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये तो फिर उसमें आनाकानी किस बात की है। इस वजह से हालात दिन ब दिन बिगड़ते गये।

आज हमारे यहां के किसान भाई भी चिन्तित हैं कि बच्चों को बड़ी मुश्किल से जोधपुर भेजा और उन पर भारी खर्च किया इसके उपरान्त भी यह हालत है। जॉन साहब अच्छे हैं तो ठीक है और अगर खराब हैं तो हम उनको अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिये बच्चों के बीच में कोई ऐसा वाया मीडिया निकाला जाय कि बच्चों का भविष्य भी न बिगड़े और युनिवर्सिटी भी बन्द न करनी पड़े युनिवर्सिटी भी साफ और अच्छी रहनी चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि खाली राज्य सरकार यह बात कहकर नहीं टाल दे कि यह युनिवर्सिटी का मामला है।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : सरकार को तो आप कहेंगे जैसे करेगी।

श्री रणजीतसिंह : सरकार तो आप और हमारी सबकी है। एक दूसरा मेरा निवेदन है जो बच्चों पर मुकद्दमे चल रहे हैं वे विथ-ड्रा किये जायं। भविष्य में उनके प्रति कोई कदम नहीं उठाया जायेगा। छात्रों में किसी प्रकार का असन्तोष न फैले, यह सरकार के देखने का काम है, युनिवर्सिटी ढंग से चले यह सरकार का काम है। इसलिये मैं चाहता हूं भविष्य में जो संशोधन हो वह इनके नियंत्रण में रखा जाय ताकि बच्चों का भविष्य न बिगड़े।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टर्म्स ऑफ रेफरेन्स पूरा रखा जाय या जो पॉइन्ट डिस्पूटेड है उसको ही रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जितनी और जिस प्रकार की अनियमिततायें हुई हैं उस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। उसके साथ में अपने कथन की पुष्टि में कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। आज अगर इस वाद-विवाद का निर्णय निकाला जाय तो परिणाम यह निकलता है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों की स्थिति कई वर्षों से ठीक नहीं है। जोधपुर विश्वविद्यालय का जहां तक सम्बन्ध है, मैं समझता हूं इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य ने विद्यार्थियों के प्रति, उनकी मांगों के प्रति, उनके आन्दोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं की हो ऐसी बात किसी के भाषण से नहीं लगी। उदयपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री महाजनी और जोधपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री जॉन इनके सम्बन्ध में भी आज की चर्चा का यही निर्णय निकलता है कि उनकी कार्यवाही का इस सदन के किसी भी

Page No 177

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय सदस्य ने समर्थन नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में इस प्रकार की बीमारी कोई अचानक नहीं आई। वर्षों से जिस प्रकार की अनियमिततायें चलती रही हैं उसी का परिणाम है। उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की सब लोगों ने समय समय पर बात की और इसके ऊपर जोर दिया। विश्वविद्यालयों में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो इस प्रकार की इच्छा हिन्दुस्तान के विद्वानों ने, राजनीतिज्ञों ने समय समय के ऊपर प्रकट की है। लेकिन इस सब के उपरान्त भी जिस विश्वविद्यालय कानून के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर और जोधपुर विश्वविद्यालय इनका निर्माण हुआ उस कानून की निर्माता यह राजस्थान की विधान सभा है और इस आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस संबंध में विधान सभा सर्वोच्च है। स्वायत्तता का प्रश्न उसके सामने महत्वपूर्ण भी है लेकिन स्वायत्तता की आड़ में जिस प्रकार का विश्वविद्यालयों का वातावरण बन रहा है वह वातावरण बन रहा है वह वातावरण बनता है तो स्वायत्तता की आड़ में उसकी अनुमति भी नहीं दी जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी विश्वविद्यालयों के संबंध में कानून बनाये हैं मैं समझता हूं कि राजस्थान की विधान सभा ने उस समय भी इस प्रश्न के ऊपर विचार किया कि यदि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न हो जाय तो उस सूरत में राज्य सरकार क्या कर सकती है और चान्सलर क्या कर सकते हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय के कानून में इस बात की व्यवस्था रखी गयी, उदयपुर विश्वविद्यालय के कानून में इस प्रकार की व्यवस्था रखी गयी। मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या कभी चान्सलर ने या राज्य सरकार ने जो इस कानून के अन्तर्गत उनको अधिकार मिले हुए हैं कभी उन अधिकारों का उपयोग किया? सरकार की ओर से उत्तर मिलेगा आज तक उन अधिकारों का उपयोग नहीं किया। जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों ने कहा कि उदयपुर विश्वविद्यालय में जब से उपकुलपति महाजनी आये हैं निरन्तर वहां किसी न किसी प्रकार का झगड़ा चलता रहा। मैं इस सरकार से जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार को क्या उदयपुर विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी नहीं थी। विश्वविद्यालय के टीचर्स एसोसियेशन ने, उपाध्यक्ष महोदय, यह पीली किताब छपाई। 1968 के अन्दर कोई उन्होंने पत्र नहीं लिखा केवल मात्र कोई रिप्रेजेन्टेशन किया ऐसी बात नहीं है, टीचर्स एसोसियेशन ने बाकायदा विचार करके जो कुछ भी समस्यायें थीं, जो कुछ भी अनियमिततायें थीं, जिस प्रकार से एजुकेशनल स्टैन्डर्ड गिर रहा था, जिस प्रकार के वित्तीय घोटाले हो रहे थे उन सब बातों का उल्लेख करके चान्सलर महोदय को इस प्रकार का ज्ञापन 3 दिसम्बर, 1969 को पेश किया और उसके पहले सन् 68 में पेश किया। अब मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि चान्सलर महोदय को इस सम्बन्ध में क्यों नहीं कार्यवाही की? चान्सलर को इस सम्बन्ध में अधिकार होते हुए भी चान्सलर ने इस मामले में जांच क्यों नहीं कराई। मैं ऐसा समझता हूं कि विश्वविद्यालय के टीचर्स एसोसियेशन; कोई एक

(श्री भैरोंसिंह)

टीचर इस प्रकार की मांग करता तो सम्भवतः राज्य सरकार या चान्सलर महोदय उसकी उपेक्षा करते लेकिन टीचर्स एसोसियेशन ने सर्वसम्मति से यदि कोई रिप्रेजेन्टेशन चान्सलर को दिया है तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए तो दिया नहीं था कि चान्सलर महोदय अपनी लाइब्रेरी में किसी रक में उस रिप्रेजेन्टेशन को जमा कर रख देते और इसलिए भी वह रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया था कि पढ़कर चान्सलर महोदय उसको बस्ते में खामोशी में रख दें। मेरा चार्ज है राजस्थान की सरकार पर, मेरा चार्ज है उदयपुर के चान्सलर महोदय के ऊपर कि उन्होंने समय के ऊपर कार्यवाही नहीं की और यह उसी का परिणाम है कि उदयपुर विश्वविद्यालय में इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई। मैं ऐसा समझता हूं कि अधिकारों की कोई कमी नहीं, स्वायत्तता के होते हुए भी चान्सलर महोदय को इस विधान सभा ने अधिकार दिये थे और उनका सदुपयोग किया जाता तो उदयपुर विश्वविद्यालय में इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होती।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, केवल नियुक्तियों का ही सवाल नहीं है। मैं उन नियुक्तियों के मामलों में नहीं जाना चाहता हूं कि कितनी और किस प्रकार से अनियमितताये की गयी हैं, लेकिन उदयपुर विश्वविद्यालय में तो यहां तक घटनायें हुई जो यह सदन सुनकर आश्चर्य करेगा कि विश्वविद्यालय को जिन सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन करना था विद्यार्थी परीक्षा के लिए आये, परीक्षा पत्र का इन्तजार कर रहे हैं और परीक्षा के कक्ष में जाने के बाद विद्यार्थियों को पता चला कि इस सब्जेक्ट का पेपर सेट करने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से किसी को नियुक्त ही नहीं किया। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सीरियस इरेगुलेरिटी कोई हो नहीं सकती। यह एक बार हुआ हो तो समझ सकते हैं लेकिन दो दो बार हुआ हमारी सरकार की उस पर भी आंख नहीं खुली। हमारे चान्सलर महोदय उस समय भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते तो मैं यह मानकर चलूंगा कि चान्सलर महोदय को जो विधान सभा ने अधिकार दिये थे अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे उस विश्वास का एक प्रकार से विश्वासघात हुआ है।

अब, दूसरा प्रश्न आता है, उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय का। मैं भी जोधपुर गया था। वाइस-चान्सलर से भी मिला हूं और विद्यार्थियों से भी मिला हूं। मैं उस सारे विवाद में नहीं जाता कि किस प्रकार से झगड़ा हुआ और किसकी कितनी गलती थी लेकिन यह बात साफ है कि टाइम के प्रश्न को लेकर यह सारा आन्दोलन चालू हुआ। इस आन्दोलन के पीछे यह भी बात साफ है कि टीचर्स में दो गुट रखे हुए हैं। यह भी बात सही है कि टीचर्स ने विद्यार्थियों से मिलकर और उनसे बातचीत करके सारे मामले को निपटा दिया था लेकिन दूसरे टीचर्स, जिनको इस पंचायत में किसी प्रकार का पद और सम्मान नहीं मिला वे टीचर्स विद्यार्थियों के इस समझौते से नाराज थे। उन्होंने इसमें विघ्न पैदा किया और उस विघ्न के कारण

(श्री भैरोंसिंह)

वाइस-चान्सलर ने जो टीचर्स एसोसिएशन में विद्यार्थियों को आश्वासन दिया था उस आश्वासन से मुकर गये और मुकरने के बाद फिर वही स्थिति आ गई जो कि पहले स्थिति थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह भी चर्चा आई कि विद्यार्थियों के आन्दोलन को दबाने के लिए कुछ व्यक्तियों को एम्पलाय किया जा रहा है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन कई विश्वविद्यालयों के संबंध में मेरे पास यह जानकारी है जैसे दुश्मन के जहाज आते हैं उसकी जानकारी राडार पर मिलती है लेकिन आज के साइन्टिफिक युग में एन्टी राडार इस प्रकार की भी व्यवस्था करके चलते हैं। आज विश्वविद्यालयों में टीचर्स इस प्रकार का इन्तजाम करते हैं यदि कोई आन्दोलन होगा तो उसको दबाने के लिए किस प्रकार के तत्व अपने पास रहने चाहिए। वे कई बार विद्यार्थियों में इस प्रकार के ग्रुप बनाते हैं। रेलवे स्टेशन की घटना कोई मामूली घटना नहीं है। मैं आज विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन पर विद्यार्थियों को जो पिटवाया गया तो इसके लिए यूनिवर्सिटी की गाड़ी गई थी। यूनिवर्सिटी की गाड़ी में पीटने वालों को लाया गया था और उनको लेकर रायकाबाग स्टेशन तक उनका पीछा किया गया था। पुलिस उस सारी घटना को देखती रही। आज यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाफ विद्यार्थियों के आन्दोलन को कुचलने के लिए, कुचलने वालों को जीप में और खास तौर से यूनिवर्सिटी की जीप में इकट्ठा करके लाए तो आप यह मान कर चलें कि उस विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता है। यह घटना कोई एक-दो दिन पहले की नहीं, दस पांच दिन पहले की नहीं, यह घटना अगस्त के महीने की है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की जानकारी होते हुए कि विश्वविद्यालय के टीचर्स ने स्टूडेन्ट्स को बहकाया है और उनको आपस में लड़ाया है, राजस्थान सरकार चुप क्यों बैठी रही। जब विश्वविद्यालय का टीचिंग स्टॉफ इसमें शामिल था तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, जॉन साहब के लग गई तो हूजा साहब की नियुक्ति हो गई। जॉन साहब के चोट का निशान लगा हुआ है तो दूसरी तरफ जोधपुर की स्टूडेन्ट यूनियन के प्रेसीडेंट श्री कावरा के भी चोट लगी हुई है। उसके भी हाथ पर चोट लगी हुई है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने एक व्यक्ति के सिर पर चोट लग गई तो उसकी जांच करने के लिए हूजा साहब की नियुक्ति कर दी लेकिन उस विश्वविद्यालय की यूनियन के प्रेसीडेन्ट को जॉन साहब के लोगों से पिटवा दिया तो राज्य सरकार उस मामले की जांच क्यों नहीं कराना चाहती। क्या आप यह समझते हैं कि यूनियन का प्रेसीडेंट कोई एक आदमी है। आखिर सारे लोगों ने मिल कर उसका चुनाव किया है, बहुमत के आधार पर वह चुनकर आया है, उसकी भी रेस्पेक्ट है, उसकी भी स्टेंडिंग है और उस स्टेंडिंग के आदमी को पिटवा दिया जाय और पिटने के बाद भी राजस्थान सरकार मौन रहे, क्यों? मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने जांच का जो टर्म एण्ड रेफरेंस

(श्री भैरोंसिंह)

रखा है उससे जांच नहीं हो सकेगी। केवल एक घटना की जांच हो सकेगी, बाकी जो आप कह रहे हैं कि ओन अदर सरकमस्टांसेज लीडिंग टू दिस इंसीडेंस, वे इसको कवर नहीं कर पायेंगे। हुजा साहब इसके आधार पर जांच नहीं कर पायेंगे, क्योंकि यह विश्वविद्यालय का इण्टरनल मेटर हो जाएगा और इन्टरनल मैटर होने के कारण जब तक जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 10 के अन्तर्गत इस प्रकार की इन्क्वायरी नहीं करते तब तक इण्टरनल मैटर में उनको इन्क्वायरी करने का हक़ नहीं होगा। केवल इन्क्वायरी इस बात की होगी कि उनके सिर पर चोट मारी। यह इन्क्वायरी तो सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस भी कर देगा, वहां की लोकल पुलिस भी कर देगी। उस इन्क्वायरी के लिए हुजा साहब की क्या आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की इन्क्वायरी से विश्वविद्यालय में टीचर्स और बच्चों के बीच में किसी प्रकार का समन्वय हो जाय इसकी आशा करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को यहां निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। 26 अगस्त को रेल्वे स्टेशन पर विद्यार्थियों को पीटा गया, उसके बाद में यूनियन के प्रेसिडेंट श्री काबरा को पीटा गया, इन दो घटनाओं को भी इन्क्वायरी में शामिल करते तो मैं समझ सकता था कि विश्वविद्यालय के वे टीचर्स जो लड़कों को आपस में लड़ाते हैं, एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ाने की कोशिश करते हैं वे सामने आते और उन लोगों के खिलाफ़ किसी प्रकार का एक्शन होता। और अगर कोई एक्शन होता तो आयन्दा किसी टीचर की हिम्मत नहीं होती कि इस प्रकार से लोगों को बहका कर उनके सिर फुड़वा दे। लेकिन हमें उसकी चिन्ता नहीं है।

हमारे मुख्य मंत्रीजी वहां गए किसी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। उस मौके पर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति भी वहां गए। छात्रों ने उनका घेराव किया तो उप-कुलपति ने रेजिग्नेशन दे दिया। यह रेजिग्नेशन किस प्रोटेस्ट में दिया ?

श्री रणजीतसिंह (ऑसियां): स्टुडेन्ट्स ने मिलकर दिलवा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल गलत है कि बच्चों ने रेजिग्नेशन दिलवाया। उप-कुलपतिजी ने रेजिग्नेशन दे दिया। शायद वे समझते थे कि मैं रेजिग्नेशन देता हूं तो सारे राजस्थान में तहलका मच जाएगा। सरकार मेरे सामने घुटने टेक देगी। सारा विश्वविद्यालय मेरे आगे पांव पड़ेगा और कहेगा कि आप तो यहीं रहें, आपके बिना जोधपुर विश्वविद्यालय का काम नहीं चल सकता। लेकिन सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से, हुआ उल्टा, टीचर्स समझने लगे मन ही मन में, चला जाय तो बहुत अच्छा। विद्यार्थी समझने लगे कि चला जाय तो बहुत अच्छा। पब्लिक में भी लोग कहने लगे कि चला जाय तो बहुत अच्छा। अब स्थिति यह पैदा हुई कि रेजिग्नेशन किस प्रकार से स्वीकार हो। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने चाहे किसी प्रकार का बीच बचाव किया हो और उनसे त्याग-पत्र वापस कराया वह किन परिस्थितियों में कराया, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि विश्वविद्यालय की सारी घटनाओं के सम्बन्ध में यदि राजस्थान सरकार को

(श्री भैरोंसिंह)

और हमारे शिक्षा मंत्रीजी को पूरी जानकारी होती तो जॉन साहब का उस समय इस्तीफा मंजूर हो जाता और यह जो समस्या आज हमारे सामने आई है, विश्वविद्यालय बन्द होने की यह समस्या किसी भी रूप में नहीं आती । फिर कण्ट्रोवर्सी चली, उपाध्यक्ष महोदय । एक वक्तव्य आया कि मुझे राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि तुम इस्तीफा वापस ले लो और इसलिए मैंने त्याग-पत्र वापिस ले लिया । दूसरे दिन अखबारों में पढ़ा कि राज्य सरकार की तरफ से इसका खण्डन किया गया है कि हमने इस्तीफा वापिस लेने के लिए नहीं कहा दोनों ही बहुत बड़े 2 लोग । एक तरफ तो मुख्य मंत्री, जो राज्य सरकार का संचालन करते हैं और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, जिनके हाथ में दस हजार लोगों का भाग्य है । मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में झूठा कौन है, कौन झूठ बोलता है दोनों में । किसने कहा कि इस्तीफा हमने मंजूर नहीं किया और किसने उनको इस्तीफा वापिस लेने के लिए कहा । वाइस-चान्सलर कहता है कि मैंने सरकार के कहने से इस्तीफा वापिस लिया और सरकार कहती है कि हमने कुछ नहीं कहा । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके पास जब इसकी जानकारी आ गई कि इस्तीफा चान्सलर के पास पहुंच गया है तो आपने उसको मंजूर क्यों नहीं होने दिया ? वह इस्तीफा था कोई दस पैसा थोड़े ही था कि इधर से डाला और वापिस निकाल लिया । वाइस-चान्सलर ने जब रेजिग्नेशन दिया था तो वह प्रोपर स्टेज पर जाना चाहिए था । वाइस-चान्सलर कहता है कि हमने इस्तीफा दे दिया तो वह इस्तीफा चान्सलर तक क्यों नहीं पहुंचा, इस बात की जांच होनी चाहिए । क्या कागज चुराए गए या कागज दबाए गए । इसके पीछे कौनसे तत्व हैं जिन तत्वों ने कार्यवाही करके वाइस-चान्सलर के इस्तीफे को वापिस लिराया ।

अब आगे प्रश्न आता है विश्वविद्यालय के बन्द होने का, लड़कों के सस्पेंड होने का । मैं इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में छात्र कोई क्रिमिनल बनने के लिए नहीं आते, कोई स्काउण्ड्रल बनने के लिए नहीं आते, कोई मर्डरर बनने के लिए नहीं आते, कोई मर्डर या डकैती डालने की शिक्षा लेने के लिए नहीं आते। इंजीनियरिंग फैकल्टी के अन्दर 70 प्रतिशत जिनके नम्बर मिलते हैं, जो स्टूडेंट्स कम्यूनिटी की क्रीम है वह क्रीम फैकल्टी में आती है। आज मैं पूछना चाहता हूं न बुद्धिजीवियों से जो बुद्धि का ठेका लेकर बैठे हैं, जो विश्वविद्यालय में उनके काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं सहन करना चाहते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमने हमारे बच्चों को क्रिमिनल बनाने के लिए नहीं भेजा है। यह तुम्हारी बुद्धि का परिचय है, यह तुम्हारे प्रशिक्षण का फल है और यह तुम्हारे प्रशासन का परिचय है कि जो लोग बुद्धिमान बनने के लिए आते हैं तुम उनको क्रिमिनल बनने की ट्रेनिंग दे रहे हो । इसमें दोष किसका । एक फर्स्ट

(श्री भरोंसिंह)

क्लास स्टूडेन्ट, घर का क्रीम, समाज का क्रीम, विद्यार्थी कम्यूनिटि का क्रीम वह मेडीकल कॉलेज में भर्ती होता है, वह इंजीनियरिंग फैकल्टी में आता है और वहां आकर वह विद्यार्थी यदि इस प्रकार का बर्ताव करने लग जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी है समाज की। जिम्मेदारी और न किसी की है, जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग की है, जो बुद्धि का ठेका लेकर बैठे हैं। लेकिन क्या इस बुद्धि के आधार पर वे छात्रों की बर्बादी करना चाहते हैं? क्या वे इस बुद्धि के आधार पर वे छात्रों को बुद्धिमान बना सकते हैं। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि केवल इस आटोनोमी के नाम के ऊपर राजस्थान की सरकार को संकोच नहीं करना चाहिये। आज तक जितने घोटाले, उदयपुर, जोधपुर और राजस्थान युनिवर्सिटी में हुए हैं, वहां पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी पूरी जांच करवायी जाये। एक बार इनकी जांच हो जाये तो दस वर्षों तक जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जो अनियमित रूप से काम किये गये हैं अनियमितताएं की गई हैं इसकी जांच कराकर उन लोगों को पकड़ लिया गया और उनकी जांच हो गई तो 10 वर्षों तक कोई टीचर, वाइस-चान्सलर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करेगा, इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगा, यह आप मानने के लिये तयार नहीं हैं। कानून पुराना है और समय तेजी से बदलता जा रहा है। कई बार युनिवर्सिटिज के बारे में चर्चा करने के लिय यहां पर माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की और इन पांच वर्षों में पहली बार यह मौका आया है और वह भी उस समय जबकि दुबारा चर्चा करने के पहले इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इस सदन में कई बार चर्चाएं हुई हैं कि इस कानून में संशोधन करना है। सरकार ने कहा कि मेहता साहब की रिपोर्ट आने वाली है। 2/3 महिने पहले उदयपुर गया, वहां पर मेहता साहब से भेंट हुई। आपकी रिपोर्ट का क्या हुआ? कहा गया, रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को भेंट हो गई। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं और खास तौर से शिक्षा मन्त्रीजी से क्योंकि जब वे विश्वविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा संकाय में गये थे, वहां पर आपने यह कहा था, कानून में संशोधन होने वाला है। यह आपका कथन अखबारों में छपा है। आपने कहा या न कहा मुझे पता नहीं है। परन्तु यह समाचार पत्रों में छपा है। अडल्ट एज्यूकेशन में आप गये हैं। वहां पर दो बातें कही हैं, विद्यार्थियों को राजस्थान के विषय में जानकारी नहीं है और दूसरा आपने कहा कि रिपोर्ट आ रही है, हम विचार कर रहे हैं कि कानून में किस प्रकार का संशोधन किया जाये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं- आपके प्रेडेसर ने भी इस हाउस में कई बार कहा है कि मेहता रिपोर्ट आने के बाद क कम्प्रेहेन्सिव बिल राजस्थान की विधान सभा में पेश किया जायेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब इस स्थिति में उदयपुर विश्वविद्यालय चल रहा है, जोधपुर विश्वविद्यालय की ऐसी स्थिति है और वैसी ही स्थिति राजस्थान विश्वविद्यालय की है, तो आपका यह कम्प्रेहेन्सिव बिल कब आयेगा? जब युनिवर्सिटी जलकर खाक हो जायेगी। जब युनिवर्सिटी लड़ाई

(श्री भैरोंसिंह)

का मैदान बन जायेगी, जब युनिवर्सिटीज में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रहेगा और शिक्षा का स्तर गिर जायेगा। यदि यही आपका लक्ष्य है कि जब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी तब तक आप कम्प्रीहेन्सिव बिल नहीं लायेंगे तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह इस मसले को स्पष्ट कर दें। यह एक इम्पोरटेन्ट मसला है और इसके आधार पर व्यवस्था करनी है तो कोई यह तरीका नहीं है कि आप विधान सभा को छोड़कर भागें। आप दो दिन और बैठ जायें। इसका कानून रख दीजिये। उसमें राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य अमेन्डमेन्ट लायेंगे और उसके अन्दर जो वाजिब संशोधन होने चाहिये वे हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज विद्यार्थी अपना विश्वविद्यालय में रिप्रिजेन्टेशन चाहते हैं। सरकार सिद्धान्तत: विद्यार्थियों को कहती है कि आपकी मांगे वाजिब हैं और आपको रिप्रिजेन्टशन मिलना चाहिये। विद्यार्थी मन्त्री से मिलेंगे तो वे कहेंगे कि आपकी मांगे वाजिब हैं। मुख्य मन्त्रीजी से मिलेंगे तो वे कहेंगे कि आपकी मांगें वाजिब हैं। किसी पोलिटिशियन से मिलेंगे तो वह भी कहेगा कि नीति से आपकी मांगें वाजिब हैं लेकिन उन मांगों पर आपकी कोई व्यवस्था नहीं होती है तो यह क्या व्यवस्था है।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): आज राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्यों की यह मांग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आज तक एक भी उदाहरण नहीं मिलता है जिसने विद्यार्थियों में जाकर यह कहा हो कि तुम्हारी मांगें वाजिब नहीं हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह कहने के उपरान्त भी सरकार की तरफ से क्या यह चेष्ठा की गई कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को सही रिप्रिजेन्टेशन मिल जाये। मैं समझता हूं कि आपने कोशिश नहीं की है और इसी का परिणाम है कि आज सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर दीमक लग गई है और इसी का यह परिणाम है कि विद्यार्थियों और टीचर्स में संघर्ष होने लगा है। आज विद्यार्थियों में असन्तोष है यह बात सही है। इस सम्बन्ध में मैं रामानन्दजी की बात से एग्री करता हूं कि आज की शिक्षा लक्ष्य विहीन हो गई है। उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रोवोक किया है। वे शायद यह कह रहे थे कि प्रीविपर्स बन्द हो जायेगा तो 4 करोड़ 80 लाख बच जायेगा और एक करोड़ की समस्या का समाधान हो जायेगा। मैथमेटिक्स वे भी जानते हैं और बाकी के लोग भी जानते हैं। राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कैसा है यह वे भी जानते हैं और उसके कारण कितने लोगों की बेकारी का समाधान हो गया यह वे भी जानते हैं। उनका तो एक विरोध है राजा-महाराजाओं के प्रति। परन्तु इससे ही क्या आप विद्यार्थियों की समस्याएं समाधान करना चाहते हैं तो वह नहीं होंगी। यहां, राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है और यहां पर विद्यार्थियों के आन्दोलन पर सरकार उनको फूल मालाएं नहीं पहनाती है। उधर केरल में आपकी हुकूमत है, कम्युनिस्टों का राज्य है वहां पर भी विद्यार्थियों का आन्दोलन होता है तो

(श्री भैरोंसिंह)

उनको फल मालाएं नहीं पहनाई जाती हैं। उनके जूते पड़ते हैं। केरल में कम्युनिस्टों को शासन करते कई वर्ष हो गये हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा बेसिक क्वेश्चन है और वह यह है कि सारे देश के अन्दर से राजा महाराजा, और जो मोनोपोलिस्ट हैं वे एक वेस्टेड इन्टरेस्ट बन गये हैं उनको समाजवाद लाने के लिये पहले खतम करना होगा विच यू अपोज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं और रामानन्दजी की बात को स्वीकार करता हूं। राजा महाराजा खतम हों, देश के अन्दर से मोनोपोलिस्ट खतम हों और सारे ट्रेड व इन्डस्ट्रीज का नेशनेलाइजेशन हो जाये तब भी क्या विद्यार्थियों को रोजगार मिल जायेगा? क्या रूस के अन्दर सबको रोजगार दे दिया गया है? जो रूस के अन्दर, क्रान्ति के अन्दर भागीदार थे, वे विद्यार्थी आज रूस के अन्दर भूखे हैं तो बोल नहीं सकते हैं, बीमार हैं तो बोल नहीं सकते। आन्दोलन का नाम नहीं ले सकते हैं। आप इस प्रकार की स्थिति लाकर यदि हिन्दुस्तान की 55 करोड़ जनता को गुलाम बनाकर समाजवाद लाना चाहते हैं तो यह यहां पर सम्भव नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप लाला हंसराज के वक्तव्य को पढ़ लीजिये। क्या उनके वक्तव्य पर उनकी पार्टी वालों को विश्वास है?

श्री भैरोंसिंह : यह लाला हंसराज आपको अच्छे लग गये, मुझे इस बात की खुशी है। तो क्या लाला हंसराज का वक्तव्य कम्युनिस्टों के लिये प्रमाण-पत्र बन गया है।

आज इस समस्या का समाधान विद्यार्थियों को भड़का कर करें तो यह होने वाला नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर है और उस कमजोरी का आधार विद्यार्थियों को बहका कर राजस्थान में इस प्रकार का आन्दोलन खड़ा करना चाहें जिससे कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय बन जाये तो आप भूल में हैं। राजस्थान का विद्यार्थी आपकी हरकतों से अच्छी तरह से परिचित है और वे कभी भी आपके चक्कर में नहीं आयेंगे। उनको बोलने की आजादी है और वे इस आजादी को इस गुलामी म परिणित नहीं होने देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य की यहां पर नियुक्ति हुई है। मैं उस व्यक्ति के बारे में यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं परन्तु उन्होंने जो भाषण दिया है वह इस सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। वह भाषण उन्होंने दिया है प्रयाग में। कहा कि हिन्दुस्तान एक अकेडेमी है। वे कहते हैं, भारतीय संस्कृति में बदबू आती है। यह तो मैं कम्युनिस्टों से अपेक्षा कर सकता हूं। उन्हें इतना ही कह कर सन्तोष नहीं हुआ। वे आगे कहते हैं, इस बदबू को मिटाने के लिये भारतीय संस्कृति में क्रिश्चियनिटी का समावेश होना चाहिये। जॉन क्रिश्चियन है और शायद यह कहकर उनको खुशामद करना है और इस बदबू का इलाज क्रिश्चियनिटी नहीं है। वे जानते हैं पेट

(श्री भैरोंसिंह)

मरने का इलाज इस प्रकार का वाक्य है और इससे पेट भरा जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत बढ़िया बात है और आपने यह जरूर गन्दे अखबार से लिया है। पांचजन्य से लिया होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में हमें प्रेक्टिकल एप्रोच इस सारी समस्या के लिये लेना होगा। बेकारी की समस्या है, बेकारी बढ़ रही है। एक तरफ हम 65 वर्ष के व्यक्तियों को सर्विस में लगा रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में 62 वर्ष तक के व्यक्तियों को लगा रहे हैं और इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रिटायरमेन्ट 58 वर्ष की एज में होता है और राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 55 वर्ष में रिटायरमेन्ट होता है। मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप बेकारी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो पहले यह निर्णय लें कि 55 और 58 का यह जो अन्तर है उसको मिटाया जायेगा।

58 और 55 की अन्दर की आयु के करीब 1 लाख लोग हिन्दुस्तान में और राजस्थान में रिटायर होने से नई जगह खाली होंगी और इन्डाइरेक्टली इनकी वजह से जो बेकारी के शिकार होने वाले लोग बैठे हैं वे एक लाख लोग काम पर लग जायेंगे। इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं। राजस्थान का औद्योगीकरण कैसे हो इसकी चिन्ता नहीं। इसके लिए राजस्थान की सरकार को पूंजी की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में प्रचुर धनराशि की पूंजी पड़ी हुई है। यदि उस पूंजी का सही एक्स्प्लायटेशन करके उद्योग स्थापित करके उद्योगों का जाल खड़ा कर दें तो इस राजस्थान की बेकारी की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं आज नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे मिनरल्स पर किस प्रकार से डाका डाल रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ? उसको आज कहने की आवश्यकता नहीं है फिर कभी मौका आयेगा तो बताऊंगा।

बेकारी की समस्या, लक्ष्यहीन शिक्षा इस प्रकार की स्थिति के कारण विद्यार्थी आन्दोलन नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि आन्दोलन करने के लिए लोग उनको उकसाते हैं, केवल राजनैतिक लोग ही नहीं बल्कि प्रोफेसर साहबान भी। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रश्न आकर खड़ा होता है कि किसी भी प्रोफेसर के साथ या किसी भी वाइस-चान्सलर से आप बात करें तो जैसा कि गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स आजकल एक तरीका लेकर चल रहे हैं कि किसी भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को आप टेलिफोन करें कि तुमने यह गलत काम क्यों किया तो जवाब मिलेगा कि काम जानते नहीं हैं, यह तो मिनिस्टर साहब ने किया है। अब कौन जाय मिनिस्टर साहब के पास कि यह काम मिनिस्टर साहब ने क्यों किया ? जैसी कि नौकरशाही की आदत बन गई है वैसे ही, उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों में रूढ़िवादी बैठे हुए हैं जो अपनी जिम्मेवारी दूसरों पर थोपने के लिए बैठे हैं। जब भी पूछते हैं तो यही जवाब मिलता है कि राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है, राजनैतिक कार्यकर्ता युनिवर्सिटी

(श्री भैरोंसिंह)

मामलों में दखल देते हैं, राजनैतिक कार्यकर्ता युनिवर्सिटी के स्टाफ में फूट पैदा कर रहे हैं । राजनैतिक कार्यकर्ता युनिवर्सिटी के क्षेत्र में क्यों नहीं जायगी ? आज प्रोफेसर्स अलग अलग पार्टियों में जाने लगे हैं विद्यार्थी अलग अलग पार्टियों में जाने लगे हैं, तो यह मानने की बात है कि युनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति आयगी । इस फैक्ट को सामने रखकर यह कह कि यह हमारा दोष नहीं है, राजनीतिज्ञों का दोष है । राजनैतिक हस्ताक्षेप की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने यह तरीका निकाला है ।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी ने एज्यूकेशन का स्टैण्डर्ड कितना बढ़ाया है, उसका क्या प्रोडक्शन रहा है, किसी प्रकार के, किस योग्यता के स्टूडेन्ट्स निकाले हैं, इस प्रकार का मापदण्ड युनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में होना चाहिए और युनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में प्रति वर्ष इस बात की जांच होना चाहिए कि किसी प्रकार की युनिवर्सिटी के एकेडेमिक केरियर में कमी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार की कमी रही है और उस कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान में एक फेशन बन गया है कि राष्ट्रपति, शिक्षाशास्त्री यदि शिक्षकों और विद्यार्थियों को कहीं भी एड्रेस करते हैं तो एक ही भाषण देंगे कि शिक्षा का स्तर गिर रहा रहा है, रचनात्मक शिक्षा नहीं है, बेकारी को मिटाने के उद्देश्य से शिक्षा नहीं चल रही है, बुद्धिवादी लोगों की जमात पैदा करने के लिए शिक्षा नहीं है । राष्ट्रपति का वही भाषण, प्रधानमंत्री का वही भाषण, मुख्यमंत्री का वही भाषण, शिक्षामंत्री का वही भाषण, राज्यपाल का वही भाषण, विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का वही भाषण, और राजस्थान में नीचे की तरफ चले जायं तो डाईरेक्टर, डिप्टी-डाइरेक्टर और इन्सपेक्टर सबका वही भाषण कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह का भी आप शिक्षा के स्तर में कोई परिवर्तन करना चाहें उसमें वह करें, लेकिन बारबार आप यह कहते रहें कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है तो विद्यार्थियों के मानस में बड़ा फर्क पड़ता है और शिक्षा के प्रति उनके मन में कोई विश्वास और श्रद्धा नहीं होती है । जो आप शिक्षा दे रहे हैं उसी के लिए आप कहना चाहते हैं कि यह उचित नहीं है तो फिर क्यों विश्वविद्यालयों में भरती कर रहे हैं । एक तरफ तो कहते जा रहे हैं कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है तो इतने वर्षों तक कहने के बावजूद कुछ नहीं कर रहे हैं । 1947 से लेकर 1971 तक, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के किसी भी बुद्धिवादी व्यक्ति ने, हिन्दुस्तान के किसी भी उच्च नेता ने, हिन्दुस्तान के किसी भी प्रशासक ने हिन्दुस्तान की शिक्षा-प्रणाली की तारीफ नहीं की, और जिस शिक्षा-प्रणाली की तारीफ नहीं की....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं आजकल रोज तारीफ करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री बने जिसमे ।

Page No 187

(श्री भैरोंसिंह)

प्रधान मंत्री नहीं कर रही हैं । आपने कब से शुरू की यह मुझे पता नहीं ।

मगर आप देखेंगे कि शिक्षा-प्रणाली के बारे में असन्तोष प्रकट करने से भविष्य में दिक्कत रहेगी । इस प्रकार के प्रचार को मैं सही नहीं मानता हूं । मैं मानता हूं कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है । मैं मानता हूं कि शिक्षा उचित नहीं मिल रही है । आज जिस प्रकार के लोग शिक्षा के माध्यम से पैदा करना चाहते हैं उस प्रकार का प्रोडक्शन नहीं आ रहा है । मैं राज्य सरकार से निवेदन यह करना चाहूंगा कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाय और जब तक दूर न हो तो शिक्षा जो कुछ आप इस समय दे रहे हैं उस पर इस प्रकार की चर्चा नहीं की जानी चाहिये कि लोगों के मानस-पटल के ऊपर उस शिक्षा के बारे में अविश्वास पैदा हो जाय । इस अविश्वास का निर्माण हमने किया है । इसीलिए विद्यार्थी कहते हैं कि पढाई वगैरह की आवश्यकता नहीं है, पास होने की आवश्यकता है । पास किस प्रकार से होते हैं इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कहना नहीं चाहता पर कई विद्यार्थियों से मेरा निकट का सम्पर्क है, एक-दो से जो कि मेरे परिवार में नहीं हैं, लेकिन वे पढते नहीं हैं । हमेशा मोटर साईकल पर इस बात के लिए चक्कर लगाते हैं कि अबके कौन एक्जामिनर है····

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके परिवार में नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : दामोदरजी के परिवार में आप जैसे हैं तो मेरे परिवार में भी मिल जायेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका कॉन्टैक्ट ऐसे ही लोगों से है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है । मैंने तो मजाक में कहा है । मैंने कहा कि पढते क्यों नहीं हो । कहते हैं कि क्या करना है कौन जाय कॉलेज । हमें पता लग गया है कि एक्जामिनर कौन है । फिर क्या करोगे ? क्या करेंगे नीरोज में बैठेंगे । नीरोज में एक्जामिनर के साथ कई दिनों तक बैठेंगे और बैठ कर पास हो जायेंगे । मैंने मजाक में कहा कि हाजरी की व्यवस्था कर सकते हो कि नहीं ? कहा कि हां कर सकते हैं । मैंने कहा कि गांव पर खेती हो रही है 15 दिन के लिए चले जाओ और वापिस आकर हाजरी करा लेना ।

जब स्टूडेन्ट्स के मानस पर यह बैठ गया कि आवश्यकता इस बात की नहीं है कि पढ़ाई हो या न हो, केवल पास होना है, और पास इसलिए होना है कि अमुक प्रकार की नौकरी के लिए इस प्रकार की योग्यता निर्धारित है और वह योग्यता हमें प्राप्त करना है । ऐसी हालत पर दया आती है । मैंने कई बार कहा है कि उन्हें पत्र लिखना तक नहीं आता है । अभी अभी की एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं । आज सुबह सुबह ही एक आदमी मेरे से दस्तखत कराने आया कि कॉपी पर दस्तखत कर दें । मैंने कहा कि ट्रू कॉपी लिख कर लाओ । वह कागज अभी भी मेरे पास है । उसने पूछा कि क्या लिखूं मैंने

(श्री भैरोंसिंह)

कहा कि ट्रू कॉपी लिखो तो उसने "TRU COPI"

श्री विजयसिंह : अमेरिकन स्पेलिंग है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ पढाई का पता लग गया। अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन ही ऐसी बातें लिखा करता है, आज प्रत्यक्ष देख लिया कि कॉपी जैसी बात भी सही नहीं लिख सकतें। उसने कहा कि गलती हो गई। मैंने कहा कि गलती हो गई तो दुरुस्त कर दो। "COPE" कर दिया। ऐसी स्थिति है कि आज के शिक्षा के स्तर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान की सरकार, राजस्थान की सरकार या कोई भी शिक्षा शास्त्री एक बार बैठ कर शिक्षा के बारे में सोचे कि इस प्रकार की शिक्षा जिसमें विश्वास पैदा हो वह किस प्रकार से दी जा सकती है, इसका चिन्तन करें।

इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। वह कानून के अन्तर्गत राजस्थान सरकार लेना चाहती है। इसके अतिरिक्त पढ़ाने वालों की जिम्मेदारी और पढ़ने वालों की जिम्मेदारी कितनी होगी इसके लिए राज्य सरकार निर्धारित करे। मैं राज्य सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यार्थी वर्ग को असन्तोष, आज के अवसर पर जबकि पाकिस्तान अपनी सेनायें लेकर हमारी सीमा पर खड़ा है। जोधपुर में जो विद्यार्थी हैं, उनमें संघर्ष की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। 15 तारीख को विश्वविद्यालय खुलेगा लेकिन जिनका रिस्टीकेशन हो गया है, जब तक वे विद्यार्थी नहीं लिये जायेंगे, जब तक वह युनिवर्सिटी खुलेगी नहीं। मैं मिला नहीं हूं लेकिन मैं समझता हूं। मैं राज्य सरकार की जो स्थिति है, विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को, सदस्य ही नहीं, यह हाउस राज्य सरकार को निर्देश देता है कि युनिवर्सिटी खोली जाये। जो गलत प्रकार की व्यवस्था हुई है, उसकी जांच की जाये। जब तक राज्य सरकार यह फैसला नहीं करती है, तब तक विश्वविद्यालय में शान्ति होने वाली नहीं है। राज्य सरकार को इस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। इस विधान सभा के द्वारा मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के अन्तर्गत उसको जो अधिकार मिले हैं कि वह व्यवस्था करे, समाधान करे, इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री जी।

शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : माननीय उपाध्यक्षजी, सबसे पहले मैं विधान सभा के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने युनिवर्सिटी को उपयोगी सुझाव दिये हैं। शायद यह पहला मौका है, जबकि किसी एक विषय पर, सदन के एक खास विषय पर सभी पक्षों की एक राय हो। मैं दो तीन दिन से युनिवर्सिटी शिक्षा के बारे में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। मैं इस बात के लिए माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हे, उसमें जो बातें कही गई हैं, शिक्षा के बारे में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वह माननीय सदस्यों ने यहां कही हैं। एक भी पक्ष ऐसा नहीं था जिसको कि उन्होंने छोड़ा हो।

यह अफसोस की बात है कि पिछले वर्षों में हमारी युनिवर्सिटीज के ऊपर इस सदन में चर्चा नहीं हुई। चाहे मैं इस पद पर रहूं या न रहूं, मैं हमेशा इस बात का हामी रहूंगा, यदि हम युनिवर्सिटी में सुधार लाना चाहते हैं तो साल में कम से कम एक बार युनिवर्सिटीज के बारे में अवश्य ही चर्चा होनी चाहिए।

(हर्षध्वनि)

इस प्रकार की खराबियां, अनियमितताएं, विश्वविद्यालयों में आ जाती हैं। हम इस बात को कह कर इससे बरी नहीं होना चाहते हैं कि युनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस बॉडी है। और, उनमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। युनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस बाडी जरूर हैं। लेकिन उनकी एक सीमित दायरे में ऑटोनॉमी है। इस प्रदेश की शिक्षा का जो अधिकार है, वह इस सभा में नीहित है। और, यही सभा युनिवर्सिटी को चलान के लिए धन का प्रबन्ध करती है। कानून की दृष्टि से और संविधान की दृष्टि से युनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी नहीं है। और, न हम उनको राज्य के अन्दर छोटा राज्य कह कर चल सकते हैं। यह तो इस सभा ने शिक्षा और नैतिक आधारों को लेकर ऑटोनॉमी विश्वविद्यालयों को दे रखी है ताकि विश्वविद्यालय जो आज की राजनीति की आंधी आदि है, उससे वंचित रह सके। लेकिन विश्वविद्यालय और इस सभा और सरकार के बीच कोई पर्दा नहीं है। एक पर्दा जरूर है। एक विषय विधान सभा में आया। मैं चाहूंगा, विश्वविद्यालय के सभी व्यवस्थापकों और प्राध्यापक लोगों से कि विद्यार्थियों को पढ़ायें और उनको समझायें। अगर वह आज की जो परिस्थितियां हैं, उनसे हट करके मनमाने तरीके से काम करना चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका यह विधान सभा, यह राज्य सरकार कभी बरदाश्त नहीं करेगी। जहां तक जोधपुर विश्वविद्यालय का प्रश्न है, वह बातें छोड़ दी जायें जो ज्यादा आवेश में कही गई हैं। जो कुछ तो बहुत ही जोर शोर से कही गई हैं। लेकिन जो मूल भावना है माननीय सदस्यों की, उसको युनिवर्सिटी प्रशासन को समझ लेना चाहिए और तुरन्त से तुरन्त विश्वविद्यालय को वापिस खोलने का इन्तजाम करना चाहिए। मुझे यह सूचना मिली है कि 15 तारीख से विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। लेकिन विद्यार्थियों की जो समस्या है, विद्यार्थियों की जो मांगें हैं, जो विवाद के मुद्दे हैं, उनका हल किये बगैर विश्वविद्यालय खोलना मैं समझता हूं कि कोई माने नहीं रखता है। इसलिए समझदार को इशारा काफी होता है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। म समझता हूं कि ऑटोनॉमी आपने दी हुई है, ताकि राजनीति से बच सके। लेकिन अगर युनिवर्सिटी खराब हो जाये, उनके विश्वविद्यालयों की पढाई दो महीने तक बन्द रहे तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और इस सभा को अधिकार है कि वह

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चाहे तो ऑर्डिनेन्स के रूप में व्यवस्था कर सकती है । और करेगी अगर आवश्यकता हुई तो । इस बात को मैं, जहां तक जोधपुर युनिवर्सिटी का प्रश्न है, यहीं पर छोड़ देना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे अधिक मुझे इस अवसर पर कहने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज के विश्वविद्यालय है, वह आज से तीस वर्ष पहले जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वैसे नहीं हैं । आज जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियां हैं उनसे अलग हट कर विश्वविद्यालय नहीं चलाये जा सकते । पुराने जमाने में विद्यार्थी एक मूक व्यक्ति की तरह रहता था और जो कुछ उसे सिखाया जाता था वह उसे सीख लेता था, और जो कुछ भी उससे कहा जाता था वह कर लेता था । लेकिन आज का विद्यार्थी कई समस्याओं के कारण खुद भी काफी पीड़ित है, बेरोजगारी है, उसके बाद राजनीति के कारण तरह तरह के वातावरण भी चलते हैं, दूसरी जगह हड़ताल होती है – इन सबका असर विद्यार्थियों पर पड़े बिना नहीं रहता है । इसलिये आज का विद्यार्थी है, वह आज से तीस वर्ष के विद्यार्थी जैसा है ऐसा मान कर नहीं चलना चाहिए……

श्री विजयसिंह : आप जैसा नहीं है, जैसे आप तीस वर्ष पहले थे ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमारे सामने सवाल उठाया गया, विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के प्रशासन के अन्दर हिस्सा देना चाहिए । मैं समझता हूं कि यह समय के अनुसार मांग है । विश्वविद्यालय में चाहे प्रशासन हो और चाहे उसको ऐकेडेमिक साइड हो – उस सब में विद्यार्थियों का हिस्सा होना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं, दो कमेटी – श्री मेहता कमेटी और श्री गजेन्द्र गड़कर कमेटी की रिपोर्ट हमें अभी दो तीन महीने में प्राप्त हुई है । हम इन पर विचार करके इसके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे ।

जहां तक युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में यह बात आई कोर्सेज की । पाठ्यक्रम के बारे में मैं नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं, हम इस बात को कह कर नहीं बच सकते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है, इसलिए जितने बुरे परिणाम हो रहे हैं उनका कारण वही है । कुछ मायनों में पाठ्यक्रम अव्यवहारिक जरूर है, लेकिन पाठ्यक्रम के अन्दर बुनियादी खराबी हो ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि इस बारे में हमारे देश के अन्दर तीन चार तरह के कमीशन और कमेटी अपॉइन्ट की गई थीं लेकिन आखिर में हमने देखा कि उन सबकी सिफारिशों के लागू करने के बावजूद भी परिणाम के अन्दर कोई फर्क नहीं आया । इसका मूल कारण यह है कि हमारी जो मनोवृत्ति है, विद्यार्थी की और समाज की – वह पुरानी मनोवृत्ति है। पढ़ने के पीछे हमेशा यह समझा जाता है कि पढ़ लिख कर विद्यार्थी किसी नौकरी में जाय । नौकरी में जाय–इसका मतलब है, हाथ से काम नहीं करेगा । गांवों के मजदूरों के लड़के, काश्तकारों के लड़के, जो सभी काम करते हैं अपनी उम्र में, उसके बाद उन्हें स्कूल में भेजते हैं तो उसके घर वाले समझते हैं कि जो बच्चा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पढ़ रहा है, इससे घर का काम नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि आगे चल कर यह ऑफिसर होने वाला है। यह मनोवृत्ति है, यह सबसे बड़ी दुश्मन है, आज के जमाने में इसका दोष है– इसको मोड़ें। मेरे सामने कई विद्यार्थी इस तरह के आते हैं जिनके घर में दो सौ बीघा जमीन है, सिंचाई के साधन हैं, उनके पास ट्रैक्टर हैं, खेती में इंजिनियरिंग पढ़ी है, बी.एस.सी. ए. जी. पास हैं वह कहते हैं, हम नौकरी चाहते हैं, जबकि वह जानते हैं नौकरी में, डेढ़ सौ, ढाई सौ, तीन सौ मिलते हैं और उसके अन्दर......

श्री रामानन्द अग्रवाल: ऊपर की आमदनी काफी होगी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: हम पूछते हैं, नौकरी में क्यों जाना चाहते हो, खेती क्यों नहीं करना चाहते हैं तो कहते हैं, गांव में खेती करेंगे तो गांव वाले कहेंगे कि पढ़ कर, लिख कर खेती करता है...

श्री भरोंसिंह: यह बात सही है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: वह पैसा घर से मंगाते हैं क्योंकि नौकरी में जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें काम नहीं चलता है....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: ऊपर से आमदनी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर से पैसा मंगा कर नौकरी करते हैं। तो समाज की धारणा है, मनोवृत्ति है– इसको बदलना पड़ेगा। यह दुर्भाग्य की बात है, संसार के सभी देशों के अन्दर काम करने वाले की जब इज्जत होती है, वहां प्राचीन समय से हमारी परम्परा ऐसी रही है कि बड़े आदमी काम को हाथ नहीं लगाते हैं। गांवों में उस आदमी को भाग्यवान कहा जाता है जिसके लिए यह कह सकते हैं कि इसने अपनी उम्र में हल को हाथ नहीं लगाया है....

श्री रामानन्द अग्रवाल: निकम्मे लोग हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: अपने गांवों में जो किसी ओहदे पर है, सरपंच है, वार्ड पंच है, अच्छा इंजिनियर है या किसी की छोटी मोटी नौकरी है उसके पास पांच-दस बीघा खेती जमीन भी होती है तो खेतिहर मजदूर एंगेज करके काश्त कराता है, खुद हल के हाथ नहीं लगाता। दरअसल यह मनोवृत्ति है, यह सबसे बड़ी दुश्मन है, इस मनोवृत्ति को बदलना चाहिए। यह लोगों के अन्दर ख्याल पैदा करनी चाहिए कि काम करना है वह अच्छी चीज है, सभी काम हैं वह बराबर हैं। यह बिलकुल सही है जो दूसरे की कमाई खाते हैं और हाथ की कमाई नहीं खाते हैं, मैं जानता हूं कई परिवारों को गांवों में, जिनके पच्चीस-पच्चीस साल के बच्चे हैं चार चार अटेम्प्ट में उन्होंने दसवीं या बारहवीं की परीक्षा पास की है लेकिन साठ-सत्तर वर्ष का बूढ़ा बाप खेती में काम करता है और वह धूप में सोते रहते हैं। पाठ्यक्रम इतना खराब नहीं है जो ऐसी मनोवृत्ति पैदा करे। इस मनोवृत्ति से इस देश को लड़ना पड़ेगा। वैसे पाठ्यक्रम के अव्यवहारिक होने के प्रश्न को

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

मैं मानता हूं। कई मायनों में हमारा पाठ्यक्रम अव्यवहारिक है। आज विश्वविद्यालयों पर करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं लेकिन चाहे शोध का कार्य हो, चाहे और कार्य हो, विषय इस तरह का लेते हैं जिससे हमारे राजस्थान का इतना सम्बन्ध नहीं होता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, उसके प्रश्न को छोड़ दीजिये। जहां तक किसी क्षेत्र के विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के लिए यह लाजिमी होना चाहिए कि जो क्षेत्रीय समस्या है उसके ऊपर शोध करवायें, उसके ऊपर विद्यार्थियों का ज्यादा ध्यान आकर्षित करें और पाठ्यक्रम इस तरह बनायें जिसके अन्दर वहां की समस्या सामने आ सके, और उन समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से क्या हल हो, इस पर विद्यार्थियों का ध्यान जा सके। हमारे यहां पर खनिज पदार्थ कौन से होते हैं, हमारे यहां घास कैसी होती है, हमारे यहां पर पशुधन कैसा होता है, हमारे यहां पर खेती कैसे होती है, सिंचाई कौनसे तरीके से होनी चाहिए क्योंकि बंगाल में सिंचाई का तरीका और हो सकता है, पंजाब में सिंचाई का तरीका और हो सकता है, जैसलमेर में और हो सकता है, कोटा में और हो सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज और इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऐसे जितने डिपार्टमेंट्स हैं इन समस्याओं पर तो अपना दिमाग लगाते नहीं हैं। ऐसे विषय लेकर आते हैं जो यूरोप में काम में आते हैं या बड़े बड़े कारखानों में काम आते हैं, तो मैं समझता हूं यह पैसे की बरबादी होती है और जो इन्टेलेक्चुअल्स हैं वह ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं जिस पर काम करने वाले हजारों लाखों लोग हैं। जो साइन्स के बेसिक प्रिन्सिपल्स हैं, फण्डामेंटल विषय हैं। मैं जानता हूं, ऑक्सफोर्ड में भी वही पढ़ाये जाते हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय में भी वही, जैसे फिजिक्स, केमेस्ट्री मैथमेटिक्स इनमें कोई भेद नहीं होता है। लेकिन इतिहास है, अर्थशास्त्र है और ज्योग्राफी का सवाल है, हमारी युनिवर्सिटी को चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, इन पर ज्यादा जोर दे। हम हिस्ट्री के अन्दर स्थानीय विषयों को लेने के बजाय आसाम के विषय लें, महाराष्ट्र के विषय लें—मैं समझता हूं उसका इतना उपयोग नहीं है। हमारे यहां की अलग बोली है, हमारी अलग भाषा है, अलग रहन-सहन है, अलग संस्कृति है, अलग गीत हैं, अलग साहित्य है, अलग नाच है, अलग पहनने के कपड़े हैं, अलग रीति-रिवाज है—इन पर अपना दिल-दिमाग लगायें नहीं और दूसरी बातों पर लगायें तो मैं समझता हूं सही मायने में अपने क्षेत्र की सेवा नहीं कर रहे हैं। ज्योग्राफी में कई दफा ऐसा होता है, हमारे यहां की नदियों, पहाड़ों, जंगलों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। गोबी डेजर्ट, कांगो, एवरेस्ट के बारे में काफी कुछ जानते हैं। यह पक्ष है यह अव्यवहारिक है। इसको ज्यादा व्यवहारिक बनाना चाहिए। भैरोंसिंह जी ने एक बात कही, सीखो और कमाओ योजना के बारे में। यह अपने आप में बड़ी योजना नहीं है। यह आशा लेकर नहीं चलते हैं कि इस योजना के लागू होते ही लोगों का मानस परिवर्तित हो जायेगा। यह बात है कि हाथ से काम करते हैं उससे सेंस ऑफ

Page No 193

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

अचीवमेंट होता है, मेहनत की आदत होती है और दिमाग उस हिसाब से बनते हैं। इसलिए यह प्रयोग किया है। मैं शिक्षा मंत्री जब से बना हूं आपने शिक्षा विभाग के निकले सरक्यूलर देखे होंगे। मैंने इस बात पर जोर दिया है कि गांवों में विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आठ पीरियड हैं तो आठ पीरियड में ही पढ़ाई हो, एक पीरियड में स्कूल के मकान का निर्माण करें, खेती के मैदान को अच्छा करें, वहां बगीचा लगायें, पेड़-पौधे लगायें। यह नहीं तो गांव में आस-पास ले जाकर खेती का काम ही कराया जाय। तो इस तरह से अगर कार्य शुरू से ही स्कूल में कराये जाते हैं तो बच्चों में काम करने की भावना बढ़ती है। और आगे जाकर वह अपनी जिन्दगी में खाने कमाने के काबिल हो जाय। आज हमारे यहां लोग टैक्नीकल पढ़ाई करते हैं इन्जीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, मेकेनिकल, इलेक्ट्रीकल इन्जीनियर्स बनते हैं आज हजारों की तादाद में इन्हीं के अलावा आपको एल० एल० बी० पास मिलेंगे इन सभी लोगों को अपनी पढ़ाई खतम करने के बाद एक चीज दिखायी देती है क अब हमारी पढ़ाई तो खतम हो गयी है और अब हम नौकरी करेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि इन लोगों में ऐसी भावना नहीं है कि हम अपनी खुद की कोई फेक्ट्री लगा लेंगे, या अपना खुद का धन्धा खोल लेने की कोई योजना बनाकर अपनी आजीविका पूरा कर लेंगे। आज स्थिति इन इन्जीनियर्स की यह है कि ये नौजवान ऐसे हैं कि अगर कोई इन्जीनियर है तो वह चाहे नक्शे बना लेंगे पर मकान इनडिपेन्डेन्ट खड़ा नहीं कर सकेंगे। तो इन्हें आज ऐसी जगह पर काम करना चाहिये ताकि वे अपनी शिक्षा का फायदा उठा सकें। इस प्रकार से डॉक्टर्स लोग जो हैं भी अगर नौकरी करने की प्रवृत्ति छोड़ दें और अपना खुद की नीजि प्रेक्टिस करने लगे तो काफी समस्याओं का हल निकल सकता है। मकान बनाने का जो मैंने कहा है उससे मेरा मतलब यह नहीं है कि महल बनाया जाय पर अगर कोई छोट कन्स्ट्रक्शन्स भी करता है तो ठीक है। वह अपना काम तो चला ले। इस प्रकार उनमें एक स्वावलम्बी होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे मेरा मतलब यह है कि सस्ते भी बनेंगे। एक बात माननीय सदस्यों ने कहा ने यह कहा कि आज जो यहां पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें सुधार होना चाहिये। आज जितना पाठ्यक्रम को क्रिटिसाइज किया जाता है मेरे ख्याल में ऐसा बुरा पाठ्यक्रम तो नहीं है कि उसमें आमूल चूल परिवर्तन ही किया जाय। आज पाठ्यक्रम इतने वर्षों से चल रहें और ऐसी कोई हानिदायक विशेष बात नहीं है। आज जो लोग कहते हे कि पहले से शिक्षा का स्टेण्डर्ड गिरा हुआ है और पहले के विद्यार्थी जो थे वे आज के विद्यार्थी से ज्यादा होशियार थे तो मेरा निवेदन इसमें यह है कि आप चाहे देख लीजिये मैं आपको दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि आज आप अभी के हायर सेकेन्डरी क्लास का फर्स्ट स्टूडेन्ट ले लीजिये और पहले का चाहे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट स्टूडेन्ट ले लीजिये वह लड़का जो अभी का फर्स्ट क्लास है वह उससे टॉप क्लास निकलेगा। क्योंकि पहले जो विषय

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

पढ़ाये जाते थे उनमें दूसरी नॉलेज की बातें नहीं थीं आज का लड़का जो है उससे नॉलेज मे बहुत, आगे निकलेगा। जो उस फर्स्ट क्लास. फर्स्ट लड़के को जानकारी नहीं होगी वह जानकारी आज आपके इस फर्स्ट क्लास लड़के को होगी। एक बात मैं आपको और यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज जो यह कहीं जाता है कि पाठ्यक्रम का स्टेण्डर्ड नीचा है वह तो जो मैंने आपको उदाहरण दिया है कि जो आज लड़कों को जानकारी है वह पहले वाले टाप क्लास लड़के तक को नहीं थी। दूसरी बात यह है कि आज लोगों में यह आमतौर से धारणा बन गयी है कि प्रशासन में खूब भ्रष्टाचार है और नियुक्तियों मे काफी अनियमिततायें होती हैं और पक्षपात होता है तो उसका भी बच्चों पर बुरा असर पड़ना स्वभाविक है कि जब नौकरी में सिफारिश की ही जरूरत रहती है तो फिर हम पढ़ाई ज्यादा क्यों करें और वह अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को तो सेकन्डरी स्टेज पर समझता है, और सिफारिश ढूंढने की प्रवृत्ति में लगा रहता है। और फिर जब लड़का अप टू दी मार्क नहीं होता है तो फिर लोग पाठ्यक्रम की बुराइयों को बताना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही मानकर चले कि आज जो पाठ्यक्रम ही खराब है वह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जहां तक विश्वविद्यालय के प्रशासन का सवाल है हमको इस पॉइन्ट पर ह्युमेनिटेरियन आउटलुक रखना चाहिय। और विद्यार्थी लोगो को चाहे वे कालेज के हों चाहे वे युनिवर्सिटीज के हों अपनी ऑथोरिटीज का ख्याल रखना चाहिये। सेन्स ऑफ डिसीप्लिन होना चाहिय और मेरा ख्याल ऐसा है कि कॉलेज के छात्रों और ऑथोरिटीज के बीच निकट सम्पर्क होना चाहिये। और आज हम सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय में ऐसी सुविधायें उपलब्ध तो हैं पर कम हैं। आज भारतवर्ष आजाद होने के बाद शिक्षा में प्रसार हुआ है गांवों में जहां पहले दूर तक स्कूलें नहीं थीं अब हाई स्कूलें तक खुल गयी हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षित लोग हों। हम देश का नव-निर्माण करना चाहते हैं। हमको देश में बौद्धिक, नैतिक और चारित्रिक परिवर्तन लाना है ताकि हमारा देश सुखी-समृद्धि हो आज आप अगर हर विश्वविद्यालय के कार्य मे बाधा डालने की कोशिश करते है तो फिर आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें कठिनाइयां ज्यादा होंगी। मैं यह सही समझता हूं कि कुछ न कुछ संशोधन विश्वविद्यालय के एक्ट में होना चाहिये। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि तीनों विश्वविद्यालय की रिपोर्ट्स तैयार हैं। मेहता कमेटी और गजेन्द्रगडकर कमेटी की रिपोर्ट्स जो हैं उनकी सिफारिशें हमारे पास आगयी हैं और हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि इन तीनों विश्वविद्यालय युनिवर्सिटीज में उन्हे केसे लागू किया जाय। इनम एसा सुझाव है कि विद्यार्थी और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और टीचर्स में समन्वय हो तीनों को मिल जुल कर अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। आज जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में जो इतना बड़ा रूप

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दिया है वह ऐसी बात नहीं है मैं निवेदन कर दूं कि इस अप्रिय घटना के पीछे कुछ शरारती लड़कों का हाथ है। बच्चों की प्रवृत्ति ऐसी होती है। आपको एक उदाहरण दूं कि जब से मुझे शिक्षा मंत्री का पद मिला है तबसे मुझे कई बार विद्यार्थियों से मिलने का मौका मिला है। कुछ विद्यार्थी मेरे पास आये दो लाख रुपये के प्रस्ताव लेकर अपने डेवलपमेन्ट कार्यों के लिये मैंने उन्हें समझा बुझा कर दो हजार रुपये के प्रस्ताव मंजूर करदी तो यह बात तो विद्यार्थियों को किस तरह से टैकल किया जाय उससे कई समस्याएं तो उनकी हल हो सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने अपनी मीठी बातचीत से उन्हें राजी करके भेज दिया होगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तो विद्यार्थियों को जितना बुरा कहें वह बात नहीं है वे उतने बुरे नहीं हैं। वे बच्चे हैं और उनमें दिमाग की शक्ति होती है पर वे उसको सोचते नहीं हैं और जब वे दिमाग में जिद्द रखकर उतर जाते हैं और अड़जाते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और इन हरकतों के पीछे स्वार्थी तत्वों का हाथ होता है जो कि कुछ शरारती लड़कों द्वारा करायी जाती है जैसा कि अभी जोधपुर में हुआ। ये तो बच्चों को अगर डील करने की बात पर है अगर आप उन्हें अच्छी तरह डील कर लेते हैं तो ऐसी घटनायें नहीं घटेंगी। एक और मैं जो बात निवेदन करना चाहता हूं वह डीलिंग के बारे में प्रश्न यह है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो पुलिस और बच्चों में बदले की भावना नहीं हो इसके लिये ध्यान रखना जरूरी है। मेरा इसमें यह दृष्टिकोण है कि बच्चों को ऐसे मौके पर पुलिस किस प्रकार डील करे ऐसी ट्रेनिंग पुलिस को दी जानी चाहिए। इसका एक विशेष प्रशिक्षण पुलिस को दिया जाना चाहिए। होता यह है कि पुलिस और बच्चे दोनों ही आवेश में आ जाते हैं और इसके लिए फिर लाठी चार्ज वाली परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो मेरा निवेदन यह है कि पुलिस को यह भी प्रशिक्षण देना चाहिये कि बच्चों की भीड़ को किस प्रकार तितर बितर किया जाये। जोधपुर में जो घटनायें हुई उसके बारे में मेरे और वाइस चान्सलर के बीच कारसपोन्डेन्स हुई उसको मैंने ध्यान से पढ़ा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाये तो सब ही ठीक हो सकता है आज हमारे और आपके सभी के बच्चे हैं और अगर उनमें कोई खराब प्रवृत्ति हो हमें उन्हें रोकना चाहिए और मेरा दृष्टिकोण तो इस बारे में यह होना चाहिए कि बच्चों को अपने विश्वविद्यालय अथोरिटीज को माता पिता की तरह ट्रीट करना चाहिए और विश्वविद्यालय की अथोरिटीज को उन्हें अपने की तरह समझना चाहिए। मैं आपको निवेदन कर दूं कि जब से मैंने शिक्षा मन्त्री का पद सम्भाला है तबसे इस बारे में मैंने बड़े बड़े सरक्यूलर्स भेजे हैं जोधपुर विश्वविद्यालय अथोरिटीज को सरक्यूलर्स भेज रखे हैं उनमें काफी सुझाव दिये हैं दूसरे मैं आप सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करदूं कि आप इस बारे में जनता को यह खबर पहुंचा दें। अखबारों में प्रचार कराया जाना चाहिये ताकि जनता को इसका पता लगे क्योंकि यह तो बात ऐसी है कि—

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

कस्तूरी मृग शीसबसत है
और मृग ढूंढ़त जग मांही।

ये तो बच्चों की और विश्वविद्यालय का मामला है इसम इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर सोचने का मामला नहीं है ये तो बच्चों और उनके टिचर्स में आपस में झगड़े हैं उनमें कोई खास झगड़े की बात नहीं है क्योंकि जो कुछ मांग हैं वे भी ठीक प्रकार से बातचीत करने से सुलझाया जा सकता है। क्योंकि ये तो तीन वीसी साठ का झगड़ा है कोई खास बात नहीं है और मेरा तो सुझाव यह है कि इससे दूसरे विश्वविद्यालयों को सबक लेना चाहिये।

तो मैं समझता हूं कि इससे विश्वविद्यालयों को भी सबक लेना चाहिये कि नयी पीढ़ी के प्रति प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर ह्यूमेनिटेरियन आउट लुक को भूल जाय, यह भूल जायं कि नादान बच्चे हैं, लोगों के प्रभाव में काम कर सकते हैं और दूसरा पक्ष मान कर चलें यह मनोवृत्ति है वह कतई तौर पर उचित नहीं है।

उसके बाद में कुछ सवाल उठाये गये थे कि उदयपुर विश्व-विद्यालय में उप-कुलपतिजी को स्तीफा देने के बाद में नयी पदोन्नतियां करनी चाहिये या नहीं ?

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : कर लीं साहब।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कर ली तो आगे क्या किया जा सकता है ?

श्री रोशनलाल । त्यागपत्र के बाद में कैसे कर सकते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगली 15 तारीख की मिटिंग में और उसके बाद में नयी नियुक्तियां और पदोन्नतियां न हों उस प्रकार का एक कान्टीजेन्स वाइस चान्सलर, उदयपुर को भेज रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : स्टेचूट के खिलाफ कार्य किया है उसके लिये राज्य सरकार को जांच करनी चाहिये। प्रमोशन्स हुए हैं उनकी इन्क्वायरी करवाना चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप जानते हैं कि उदयपुर विश्व विद्यालय के बारें में इन्क्वायरी कमेटी बनी थी जो वाइस चान्सलर महोदय ने खुद ने नियुक्त की थी और भैरोंसिहजी ने फरमाया कि सरकार क्यों चुप बैठ गयी। जिस महीने में कमेटी का गठन कर दिया गया।...

श्री गुलाबसिंह : चान्सलर न वह बनायी। गवर्नमेन्ट को रिप्रजेन्टेशन दिया उसकी क्या कार्यवाही की ?

श्री भैरोंसिंह : वाइस चान्सलर महोदय न एक पेम्फलेट इश्यु करवाया और उसम उनके खिलाफ शिकायत कर रहे थे उसमें उन बातों का उल्लेख किया। पेम्फलेट लिखने वाले ने मना कर दिया उस पर जांच कमेटी बनाई थी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उदयपुर टीचर्स की ओर से मेमोरेन्डम सबमिट किया गया, राज्यपाल महोदय का 3 दिसम्बर 69 का है। उसके बाद द्वारा एक नोट प्रस्तुत किया गया शिक्षा मंत्रीजी द्वारा 22-5-71 को और उसके बाद में

Page No 197

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चान्सलर महोदय ने वाइस-चान्सलर को एक पत्र लिखा कि इन बातों की जांच होनी चाहिये उस पर वाइस-चान्सलर ने एक कमेटी गठित की और उसकी रिपोर्ट हमारे पास आयी।

श्री भेरोंसिंह : एक्ट के मातहत धारायें हैं उनको भी इनवोक नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : under the Act, the Chancellor has a right to constitute an enquiry and not the V. C.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एडवाइस किया। यह तरीका ज्यादा ठीक समझा।

श्री भेरोंसिंह : वह पेम्फलेट टीचर्स एसोसियेशन के नाम से दिया जिसके दस्तखत उसने डिस्ओन किये। जिसकी इन्कवायरी कराना चाहते हैं इन प्रश्नों के माने में कोई जानकारी नहीं। वाइस-चान्सलर समझते थे कि मेरी शिकायत कर रहे थे उनको एन्टेंगल किया जा सकता है उसमें उनका एप्रोच सफल हुआ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं लेकिन इसमें जो तथ्य टीचर्स मेमोरेण्डम में थे वे सब इस इन्क्वायरी में आ गये थे।

श्री रोशनलाल शर्मा : नहीं आये। जैसा भेरोंसिंहजी ने कहा पेम्फलेट पर हस्ताक्षर थे उससे इनकार हो गये। हमारा तो निवेदन यह है कि विधान इसका बना हुआ है नियम सके हैं। तो जब एक बार त्याग पत्र दे दिया तो फिर उसको अधिकार नहीं रहता। अब उन अधिकारों का उपयोग करते हैं तो आप जांच क्यों नहीं करते।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसके बारे में नाम निवेदन करना चाहता हूं। सोच विचार कर वापिस गहराई से इस मामले को देखें तो मामला साफ लगता है। फिर आवश्यक होगा तो कानून के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भेरोंसिंह : ठीक है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एग्जामिनेशन सेण्टर के बारे में प्रश्न उठाया गया था। हमने यूनिवर्सिटी को लिख दिया है कि उस पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे और केन्द्र रखा जावेगा, मैं ऐसा समझता हूं।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जोधपुर विश्व-विद्यालय के मामले में इस एक्ट के अन्तर्गत जल्दी से कार्यवाही क्यों नहीं की गई। बात यह है कि नियुक्तियों और कुछ आर्थिक अनियमितताओं सम्बन्धी मामूली अनियमितता अगर होती है तो उस पर एक्शन लेना उचित नहीं होगा, आप ही कह देते कि छोटी मोटी बातों पर क्या एक्शन ले रहे हो, तिल का ताड़ बना रहे हो। अब बहुत ज्यादा सीरियस नेचर की अनियमितता या अधिक व्यापक अनियमितताएं हों तो इसका उपयोग करना अच्छा रहता है। नहीं तो एक दिन, दो दिन या पांच सात दिन की हड़ताल हो जावे तो अच्छा नहीं रहता एक्शन लेना। पर अब तो मामला बहुत बढ़ गया है।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

शुरु में ही जांच कर देते तो हो सकता है उससे गलत तत्वों को प्रोत्साहन मिलता और हड़ताल जो दो दिन चलकर समाप्त होने वाली होती तो लम्बी खिच जाती। अधिकारों को स्पेरिंगली यदा कदा ही यूज करना चाहिये। अब जब उसकी राय आ गई तो इसमें भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। जो उपयुक्त होगा वह सब करेगी।

एक माननीय सदस्य : इतरा बरस सिद पधार गया हो आप।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्टूडेन्ट्स यूनियन पर हमला किया गया इसके बारे में भी सोच विचार कर विश्वविद्यालयों में क्या होता है इसके बारे में विचार करूंगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जज साहब को क्यों तकलीफ दे रहे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक्ट के अमेण्डमेन्ट के बारे में निवेदन कर ही दिया। सब बातें एक प्रकार से आ गई हैं।

एक माननीय सदस्य श्री गुलाबसिंहजी ने कहा कि कुछ गबन और घोटाले के मामले हैं तो उसमें एफ० आई० आर० लांच कर दी गई है। केस का इन्वेस्टिगेशन हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : एक बात तो करिये कि जिस आदमी पर 420 का मुकदमा चल रहा हो, और कई संगीन आरोप लगे हुए हों उसको आप सिंडीकेट का मेम्बर क्यों बनाए हुए हो। उसके चरित्र का क्या असर पड़ेगा इन विद्यार्थियों पर? वह लड़कों के भले की क्या बात सोच सकेगा?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तो मैं माननीय सदस्यों को आखिर में उनके सहयोग के लिये धन्यवाद दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार दि० 15-11-71 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर विधान सभा की कार्यवाही रात्रि के 9.10 बजे दि० 15-11-71 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई]

———

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 76 की सूची)

क्रमांक	नाम	विश्वविद्यालय जिस से पास किया	प्रतिशत एम०एससी०	ग्रेडेशन प्रतिशत	निर्धारित फार्मूला अनुसार
1	2	3	4	5	
1.	मिस कंचन लता	पिलानी	64–30	69–30	
2.	श्री सुरेशचन्द्र तापड़िया		63–16	65-16	
3.	श्रीमती विमलादेवी	राजस्थान	61–75	64–75	
4.	श्री ओ० वी० शर्मा	राजस्थान	59–58	63–58	
5.	श्रीमती सुधा जैन (जीवविज्ञान)		62–83	62–83	
6.	मिस शीला तिवाड़ी	राजस्थान	59–75	62–75	
7.	श्री जी० पी० शर्मा		59–50	62–50	
8.	श्रीमती एन० शर्मा		58–33	62–33	
9.	श्री देवेन्द्रकुमार	राजस्थान	62–25	62–25	
10.	श्रीमती विभा अवस्थी	राजस्थान	56–20	62–20	
11.	मिस जहिदा खानमे (जीवविज्ञान)	राजस्थान	62–08	62–08	
12.	श्री एम० एस० राठौर	राजस्थान	58–66	61–66	
13.	मिस सुमति गोलास	राजस्थान	61–41	61–41	
14.	मिस कान्ता कुमारी हसिजा	राजस्थान	59–16	61–16	
15.	श्री एम० पार्वतीसम		56–83	60–83	
16.	श्री वी० के० माथुर	राजस्थान	58–75	60–75	
17.	श्री एम० आर० मेहता	जोधपुर	58–66	60–66	
18.	मिस जसपाल कौर	जोधपुर	58–08	60–08	
19.	मिस कमलेश माथुर	राजस्थान	57–91	59–91	
20.	श्री पी० एस० शर्मा		56–75	59–75	
21.	मिस सुमन लता शर्मा	राजस्थान	59–66	59–66	
22.	श्री पी० सी० तातेड़ (जीवविज्ञान)	उदयपुर	56–62	59–62	
23.	श्री पी० सी० शर्मा	उदयपुर	55–50	59–50	
24.	मिस मंजु भटनागर	जोधपुर	58–25	59–25	
25.	श्री घनश्याम लाल	राजस्थान	59–25	59–25	
26.	श्री हुकमचन्द माहावार	राजस्थान	54–83	54–83	

(अनुसूचित जाति)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF EDUCATION RAJASTHAN, JAIPUR

Criteria for Purely Temporary Appointment Approved by the Government

The criteria for making temporary appointments will be as under:—

(i) The percentage of marks obtained at the Master's Degree Examination will be the main criteria.

(ii) The following percentage may be added to the above percentage of marks : –

(a) First Divsion :

(i) Degree Examination (Honours Course)	..	5
(ii) Degree Examination	..	3
(iii) Intermediate or P. U. C. or Higher Secondary Examination	..	2
(iv) High School Examination	..	1

(b) Second Division : .. 1

(i) Degree Examination (Honours Course)	..	1

(c) Teaching Experience of Degree Classes

(i) One session	..	2
(ii) Two session	..	4
(iii) Three or more sessions	..	6

(d) Doctorate Degree : .. 6

(iii) The following percentage may be substracted for **Third Division** at the following Examinations:—

(i) Degree Examination	..	3
(ii) Degree Examination (Honours Course)	..	2
(iii) Intermediate or P. U. C. or Higher Secondary Examination	..	2

(iv) High School Examination .. 1

Note—As divisions are now awarded in supplimentary cases also, the applicants of such category will not be treated as Third Divisioners as done in the past. There will now, therefore, be deductions and additions of percentage of marks according to the divisions obtained by the applicants as per provision in the formula in this respect. In case of candidates who took their examinations before the introduction of the system of awarding divisions in the supplimentary cases their divisions in the examination in which they were awarded supplimentary will have their divisions determined on the basis of marks obtained on which the Board or Universities award divisions in supplimentary cases under the new schemes for these purposes.

(iv) If after the temporary appointment, the Principal reports that due to physical defect or incapacity to maintain discipline in classes or slackness in teaching he is not found fit to work as Lecturer, his services may be terminated without notice.

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 82 की सूची)

वर्ष 70-71 के मामलों का विवरण **(सूची 'अ')**

क्र० सं०	नाम जिला	नाम एडवोकेट	दिनांक नियुक्ति	वेतन प्रति माह	वर्ष 70-71 में मुकद्दमों की संख्या	निर्णित मुक० दमें	वर्त० मान मुकद्दमें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जयपुर	1. श्री सम्पतराम माथुर	1-2-70	150)	3	—	3
		2. श्री इकरामुलहक	1-2-70	150)	1	—	1
2.	बीकानेर	3. श्री पी० सी० खड़गावत	2-12-63	100)	10	—	10
3.	जोधपुर	4. श्री रामगोपाल पुरोहित	12-5-69	150)	12	—	12
4.	कोटा	5. श्री कैलाश नारायण	6-11-61	150)	41	6	35
5.	उदयपुर	6. श्री रवि शंकर व्यास	1-2-70	150)	13	1	12

कानूनी सहायता मद में गत 3 वर्षों के व्यय की सूची **(सूची 'ब')**

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	योग
1968-69	2,200	1,800	4,000
1969-70	3,302	2,300	5,602
1970-71	6,393	5,377	11,770

परिशिष्ट 3

सूची 1

(अ० प्र० सं० 34 की सूची)

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा राज्य में चल रही कृषि उत्पादन हेतु लघु सिंचाई योजनाएं

क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	रिफेंजिग का दिनांक	योजना क्रियान्वित किये जाने की अवधि	योजना में लगाई जाने वाली धनराशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	भूमि समतल योजना, इटावा (कोटा)	23-12-68	17-5-71	5 साल (1970-71 से 1974-75)	118/92
2.	लघु सिंचाई योजना, पंचायत समिति, सांगोद (कोटा)	3-2-69	13-1-71	4 साल (1968-69 से 1971-72)	80/02
3.	लघु सिंचाई योजना, पंचायत समिति, नदबई (भरतपुर)	6-8-69	—	3 साल (1969-70 से 1971-72)	42/085
4.	लघु सिंचाई योजना, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ (जयपुर)	28-8-69	20-2-71	4 साल (1969-70 से 1972-73)	176/26

Page No 204

1	2	3	4	5	6
5.	लघु सिंचाई योजना, पंचायत समिति, कठूमर (अलवर)	13-9-69	16-1-71	4 साल (1969-70 से 1972-73)	147/23
	लघु सिंचाई योजना, पंचायत समिति, टोंक (टोंक)	15-12-70	3-5-71	2 साल (1970-71 से 1971-72)	6/2,575
7.	लघु सिंचाई योजना, पंचायत समिति, शाहपुरा (जयपुर)	18-12-70	—	2 साल (1970-71 से 1971-72)	14/19
8.	लघु सिंचाई योजना, पंचायत समिति, रामगढ़ (अलवर)	18-12-70	7-5-71	3 साल (1970-71 से 1972-73)	109/175
9.	लघु सिंचाई योजना, पंचायत समिति, राजाखेड़ा (भरतपुर)	18-12-70	—	3 साल (1970-71 से 1972-73)	46/0,181
10.	लघु सिंचाई योजना, पंचायत समिति, सवाई माधोपुर (सवाई माधोपुर)	19-3-71	—	3 साल (1970-71 से 1972-73)	46/16
				योग ...	786-3,156

सूची 2

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा चल रही लघु सिंचाई योजनाओं की उपलब्धियां (दिनांक 30-9-71 तक)

क्रम संख्या	योजना का नाम	बनाये गये कुओं की तादाद	कुओं पर लगाये गये पम्प सेट की तादाद		बनाये गये पम्प सेट सहित नलकूप	खेतों में बनाई गई नालियां	किसानों को दिया गया ऋण
			डिजल पम्प सेट	बिजली के पम्प सेट			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भू-समतल योजना, इटावा (कोटा)	3,033 एकड़ भूमि समतल की गई					8.50
2.	लघु सिंचाई योजना, सांगोद (कोटा)	719	101	59	—	—	46.45
3.	लघु सिंचाई योजना, नदबई (भरतपुर)	137	35	11	341	221 एकड़	25.20
4.	लघु सिंचाई योजना, गोविन्दगढ़ (जयपुर)	417	243	590	—	4,27,475 फीट	60.80
5.	लघु सिंचाई योजना, कठूमर (अलवर)	290	11	5	395	66,662 फीट	37.60
6.	लघु सिंचाई योजना, टोंक (टोंक)	31	13	5	—	5,900 फीट	1.40
7.	लघु सिंचाई योजना, शाहपुरा (जयपुर)	9	16	—	—	14,950 फीट	1.00
8.	लघु सिंचाई योजना, रामगढ़ (अलवर)	69	5	3	9	11,250 फीट	3.00
9.	लघु सिंचाई जिना, राजाखेड़ा (भरतपुर)	6	6	7	—	2,996 फीट	0.90
10.	लघु सिंचाई योजना, सवाई माधोपुर (सवाई माधोपुर)	30	6	9	—	—	1.50
	टोटल —	1,708	435	689	745	5,29,193+221 एकड़	186.35

परिशिष्ट 4

(अ० प्र० सं० 38 की सूची)

सब तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा में पट्टी खानों के लिये चल रहे ब्लॉकों की लिस्ट

	प्लॉट मालिक का नाम	ग्राम ब्लॉक नं० एक ब्लॉक 200'×200'	अवधि (इकरार की)
जलेरी नं० 1			
1.	श्री मोहम्मद कुरेशी पिता घासीखां	3	31-1-70 से 30-1-72
2.	श्री हरीप्रसाद पिता फतुराम, भीलवाड़ा	4	19-2-69 से 18-2-71
3.	श्री मांगीलाल पिता जयलाल, जलेरी	5	14-10-70 से 13-10-72
4.	श्री भंवरलाल पिता देवाजी धकड़, छोटी बिजोलिया	6	10-12-70 से 9-12-72
5.	श्री नाथूलाल पिता नारायण धाकड़, बेरीसाल	8	4-3-70 से 3-3-72
6.	श्री अब्दुलरशीद पिता जहूरलाखां	10	21-4-70 से 20-4-72
7.	श्री चिमनसिंह पिता शंकरलाल	11	4-6-70 से 3-6-72
8.	श्री चौथमल पिता फतुराम, भीलवाड़ा	12	26-8-69 से 25-8-71
9.	श्री भंवरलाल पिता बाबूलाल जैन, बिजोलिया	13	18-3-71 से 17-3-73
10.	श्री सम्पतकुमार पिता रतनलाल, महुवा	15	30-4-71 से 29-4-73
11.	श्री जगदीश पिता रामेश्वर पुरोहितों काखेड़ा	16	3-9-70 से 2-9-72
12.	श्री अब्दुल रजाक पिता रहमतखां जलेरी-2	17	28-9-70 से 27-9-72
13.	श्री मोहम्मद कुरेशी पिता घासीखां	21	16-7-69 से 15-7-71
14.	श्री मदनलाल पिता पूर्णमल कुमावत, मण्डावा	22	12-3-70 से 11-3-71
15.	श्री युनसखां पिता इब्राहीम बेरीसाल	39	9-9-69 से 5-9-17

1	2	3	4
16.	श्री घुलीलाल पिता रेखराज जैन	40	30-9-69 से 29-9-71
17.	श्री ताराचन्द पिता नारायण धाकड़	43	4-3-70 से 3-3-72
18.	श्री हरफूल पिता पन्नालाल यादव	44	3-6-69 से 2-6-71
19.	श्री मदनलाल पिता पूर्णमल कुमावत	46	18-2-71 से 17-2-73
20.	श्री किसान मजदूर सहकारी समिति धादू,	48	10-4-70 से 9-4-72
21.	श्री शान्तिलाल पिता प्यारचन्द टोंग्या	49	13-1-71 से 12-1-73
22.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी पति भोपालसिंह	50	1-4-71 से 31-3-73
23.	सुश्री रमादेवी पिता गुलाबराय, जयपुर	51	14-1-71 से 13-1-73
24.	श्री देवीराम पिता कालू धाकड़ गिरधरपुरा	52	12-1-71 से 11-1-73
25.	श्री गोपालकृष्ण पिता चतुरभुज शर्मा	53	12-1-71 से 11-1-73
26.	श्री प्रेमचन्द पिता देवी धाकड़ सलावटिया	54	21-12-70 से 20-12-72
27.	श्री नाथूलाल पिता चतरभुज धाकड़ सलावटिया	55	21-12-70 से 20-12-72
28.	श्री शिवनारायण पिता देवालाल, बिजौलिया	56	12-1-71 से 11-1-73
29.	श्री बापूलाल पिता घूलचन्द, सिमोली	57	4-3-71 से 3-3-73

भाट सरला क्षेत्र

1	2	3	4
1.	श्री मोतीलाल पिता मोहनलाल जोशी, धौलपुर	2	31-7-70 से 30-7-72
2.	श्री वेणीराम पिता कालू धाकड़	3	8-8-69 से 7-8-71
3.	श्री प्रभुदयाल पिता लक्ष्मीनारायण	4	7-8-69 से 6-8-71
4.	श्री घुलीलाल पिता रेखराज	5	10-7-69 से 9-7-71
5.	श्री भोपालसिंह पिता जीवनसिंह चौधरी	10	26-8-69 से 25-8-71
6.	श्री जुगलकिशोर पिता चिरन्जीलाल	11	4-6-69 से 3-6.71
7.	श्री भंवरलाल पिता रामनाथ जोशी	12	9-5-69 से 8-5-71
8.	श्री गणपतलाल पिता रामसहाय वर्मा	13	28-4-71 से 27-4-73
9.	श्री सुगनचन्द पिता घूलचन्द	14	4-6-69 से 3-6-71
10.	श्री बलवंतसिंह पिता गोपसिंह	15	3-6-69 से 2-6-71
11.	श्रीमती जरीना बेगम पिता अब्दुल वाजिद	18	15-5-71 से 14-5-73

1	2	3	4
12.	श्री पन्नालाल पिता सुखालाल	19	14-1-71 से 13-1-73
13.	श्री रणजीतसिंह पिता सरदारमल	20	14-1-71 से 13-1-73
14.	श्री कैलाशचन्द्र पिता भगवानलाल	23	21-12-70 से 22-12-72
15.	श्री गोपाललाल पिता नन्दकिशोर	21	22-12-70 से 21-12-72
16.	श्री नाथूलाल पिता नारायण धाकड़	24	2-12-70 से 21-12-72
17.	श्री दौलतराम पिता शूरालाल यादव	25	21-12-70 से 20-12-72
18.	श्री शंकरलाल पिता ओंकारमल	26	22-12-70 से 21-12-72
19.	श्री ओमप्रकाश पिता रामविलास	28	13-1-71 से 12-1-73
20.	श्री नाथूराम पिता मदनलाल	29	11-1-71 से 11-1-73
21.	श्री गणपतराम पिता रामसहाय	30	12-1-71 से 11-1-73
22.	श्री भंवरलाल पिता रामनाथ	31	(स्वीकृत 10/11-2-70 रेन्ट जमा पत्रावली अपील में जाने से इकरार नहीं हुआ)
23.	श्री सुगनचन्द पिता धूलचन्द	32	12-1-71 से 11-1-73
24.	श्री मोहनलाल पिता रेखराज	33	7-5-71 से 6-5-73
25.	श्री सोहनलाल पिता छगनलाल	34	12-1-71 से 11-1-73
26.	श्री कल्याण सुन्दरम पिता वंगारस्वामी	35	22-12-70 से 21-12-72
	जलेरी नं० 3		
1.	श्री हरफल पिता पन्नालाल यादव	38	28-3-71 से 27-3-73
2.	श्री लालदास पिता मोतीदास	47	12-11-70 से 11-11-72
3.	श्री नूरमोहम्मद पिता बाकरबक्श	59	16-12-69 से 15-12-71
4.	श्री मूसा पिता अब्दुल	60	16-6-70 से 15-6-71
5.	श्री खेतसिदास पिता केदारमल	57	(सचिवालय में केस चल रहा है) 31-8-68 से 30-8-70
6.	श्री खेतसीदास पिता केदारमल	65	(सचिवालय में केस चल रहा है) 31-8-68 से 30-8-70
7.	श्री नूरमोहम्मद पिता कादरबक्श	70	13-1-71 से 12-1-73
8.	श्री मूसा पिता अब्दुल लोहार	75	25-2-71 से 24-2-73
9.	श्री कैलाशचन्द्र पिता खेतसीदास	80	9-10-69 से 8-10-71

Page No 209

1	2	3	4
	सतकुड़िया		
1.	श्री गोपालसिंह पिता जीवनसिंह	5	14-11-69 से 13-11-71
2.	श्री नरेश कुमार पिता सतवन्त कुमार	8	5-11-69 से 4-11-71
3.	श्री नरेश कुमार पिता सतवन्त कुमार	11	5-11-69 से 4-11-71
4.	श्री रामनिवास पिता मथुरालाल लोहिया	12	16-2-70 से 15-2-72
5.	श्री बद्रीलाल पिता हरीराम	25	8-9-69 से 7-9-71
6.	श्री मोर्डसिंह पिता लक्ष्मीनारायण	83	12-1-71 से 11-1-73

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० सं० 39 की सूची)

स्टेटमेन्ट बाबत जिला बून्दी में सिलीका सैण्ड की लीजें जिन जिन व्यक्ति को किस किस तारीख को दी गई

क्रम संख्या	नाम ठेकेदार	किस तारीख को दी गई	विवरण
1.	श्री दामोदरदास खंडेलवाल, जो बाद में श्री कन्हैयालाल के नाम स्थानांतरित किया गया	20 वर्ष के लिये दिनांक 8-9-52 से 7-9-72	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ० 3 (1) (104) इन्ड (बी)/61/6460, दिनांक 13-10-61 द्वारा श्री कन्हैया लाल घाटीवाला के नाम स्थानान्तर की गई है।
2.	श्री कन्हैयालाल घाटी वाला, जयपुर	20 वर्ष के लिये दिनांक 17-8-68 से 16-8-88	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ० 3 (1) (64) इन्ड/बी/67 दिनांक 18-11-67 द्वारा स्वीकृत हुआ है।
3.	श्री रामेश्वरदास अग्रवाल, जयपुर	20 वर्ष के लिए दिनांक 14-7-69 से 13-7-89	निदेशालय के आदेश संख्या डीएमजी /किटी/एफ (1)/68/2566/68, दिनांक 29-8-68 द्वारा स्वीकृत हुआ है जो बाद में पार्टी द्वारा खनन कार्य न करने से राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 24 (42) खनिज/71, दिनांक 31-7-71 से खंडित कर दिया गया है।
4.	श्री चन्द्र प्रकाश पाठक, निवासी बून्दी	20 वर्ष तारीख पंजीयन संविदा से	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 24 (30) खनिज/70, दिनांक 21-9-70 द्वारा स्वीकृत हुआ है लेकिन संविदा का पंजीयन होना बाकी है। क्योंकि महाराव साहब, बून्दी के क्षेत्र की स्वीकृति बाबत एतराज करने से मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन था जिस पर निर्णय प्राप्त हो चुका है। संविदा पंजीयन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 40 की सूची)

नहरों की सफाई व पक्का करने हेतु दी गई धनराशि का खंडवार विवरण

(रु० लाखों में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	उत्तरी खंड		दक्षिणी खंड		हनुमानगढ़ खंड		पिलिबंगा खंड		कुल योग	
		अलॉटमेंट	खर्चा	अलॉटमेंट	खर्चा	अलॉटमेंट	खर्चा	अलॉटमेंट	खर्चा	अलॉटमेंट	खर्चा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंधी की मिट्टी हटाने हेतु	0.75	1 03	2.50	5.40	2.50	3.67	3.60	5.29	9.35	15.40
2.	कटे हुए बंकों की मरम्मत	3.40	3.04	1.50	0 12	1.00	0 61	1.00	0.74	6.90	4.51
3.	नहर का सक्शन ठीक करने हेतु	3 25	3 89	1.50	—	1.70	1.01	1.60	0 21	8.05	5.11
4.	वरम पर आई मिट्टी हटाने हेतु	2.00	3 54	—	—	—	—	—	—	2.00	3 54
5.	सीमा क्षेत्र की नहरों को पक्का करने हेतु	2.50	2.50	2.50	2.50	—	—	—	—	5.00	5.00
6.	भाखरा की नहरों से मिट्टी हटाने हेतु	—	—	—	—	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
	योग ..	11.90	14.00	8.00	8.00	6.20	6.29	7.20	7.25	33.30	35.56

गंगनहर व भाखरा नहरों में धूल भरी आंधियां चलने के कारण मिट्टी नहरों से निकालने का खर्चा

क्र० सं०	नहर का नाम	खर्चा
1	2	3
1	गंगनहर	57985
2	एम० एल० डिस्ट्रीब्यूट्री	14708
3	एफ० डिस्ट्रीब्यूट्री	66265
4	एच० डिस्ट्रीब्यूट्री	84307
5	न्यू माईनर	84951
6	एफ० जी० माईनर	38089
7	जेड० डिस्ट्रीब्यूट्री	48457
8	एफ० ए० माईनर	35129
9	रूपनगर डिस्ट्रीब्यूट्री	32588
10	एफ० डी० माईनर	25278
11	जी० जी० 11 डिस्ट्रीब्यूट्री	98315
12	यू० माईनर	47205
13	ओ० माईनर	56601
14	जी० जी० सागर	22169
15	एच० थ्रड माईनर	41147
16	जे० ज० माईनर	31097
17	जे० माईनर	31285
18	एफ० एफ० ए० माईनर	32564
19	सी० छोटा माईनर	34356
20	सी० बड़ा माईनर	6739
21	डी० माईनर	2026
22	पी० माईनर	729
23	एफ० एफ० डिस्ट्रीब्यूट्री	25244
24	एफ० एफ० बी० माईनर	1594
25	न्यू माईनर	8506
26	एन० एन० माईनर	6024
27	एन० एन० माईनर	881
28	डी० डी० माईनर	9836
29	बी० बी० डिस्ट्रीब्यूट्री	25666
30	बी० बी० ए० माईनर	16851
31	आर० माईनर	25232
32	टी० माईनर	13213
33	बी० माईनर	9300
34	एच० ए० माईनर	13704
35	एफ० बी० माईनर	21952
36	एफ० सी० माईनर	12444

Page No 213

1	2	3
37	एफ० देस० माईनर	2288
38	बी० माईनर	6370
39	एल० एल० माईनर	31171
40	एल० माईनर	14102
41	ई० ई० माईनर	7218
42	डी० डी० माईनर	27750
43	सी० सी० माईनर	2967
44	एल० एन० बी० ब्रांच	4013
45	जी० जी० आई० डिस्ट्रीब्यूट्री	10141
46	एल० माईनर एट हैड	1579
47	बार्डर क्षेत्र की नहरों पर लाईनिंग करना	500000
48	आर० दी० डिस्ट्रीब्यूट्री	62281
49	पी० एस० डिस्ट्रीब्यूट्री	77988
50	एल० एन० पी० डिस्ट्रीब्यूट्री	18403
51	घन्डी माईनर	21629
52	एन० के० डिस्ट्रीब्यूट्री	77005
53	सतजन्दा माईनर	23859
54	श्यामगढ़ माईनर	2222
55	जी० बी० माईनर	4253
56	एच० एच० डिस्ट्रीब्यूट्री	30635
57	करनीजो डिस्ट्रीब्यूट्री	39629
58	डिस्ट्रीब्यूट्री नं० 8	10319
59	टी० के० माईनर	33634
60	अरनावली माईनर	2380
61	संगराना माईनर	4354
62	जालोती माईनर	35006
63	सुलहमान की डिस्ट्रीब्यूट्री	7021
64	फार्म की डिस्ट्रीब्यूट्री	7529
65	बांमपुरा माईनर	47193
66	डिस्ट्रीब्यूट्री नं० 4	4186
67	डिस्ट्रीब्यूट्री नं० 7	12052
68	डिस्ट्रीब्यूट्री नं० 6	8476
69	अमरसिंह ब्रांच	87702
70	जसाना ब्रांच	41480
71	साऊथ घग्घर ब्रांच	54400
72	साऊथ ब्रांच	805506
73	करनीसिंह ब्रांच	244834
74	खारा सब-ब्रांच	50765
	योग ..	3556508

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 45 की सूची)

प्रश्न 1 की सूची

चालू योजनाएँ (संधारण में)

1. आनन्दपुर कालू
2. बिजापुर
3. बगड़ी
4. बिजोवा
5. चाणोद
6. चंडावल
7. धाकड़ी
8. घानला
9. मोमाज जैतारण क्षेत्रिय जल योजना
10. फालना
11. कोसेलाव
12. खिमेल
13. मुन्डारा
14. सांडेराव
15. सुमेरपुर
16. रोहत
17. रानी
18. तख्तगढ़
19. रायपुर
20. देसुरी
21. कुशलपुरा
22. गुन्दोज
23. रामसिंह का गुढ़ा

निम्न ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य निर्माणाधीन है व शीघ्र ही पूर्ण की जाकर जल वितरण प्रारम्भ किया जायेगा।

1. चावण्डी
2. जबाली
3. देवली कलां
4. खेरवा
5. अटबरा
6. बार
7. जोजावर
8. रेवाड़
9. बूसी

निम्न ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएँ इसी वर्ष (1971-72) में स्वीकृत की गई है तथा निमार्ण कार्य हाथ में लिया जा चुका है।

1. सोजत रोड़
2. झूंठा
3. पिपलिया कलां
4. बाबरा
5. घाणेराव नारलाई, माडोल क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना।

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 47 की सूची)

फिल्टर हाउस लक्ष्मण डूंगरी पर कार्य करने वाले 29 कर्मचारी (स्थाई एवं अस्थाई) की सूची

क्र० सं०	स्थाई नाम कर्मचारी	पद	कुल वेतन मंहगाई व अन्य भत्तों सहित
1	2	3	4
1. श्री	के० सी० गर्ग	अधिदर्शक	476.00 प्रति माह
2. ”	जयपाल सेठ	वरिष्ठ फिल्टर पालक	322.00 ”
3. ”	भौंरीलाल	कनिष्ठ फिल्टर पालक	436.00 ”
4. ”	मनीप्रकाश काला	”	283.00 ”
5. ”	मन्नाश्योला	आर्टिजन (मेकेनिक कार्य ज्ञाता)	357.00 ”
6. ”	चौथमल ईसर	फिल्टर द्वितीय	288.00 ”
7. ”	हरिनारायण	पम्प चालक द्वितीय	271.00 ”
8. ”	मेवा डालूराम	”	271.00 ”
9. ”	लक्ष्मीनारायण रामदेव	”	263.00 ”
10. ”	नाथू हरबक्स	”	243.00 ”
11. ”	ग्यारसीलाल	प्रथम	193.90 ”
12. ”	रामलाल सुखालाल	”	183.10 ”
13. ”	नात्या बाला	”	198.10 ”
14. ”	प्रभु रामनाथ	”	166.30 ”
15. ”	प्रभु चौथू	”	166.30 ”
16. ”	दयाल नानक	सहायक द्वितीय	156.85 ”
		योग ...	4,274.55 पैसे

अस्थाई कर्मचारी (वर्कचार्ज)

1. श्री	श्रीरामप्रताप/दामोदर	कनिष्ट फिल्टरपालक	299.75 ”
2. ”	नाथूलाल/रामप्रताप	पम्प चालक द्वितीय	254.75 ”
3. ”	भेरु/नरसिंह	मेसन (राज०)	228.50 ”
4. ”	महादेव/गणेश	सहायक द्वितीय	158.00 ”
5. ”	गोपी/बाछू	”	158.00 ”

Page No 216

1	2	3	4
6.	श्री छीतर/घासी	सहायक द्वितीय	158.00 प्रति माह
7.	,, ग्यारसा/काना	,,	158.00 ,,
8.	,, फूलचन्द/लादू	,,	158.00 ,,
9.	,, ग्यारसा/छोटू	,,	158.00 ,,
10.	,, हरपाल/काना	,,	158.00 ,,
11.	,, हनुमान/श्योनाथ	,,	158.00 ,,
12.	,, रामसहायक/पन्ना	,,	158.00 ,,
13.	,, भगवान/नन्दा	,,	158.00 ,,
		योग ..	2,363.00 पैसे
		वृहत योग ..	6,637.00 पसे

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक 13 नवम्बर, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
1	अन्तिम से	3	वाल	वाले
3	,,	10	इफक्टेड	इफेक्टेड
3	,,	9	इन्स्ट्रटेड	इन्ट्रेस्टेड
3	,,	4	अपरिपक्क	अपरिपक्व
5		13	अफक्टेड	अफेक्टेड
5		16	श्रा हरिदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
5	अन्तिम से	9	प्रमाणिक	प्रामाणिक
5	,,	9	फाईल	फाइल
6		7	मान ल	मानले
6		13	रखन	रखने
7		17	रज्यों	राज्यों
7	अन्तिम से	4	मैन	मैंने
8	,,	13	लणकरणसर	लूणकरणसर
8	,,	7	(राव नारायणसिंह	(राव श्री नारायणसिंह
8	,,	5	मतल	मूतल
8	,,	2	बीकानर	बीकानेर
8	,,	1	योजन	योजना
9		1		(राव श्री नारायणसिंह)
9		9	जान	जाने
9		14	सव	सर्व
9		21	इम्पलीप्मेन्ट	इम्पलीमेन्ट
9	अन्तिम से	7	कितन	कितन
10		2	गांवी	गांवों
12	अन्तिम से	12	शष	शेष
12	,,	11	अनपालना	अनुपालना
14	,,	12	वगरह	वगैरह

1	2		3	4
15	अन्तिम से	9	श्री अध्यक्ष	
16		18	सिोही	सिरोही
16	अन्तिम से	7	ह	हैं
19		1	(वन मंत्री)	(श्री भीखाभाई)
19	अन्तिम से	1	पचेंजिग	पर्नेजिग
22	,,	6	भमि	भूमि
22	,,	1	क्षत्र	क्षेत्र
23	,,	9	श्री देवीदत्त गाड़िया	
24	,,	13	किय	किये
24	,,	10	उनम	उनमें
24	,,	8	म	मैं
24	,,	1	रखन	रखने
26	,,	11	होनी	होना
28		14	मेज	भेजे
28		19	इसम	इसमें
28	अन्तिम से	10	छप	छपे
28	,,	3	जान	जाने
33		14	मैंन	मैंने
33	अन्तिम से	6	लक्ष्मणसिंह	लक्ष्मणसिंह
34		10	नवस्ट	नेक्स्ट
40		13	हुं	हैं
40		20	एसी	ऐसी
44	अन्तिम से	11	बड़	बड़े
44	,,	1	पोटेंशियेलिटो	पोटेंशियेलिटी है
46	,,	3	चयरमैन	चेयरमेन
46	,,	1	पर	ऊपर
47	,,	15	बोटनी	बोटनी
48		3	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
57		1	डवलपमेन्ट	डवलपमेन्ट
66	अन्तिम से	1	(अश्रय	अश्रव्य
70	,,	9	श्री प्रमसिंह	श्री प्रेमसिंह
71	अन्तिम से	1	शम	शर्म
72	अन्तिम से	5	मुझ	मुझे

1	2		3	4
75		6	वतान	वताने
76	अन्तिम से	9	म	में
78	,,	1	एसो	ऐसी
80	,,	4	सकनतवार	सकूनतवार
95	,,	8	श्री फूलचन्द वफणा	श्री फूलचन्द बाफणा
97		10	(श्री देवीदत गाड़िया)	(श्री देवीदत्त गाड़िया)
97		10	खचे	खर्च
97	अन्तिम से	8	लिथ	लिय
97	,,	2	वीच हो	बीच में हो
99		3	होन	होने
101		9	पान	पानी
101	अन्तिम से	11	सख्य	संख्या
101	,,	1	फलने	फैलने
102		1	श्री दौलतराम सारग	श्री दौलतराम सारण
102	अन्तिम से	10	अमुति	अनुमति
103		6	सुविध	सुविधा
103		15	आधर	आधार
103		22	प्रतिलिपि	प्रतिलिपि
103	अन्तिम से	5	ूण	पूर्ण
104		11	अाय	आये
104		23	नाल	साल
106		3	अभि	अभी
106	अन्तिम से	11	श्री लभचन्द वंद	श्री लाभचन्द वैद
108	,,	1	इस	इसे
109		2	अविलंबनय	अविलम्बनीय
109	अन्तिम से	1	वकौ	बैंकों
110	,,	15	मं चिता	मैं आपकी चिन्ता
111		5	डाक्टर	डाक्टर्स
113		1	जान	जाने
113		1	वाल	वाले
114		5	सम्बन्धो	सम्बन्धी
114	अन्तिम से	6	श्री वज सुन्दर	श्री बृजसुन्दर
116	,,	8	माननिय	माननीय

1	2		3	4
116	अन्तिम से	10	किन्त्	किन्तु
118	,,	13	मख्य मंत्रीजी	मुख्य मन्त्रीजी
120		1	करिगे	करिये
121		6	म	में
122		3	क्षब	अब
122	अतिन्म से	3	चल	चले
122		2	असे	जैसे
123		3	जक्दी	जल्दी
125		16	क्षत्र	क्षेत्र
125	अन्तिम से	8	इंव	इंच
127		16	मने	मैंने
130	अन्तिम से	5	ज्यदा	ज्यादा
132	,,	3	मझे	मुझे
134		10	किपे स्पेसिकिक	किसी स्पेसिफिक
134		11	न्हू	कह
135	अन्तिम से	9	ह	हैं
135	,,	1	पाचर	पावर
137	,,	1	कन्ट्ी	कन्ट्री
139		18	सर्मक	सम्पर्क
142	अन्तिम से	1	ब्रोफ	ब्रीफ
142	,,	5	जती	जाती
143		6	सइ	इस
143		14	द	दें
144		16	हम	हमें
145	अन्तिम से	8	जसी	जैसी
145	,,	5	निवेद I	निवेदन
146		8	शेखवत	शेखावत
149	अन्तिम से	6	लगगा	लगेगा
152		10	चुकि है	चुकी है
153		9	1969 म	1969 में
165	अन्तिम से	6	बुलान	बुलाने
168	,,	9	6- - 69 की पेश	68-69 की पेश
182		13	द्वपी	द्वेषी

1		2	3	4
193		16	प्रोग्रोसव	प्रोग्रेसिव
193		24	स्टूडन्ट्स	स्टूडेन्ट्स
196	अन्तिम से	5	डिपाटमेन्ट	डिपार्टमेन्ट
197		3	सज्जन न	सज्जन ने
199		4	कहन	कहने
203	अन्तिम से	5	यूनिवर्रसिटीज	युनिवर्सिटीज
204	,,	2	हन्ड्ड	हन्ड्रेड
207	,,	5	क्षत्र	क्षेत्र
211	,,	5	म	में
211	,,	2	या	
212		11	श्री दालतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
213	अन्तिम से	14	आग	आगे
215		10	सम्बध	सम्बन्ध
220	अन्तिम से	5	स्टडेन्ट	स्टूडेन्ट
226	,,	2	फिक्शेन्स	फिक्शेसन्स
227	,,	14	स इक	स्ट्राइक
229	,,	1	म	में
230		8	मे	में
233	शीष		विश्वपिद्यालयों	विश्वविद्यालयों
237	,,		विश्बविद्यालयों	विश्वविद्यालयों
241	अन्तिम से	10	अटेन्डन्स	अटन्डेन्स
242		6	पछेंगे	पूछेंगे
248		18	मुगताना	मुगतना
248		11	उन्होंने	उन्होंने
251		18	करेंग	करेंगे
253	अन्तिम से	10	वैठाय	बैठायें
254		11	चहाती है	चाहती है
255	,,	11	म	में
256		13	आय	आये
257	अन्तिम से	4	दिश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
259	,,	6	जि के	जिसके
264	,,	2	मंख्यमंत्रीजी	मुख्य मंत्रीजी
266		13	स्टडेन्टस	स्टूडेन्टस

1	2		3	4
266	अन्तिम से	8	बरी	बैरी
268	,,	12	विघार्थियों	विद्यार्थियों
268	,,	8	श्री पूनमचन्व विश्नोई	श्री पूनमचन्द विश्नोई
269		1	श्री सतीशशन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
270		3	इत	इस
270		18	म	में
271		5	अपमानन	अपमान
271	अन्तिम से	8	म	में
276		19	संम्र्क	सम्पर्क
280		4	विद्यार्थीयों	विद्यार्थियों
289	अन्तिम से	5	वंगलों	बंगलों
291		13	जावेगी	जायगा
291		16	श्री रामचन्द्र अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
291	अन्तिम से	9	हिरण्याक्षपु	हिरण्याक्ष
291	,,	2	सलिये	इसलिए
292		8	ेरोजगारी	बेरोजगारी
292	अन्तिम से	4	मने	मैंने
292		4	न	न
293		11	बक	बैंक
293	अन्तिम से	6	गय	गये
294		5	जमीन नहीं दी जाती	
294		14	न	कि
294		16	अमाननीय	अमानवीय
296	अन्तिम से	13	क्ट	एक्ट
296	,,	14	किय	किये
296	,,	5	सिटजनशिप	सिटिजनशिप
296	,,	1	कह	कहते
297	शीष		आय	आये
297		13	ेम्परेरी	टेम्परेरी
297		16	राईट	राइट
298		14	पाबन्दी	पाबन्दी
300		1	बोलन	बोलने
302		15	इसक	इसको

Page No 223

1	2		3	4
304		4	सिद्	जिद्
304	अन्तिम से	15	विर्णय	निर्णय
306		10	जसलमेर	जैसलमेर
307		13	नहीं	नहीं
309	अन्तिम से	3	उन्होंन	उन्होंने
310		7	ढाका	थारपारकर
310		11	सिघ	सिंध
310		21	पड़ी	पड़े
312	अन्तिम से	18	पहल	पहलू
312	,,	3	माननीय	मानवीय
316	,,	9	श्री गुलबसिंह	श्री गुलाबसिंह
316	अन्तिम से	1	जा' थी	जा रही थी
317	,,	3	स्टेन्च्यू	स्टेट्यूट
318	,,	12	वष	वर्ष
318	,,	5	कहां	वहां
319		15	आटानोमी	ऑटोनामी
319		18	8	
320	अन्तिम से	7	है	हैं
321	,,	6	बड़ बड़े	बड़े बड़े
322	,,	13	कसे	कैसे
323		13	श्री गुलाबसिंह	श्री गुलाबसिंह शक्तावत
323	अन्तिम से	7	बाइस	वाइस
324	शीष		1971–पर चर्चा	–1971 के मामलों पर चर्चा
325	अन्तिम से	17	बोडीज	बॉडीज
326	,,	10	बदलन	बदलने
326	,,	9	आइडियल	आइडियोलाजी
327	,,	8	उद्दश्यो	उद्देश्यों
327	,,	6	उद्विग्नता	उद्विग्नता
329		14	प्रश्वाचक	प्रश्नवाचक
329		16	थोर	घोर
329	अन्तिम से	5	इकानामिक	इकोनामिक
330		1	पालिटिकल	पोलिटिकल
330		3	पर्सेन्टज	पर्सन्टेज

1	2		3	4
330		11	ताल्लक	ताल्लुक
331	अन्तिम से	4	बनियादी	बुनियादी
331	”	3	रोकने	रोकते
332	”	6	कालेज म	कॉलेज में
332	”	1	डिवीजन	डिवीजन हूं,
332	”	1	मझे	मुझे
335		3	इन्टरेस्ट	इन्ट्रेस्ट
335	अन्तिम से	14	क्न्वीन्सड	कन्वीन्ड
335	”	1	वाले	वाली
336		12	पकड़ फेंक	पकड़कर
337		7	ने	जो
337		11	दोस्तो	
337		17	रिवाल्टिग	रिवोल्टिंग
338		1	आघोगे	आवोग
339		1	श्री रामानद अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
339		12	वयोंकि	क्योंकि
339	अन्तिम से	15	वाहर	बाहर
339	”	4	नियुक्तियों	नियुक्तियां
339	”	3	किया जाना	की जानी
340		13	बना े	बनाने
340		14	एजुकेशन	एज्यूकेशन
340		20	युनिवसिटी	युनिवर्सिटी
340	अन्तिम से	6	प्रोबलेम	प्रोव्लम
340	”	1	चून	चुने
341	”	9	रिप्रजन्ट	रिप्रेजेन्ट
342	”	8	ई	हैं
342	”	3	घनाएं	घटनाएं
343		2	क्रमेट	क्रिकेट
343		5	टमोस्फियर	एटमोस्फियर
344		14	रिश दार	रिश्तेदार
344		19	पाटी	पार्टी
344	अन्तिम से	10	गंदी	गन्दगी
344	”	1	संक	संकट

1	2	3	4
345	शीष	विश्वविद्यालयों-13 नवम्बर	विश्वविद्यालयों के मामलों-13 नवम्बर,
345	13	उाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
346	4	तक	तो
346	15	रायें	राय
348	अन्तिम से 6	सामन	सामने
348	,, 4	वइस चान्सलर	वाइस चान्सलर
349	12	पंदल	पैदल
349	अन्तिम से 13	ह	हैं
349	,, 1	विधार्थीयों	विद्यार्थियों
350	6	जोन	जॉन
351	अन्तिम से 12	बिगड़	बिगड़े
351	,, 5	कहेंग	कहगे
362	,, 12	न बुद्धिजीवियों	इन बुद्धिजीवियों
363	16	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
364	12	प्रेडेसर	प्रेडेसेसर
381	अन्तिम से 11	श्री भरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
412	,, 12	पूण	पूर्ण